# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या : 14

**मंगलवार;**

**11 मार्च, 2008**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री उपाध्यक्ष**: राम राम सा, राम राम सा।

**अनेक माननीय सदस्य**: राम राम सा।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री बद्रीलाल जाट।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### कपासन विधान सभा क्षेत्र में खाद कारखाने की स्थापना

214. **श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पिछले चार वर्ष में कौन-कौन से उत्पादक उद्योग स्थापित किये गये हैं, जिनकी अनुमति सरकार द्वारा राजकीय/अनुदानित रूप में दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले चार वर्षों में कहां-कहां, कौन-कौन से उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम नारीया में खाद बनाने का उद्योग लगाने की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो उद्योग स्थापना का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

**उद्योग मंत्री** (डा. दिगम्बर सिंह): (1) पिछले चार वर्षों में 6067 उद्योग राजस्थान विनिवेश प्रोत्साहन नीति 2003 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर स्थापित किये गये हैं। जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में डी.ए.पी. खाद के उत्पादन हेतु राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम और राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टीलाइजर

(डा. दिगम्बर सिंह)

लि. द्वारा राजस्थान राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टिलाइजर लि. का गठन किया गया है। इस उद्योग में 405 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा तथा इसमें 850 टन प्रतिदिन डी.ए.पी. खाद का उत्पादन होगा। इस उद्योग से खाद का उत्पादन वर्ष 2009-2010 तक प्रारम्भ होने की संभावना है।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ में जो सुनयना टैक्सटाइल औद्योगिक क्षेत्र है उसके पास गरीबों के खेत थे, गरीबों की जो भूमि थी, उनको अवाप्त करने का काम किया, परन्तु जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनकी जमीनों को अवाप्त करने से बाहर कर दिया गया है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उनको भी अवाप्त करने की भावना रखती है? (व्यवधान)

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले उनका जवाब आने दो।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनकी जमीनें कभी अवाप्त नहीं की जाती हैं और जो गरीब लोग हैं उन्हीं को हमेशा मार झेलनी पड़ती है। माननीय मंत्री महोदय, आप काश्तकारों के लिए क्या करना चाहते हैं, हमेशा गरीब और अमीर में एक समानता रखी जाये।

**श्री उपाध्यक्ष**: बता रहे हैं, बता रहे हैं।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): और उनकी जमीनें भी, चाहे वह प्रभावशाली हो या कैसा भी व्यक्ति हो, उनकी जमीनें भी अवाप्त करने की आप कृपा करेंगे, यह बतायें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, इतना शानदार वातावरण उद्योगों को लेकर राजस्थान में पिछले चार वर्षों के कार्यकाल में हुआ है, एक आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा उद्योगपति राजस्थान में आने को अपना मानस इस समय बनाये हुए हैं। माननीय सदस्य की यह पीड़ा कि जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाता है और गरीब लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना

(डा. दिगम्बर सिंह)

चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो सरकार से प्रभावशाली कोई नहीं है और निश्चित रूप से उनकी जमीनों को अधिग्रहण करने की मैं कार्यवाही करवाऊंगा।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले वह खड़े हो गये हैं, उनका आने दें। (व्यवधान)

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, चार वर्षों में चित्तौड़गढ़ में कोई उद्योग नहीं लगा, इसी तरीके से कई और जिले भी हो सकते हैं जहां उद्योग नहीं लगे हों और जिन जिलों में वर्तमान काल में ...(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री) आप इसको ध्यान से पढ़ें, सरकार द्वारा कोई उद्योग की स्थापना नहीं की गयी है, यह बात है ...(व्यवधान)

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना): मैं सरकार की ही बात कर रहा हूं। जिन जिलों में वर्तमान काल में उद्योग नहीं लगे हैं उन जिलों में उद्योगों की संभावना को देखकर के कोई प्रोत्साहन योजना तैयार करने की मंशा विभाग रखता है ?

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा औद्योगिक जगत में भी है, आप किसी उद्योगपति को कम्पेल नहीं कर सकते हैं कि फलां जगह पर इंडस्ट्री लगायें। वह अपने मार्केट के और रा-मेटेरियल के, सारी स्थिति देखने के बाद ही उद्योग स्थापित करता है परन्तु माननीय सदस्य की जो भावना है, मैं आपको इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि अगर इस तरह का वातावरण, इस तरह की स्थिति आपके किसी भी विधान सभा क्षेत्र में बनती है तो निश्चित रूप से हमारी प्रोत्साहन नीति है, हमारी इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, उससे बाकायदा हम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और ऐसी जगहों पर जहां डवलपमेंट की गुंजाइश है, उनको प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्नकर्ता को पूछने दें ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): क्वेश्चन कर लूं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये सप्लीमेंट्री ...(व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): उद्योग मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मात्र सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ... (व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): क्या अपने गृह जिले भरतपुर में जहां सारे उद्योग बंद हो गये हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपको बाद में समय देंगे, आप बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): आप आज उसी गृह जिले से उद्योग मंत्री हैं ...(व्यवधान) क्या उनको खुलवाने या लगाने का कष्ट करेंगे? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): चित्तौड़गढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री लग रही है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप प्रश्नकर्ता को पूछने दें। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): उस सीमेंट फैक्ट्री में हजारों किसानों की जमीन औने-पौने दामों में ली। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: किसका प्रश्न पूछ रहे हैं आप? (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): रिसर्जेंट 2007 के माध्यम से ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित सीमेंट के जो उद्योग हैं वह कितने हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप बीच में नहीं बोलें, पहले प्रश्न का उत्तर आने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: एक-एक आदमी बोले, हां बोलें। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक मात्र क्वेश्चन

(श्री बद्रीलाल जाट)

रिसर्जेंट, 2007 के माध्यम से चित्तौड़गढ़ में कितने प्रस्तावित सीमेंट उद्योग आये हैं और उनमें काश्तकारों की जमीन को लेकर के कई बार धरने और प्रदर्शन हुए हैं? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): क्या राजस्थान सरकार उनकी भूमि को अवाप्त करने का इरादा रखती है और उनको जो मुआवजा या उनको जो भूमि के बदले धन दिया जाता है वह जो रेट है उसके माध्यम से ...(व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल्स को खोलने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, उनको रोकिये वह खड़े हो गये हैं (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): इसी के साथ ही डी.ए.पी. प्लांट कपासन क्षेत्र में लगाने का जो आपने आश्वासन दिया है मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आप लोग बिराजें, एक-एक का जवाब दे दूंगा ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, केवल कपासन का प्रश्न है इसमें सारे राजस्थान का ले रहे हैं, आगे के प्रश्न रह जायेंगे फिर। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): इसलिए मैं चाहता हूं कि जयपुर मैटल्स को भी ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): मैं चित्तौड़गढ़ जिले की ही मांग कर रहा हूं।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): सीमेंट के जो प्लांट आ रहे हैं उनकी जो अवाप्त की जाने वाली जमीन है, उसकी डी.एल.सी. रेट काफी कम है, उनके बारे में क्या सरकार उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): इसके साथ ही क्षेत्र की जो जनता है उनको विस्थापित करने का या बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का विचार रखती है?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लूं, अगर आप कह दें, जहां तक लैंड एक्विजेशन का सवाल है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर इसके बारे में आपको रिव्यू करना चाहिए। क्या सरकार का इरादा है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत जमीन इस्तेमाल हो चुकी है वहां तो आप फरदर एक्विजेशन के लिए जायें तो वह बेहतर रहेगा। खाली जमीन को एक्वायर कर-करके रखना मुनासिब नहीं रहेगा। तत्कालीन मुख्य मंत्री भैंरोंसिंहजी शेखावत ने भी इस प्रकार से जमीनों के एक्विजेशन पर रोक लगायी थी। फाइल के ऊपर आर्डर पास किया था। उनकी भावना के अनुरूप ही कांग्रेस सरकार ने भी जहां आवश्यकता है वहां लिया जाये, अदरवाइज यह बहुत बड़ा लैंड स्कैंडल होता है कि आपने नोटिस निकाल दिया फिर आप उसके बाद जमीन एक्वायर नहीं करके उनको धीरे-धीरे रिलीज करना शुरू करते हैं। इसके बारे में लैंड एक्विजेशन के बारे में जब तक आप फूल प्रूफ नीति नहीं बनायेंगे जिसके तहत यह तय होना चाहिए कि 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तक हमारे जो प्लाट्स हैं इंडस्ट्रियल एरिया में वह इस्तेमाल हो जायें उसके बाद ही फरदर एक्विजेशन होना चाहिये। क्या इसके बारे में भी आप विचार करने को तैयार हैं?

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): मंत्रीजी, साथ में जवाब आ जायेगा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): मैं जवाब देने में सक्षम हूं, दे दूंगा।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): मंत्री महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न है, साथ में जवाब आ जायेगा, छोटा-सा सवाल है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): हां, बतायें।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में एक सीमेन्ट फैक्ट्री लग रही है उसमें हजारों किसानों की जमीनें एक्वायर औने-पौने दामों में की जा रही है।

**श्री उपाध्यक्ष**: डूंगरगढ़ में।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): चित्तौड़गढ़ जिले में जो कपासन का इन्होंने यहां प्रश्न लगाया है।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): चित्तौड़गढ़ में जो प्लांट आ रहा है सीमेंट के लिए, उसको अलाऊ करने के लिए जो प्लांट मालिक है, उसके माध्यम से काश्तकारों ने प्रदर्शन किया है, यही तो है।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): यह इन्होंने अच्छा क्वैश्चन लगाया है। यह सरकार किसानों की जमीन जो औने-पौने दामों में एक्वायर कर रही है क्या उनके बच्चों को रायल्टी के रूप में उनका हिस्सा रखेगी जैसा कि हरियाणा सरकार के अंदर है, 30 साल तक 15 हजार रुपये प्रत्येक साल उन किसानों को, जिनकी जमीनें एक्वायर होती हैं, चाहे प्राइवेट उद्योग हैं, चाहे सरकारी उद्योग हैं, उनमें उनको रायल्टी के रूप में पैसा दिया जाता है। किसानों की जमीनों को औने-पौने दामों में एक्वायर करने के बाद वह बर्बाद हो जाएंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, आप मुझे रोकिए मत, आप इस बारे में मंत्रीजी को कहिए, सरकार को कहिए कुछ।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है, मेवाड़ शुगर मिल, भोपालसागर लगभग पांच-सात वर्षों से बंद पड़ी है और वहां के मजदूरों को आज दिन तक तनख्वाह नहीं दी है, स्प्रिट बेच दी गई, मोलासिस पड़ा हुआ है और वहां के लोग आए दिन धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, पांच साल हो गए, उनको तनख्वाह का एक पैसा आज दिन तक नहीं मिला और इससे उनकी माली हालत खराब हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन कि उद्योग मंत्रीजी, यह तनख्वाह दिलवाने की कृपा कराएं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बैठिए, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) जवाब आपका आ गया।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): वह किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, मंत्रीजी को पता है, इसका जवाब इसी के साथ दे दें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जिस दिन मेरे डिपार्टमेंट की डिमाण्ड थी उस दिन सामने बैठने वाले हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्य, क्योंकि इनको जाना था, अपनी रैली में जो एक टोटल फेल्योर रह गई थी ...(व्यवधान) टोटल फेल्योर।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपकी आंख है या बटेर है, टोटल फेल्योर हो गई?

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): अब सुन तो लीजिए।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपके जैसे सलाहकारों की जरूरत है इस सरकार को जो फेल्योर बता रहे हैं आप उनको। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): यह कह दो कि रैली हुई ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष**: सबका नजरिया अलग-अलग है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): It was a completely-failed rally.

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): इनकी बुद्धि पर तरस आता है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): क्या हुआ रैली का, फ्लाप, फुल फ्लाप। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): उस रैली से आपका धुआं निकल जाएगा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): इस रैली से ज्यादा बड़ी रैली तो महिलाओं की थी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में हमने फैसला किया है कि जिस तरीके से जे.डी.ए. 25 प्रतिशत डवलप लैण्ड दे रहा है उसमें किसानों ने बहुत आराम-आराम से अपनी जमीन दी है, उसको दिक्कत कुछ नहीं, क्योंकि उसे उसका रेवेन्यू अच्छा मिल रहा है। इसी तरह से रीको जो भी भूमि अवाप्त कर रहा है या करेगा उसमें उसकी टोटल लैण्ड का 25 प्रतिशत डवलप लैण्ड उसको देंगे तो मेरे ख्याल से इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

दूसरा, कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि चित्तौड़गढ़ में और कौन-कौन से कारखाने आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक तो वण्डर सीमेंट आएगा, दूसरा लाफार्ज।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): चार साल में एक कारखाना लगाया है जिसमें 2200 लोगों को नौकरी दी है, बाकी सब साफ है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आप मेरी बात सुनिए। इस बारे में तो आप बोलने लायक भी नहीं हो। राजस्थान रिसर्जेण्ट कार्यक्रम ने आपका मुंह बंद कर दिया, आपको बोलने के लिए कोई है नहीं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): 300 एम.ओ.यू. करने के बाद आप कह रहे हैं कि 1 करोड 67 लाख रुपये समथिंग इन्वेस्टमेंट होगा, कारखाना लगाया है, पूरे राजस्थान में एक बड़ा कारखाना लगाया है। आपने खुद ने, सरकार ने जवाब दिया है, केवल एक बड़ा कारखाना लगाया है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): केवल चार साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के कारण इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा जवाब तो सुनें।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): इनको जवाब सुनना नहीं है इसलिए बीच में बोलते हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप मिनिस्टर को इनकंपीटेंट मानते हो क्या, आप बैठिए। आप इनकंपीटेंट मानते हो क्या, आप बीच में क्या हैं?

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): हरिमोहनजी, भरतपुर की सारी फैक्ट्रियां कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के तत्कालीन मंत्रियों ने षड्यंत्र करके बंद करवाकर बेरोजगारों की भीड़ बढ़ा दी। यह मैं आथेंटिक कह रहा हूं इस बात को। आप अगर चाहें तो नाम ले लूंगा, जिन्होंने यह षड्यंत्र किया था।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): भरतपुर का क्या है, मिलीभगत की कुश्ती है आपकी।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य और नगर से आने वाले माननीय सदस्य आपने भी इन उद्योगों के बारे में भरतपुर की कई बार चिंता सदन में की, बात रखी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इन्होंने तो उद्योग बंद कर दिए पर हम उद्योग चालू करवा रहे हैं, बंद पड़े उद्योग भरतपुर के हैं और सिमको वैगन लिमिटेड जो बंद थी उसको शुरू करवाने के लिए इसी महीने में शायद 27 तारीख को हम शुरू करवाने जा रहे हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): केशोरायपाटन, सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में धुआं उठाने की घोषणा का क्या हुआ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आपकी धुआं निकाल दी न उसमें और क्या चाहते हो?

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आपकी तो पूरी धुआं ही निकल जाएगी, नम्बर ही नहीं आएगा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आप सुन लीजिए, आपके किए हुए सारे पाप एक साथ नहीं धोए जा सकते, इनको धोने में टाइम लगेगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर मैटल के बारे में चिंता की थी, मैं इस बारे में सदन को सूचना देना चाहता हूं कि इसमें सरकार

(डा. दिगम्बर सिंह)

निश्चित रूप से अपने पूरे प्रयास कर रही है और इसके रिवाइवल का एक पूरा काफी अच्छा हम आगे बढ़ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका रिवाइवल हो, इसका मैं आश्वासन देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नवरतन राजोरिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): लास्ट क्वैश्चन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में नये उद्योग लग रहे हैं उनमें वहां के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी और मेवाड़ शुगर मिल स्प्रिट बेच चुकी है 20 लाख की, वह राशि तत्काल मजदूरों को भुगतान कराई जाए। (व्यवधान)

**श्री जीवाराम चौधरी** (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): आप पूरे राजस्थान का जवाब दे रहे हैं, कई मिलें बंद पड़ी हैं आपकी और आप वाहवाही ले रहे हैं तो आप उनके बारे में भी कुछ बताओ।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): वाहवाही करने की बात नहीं है, आप मेरी बात को सुनिए, मैंने यह कहा है...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): माननीय मंत्रीजी, किसानों का इतना अच्छा प्रश्न था, माननीय सदस्य ने उठाया, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भूमिका बना कर कह रहे हो।

**श्री जीवराम चौधरी** (सांचौर): एक बढ़िया सवाल पूछ रहा हूं, रामलालजी, एक मिनट, एक छोटी सी बात है।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): मेवाड़ शुगर मिल में दस प्रतिशत हिस्सा राशि और 65 माह से कार्मिकों को भुगतान नहीं हो पाया है। मेवाड़ शुगर मिल ने उनकी स्प्रिट बेच दी है, 20 लाख के लगभग कलक्टर के पास खाते में पैसा पड़ा है, तत्काल उनके भुगतान की कार्यवाही के लिए आप आश्वासन दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप बैठिए।

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): उद्योग मंत्रीजी का तो जवाब आया ही नहीं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आपके जो उद्योग बंद हैं उनके लिए आप मेरे पास आ जाना।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री नवरतन राजोरिया।

## स्थगित प्रश्न

## (दिनांक 21.2.2008)

## फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दर्ज प्रकरण

42. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006 व 2007 में राज्य में नकली/मिलावटी घी के कितने प्रकरण सामने आए और उनमें कितना नकली/मिलावटी घी पकड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में कितने लोगों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त वर्षों में कितने मामले कहां-कहां दर्ज किए गए और उनमें किन-किन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री नरपत सिंह राजवी): (1) वर्ष 2006 में घी के कुल 295 एवं वर्ष 2007 में 240 नमूने पी.एफ.ए. एक्ट के तहत जांच हेतु लिए गए। जिनमें से वर्ष 2006 में 32 एवं 2007 में 35 नमूने मिलावटी/मिस ब्राण्ड पाये गए।

(2) नमूनों की जांच में वर्ष 2006 में 32 एवं वर्ष 2007 में 35 नमूने अपमिश्रित/मिलावटी पाए गए हैं। वर्ष 2006 के 30 एवं वर्ष 2007 के 07 प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध चालान पी.एफ.ए. एक्ट की धारा 7/16 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। शेष प्रकरण में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामजीपुरा खुर्द में दिनांक 27.01.2007 को पुलिस थाना रेनवाल (जयपुर-ग्रामीण) के द्वारा एक प्रकरण नोवा मार्का घी का दर्ज किया गया। श्री सुरजाराम जाट के मकान में श्री श्रवण सिंह का नकली देशी घी मार्का नोवा के मय उपकरण 45 पीपे खाली एवं 76 पीपे भरे हुए जब्त किए। दोषी श्री श्रवण सिंह के विरुद्ध मुकदमा संख्या 20/07 धारा 420, 467, 272, 273, 63, 68 आई.पी.सी.7/16 पी.एफ.ए. एक्ट 1954 व 78 कापी राइट एक्ट में दर्ज कर दोषी के विरुद्ध दिनांक.18.08 2007 को चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

**श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है 2006 में 295 मिलावटी घी के नमूने लिए, 2007 में 240 नमूने लिए। उनमें से वर्ष 2006 में 32 व 2007 में 35 मिलावटी घी के पाये गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पी.एफ.ए. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार क्या वर्षवार या माहवार नियमित रूप से जांच के लिए नमूने लिए जाते हैं? इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या शिकायत के आधार पर ही आप इन प्रकरणों को दर्ज करते हैं? इसी प्रकार से जो चालान पेश किए गए 2006 में 30 एवं 2007 में 7 प्रकरणों का चालान प्रस्तुत किया गया। मिलावटी घी के इतनी संख्या में नमूने आपने लिए लेकिन चालान प्रस्तुत किए केवल 2006 में 30 और 2007 में 7 प्रकरणों में, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में, मैं दो नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूं।

ये 8.09.07 को जो पकड़े गये हैं झोटवाड़ा थाना पुलिस ने कारखाने पर छापा मारकर संचालक को गिरफ्तार किया है और नमूने पकड़े गये हैं। यह बड़ी फैक्ट्री चलाता था। उसी प्रकार गोपालपुरा पुलिया के पास में चेतक नम्बर 7 के सिपाहियों ने मोटरसाइकिल पर पीछा करके घी के नमूने पकड़े। कहने का मतलब यह है कि जयपुर में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं और उसके बावजूद प्रशासन की अनदेखी के कारण घी के प्रकरण चलते हैं उन पर सख्त कार्यवाही नहीं की जाती है। इसको देखने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कहना बहुत आसान है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि मामले उन्हीं में दर्ज होंगे जहां पर अपमिश्रित या मिलावटी घी पाया जाएगा। 32 में मिलावटी घी पाया गया, 30 में चालान हो गया और 2 चालान नहीं पेश कर पाये बाड़मेर से। उन बाड़मेर के दो निरीक्षकों को सस्पेंड भी हमने किया है। 2007 में 35 प्रकरणों के विरूद्ध सिर्फ 7 में चालान पेश हुआ है। उसका मुख्य कारण यह है कि 90 कर्मचारियों को सितम्बर, 2007 में खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां प्रदत्त की गईं और 90 दिन का टाइम निर्धारित होता है, समय, पता, निवेशकों के नाम व डिटेल जारी करने में और एक महीने लैब टैस्टिंग में समय लग जाता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र ही अगले एक महीने में चालान पेश कर दूंगा ताकि कोई भी मिलावट वाला बचे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, नमूने तो खूब लिये जाते हैं, लेकिन अगर नमूने में मिलावटी या घटिया घी नहीं पाया जाएगा तो उसमें चालान पेश करना

(श्री नवरतन सिंह राजवी)

न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए शेष मामलों में चालान पेश नहीं किया गया, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से संबंधित एक प्रकरण है। मैं इतना-सा जानना चाह रहा हूं श्रवण सिंह के खिलाफ जो चालान पेश किया गया क्या पहले भी इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और उसके विरूद्ध आज तक कोई सज़ा नहीं होना इस बात का द्योतक है कि जो भी जांचकर्ता हो या जो भी आपकी प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है उसके कारण दोषी को सज़ा नहीं मिल पाती और वह दूसरे नाम से नकली घी का घंधा करता है। इसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पीएफए एक्ट के अलावा कापीराइट एक्ट और आईपीसी की धारा 420, 767, 272, 273, 63 और 68 भी लगायी हैं। अब सज़ा देना तो न्यायालय का कार्य है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में या लैब टैस्टिंग में किसी भी प्रकार की खामी न पहले रही है, न मैं भविष्य में रहने दूंगा यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मूल प्रश्नकर्ता के अलावा एक को तो मौका दें सर।

**श्री उपाध्यक्ष**: पूछिए आप।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आपने जो 295 और 240 नमूने लिये ये नमूने लेने के उपरांत भी नकली घी बनाने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। अभी तीन दिन पहले ही अख़बार में आया था। क्या आपने इन नमूनों का कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि एक साल में कितने नमूने लेने हैं? आप निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम नमूने लेते हैं इसीलिए ये प्रकरण बढ़ते चले जा रहे हैं।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास अख़बार के माध्यम से जो सूचना आई उसके बारे में कह रहे हैं, करतारपुरा क्षेत्र में नकली घी के संबंध में। शायद 22 गोदाम, जयपुर के पास है जहां शायद इनका काफी आना-जाना रहता है। तीन ब्रांड का

(श्री नरपत सिंह राजवी)

घी वहां बन रहा था गोपी, मधुवन, सुपर वाहक। मौके पर फर्द तैयार कर ली गई, नमूने के दो-दो भाग श्री विनोद सिंह, एसआई, पुलिस थाना महेश नगर को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की है। एक नमूना वास्ते जांच सीपीए को भिजवाने के बाबत खाद्य निरीक्षक के दल द्वारा अपने जाब्ते में लिया गया है। यह पूर्व वित्त मंत्रीजी ..(व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): क्या कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है मंत्री महोदय, आप यह फरमा दें।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लक्ष्य भी बता दूंगा। हमारा लक्ष्य है कि अगर आप भी गलत बनाएंगे तो आपको पकड़ने का भी लक्ष्य है। और कोई भी करेगा तो उसका भी लक्ष्य है।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं तो संख्या का लक्ष्य पूछ रहा हूं, आप उत्तेजित मत हों, क्योंकि आपके आने के बाद नकली घी के प्रकरण बढ़ते चले जा रहे हैं और आप पूरे राजस्थान के अंदर 295 केस सैम्पल के लेते हो। हजारों की तादाद में सैम्पल लेने चाहिए तभी इनको रोका जा सकता है।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य घी खाते नहीं हैं, अब पिछले 10 वर्षों से नहीं खा रहे हैं, मुझे जानकारी है, लेकिन प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को पांच नमूने प्रतिमाह लेने होते हैं और यह भी मैं निवेदन कर दूं कि जब हमारे पूर्व वित्त मंत्रीजी यहां पर शोभायमान थे उन्होंने इस डाइंग कैडर को मरने दिया और 34 निरीक्षकों के पद थे वे खाली हो गये। हमने तो कम से कम 90 अधिकारियों को यह अतिरिक्त शक्तियां देकर यह काम आरम्भ कराया है वरना पहले तो बिलकुल ही बाबाजी का राज था, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपने कौन से भर दिये 35? दूसरों को आपने चार्ज दिया है।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 90 को दे दिया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपने दूसरों को चार्ज दिया है। यह मुंशीगिरी ज्यादा मत बताओ आप। आपने वहां पर दूसरों को चार्ज दिया है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं मिल गये थे उन लोगों से। आप मिलावटियों से क्यों मिल गये थे? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रणधीरसिंह भीण्डर।

## खनिज अभियन्ता, सीकर द्वारा चेजा पत्थर के स्वीकृत खनन क्षेत्र

215. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक खनिज अभियन्ता, सीकर के कार्य क्षेत्र में प्रधान खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टे कितने कब-कब निरस्त किये गये? खनिज का नाम, पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र/खनन पट्टा संख्या, गांव का नाम, तहसील का नाम आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निरस्त किये गये पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र/खनन पट्टा से संबंधित भूमि पर चेजा पत्थर के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा स्वीकृत किये गये? आवेदक का नाम, आवेदन-पत्र संख्या, क्षेत्र का नाम, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति दिनांक तथा खनिज का विवरण सहित स्वीकृति पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**खनिज मंत्री श्री** (लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) वर्ष 2004 से अब तक खनि अभियन्ता, सीकर के कार्यक्षेत्र में प्रधान खनिज के 11 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टे निरस्त किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त निरस्त किये गये पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र/खनन पट्टों से संबंधित भूमि पर चेजा पत्थर के 116 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

**श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): मंत्री महोदय, यह चेजा पत्थर की एप्लीकेशन जहां-जहां पर लगी हैं उस स्थान को किस उद्देश्य के लिए रिक्त घोषित किया गया था और प्रधान खनिज के लिए रिक्त किये गये क्षेत्र में अप्रधान खनिज के लिए एप्लीकेशन क्यों ली गई और अगर ली गई तो उक्त नोटिफिकेशन के आधार पर उसे खारिज क्यों नहीं किया गया?

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राकेश कुमार बंसल के पास में 10.72 हैक्टेयर पी.एल. ग्रांट की गई थी और 21.08.2002

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

के रिनुअल के वक्त इसको रिनुअल नहीं करके इसको अस्वीकृत की गई। फिर 7.4.2005 को इसने रिवीजन की और यह फाइल रिमाण्ड हुई दिनांक 7.4.2005 को। 11.9.2006 को इसको पुन: सुनवाई का मौका देकर इसकी एप्लीकेशन वापस रिजेक्ट की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 23.12.2006 को इसे रिक्त घोषित किया गया और नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.2006 को केलसाइड का मेजर मिनरल्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि यह मेजर मिनरल्स केलसाइड का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इस पर वो पार्टी जो राकेश बंसल है, रिवीजन पेश करके उसने वहां पर उसका स्टेटस-को का आदेश लिया है इन बिटविन 2007 में 116 चेजा पत्थर के आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुए। इनको प्रस्तुत करने का हर एक को अधिकार है, पर वास्तव में यह मेजर मिनरल्स का एरिया था, नोटिफिकेशन मेजर मिनरल्स का हुआ था। यह अभी विचाराधीन है, इस मेजर मिनरल्स के ऊपर माइनर की जो एप्लीकेशन लगायी है चेजा पत्थर की, तो इसके बाद में इसको डिसाइड किया जाएगा।

**श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): मंत्री महोदय, यह जो चेजा पत्थर की एप्लीकेशन लगी है दो दिन के अंदर लगी है। इसका मतलब या तो इसमें अधिकारी मिले हुए हैं या फिर जो पार्टी स्टे लायी है उसने इसमें कुछ न कुछ किया है। पहले भी आपके विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर चुके हैं। मैं चाहता हूं इसमें आप पूरी जांच करवाएं, जांच करवाकर जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बत्तीलाल।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जांच का कहा है वास्तव में मेजर मिनरल्स का मामला केलसाइड का नोटिफिकेशन हुआ था 23.12.2006 को चेजा पत्थर के लिए दो दिन में 216 एप्लीकेशन लगी हैं। निश्चित है कि कुछ संदेह है, मैं इसकी जांच करवा दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री बत्तीलाल मीणा।

## उप स्वास्थ्य केन्द्र दलपुरा (टोडाभीम) का क्रमोन्नयन

216. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बत्तीलाल)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ग्राम पंचायत दलपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री नरपत सिंह राजवी) : जी हां। जी नहीं। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। पंचायत समिति नादोती में निर्धारित मापदण्ड से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नादोती तहसील में मात्र दलपुरा पंचायत हैडक्वार्टर ही ऐसा है जहां कस्तूरबा बालिका छात्रावास है और वहां सैकड़ों की तादाद में लड़कियां पढ़ती हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपका बजट महिला सशक्तिकरण का बजट है और केवल आपके हां कहने मात्र से हजारों लड़के और लड़कियों का भविष्य सुधर जाएगा, उनके अभिभावक रहते नहीं हैं, मान्यवर, उन्हें इलाज के लिए गांवों में जाना पड़ता है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, यह रिक्वेस्ट है और यह जनता की ओर से मांग है कि वहां आपको केवल एक डाक्टर बैठाने मात्र से उन लड़कियों का कल्याण हो जाएगा और गांव वालों का कल्याण हो जाएगा। वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि लोग कहीं दूर-दूर नहीं जा सकते। यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान) आपके केवल हां कहने मात्र से।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता, उपलब्धता एवं शेष का विवरण निम्नानुसार है। नादोती में एक लाख 32 हजार, आवश्यकता एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की है, उनमें उपलब्धता एक, शेष कुछ भी नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 4, उपलब्ध वहां पर 5 हैं, आवश्यकता 4 की है, 1 अधिक है, उप स्वास्थ्य केन्द्र 26 उपलब्धता 31, 5 अधिक हैं और कहां खोलूं। अब यह नार्म्स चेंज नहीं होंगे तो सम्भव नहीं हो पाएगा, फिर भी प्रयास करूंगा।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होगा वही जो आप चाहोगे। अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। आपके हां कहने से मेरा सारा कल्याण हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री बहादुर सिंह गोदारा।

श्री टीकम चंद कांत ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा है इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपका प्रश्न पोस्टपोन हो गया।

## तारांकित प्रश्न संख्या-217

## (स्थगित)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): हमें तो इसकी कोई जानकारी मिली नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष**: स्थगित कर दिया।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): नहीं, इतना निवेदन जरूर चाहूंगा कि कब आ जाएगा?

**श्री उपाध्यक्ष**: बहुत लम्बी-चौड़ी सूचना थी।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): लम्बी-चौड़ी नहीं, एक महीना तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसे दिये हुए हो गया और यह एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी से रिलेटेड सवाल है, स्पेसिफिक है कि आपने किन-किन को ऋण दिया, किसने नहीं उठाया और किससे कितनी वसूली हुई ?

**श्री उपाध्यक्ष**: 2002 से लेकर आज तक बहुत ...(व्यवधान)... मंत्री सब जवाब दे सकते हैं। 2002 से आज तक का पूछा है, आपकी बहुत लम्बी-चौड़ी सूचना है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): साहब, थोड़े ही लोग हैं, यह कोई थोड़े ही पूछा पूरे बैंकों से थोड़े ही, केवल कुछ आयोग का पूछा है।

**श्री उपाध्यक्ष**: पूरे 6 साल का पूछ लिया आपने।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): इतना लम्बा-चौड़ा पूछते ही क्यों हो ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैं तो यह चाह रहा हूं आपसे, या तो सरकार की मानसिकता है कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी ... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): सरकार की मानसिकता तो है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...(व्यवधान) के वेलफेयर के लिए कुछ करें। या आप यह बता दें कि इसका कब उत्तर आ जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: स्थगित कर दिया गया है, आप ज्यादा इस पर बहस नहीं करें। कोई अंकित नहीं होगा।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: एक महीने का समय मांगा है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: देखो, अभी बहुत प्रश्न शेष है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप मेरे से मिल लेना।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर):×××

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बीच में बाउंड नहीं कर सकते।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठ जाइए आप। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

**श्री सांवर लाल** (जल ससांधन मंत्री):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**एक माननीय सदस्य**:×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द):×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां):×××

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य ,आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) यह विवाद का विषय नहीं है, बैठिए आप।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री सांवर लाल** (जल ससांधन मंत्री):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री सांवर लाल** (जल ससांधन मंत्री):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री):×××

**श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर):×××

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री):×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर):×××

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना):×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**श्री जीतराम** (मालपुरा):×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री):×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, नहीं, कोई सवाल नहीं। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये।

**(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। व्यवस्था हमेशा दी जाती रही है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिये। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री):×××

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार):×××

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य।

**श्री रणवीर सिंह गुढ़ा** (गुढा):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा):×××

**अनेक माननीय सदस्य**:×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार):×××

**श्री रामलाल** (बनेड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप सदन का समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बात सुनिये पहले। पहले स्थान ग्रहण कीजिये आप। आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये, बैठिये पहले। बैठिये आप। आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। क्यों समय बरबाद कर रहे हैं आप? आप कहना क्या चाहते हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन का समय खराब कर रहे हैं माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये आप। (व्यवधान) बैठिये बैठिये। आप किसकी परमिशन से बोल रहे हैं?

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। आप समय बरबाद नहीं करें माननीय सदस्य।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: सब हो रही है रक्षा। कोई अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो इनका।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठ जाइये, स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये पहले। आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले। आप बैठिये पहले। अपना स्थान ग्रहण कीजिये पहले। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव)×××

**श्री उपाध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिये पहले। (व्यवधान) आप ऐसे ही करते रहो। जो भी व्यवस्था दी है, और व्यवस्था दे देंगे। (व्यवधान) आप शोर करते रहो। आप प्रश्न ही लेना नहीं चाहते। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा):×××

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां):×××

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द):×××

**अनेक माननीय सदस्य**:×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरा आपसे एक निवेदन है इस सदन के अन्दर प्रश्न स्थगित करने की परम्परा रही है और आसन को यह अधिकार है और आसन की तरफ से यह व्यवस्था दे दी गई थी कि बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैंने माननीय सदस्य को कह दिया है कि आप मेरे चैम्बर में आकर इसके बारे में अगर कोई जल्दी करना हो तो बातचीत करेंगे। अब इस पर वाद-विवाद न करें। आप समय बरबाद मत कीजिये और आगे असेम्बली चलने दीजिये। (व्यवधान) वह कह देंगे। कहने दो, कहने दो। आप सुनो तो। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**अनेक माननीय सदस्य**:×××

**श्री उपाध्यक्ष**: वह व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

**अनेक माननीय सदस्य**:×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिये। माननीय सदस्य, पहले बैठिये) (व्यवधान) बैठिये, बैठिये।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य वरिष्ट सदस्य हैं। मैंने परमिशन दी है, इनको बात कहने दीजिये, कहने दीजिये पहले।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग को चैलेंज करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह क्या है, अब आप बैठिये। आप शान्ति नहीं होने देंगे, आप शान्ति नहीं होने देंगे इस सदन के अन्दर? अगर आप चाहते हैं कि शान्ति नहीं हो तो आप बोलिये। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): नहीं नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि मैं बोलूं। उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव)×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप बैठाइये माननीय सदस्य को। माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपका अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी है, there is no question of challenging the ruling of the Chair, Sir. Number one. दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मेरी अध्यक्षता के अन्दर एक कमेटी बनाने की बात की। देखिये, मैंने पूर्व में कहा कि नियमों में किसी मंत्री के रिश्तेदार को, कुटुम्ब को कर्ज लेने का अधिकार है तो निश्चित रूप से वह लेगा। कोई मंत्री का भाई-भतीजा रुक नहीं सकता है लेकिन प्रश्न यह होता है कि सरकार की नीयत पर शक है। उत्तर देने में सरकार कतरा रही है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: कहां कतरा रही है?

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने व्यवस्था दे दी पर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य कहते हैं कि सरकार कतरा रही है, आप अलाऊ कर दें, हम अभी जवाब दे देते हैं अगर यह बात है तो... (व्यवधान) यह क्या बात हुई? यह व्यवस्था आपकी हुई है। ये इस तरह की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**अनेक माननीय सदस्य**:×××

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री):×××

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**अनेक माननीय सदस्य**:×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बात अब खत्म हुई । (व्यवधान) बैठिये, बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त, माननीय सदस्य। प्रश्नकाल समाप्त माननीय।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: दे दी व्यवस्था।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: इस प्रश्न का उत्तर दे देगी सरकार।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई जवाब देने, प्रश्न तो स्थगित ही हो गया, काहे को जवाब देने के लिए, कोई जवाब नहीं आयेगा। (व्यवधान) प्रश्न ही स्थगित हो गया । (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद):××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी बात, प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। (व्यवधान) प्रश्न का जवाब...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न स्थगित हो गया। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न स्थगित हो गया...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: इसके ऊपर कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, जो प्रश्न स्थगित हो गया... (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त और चर्चा बंद। (व्यवधान) माननीय सदस्य...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: जो प्रश्न स्थगित हो गया उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: छोड़िये आप इसको। छोड़िये आप।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: उस सिलसिले में बात नहीं करनी। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री अमराराम** (धोद):××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बैठिये। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):××× (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय,....(व्यवधान) अब यह समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, सब पता है, सब देखे हुए हैं इनके। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यह अब...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अभी आप जाने दीजिये। नहीं, इसको नहीं। नहीं-नहीं।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: वह हो चुका।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय, वह बात खतम हो चुकी।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: अब जीरो आवर शुरू हो गया है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: जीरो आवर में इनको नहीं सुन रहे हैं। कहां सुन रहे हैं, नहीं सुनना इनको। इनकी कोई बात अंकित नहीं हुई है। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: देखिये माननीय..(व्यवधान) तो आप स्थान ग्रहण कीजिये। हां, स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, बाहर करिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। खतम हो गई बात। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) बैठिये, मैं आगे का बिजनैस ले रहा हूं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहा हूं माननीय सदस्य । (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठ जाइये आप।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं सुनेंगे। बैठ जाइये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):)××× व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई किसी ने नहीं की हाथ उठाने की कोशिश। बैठिये। आप फालतू की उत्तेजित बातें मत कीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, किसी ने कुछ नहीं किया है, आप फालतू का इसका बखेड़ा मत कीजिये। (व्यवधान) किया अब, नहीं किया, मैंने कह दिया न कि नहीं किया। (व्यवधान) कोई चीज का अभी कोई निर्णय नहीं होगा यहां पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य। करते रहो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर):××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना):×××

**(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)**

# स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री उपाध्यक्ष**: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री भरत सिंह एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में जातिगत आरक्षण के नाम पर घटित हो रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला सिरोही में मकान नम्बर प्लेट लगाने के नाम पर लाखों रुपये की अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री मांगीलाल गरासिया एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से गोगुन्दा में आदिवासी परम्परा मौताणे से उत्पन्न होने वाली स्थिति के समाधान हेतु भौगोलिक दृष्टि से पुलिस व्यवस्था करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री खुशवीर सिंह एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विद्युत वितरण निगमों के अकुशल श्रमिकों द्वारा एफ.आर.पी. के तहत चालू हालत के चकरी वाले मीटरों के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक्स मीटर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री रणवीर सिंह गुढा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जिला झुन्झुनूं के गांवों में पीने के पानी में फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय। वैसे भी दिनांक 15 मार्च को राज्य में बिजली की स्थिति पर एवं दिनांक 13 मार्च को पेयजल योजना की अनुदान की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मौजूद है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को पेन्शन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा को अपने प्रस्ताव के विषय पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री उपाध्यक्ष)

# प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से राजस्व ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडिया (ग्रा.पं. खटकड) का नाम राजस्व रेकार्ड में जावरा की झौपडिया रखे जाने के संबंध में।

2. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के मसूरिया क्षेत्र की संतोषपुरा कच्ची बस्ती को नियमित करने के संबंध में।

3. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम पंचायत चिराना क्षेत्र के गांव पहाडिला की पेयजल समस्या के समाधान के संबंध में।

4. श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से माही डेम के बेग वाटर की लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई जाकर पंचायत समिति पीपलखूंट के कतिपय गांवों को पानी सप्लाई करने के संबंध में।

5. श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य की ओर से संस्कृत शिक्षा के अधीन प्रधानाध्यापक प्रवेशिका (सैकण्डरी) तथा व्याख्याता (कालेज शिक्षा) के पदों को राजपत्रित घोषित करने के संबंध में।

6. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पुंदलू की विद्युत सप्लाई, बौरूदा 132 केवीए के स्थान पर लाम्बा जाटान 132 केवीए से करने के संबंध में।

7. श्री अशोक नागपाल, सदस्य की ओर से श्री विजयनगर एवं घड़साना को पंचायत समिति घोषित करने के संबंध में।

8. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बाली में पिण्डवाड़ा स्टेट हाइवे की चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में।

9. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से जिला झुन्झुनूं की पंचायत समिति सूरजगढ़, चिड़ावा एवं कुहाणा में कुओं को गहरा करने पर, मशीन को सीज कर देने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

10. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से जिला सिरोही के गांवों का फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या का समाधान करने के संबंध में।

11. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर के कालेज में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

12. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में सिवाय चक भूमि को सिंचित से असिंचित घोषित करने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

**श्री हरिमोहन शर्मा।**

# सूचना

## गुढा गोडजी में बंद

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। गुढा गोडजी में माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज किसानों ने, व्यापारियों ने चक्का-जाम करके पूरे बाजार को बंद किया हुआ है, फर्जी गिरदावरी के विरुद्ध माननीय उपाध्यक्ष महोदय पूरे शेखावाटी में गैस का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं प्रभारी मंत्रीजी से और मंत्री से चाहूंगा कि किसानों का 20 दिन से महापड़ाव जो चल रहा है गुढा के अंदर, आज पूरा कस्बा बंद है और किसान सारे सड़कों के ऊपर हैं, लोगों का जन-जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है तो मंत्री महोदय इसके ऊपर कुछ जवाब दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री हरिमोहन शर्मा। आपने कह दिया जो कहना था, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य बात आपकी आ गई ऐसा गम्भीर विषय नहीं है अभी फिलहाल, बैठिए आप। माननीय सदस्य आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं सदन का? कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका, माननीय सदस्य आपने सूचना दे दी, सूचना नोट हो गई है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई व्यवस्था इसमें नहीं होती है, व्यवस्था देखेंगे। बैठिए आप, कोई इमिजेट कोई व्यवस्था नहीं होगी।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए, नियमों के अनुसार होगा, ऐसे नहीं

(श्री उपाध्यक्ष)

होगा। पाइंट आफ आर्डर में इतना ही होता है कि इन्फोर्मेशन नोट कर ली गई है। बैठिए आप, बाकी कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय सदस्य आपका आगे कोई भाषण नहीं होगा। आपने सूचना दे दी, फिर आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं बार-बार, बैठिए आप। स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिए माननीय सदस्य, मंत्रीजी को आप बाउंड नहीं कर सकते, बैठिए आप अब कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका। बैठ जाइए आप।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आ गई बात, माननीय सदस्य आपको बहुत मौक़े मिलेंगे, मांगें बाद में आएगी जब कर देना, बैठिए आप। बैठ जाइए आप।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप इसमें जानकारी ले लेना उनसे, बैठिए।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बोल रहे हैं। माननीय सदस्य कह दिया आपने, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप अपना नियमों के अनुसार कोई प्रस्ताव लेकर के आइए, इन्फोर्मेशन रिकार्ड कर ली गई है आपकी, आगे कोई अंकित नहीं होगा। आप बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य, आपकी बात पाइंट आफ इन्फोर्मेशन आ गई, आगे सदन का समय बर्बाद मत कीजिए, बैठिए आप।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने व्यवस्था की है मुझे बोलने का समय प्रदान नहीं किया, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करुंगा, मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैंने सदन का ध्यान दिलाने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, आप एक मिनट तो सुनें, या तो मैं इसको पढ़ देता हूं, जो मैंने लिखा है उसको पढ़ दूं या तो आप पढ़ दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: वह मैंने पढ़ लिया है।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): सदन को इसकी जानकारी हो जाएगी कि कितने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जहां प्रदेश में जगह-जगह जाति के नाम पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं विचार रखना चाहता था, कम से कम मैंने जो लिखा है उसको पढ़ने की इजाजत दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप इसको नियम 295 में ले आना पढ़ना है तो...

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): मैं नहीं बोलूंगा, कोई ऐसा ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: यह देख लिया है हमने, माननीय सदस्य पूरा देखकर के ही किया है और गृह विभाग की...(व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): ...(व्यवधान) इसके ऊपर जगह-जगह झगड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर पांच लाइन में ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: गृह विभाग की कल चर्चा हो गई थी इसके ऊपर, माननीय सदस्य आपको मौका मिलेगा, गृह विभाग की चर्चा हो गई थी कल, शांति व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करें। माननीय सदस्य बैठिए आप, आपका आ गया नोटिस में, बैठिए आप।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष**: बीच में नहीं, देखो आप बीच में सदस्यों ने बोलना शुरू कर दिया है। माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप बैठिए व्यवस्था दे दी। आपका महत्वपूर्ण हो गया, बैठिए आप। माननीय सदस्य बैठिए आप।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): इसके बाद में तो अलाउ कर देना एक मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूं जो बिलकुल राजनीति से दूर है, केवल स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

संबंधित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 अगस्त, 1947 को बून्दी में आजादी की लड़ाई में पुलिस फायरिंग के द्वारा श्री राम कल्याणजी वकील वहां पर शहीद हो गये और शहीद होने के पश्चात सरकार की ओर से उसी समय, क्योंकि अन्य कोई प्रावधान नहीं थे, उनका वहां पर स्मारक बनाने के लिए एक योजना बनाई और उस स्मारक में उनकी मूर्ति का अनावरण अभी महामहिम राज्यपाल गुजरात के द्वारा 17 फरवरी, 2008 को कर दिया गया है। लेकिन निवेदन यह करना चाहता हूं कि उन शहीदों को जो शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन से वह आज तक 1947 से आज तक उनको प्राप्त नहीं हो रही है और न उनको दी जा रही है। इसके साथ ही उस 11 अगस्त, 1947 के आंदोलन में उनके साथ जिन लोगों ने उसमें भाग लिया था, उन 11 लोगों को राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों की उनको पेंशन देकर के उनके परिजनों को उन लोगों को तो स्वतंत्रता सेनानी मान लिया गया लेकिन जो व्यक्ति शहीद हुआ उनके परिजनों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानकर केवल 1947 के बाद से उनकी दोनों पुत्रियों को और उनकी उस समय जो जीवित दो उनकी जो पत्नियां थी उनको 15 रुपए माहवार के हिसाब से देवस्थान विभाग से उनकी पेंशन चालू कर दी। पत्नियां मरने के बाद जो उनकी दो पुत्रियां हैं, उन दोनों पुत्रियों को अभी 100-100/- रुपए देवस्थान विभाग की ओर से दिया जा रहा था, वह देवस्थान विभाग की ओर से जब उनको पेंशन दी जा रही थी, केवल सम्मान की बात है आर्थिक दृष्टिकोण से वह याचना नहीं कर रहे हैं लेकिन वो देवस्थान विभाग से दी जाने वाली पेंशन भी यह कह कर बंद कर दी कि हमारे विभाग में अब कोई प्रोविजन नहीं है और उस प्रोविजन को हमने समाज कल्याण विभाग को दे दिया है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को दो बार पत्र लिखकर के सन 2004 में और सन 2005 में उनका ध्यान भी आकर्षित किया और उन्होंने उन पत्रों के जवाब में मुझ से यह कहा कि 28.8.2004 को हम शीघ्र ही इस मामले को दिखा रहे हैं फिर इसके बाद दूसरा पत्र लिखा 18.3.2005 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा हम इस सारे प्रकरण पर विचार कर रहे हैं और इनको सम्मानपूर्वक सब सुविधा दी जाएगी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय से जो जवाब मिला, उसमें जो वहां की उप सचिव थी उन्होंने जवाब दिया कि देवस्थान विभाग से अब इनका कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं है और इनको अन्य स्थान से दिया जाएगा। आज की तारीख में भी कोई न तो बजट का प्रावधान है और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पहले समय-समय पर यह आदेश जारी किए हैं कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम राजस्थान के राजकीय भवनों का नामकरण उनके नामों से किया जाएगा। समय-समय पर आदेश निकाले गए, पहला आदेश निकाला था इन्होंने लिखा है 20.5.2006 को, इसके बाद इन्होंने और दूसरे आदेश निकाले वह 27 अगस्त, 1999, इसके बाद अनेक आदेश निकाले गए। मुझे अफसोस इस बात का है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की वर्तमान सरकार के समय में उन आदेशों को जो स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राजकीय भवनों का नामकरण करने का जो आदेश निकाला था...

उस आदेश दिनांक 1.08.2006 को स्थगित कर दिया और अब राजस्थान में उन आदेशों की क्रियान्विति नहीं होने के कारण जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नाम रखा जाना था वह कार्यवाही राज्य सरकार ने स्थगित कर दी। मैं केवल दो बात राज्य सरकार से चाहता हूं एक तो जो 1.08.2006 को राजकीय भवनों का नामकरण करने के जो प्रस्ताव थे, उस आदेश को सरकार वापस ले, निरस्त करे और योजनाबद्ध नियमों के अंतर्गत जो समिति आपने इसके निर्णय लेने के लिये बनाई है उनको उन शहीदों के नाम से उन भवनों का नाम करने का दे । दूसरा मेरा विनम्र अनुरोध है कि जब उस आंदोलन में शरीक 11 व्यक्तियों को आप स्वतंत्रता सेनानी मान रहे हैं, उनको स्वतंत्रता सेनानियों का लाभ दे रहे हैं, उनके परिजनों को पेंशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा है उनको दे रहे हैं लेकिन जो उस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके परिजनों को देवस्थान के नाम से पेंशन देना और उसको भी बंद कर देना, मैं सरकार से दो बातों का निवेदन करना चाहता हूं एक तो इस आदेश को जो भवनों का नाम करने का था जिसको स्थगित किया है उस आदेश पर पुनर्विचार करके उसको समाप्त करें और दूसरा जो शहीद राम कल्याण की जो दो पुत्रियां शेष बची हैं, सोहनी देवी और मोहनी देवी, उनको जो भी विधिवत रूप से आप पेंशन दे सकते हैं उनकी पेंशन चालू करके उन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को बरकरार रखने के लिये आप प्रयास करें । मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस संबंध में अपनी भावना से अवगत करा दें ।

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे अभी तात्कालिक सूचना के तहत यह प्रश्न उठाया गया है मैं इस संदर्भ में

(श्री रामकिशोर मीणा)

निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न उठाया है शहीद राम किशोरजी को सम्मान देने के बारे में, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनको सम्मान देने के लिये पेंशन तथा अन्य प्रकार की योजनाओं में उनको हम सम्मान देने का प्रयास करते हैं, राजस्थान सरकार करती है । जो प्रकरण आपने राम कल्याणजी का उठाया है इसको मैंने देखा है । इसमें तात्कालिक आईजी, सीआईडी का यह कथन है कि यह जो इन्होंने आंदोलन किया था वह एक पैट्रोल पम्प को बलवा करके उसको उडाने के बारे में था । स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित कोई मामला नहीं था । कोई आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में आजादी से संबंधित मामला नहीं था यह कोई व्यक्तिगत या श्रमिकों का कोई आंदोलन था इसके तहत इनकी उड़ाने की योजना थी उसके तहत उनको नहीं किया । जो बाकी के 11 उस आंदोलन में साथ थे उनका इस आंदोलन के अलावा भी स्वतंत्रता आंदोलनों में लगातार भागीदारी थी उसके आधार पर राज्य सरकार ने उनको माना था । आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया है, इस प्रकरण को मैं दुबारा दिखवा लेता हूं ।

जहां तक भवनों का नामकरण करने का है उसमें एक स्पष्ट व्यवस्था है जिला कलक्टर के यहां भी कमेटी बनी हुई है उसमें दो स्वतंत्रता सेनानी मैम्बर होते हैं और वह सब मिल कर तय करते हैं कि इस भवन का नामकरण किया जाये या नहीं किया जाये और जो संबंधित विभाग है उस संबंधित विभाग के द्वारा उसकी अनुमति दी जाती है। यदि वह विभाग अनुमति दे देता है तो फिर राजस्थान सरकार के स्तर पर वह आता है और उसको हम नामकरण की अनुमति दे देते हैं । राम कल्याणजी का कृषि मंडी के लिए आपने पहले भी प्रश्न उठाया था । वहां पर कृषि उपज मंडी के द्वारा सर्वसम्मति से इनके नाम का विरोध किया गया और उस कारण से उसको नामकरण में शामिल नहीं किया गया यह मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक उनकी दो पुत्रियों का मामला है उसमें उनको पहले देवस्थान विभाग द्वारा पेंशन दी जाती थी, आश्रितों के नाम से दी जाती थी । जब तक हम स्वतंत्रता सेनानी उनको नहीं माने तब तक जीएडी विभाग द्वारा उनको स्वतंत्रता सेनानी की जो सुविधाएं हैं, उनको देने में वह असमर्थ हैं। दूसरे प्रकरण में उनको छात्रवृत्ति दी जाती रही है ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार का बिलकुल गैर जिम्मेदाराना जवाब है कि शहीद राम कल्याणजी किसी पैट्रोल

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पम्प को लूटने के लिये वहां गये थे । यह जन आंदोलन था और उस आंदोलन में जो जिन लोगों ने भाग लिया उसमें मौतीलालजी अग्रवाल, पं. बृजसुंदर शर्मा, सूर्यनारायण दीक्षित, नंदलाल अग्रवाल, गुल मोहम्मद, रामदयाल नंदवाना, अभयशंकर गुजराती, शिवराज सिंह हाडा, श्री कुंजबिहारी लाल ओझा, अभय कुमार पाठक, ईश्वरदत्त मेहता और विष्णुदत्त पंचोली को आपने उस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी मान कर स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दी है । उनके अलावा बून्दी में कोई दूसरा योगदान नहीं था । जब उन 11 लोगों को आपने माना उस आंदोलन में शरीक होने पर तो जो पुलिस फायरिंग हुई उसको नहीं माना । उसकी स्टेच्यू बनाने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दी, सन 1947 में उनके नाम पर शहीद राम कल्याण मार्ग रखने का पीडब्ल्यूडी की तरफ से बड़े-बड़े बोर्ड लगाये गये और वहां स्मारक बना है और आज सरकार यह कहे कि नहीं वह तो पैट्रोल पम्प लूटने में थे । वह वकील थे और पैट्रोल पम्प लूटने गये थे । वह मोटर वर्कर यूनियन का एक आंदोलन था वह आंदोलन खोजा गेट पर हुआ उसमें यह लोग शरीक थे । जिसमें से एक दो लोगों को गिरफ्तार करके रख दिया जिसमें बृजसुंदर साहब भी थे और इस प्रकार यह कहना आपका कि वह स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे मैं जानना चाहता हूं स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे तो उनकी मूर्ति लगाने का आपने कैसे दिया, आपने उनके बच्चों को सन 1947 से देवस्थान विभाग से पेंशन चालू क्यों की और उनको पेंशन क्यों दिलवाई गई और अब आप यह कहो जिस आंदोलन में वह शरीक थे वह तो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो पुलिस फायरिंग में मारे गये वह स्वतंत्रता सेनानी नहीं है । यह इस सरकार का कैसा मखौल है । माननीय आप अंग्रेजों के समय की उस रिपोर्ट को आधार मान कर करते हो, मैं चाहूंगा सरकार ने जो वक्तव्य दिया है कि नहीं वह लूट का मामला था यह सरासर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अन्याय है और उनकी भावनओं के साथ अन्याय है । इस प्रकार का निर्णय इनका गलत है ।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपने उन 11 आदमियों को कैसे दे दिया? आप यह कहते हैं कि वह और आंदोलन में थे, एक आंदोलन में नहीं थे । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य मंत्री महोदय ने कह दिया कि कोई बात है तो आप उनसे मिल लें घर में । (व्यवधान) कह दिया उन्होंने । (व्यवधान)

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसा भी समय तय कर दें क्योंकि तात्कालिक जो सूचना थी ...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मंत्रीजी आपने जो रिपोर्ट पढ़ी है वह आपकी सरकार की है या अंग्रेज सरकार की है, यह बता दें आप तो। ... (व्यवधान) तत्कालीन सरकार की रिपोर्ट है वह । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य ।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): यह कांग्रेस के शासनकाल की रिपोर्ट पढ़ी है उन्होंने । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य इस पर बहस समाप्त हुई। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठिए । हरिमोहनजी मंत्री महोदय ने कह दिया बाकी कोई बात है तो आप उनसे मिल लेना । (व्यवधान) लिखित में दे देना, अभी वह यहां कोई फैसला नहीं करेंगे । (व्यवधान) आप बीच में काहे के लिये बोल रहे हैं? माननीय सदस्य आपका कोई भी अंकित नहीं होगा । (व्यवधान) कह दिया मंत्रीजी ने, किस बात का टाइम, कोई टाइम नहीं है । यह कोई आज का किस्सा नहीं है, कोई आज का किस्सा है क्या । ऐसी कौनसी अर्जेंसी है इसमें, नो अर्जेंसी, यह क्या बात हुई । (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची):×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था एक समिति बनी हुई है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी स्वयं हैं वह तय करते हैं कौन स्वतंत्रता सेनी है, कौन नहीं है । दूसरी बात इसी बजट में मुख्य मंत्रीजी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिये जो पेंशन पहले 1500 रुपये थे.... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप मेरी बात का जवाब दो, कहां घुमा रहे हो । आप उनको स्वतंत्रता सेनानी क्यों नहीं मानते हो यह बता दो आप मुझ को ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): .... (व्यवधान) यह जो सामने बैठे हैं इन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई मुख्य मंत्रीजी ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की है ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): दूसरे 11 लोगों को किस आधार पर माना आपने, दूसरे 11 लोगों को आपने उस आधार पर माना कि यह स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिये यह कानून है। (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में दो स्वतंत्रता सेनानी निर्णय करने में रहते हैं । (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): वह अलग चीज है । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए । (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची):×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आपकी पूरी बात आ गई ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने पर तुली हुई है यह सरकार...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपकी पूरी बात आ गई। माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई। मैं 295 को ले रहा हूं। श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान) इस पर ज्यादा बहस नहीं होगी। नथिंग, यह अलाउड नहीं है, माननीय सदस्य, अब कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये।

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, सभी बातों का यहां डिसकस नहीं होगा। (व्यवधान) आप मिल लीजिए मंत्रीजी से। मंत्रीजी के पास रिकार्ड....(व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): स्वतंत्रता सेनानी दो हैं, जिसके अन्तर्गत, उस समिति के अंदर है। (व्यवधान) आपकी पार्टी के दो स्वतंत्रता सेनानी उसकी समिति में है।

**श्री उपाध्यक्ष**: हर प्रश्न का जवाब नहीं होगा यहां माननीय सदस्य।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसके आधार पर ही उसका और माननीय मंत्रीजी, इसके अध्यक्ष होते हैं, उसके नियम हैं उसको देखकर इसको घोषित किया जाता है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। बात इनके नोटिस में आ गई है। मंत्रीजी ने कह दिया दिखवा लूंगा। (व्यवधान) कह दिया दिखवा लूंगा। सदस्य मिल लेंगे।

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): (व्यवधान) शर्मा, जो कि इसमें स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, इसमें दो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं और वह प्रकरण आया था।

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री ): और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आ गई बात आपकी।

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री) प्रकरण देख लेता हूं, पहले भी यह मामला आया था और पहले भी, हमारी जो समिति बनी हुई है उसमें कभी भी रामकल्याणजी को स्वतंत्रता सैनानी नहीं माना। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माना नहीं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उनकी बच्चियों ने मामला उठाया, पहले भी प्रकरण आया है, पहले प्रकरण आने के बाद भी उनको नहीं माना।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामकिशोर मीणा** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा से दिखवा लेता हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, आज बहुत ही आवेश में हैं और किसी के साथ बहुत गुनाह हो गया, इतने वर्षो तक सरकार में रहे, सरकार के प्रतिनिधि रहे उस समय इतना जोश दिखाते तो शायद कुछ न कुछ परिणिती आ जाती। आज आपने विषय रखा और उस विषय को दिखवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके जोर से बोलने से इसको अभी की अभी स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन दे देंगे, यह तो सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):000

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): हाउस में दवाब देकर...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इनका राज आया, 250 एप्लीकेशन हैं स्वतंत्रता सेनानी की, एक भी स्वतंत्रता सेनानी घोषित नहीं किया। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): मंत्रीजी ने कह दी कि देख लेंगे, फिर क्या है ।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मर्जी आये जब एप्लीकेशन दे दी और हर किसी को स्वतंत्रता सेनानी बना दें, नियम के साथ बनाये जाते हैं, उप समिति बनी हुई है उसके आधार पर दिया जाता है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये अब आप। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये भई।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री रामनारायण मीणा। श्री मोहनलाल मेघवाल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने दूसरा बिजनेस पुकार लिया है, आप बैठिये। (व्यवधान) क्या इनफोरर्मेशन है?

# सूचना

## अनुदानित शिक्षा कर्मियों का प्रदर्शन

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इनफोरर्मेशन के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान के अनुदानित शिक्षाकर्मी यहां पर अपनी मांग लेकर प्रर्दशन करने आये हैं। उनकी यह मांग है कि वर्ष 2006 में उनके अनुदानों को फ्रिज कर दिया गया था। अभी सरकार ने अप्रैल 2008 से डिफ्रिज करने की बात कही है इस बीच में कम से कम राजस्थान के सैकड़ों स्कूलों में, खण्डेलवाल कालेज को ले लो, अथवा तागाबी के विद्यालय को ले लो, अथवा जैन स्कूल को ले लो, इन स्कूलों में आठ-आठ महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। फिजिक्स का टीचर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रिटायर्ड हो गया, केमेस्ट्री का टीचर रिटायर्ड हो गया तो दो-दो, तीन-तीन साल तक उनको भरने की परमीशन नहीं, कहीं हैडमास्टर नहीं, कहीं प्रिंसिपल नहीं, ऐसी स्थिति में पूरा राजस्थान....(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने डिबेट खोल दी क्या ? (व्यवधान) इन्होंने सरकार का ध्यानकर्षण कर दिया। यह तो भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): शिक्षाकर्मी बेरोजगार हो रहे हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ गई ना बात। काहे पर चर्चा... (व्यवधान) एजुकेशन की डिमांड आयेगी उस दिन बोल लेंगे। जिस दिन शिक्षा विभाग की अनुदान की मांग होगी उस दिन बोल लेंगे यह। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सरकार को चाहिए कि उनसे बात करके उनकी मांगों को हल करे। (व्यवधान) आपने मुझे परमीशन दी है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पाइंट आफ इनफोर्मेशन के लिए अलाऊ किया, इन्होंने भाषण देना चालू कर दिया।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से (व्यवधान) जो लोग यहां आंदोलन करने आते थे, उनकी बातों को रखते थे, यह आप गलत परम्परा डाल रहे हैं संसदीय कार्य मंत्रीजी।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आ गई बात।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी उनसे बात करें और उनको आश्वासन दे कि जो काम सरकार का है शिक्षा देने का वह काम आज निजी शिक्षण संस्थाएं कर रही हैं, उनको संरक्षण देना चाहिए। अनुदान हमेशा पहले बढ़ता रहा है लेकिन सरकार उन अनुदानों को दस-दस प्रतिशत के हिसाब से काटने का काम कर रही है इससे यह सारी की सारी स्कूलें, कभी सरकार के ऊपर भार के रूप में आयेगी और तमाम स्कूलों को जलाना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि उनसे बात करके जिन शिक्षण संस्थाओं में पेमेंट नहीं मिल रहा, आपको चाहिए कि ट्रेजरी से पेमेंट करें अथवा तीन-तीन साल से, चार-चार साल से जो अनुदान सरकार ने रोक रखा है उस अनुदान को दे ताकि वहां उन लोगों को समय पर तनख्वाह... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह गुनाह आपने किया था।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जब शिक्षा मंत्री थे यह गुनाह इन्होंने किया था। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं किया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस बार बजट के अंदर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को कटारिया समिति की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सुदृढ करने का निर्णय लिया है, जो इनको पच नहीं रहा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने यदि कोई आदेश दिया है तो सदन की मेज पर रख दें, आप बिलकुल गलत सूचना दे रहे हैं, आपको आधी-अधूरी जानकारी है। मेरे वक्त में पैसा नहीं काटा गया।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): है तो सदन की मेज पर रख दें। (व्यवधान) आपको सदन को गुमराह करने की पुरानी आदत है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिस दिन शिक्षा विभाग की बात होगी ना उस दिन वह कागज भी रख देंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आज ही रख दीजिए ना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): + + + चले।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): देखिये हज पर जाने वाले या तीर्थ करने वाले यह सारा ठेका तो आपने ले रखा है लेकिन आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैंने मेरे वक्त में एक नया पैसा किसी का नहीं काटा...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय कल्लाजी, आ गई बात ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): और आज उनको आठ-आठ महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं समझता हूं कि आपको ट्रेजरी से पूरा पेमेंट करना चाहिए और उनसे बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मोहन मेघवाल। (व्यवधान) माननीय बीच में नहीं। अभी माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा):×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी आप इस तरह से, मर्जी आए जो खड़ा हो जाए, अलाऊ नहीं होगा। किसी भी तरह से।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: किसी भी तरह से कोई अंकित नहीं होगा, बैठिये, माननीय सदस्य दूसरा बिजनेस शुरू हो गया। माननीय सदस्य खड़े हो गए, उनको कहने दीजिए, आप बैठिये, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: इंफोर्मेशन का कोग्नीजेंस ले लिया, जो उचित होगा, वह करेंगे। (व्यवधान) श्री मोहन मेघवाल 295 पर बोलिये।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, करेंगे। (व्यवधान)

## प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### संतोषपुरा (जोधपुर) कच्ची बस्ती का नियमितीकरण

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके मार्फत माननीय नगरीय विकास राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर के मसूरिया क्षेत्र में एक कच्ची बस्ती संतोषपुरा के नाम से पिछले 60-70 वर्षों से बसी हुई है। यह बस्ती आज दिनांक तक नियमन से वंचित है। इस बस्ती के नियमन हेतु मैंने अभी हाल ही में नगर विकास न्यास, जोधपुर के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों से निवेदन किया। सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर ने मुझे अवगत कराया है कि इस बस्ती का नियमन नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.2.1984 के द्वारा लगाई रोक के चलते नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि यह रोक नगरीय विकास विभाग ने एक जनहित याचिका संख्या 2098/1983 जय मेहता बनाम राज्य सरकार के चलते लगाई थी। जिसमें जोधपुर के खसरा नम्बर 513/1, 513/3 व 513/10 की भूमि प्रभावित होती है। इन्हीं खसरों की भूमि

(श्री मोहन मेघवाल)

के कुछ भाग पर संतोषपुरा कच्ची बस्ती बसी हुई है। जब कि अधिकतम भाग पर नगर विकास न्यास, जोधपुर की मसूरिया सेक्टर 4-ई की योजना है। उक्त जनहित याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 24.2.1995 को खारिज की जा चुकी है। मैं आपकी जानकारी हेतु यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनहित याचिका न्यास की मसूरिया योजना सेक्टर 4-ई से प्रभावित होने वाले काक्स कुटीर से सम्बन्धित थी। जहां तक मेरी जानकारी है, इस रिट याचिकाकर्ता की मंशा संतोषपुरा बस्ती के नियमन को रोकना नहीं था। यह कच्ची बस्ती मसूरिया पहाड़ी की तलहटी में एक तरफ बसी हुई है। जो किसी भी प्रकार से न्यास की उक्त योजना को प्रभावित नहीं कर रही है। इस बस्ती में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीब व मजदूर वर्ग के सैकड़ों परिवार निवास कर रहे हैं।

इस जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित हो जाने के पश्चात ही नगर विकास न्यास, जोधपुर की बैठक दिनांक 16.7.2007 में प्रस्ताव संख्या 3(50) पारित कर नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.2.1984 पर पुनर्विचार करने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया है। सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर ने उक्त न्यास प्रस्ताव व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप ही शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से जरिये पत्र संख्या 365, दिनांक 12.12.2007 के अनुसार पुनर्विचार हेतु निवेदन किया है।

मेरा माननीय मंत्रीजी से मात्र इतना सा अनुरोध है कि संतोषपुरा कच्ची बस्ती को नियमित करने में आड़े आ रहे नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.2.1984 में आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए नगर विकास न्यास, जोधपुर को संतोषपुरा कच्ची बस्ती को नियमित करने तक की छूट प्रदान करावें ताकि इस बस्ती में निवास करने वाले सैकड़ों परिवारों को राहत मिल सके। शेष भूमि के बाबत् निर्णय राज्य सरकार अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार बाद में लेती रहे। माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी प्रकरण उक्त खसरों से सम्बन्धित विचाराधीन नहीं है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती प्रतिभा सिंह।

## पहाडिला, ग्राम पंचायत चिराना में पेयजल संकट

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम पंचायत चिराना क्षेत्र में ग्राम पहाडिला में काफी समय से पेयजल संकट है। यह ग्राम पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है जिसकी वर्तमान आबादी लगभग 1600 है। यह ग्राम पीने के पानी के स्थाई समाधान से वंचित है।

झुंझुनूं के माननीय सांसद एवं मैंने कई बार समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया है परन्तु समस्या का स्थाई समाधान नहीं होने से वहां के नागरिक काफी परेशान हैं। गांव की महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी दिन-रात पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक भटकते फिरते हैं।

झुंझुनूं के माननीय सांसद एवं मैंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माननीय मंत्री महोदय से भी ग्राम पहाडिला में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए कार्यवाही करने के लिए निवेदन करने पर वहां के लिए पेयजल की स्कीम स्वीकृत कर दी गई है। परन्तु प्रशासनिक शिथिलता के कारण अभी तक भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें ताकि ग्राम पहाडिला क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध हो सके और वहां के लोग शांतिपूर्वक जीवनयापन कर सकें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री नवनीतलाल नीनामा (अनुपस्थित)। श्री बनवारी लाल शर्मा।

## प्रधानाध्यापक प्रवेशिका तथा व्याख्याता संस्कृत (कालेज शिक्षा) के पदों को राजपत्रित घोषित करना

**श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अनुरोध है कि राज्य में संस्कृत शिक्षा के व्याख्याता (कालेज शिक्षा) प्रधानाध्यापक प्रवेशिका (सैकण्डरी) आदि पद अराजपत्रित हैं, जब कि सामान्य शिक्षा के कॉलेजों के व सैकण्डरी प्राध्यापक पद राजपत्रित घोषित हैं। इन पदों को राजपत्रित श्रेणी में घोषित कराने का मामला राज्य सरकार में वर्षों से लम्बित है जिसके कारण प्रवेशिका स्कूलों के प्रधानाध्यापक तथा कार्यालयाध्यक्ष (हैड ऑफ आफिस) घोषित करने में नियमानुसार बाधा रहती है और इस कारण से संस्कृत विद्यालयों के मासिक वेतन भत्ते एरियर आदि का भुगतान सम्बन्धित विद्यालयों में निष्पादित नहीं हो पाता है।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

इस कठिनाई के निराकरण के लिए मैं एतदद्वारा माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन पदों को राजपत्रित घोषित करने का श्रम कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

## पुंदलू ग्राम को बिजली लाम्बा जाटान से देना विषयक

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 में अन्तर्गत निवेदन है कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पुंदलू, जो मेड़ता विधान सभा क्षेत्र का ग्राम है, जो अजमेर विद्युत वितरण निगम में आता है लेकिन विद्युत सप्लाई बौरुदा 132 के.वी.ए. से हो रही है, जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम के नियंत्रण में है। विद्युत की कमी के वक्त क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त विद्युत नहीं मिलती एवं उनका नियंत्रण अलग कम्पनी के पास होने से किसानों को भारी परेशानी महसूस होती है जब कि पुंदलू में नजदीक ही लाम्बा जाटान 132 के.वी.ए. तथा मेड़ता में 220 एवं 440 के.वी.ए. सब-स्टेशन हैं।

अत: निवेदन है कि पुंदलू ग्राम की विद्युत सप्लाई जोधपुर जिले से हटाकर लाम्बा जाटान, मेड़ता से करवाई जावे जिससे क्षेत्र में किसानों को इस समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री अशोक नागपाल।

## श्री विजय नगर एवं घड़साना को पंचायत समिति बनाना

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति अनूपगढ़ की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें 88 ग्राम पंचायतें हैं। यह पंचायत समिति करीब 150 किलोमीटर की परिधि में जो कि जैतसर से लेकर 365 हेड तक फैली हुई है। काफी बड़ा क्षेत्र होने के कारण पंचायतों के विकास व क्षेत्र के लोगों को कार्यों हेतु बहुत असुविधा होती है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति अनूपगढ़ से अलग करके पंचायत समिति घड़साना व पंचायत समिति श्री विजय नगर बनाये जाने हेतु घोषणा भी की थी लेकिन परिसीमन के कारण उपरोक्त पंचायत समितियों का गठन नहीं हो सका।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से

(श्री अशोक नागपाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि श्री विजय नगर एवं घड़साना को पंचायत समिति घोषित कर महत्वपूर्ण मांग को पूरा कर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कर अनुगृहित करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

## बाली से पिंडवाडा स्टेट हाइवे की चौड़ाई बढ़वाने बाबत

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाली से पिंडवाड़ा तक 53 किलोमीटर लम्बे स्टेट हाइवे पर भारी यातायात का दबाव बना रहता है। इस सड़क की चौडाई मात्र 10 फीट होने से जगह-जगह यातायात बाधित होता रहता है। मामूली दुर्घटना होते ही भारी वाहनों से मार्ग में जाम लग जाने से आये दिन इमरजैंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मात्र 10 फीट चौड़े सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक भी है। इस स्टेट हाइवे सड़क मार्ग की व्यस्तता भारी आवागमन के कारण इस प्रकार है :-

(अ) यह राज्य राज मार्ग नम्बर 16 को राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 14 से जोड़ती है, अत: एन.एच. 14 के बाइपास सड़क के रूप में काम आती है।

(ब) इस सड़क मार्ग पर विधान सभा क्षेत्र बाली के 10 हजार से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालय क्रमश: बोया, पातावा, सेवाडी, पादरला, बीजापुर, भट्रून्द, बेडा, कोठार, भन्दर, चामुण्डेरी, नाणा, आमलिया तथा अन्य 17 गांवों की सड़कें इस सड़क से मिलती हैं।

(स) उप खण्ड मुख्यालय व जिला मुख्यालय जाने के लिए उपरोक्त गांवों के अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र के लगभग 20-25 गांवों का यातायात भी इसी सड़क से होकर गुजरता है।

(द) इस सड़क पर राजस्थान परिवहन निगम सहित हजारों प्राइवेट बसें व अन्य मालवाहक वाहन चलते हैं।

(य) राज नगर का मार्बल पत्थर, बिनानी सीमेंट, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट का परिवहन भी इसी सड़क मार्ग से होता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (पथ), जयपुर ने मुझे सम्बोधित अपने पत्रांक 3204, दिनांक 23.03.2005 में उक्त बिन्दुओं को स्वीकारते हुए 3.30 मीटर चौड़े इस सड़क पर वर्ष 2004-2005 के दौरान के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ट्रैफिक 256 सी.वी.डी. गणना तथा सड़क के सामाजिक, आर्थिक महत्व को देखते हुए इसकी चौड़ाई 7 मीटर करने हेतु 684.30 लाख रुपये के बजट की आवश्यकता बताकर इस सड़क निर्माण को प्राथमिकता से किये जाने का उल्लेख किया था लेकिन आज दिनांक तक इस कार्य पेटे किसी प्रकार की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अत: जनहित में बाली से पिण्डवाड़ा स्टेट हाइवे की चौड़ाई बढ़ाने हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य कराएं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री श्रवण कुमार।

## सूरजगढ़, चिडावा एवं कुहाणा में पहले से खोदे हुए कुओं में पानी करवाने बाबत

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत पहले से खोदे हुए कुओं में पानी करवाने की अनुमति के सम्बन्ध में निवेदन है कि झुन्झुनूं जिले में पंचायत समिति सूरजगढ़, पंचायत समिति चिड़ावा, पंचायत समिति कुहाणा में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इन तीनों जिलों में ड्राई जोन घोषित है परन्तु पूर्व में जो किसान ट्यूबवैल चला रहे हैं उनमें पानी का स्तर नीचे चला गया है। 39 गज पानी पुन: करवाने के लिए मशीन लगाई जाती है तो तहसीलदार व एस.डी.एम. जाकर उस मशीन को सीज कर देते हैं और उसे सीज करने की कोई सिजर मिमो भी नहीं दिया जाता है, न ही कोई धारा में बाध्य किया जाता है। श्रीमान् जी, यह बतायें कि जो किसान पानी के बगैर खेती कर नहीं सकेंगे और किसान यहां का बर्बाद हो जाएगा, इसकी पूरे सदन में पीड़ा होनी चाहिए और खेतों में बसे हुए किसान को पानी पीने की भी समस्या हो जाएगी और पशुधन भी बरबाद हो जाएगा। इस प्रकार की भ्रांति दूर नहीं हुई तो यह समाज बेघर हो जाएगा और सारी जमीन बंजर हो जाएगी। इस पर पूरे सदन को चिंता जतानी चाहिए और इस मूलभूत समस्या का समाधान करवाने की कृपा करें। यह समस्त किसानों की समस्या है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पढ़ दिया, आ गयी बात आपकी। जवाब आ जाएगा।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): यह बात तो बहुत गम्भीर है। जवाब से काम नहीं चलेगा। Work must be done. ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बिजली पर चर्चा होगी जब आप ... (व्यवधान) बिजली पर चर्चा होगी जब आप कह देना। (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): मैं प्रिंसिपल, सर, मैं इस बात का भूखा नहीं हूं कि जवाब आ जाए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बिजली की चर्चा पर आपको पूरा समय मिलेगा। (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): कागज इकट्ठा करने का शौक नहीं है। कागज इकट्ठा करने के शौकीन नहीं हैं। हम कागज इकट्ठा करने के शौकीन नहीं हैं। इस पर हम यह चाहते हैं कि किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको न्याय में बदला जाए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: मिलेगा। श्री जगसीराम कोली

## सिरोही जिले में फ्लोराइड युक्त पानी से गांवों को राहत दिलवाने के संबंध में

**श्री जगसीराम कोली** (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही जिले में फ्लोराइड युक्त गांवों को राहत दिलवाने के संबंध में निवेदन है कि जिला सिरोही के रेवदर विधान सभा क्षेत्र के निम्न गांवों को फ्लोराइड से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है- सलतरा, बलदरा, भैंसगढ़, मकावल, निम्बोडा, दांतराई, दौलतपुरा, खेदर, करोरी, सिरोही, अनादरा, सांतपुरा, सियावा, सुरपगला आदि। सिरोही जिला सर्वे के अनुसार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की योजना के अन्तर्गत फ्लोराइड से मुक्त करवाकर क्षेत्र की आम जनता को शरीर से तंदुरुस्त, स्वस्थ व सुन्दर रहने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सिरोही जिले को मध्यनजर रखते हुए समाधान करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री बाबूसिंह राठौड़

## शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने हेतु

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

अन्तर्गत शेरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत करवाने हेतु निवेदन करना चाहता हूं कि जिला जोधपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में क्रमश: बालेसर एवं शेरगढ़ दो पंचायत समितियां हैं। इस विधान सभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में वर्तमान में निम्नानुसार संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहे हैं :-

1. राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय,
2. राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय,
3. राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय,
4. राजकीय संस्कृत वरिष्ट उपाध्याय विद्यालय।

इस तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, चिकित्सा सुविधा, आवागमन के साधन हेतु पक्की सड़क, दूरसंचार सुविधा के साथ ही पानी व बिजली की उचित व्यवस्था है।

इस विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत की शास्त्री स्तर की अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इनमें अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण शहर में जाकर शास्त्री अध्ययन करने में असमर्थ है।

अत: यदि ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत कर दिया जाए तो इस क्षेत्र के अलावा इसके आस-पास की पंचायत समितियां शेरगढ़, औसियां एवं बाप के छात्र-छात्राएं भी लाभान्वित होंगे एवं बालिकाओं के उच्च अध्ययन के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही इनको संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया जा सकेगा।

अत: आपसे अनुरोध है कि शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम कराएं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री हरिमोहन शर्मा।

## हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान करने बाबत

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान

(श्री हरिमोहन शर्मा)

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काफी भूमि सिवायचक पड़ी हुई है। अभी-अभी राज्य सरकार ने क्रमांक प.19 (73) उप/2005, दिनांक 6.1.2006 के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित सिंचित से असिंचित घोषित सिवायचक कृषि भूमि, जो लगभग 53,752 बीघा है और जिस पर किसानों का कब्जा है उन्हें लगातार भूमि से बेदखल किया जा रहा है तथा सजाएं आदि भुगत रहे हैं, जिससे हजारों किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले ऐसे गांवों को जो पूर्व में कमांड घोषित हैं लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, उन्हें डी-कमांड घोषित कर दिया गया है।

इसी प्रकार से लगभग 15 हजार बीघा कृषि भूमि जिन पर किसानों का कब्जा है और बरसों से खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी किस्म खाल, दरड़ा, बरड़ा, पठार आदि दर्ज होने से आबंटित नहीं हो सकती थी। इस भूमि का किस्म परिवर्तन करने का अधिकार भी आबंटन समिति को आदेश क्रमांक प. 6 -(44) राज-6/01/9, जयपुर, दिनांक 07-04-2007 से प्राप्त हो चुका है लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद भी भू-आबंटन का कार्यक्रम हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। इस कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ठीक इसी प्रकार से हिण्डौली व नैनवां क्षेत्र के 600 लीज हाल्डर किसानों को भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं और उनसे सिंचित क्षेत्र की वर्तमान दर वसूल करने का निर्णय कर रखा है, जो अनुचित है। इस प्रकार की भूमि हिण्डौली क्षेत्र में 4142 बीघा तथा नैनवां तहसील क्षेत्र में 318 बीघा है।

मनमाने ढंग से अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों की कृषि भूमि का समर्पण करवाया जा रहा है और अनुचित तरीके से समर्पण स्वीकार किये जा रहे हैं। इन्हें रियायती दर पर खातेदारी अधिकार देने की घोषणा बजट में की है लेकिन क्या दर होगी, यह स्पष्ट नहीं है।

इस विधान सभा क्षेत्र के किसानों से धारा-91, भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करते समय अवैधानिक रूप से फसल कटने के बाद फसल की कीमत आंक कर अवैधानिक रूप से किसानों से राशि वसूल की जा रही है। जो भूमि कमांड क्षेत्र घोषित होने से पूर्व आबंटित कर दी गई थी और अब कमांड क्षेत्र में

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आने के कारण उनसे भी अवैधानिक पैसा वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। सन 2003 में सिंचित क्षेत्र के पटवारियों के पद समाप्त करने के बाद सिंचाई शुल्क की वसूली बंद हो गई और राजस्व की वसूली नहीं होने के कारण अब उनसे अवैधानिक रूप से ब्याज मांगा जा रहा है। नियमों के अन्तर्गत डिमांड नोट किसान को दिया जाना चाहिए जब कि डिमांड नोट नहीं दिया गया और इकट्ठा वसूला जा रहा है। इस प्रकार किसानों पर भारी वसूली लादी गई है। हिण्डौली तहसील में यह बकाया डिमांड राशि 59.62 लाख रुपये, नैनवां तहसील में 23.88 लाख रुपये डिमांड और बूंदी तहसील की बकाया डिमांड राशि 37.44 लाख रुपये है। विभागीय स्तर पर सैकड़ों नामांकन की पत्रावलियां पड़ी हुई हैं जिनका निस्तारण नहीं हो रहा है। किसानों के पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्रों पर तत्काल कार्यवाही नहीं होती है, जिसके कारण विवादों में बढ़ोतरी हुई है। राजस्व विभाग के अनेक गांवों के नक़्शे फट चुके हैं। उनके स्थान पर नये नक्शे सर्किल में उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं। ग्राम दबलाना में भूमि का पुन: सैटलमैंट करवाया जाना आवश्यक है, क्योंकि वहां पर पूर्व में किया गया सैटलमैंट वास्तविकता से परे है।

इस प्रकार किसानों को हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन देने के पश्चात् भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसान इस कारण से आन्दोलन करने को बाध्य है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से किसानों की इन समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रभावी निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

लेकिन अफसोस है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री किसानों के नाम पर मंत्री तो बन गये हैं लेकिन किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी कोई रुचि नहीं है, न कोई काम है, न किसानों की समस्या हल कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): किसान परेशान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर पैनल्टी लगाई जा रही है।

**श्री उपाध्यक्ष**: भाषण नहीं, माननीय सदस्य, भाषण नहीं ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी, जवाब आ जाएगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य

**(समय : 13.00 बजे)**

**(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)**

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन):×××

**श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा):×××

**श्री हीरालाल** (निवाई):×××

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपस में बहस नहीं करें। माननीय मंत्री जी सामने मौजूद हैं।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): साढ़े चार साल के कार्यकाल के अन्दर उन सभी मैटरों को लिया गया है जो काश्तकार से संबंधित हैं। सभापति महोदय, अभी हिण्डौली से आने वाले सदस्य बोले कि काश्तकार के नाम पर यह मंत्री कुछ नहीं करते हैं। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) आप मर्जी आए जैसे कह दें, उनको कर दो, उनको कर दो, जब नियमों में आयेंगे और नियमों के अन्दर जो आ रहे हैं तो वह पूरे राजस्थान के अन्दर हम कर रहे हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): सहकारी समिति ...(व्यवधान) प्रशासन राजस्व अभियान रखकर के कार्य कर रहा है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): सब जगह काम हो रहे हैं आप कहो कि कोई काम नहीं हो रहे हैं ..(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जो अतिक्रमी हैं, जो हटना नहीं चाह रहे हैं और जो अतिक्रमण करवा रहे हैं उन लोगों का काम नहीं हो रहा है और वह ...(व्यवधान) नियमित कराना चाहते हैं ....(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): आप क्या कर रहे थे चालीस साल तक?

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन):×××

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): हमने तो वो ...(व्यवधान) कायदे बनाये हैं ...(व्यवधान) जो पात्रता रखते हैं उनको किसी को भी जमीन से बेदखल करने का, पूरे के पूरे ...(व्यवधान) हम कार्य कर रहे हैं बल्कि आपने क्या किया?

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): हमने तो सारे काम जो ...(व्यवधान) संबंधित थे वह सारे काम किये हैं ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): कोई बेइमानी नहीं हो रही है।

**श्री सभापति**: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। सब का विषय आ गया है।

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, पाइंट आफ इनफार्मेशन। चूरू जिले से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ...

**श्री सभापति**: माननीय बाबूलालजी नागर।

# सूचना

## तारानगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विधान सभा पर प्रदर्शन

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, एक मिनट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का, सैकड़ों महिलाएं हमारी विधान सभा के सामने इस परेशानी को लेकर के आयी हैं कि जहां हमारी सरकार महिलाओं की वाहवाही की बात कर रही है और तारानगर तहसील की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भरूचा एक ट्रस्ट है, उसके अन्डर में देना चाहते हैं जबकि राजगढ़ में जो दिया उसका रिजल्ट बहुत ही खराब है। वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार इस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, उन तमाम महिला कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा असन्तोष है और उसको लेकर के यहां पर विधान सभा के सामने आए हैं।

जब हमारे महिला और बाल विकास विभाग सक्षम हैं, पंचायत राज मंत्री बहुत सक्षम विभाग है और राजस्थान की मुख्य मंत्री महिलाओं की बड़ी वाहवाही लेने के लिए उनकी पक्षधर हैं।

**श्री सभापति**: आप तो तथ्य की बात रखें।

**श्री अमराराम** (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कार्यक्रम है वह तारानगर पूरी पंचायत समिति का उस भरूचा ट्रस्ट को नहीं दिया जाय और जो आये हैं उनमें जो असन्तोष है, उनके प्रतिनिधि मण्डल से सरकार का मंत्री मिले महिला एवं बाल विकास का और चूंकि जब सरकार सक्षम है, विभाग सक्षम है तो क्यों एक ट्रस्ट को आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनको क्यों उनके सुपुर्द किया जाय। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं ।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय मंत्रीजी मिलने गये ।

**श्री सभापति**: माननीय बाबूलालजी नागर।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): मंत्री महोदय बहुत एक्टिव हैं, यहां से

(श्री राकेश मेघवाल)

सूचना मिली तो सबसे पहले गये हैं । आपको सूचना बाद में आयी है ... (व्यवधान) मंत्रीजी यहां सदन में नहीं हैं वहां महिलाओं के पास में हैं। जाइये आप देख लीजिए।

**श्री अमराराम** (धोद): आप भी जाओ।

**श्री सभापति**: सबने अपना-अपना विषय रख दिया है।

**श्री अमराराम** (धोद): वह भरूचा ट्रस्ट को नहीं दिया जाय और महिलाओं के विभाग के अण्डर में रखें।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय बाबूलालजी नागर।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): महिलाओं के बालों का विकास जरुर होना चाहिए।

## पूर्व विधायकों का विधान सभा लाबी में धरना

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इनफार्मेशन। पूरे राजस्थान के पूर्व विधायक आज इस सदन के बाहर लाबी के अन्दर धरना दे रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने के अन्दर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूर्व विधायक संघ के साथ वार्ता होने के उपरांत जो फैसले हुए थे उन फैसलों को सभापति महोदय, लागू नहीं किया गया और लगातार राजस्थान के पूर्व विधायक इस मसले को उठाते रहे हैं और फिर यह कहा था, उस वक्त फैसला हुआ था कि जो चिकित्सा बिल माननीय पूर्व सदस्यों के होंगे, उनका पेंशन में समायोजन कर दिया जाएगा। दिल्ली के राजस्थान हाउस और तमाम सर्किट हाउस में उनको रुकने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रोडवेज के अन्दर 150 यात्रा जो कम्पेनियन हैं उसको भी अलाऊ किया जाएगा। इन तमाम फैसलों की क्रियान्विति नहीं हुई है।

राजस्थान का पूर्व विधायक जो इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन का सदस्य रहा है, आज सामान्य सी सुविधाओं के लिए मारा-मारा फिर रहा है, वृद्ध होने के बाद इलाज कराने के लिए .....

**श्री सभापति**: आपका विषय आ गया है, अपन सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप सरकार को कहें तो सही।

**श्री सभापति**: हां, बिलकुल।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पूर्व विधायक संघ का शिष्ट मण्डल मिला, उनसे चर्चा हो चुकी है। कुछ फैसले पहले भी हुए हैं। वह पूर्णतया संतुष्ट हैं। अन्य राज्यों से बेहतर सुविधा उन्हें मिल रही है। जो थोड़ी बहुत विसंगतियां रह गयी हैं उन्हें निश्चित तौर पर निश्चित समयावधि में दूर करेंगे। और मैंने उनको यह भी आश्वस्त कर दिया, माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ उनकी एक बार चर्चा करवा के जो छोटी-मोटी विसंगति है उसको दूर करेंगे।

**श्री सभापति**: ठीक है। माननीय बाबूलालजी नागर।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में रोजगार उपलब्ध कराने विषयक

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करके एक अप्रैल से देश में जिन जिलों को अभी तक शामिल नहीं किया गया उन सब को भी शामिल कर के एक अप्रैल से रोजगार उपलब्ध कराने का तय किया है।

मंत्री महोदय, गांवों में क्या काम हो, इन योजनाओं के माध्यम से राजस्व गांव वाइज क्या प्राथमिकता हो, यह इस अधिनियम में भी प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा का प्रावधान किया है इस अधिनियम की धारा 22 सब क्लाज 1 के तहत, सभापति महोदय, ग्राम सभा के बारे में कहा गया है कि इस अधिनियम में आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का चुनाव करने, उन पर निगरानी और नजर रखने तथा क्रियान्वयन के बाद सामाजिक आडिट संचालित करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा पंचायत समिति स्तर पर ग्राम सभाएं आयोजित नहीं की गयी हैं, मुश्किल से तीन-चार ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा आयोजित कीं। कौन से काम तय होंगे, गांवों में राजस्व गांव वाइज कौन से काम किये जाएं, यह ग्राम सभा ही नहीं हुई। सभापति महोदय, यह खुल्लम खुल्ला इसमें विडम्बना है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा आप जिला प्रशासन से यह जानकारी मंगवा लें कि पंचायत समिति दूदू में

(श्री बाबूलाल नागर)

रोजगार गारंटी योजना के तहत कब-कब, कौन-कौनसी पंचायत में ग्राम सभा आयोजित करी। कोई सर्कुलर निकाला हो, रोजगार गारंटी का कोई ऐसा चरणबद्ध कार्यक्रम तय कर के ग्राम सभाओं का तय किया गया हो, क्योंकि इसमें पंचायत समिति का भी एक कर्मचारी एवं स्कूलों के अध्यापक को भी लगाया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा उसे एक अप्रैल से राजस्थान में तमाम जिलों में लागू करना है और अभी तक यह भी नहीं तय कर पाये, मात्र जिला परिषद के सी.ई.ओ. द्वारा ग्राम सभाओं और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को पत्र लिख दिया गया कि आप कौन-कौन से काम कराना चाहते हैं। बिना ग्राम सभा आयोजित किये ही उन्होंने अपने हिसाब से कामों को तय कर दिया है।

सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि पंचायती राज के चुनाव होते हैं और एक-एक पंचायत में पांच-पांच, छह-छह, आठ-आठ राजस्व गांव होते हैं, कई गांवों में इस तरह का बन जाता है कि सरपंच किसी गांव का बन गया, कोई दूसरे गांव के लोग दूसरे व्यक्ति को वोट देते हैं और उस सरपंच का उस राजस्व गांव पर ध्यान नहीं रहता, उस राजस्व गांव के कामों को चिह्नित नहीं करता, तो मैं चाहूंगा इसको मंत्री महोदय दिखवायें और आप ग्राम सभाओं का आयोजन करवाएं।

दूसरा, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि रोजगार बनाने की जिला जयपुर में, राजस्थान में प्रक्रिया शुरू हो गयी है, अभी तक मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जिला कलक्टर से बात की, जिला परिषद के सी.ई.ओ. से मैंने बात की, पंचायत समिति के विकास अधिकारी से बात कर कि परिवार गांवों में किस को इंगित किया गया है? चूल्हें वाइज, इसमें गाइड लाइन में स्पष्ट प्रावधान है, मंत्री महोदय, कि चूल्हे वाइज एक परिवार की इकाई को माना गया है लेकिन जब आपके आवेदन हो रहे हैं जोब कार्ड के लिए तो वो राशन कार्ड वाइज। गांवों में ऐसी स्थिति है, आज भी ज्वाइंट परिवार रहता है, कई परिवार ऐसे हैं जिसमें तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस, चालीस-चालीस लोगों का एक राशन कार्ड बना हुआ है। अब गांवों में जो जोब कार्ड का आवेदन लिया है, गांवों में जो फोटोग्राफी हो रही है, वो राशन कार्ड वाइज हो रही है। अब चालीस आदमियों का अगर एक जोब कार्ड बनता है, पैंतीस आदमियों का एक जोब कार्ड बनता है तो, सभापति महोदय, जो केन्द्र सरकार की मंशा है कि हर

(श्री बाबूलाल नागर)

परिवार को चूल्हे वाइज, जैसे एक बाप के चार बेटे हैं तो चारों अगर बालिग हैं, चारों का अगर उनका परिवार है तो उनके चार जोब कार्ड बनने चाहिए।

सभापति महोदय, इस योजना का जब तक जिला स्तर पर और राजस्थान स्तर पर यह गाइड लाइन या स्पष्ट निर्देश नहीं जाएं पंचायत समिति स्तर पर कि आपको चूल्हे वाइज, अगर आप चाहें, मंत्री महोदय, आप इस तरह की गाइड लाइन तय कर दें कि अगर एक परिवार में राशन कार्ड अलग नहीं है तो आप एफेडेविट ले लें उस सम्बन्धित व्यक्ति का, कि मेरा परिवार अलग है, राशन कार्ड हमारा एक है, राशन कार्ड हमने नहीं बनाया लेकिन अब मैं अलग रहता हूं, अलग कारोबार करता हूं। मैं समझता हूं अगर यह तुरन्त गति से कार्यवाही नहीं की गयी तो गांवों में फोटोग्राफी का काम चल रहा है और परिवार वाइज फोटोग्राफी हो रही है और अब जब चालीस लोगों की एक साथ फोटोग्राफी होगी और एक तो उनका एक ही जोब कार्ड बनेगा, मेरी समझ में नहीं आता, कई पंचायतों में फोटोग्राफी हो चुकी अगर सरकार और प्रशासन चाहे भी तो कैसे उसको दुरुस्त करायेंगे। क्या आप दोबारा फोटोग्राफी करायेंगे? जिन पंचायतों में ऐसा हो गया है क्या वहां पर दोबारा आप आयोजन करायेंगे? इस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस योजना की बहुत ही जन जागृति के साथ क्रियान्विति की जाए। यह राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है और जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, हम सब की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, सभापति महोदय, गांवों में सरपंचों के, वार्ड पंचों के और इस योजना में उस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान भी किया गया है, प्रशिक्षण में जो खर्चा आयेगा, उसका भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, मेरी जानकारी में है, एक सरपंच के प्रशिक्षण में 180 रुपये और एक वार्ड पंच के प्रशिक्षण में 160 रुपये का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारे यहां यह समझ में नहीं आ रहा कि इतनी महत्वपूर्ण योजना है, एक गांव के आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा, यह जीवनदायी योजना है।

**श्री सभापति**: चलो, माननीय सदस्य, आपकी पूरी थीम आ गयी है, मूल विषय आ गया है।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): नहीं, सभापति महोदय, मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं, आप इतनी सी जांच करा लें, मंत्री महोदय, आपने 180 रुपये और 160 रुपये प्रशिक्षण के नाम पर प्रावधान किया है, मात्र चार कागज फोटो कॉपी आपके सरपंच को दी गयी हैं, चार कागज फोटो कापी वार्ड पंच को दी गयी हैं और ना आपने उनको बैग दिया है न आपने गाइड लाइन दी है और न इस अधिनियम की कॉपी दी है। जब तक आपका वार्ड पंच, सरपंच इस बात को नहीं समझेगा तो वो कैसे जनता में इस बात की जागृति करेगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में इसके धारा 1 सब क्लाज 33 में एक प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इससे सम्बन्धित सभी दस्तावेजों पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम स्पष्ट रूप से ऊपर के हिस्से में छपा होना चाहिए जिससे इस योजना के तहत दिये जा रहे अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को आवश्यक कानूनी वैधता प्राप्त हो जाए। सभापति महोदय, जिला परिषद, जयपुर द्वारा एक फार्म छपवाया गया है और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ऊपर के हिस्से में छपा होना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे पास एक फार्म है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप इसमें राजस्थान राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लिखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो अधिनियम में प्रावधान बनाया है 13 का सब क्लाज 3 में स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर हिस्से में छपा होना चाहिए। सभापति महोदय, इसमें कहीं भी छपा हुआ नहीं है। एक छोटा-सा कोने पर, सभापति महोदय, जिसको मैं पढ़ भी नहीं सकता, एक साधारण दृष्टि वाला व्यक्ति भी जिसकी आंखें बहुत तेज है, वो भी इसको पढ़ नहीं सकता। इसमें एक छोटा सा ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, श्री शिवजीराम मीणा।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति**: चलो, आपका विषय आ गया।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): एक निवेदन और करना चाहता हूं, सभापति महोदय।

आपने यह जो राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लिखा है, आप इसको लिखिये।

(श्री बाबूलाल नागर)

आपने लिखा है, आप इसको लिखिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सभापति महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस रोजगार गारंटी अधिनियम में यह धारा 2 के सब क्लाज 4 में एक मेंशन किया हुआ है राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, एन.आर.ई.जी.ए. के अनुच्छेद 12 में (व्यवधान)...

**श्री सभापति**: यह सारे फार्म आप मंत्रीजी को अलग से बता देना।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): राज्य सरकार एक राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का गठन करेगी, एक बात तो यह है। सभापति महोदय, दूसरे सब क्लाज में लिखा है आपके 'ख' पार्ट में, कि यह राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभापति महोदय, आई.ए.जी.एस. की रूपरेखा तैयार करेगी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): पर्ची पर यह नहीं है कि पूरा ही डिसकस होगा।

**श्री सभापति**: यह अब आप अंकित नहीं करें। अंकित नहीं करें। इनका पूरा विषय आ गया। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): ×××

**श्री सभापति**: आपका हो गया, अब बैठिये।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री सभापति**: आसन की व्यवस्था आप खतम कर दो सब लोग मिलकर। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठ क्यों नहीं रहे। पर्ची पर आप चार मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यह पर्ची है, कोई ध्यानाकर्षण नहीं है। इसका कोई स्कोप है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप आसन के आदेश की बार-बार अवहेलना कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री सभापति**: आपका कोई भी विषय पिछले तीन मिनट से अंकित नहीं हो रहा है। बैठिये आप।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री सभापति**: माननीय बाबूलालजी नागर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अलग से मिल लेना चैम्बर के अंदर। आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप प्रस्ताव लेकर आइये। आप यह तो अभी पर्ची माध्यम से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री सभापति**: आप तो वह नियम बताइये कि आसन के बार-बार कहने के बाद भी अगर कोई माननीय सदस्य नहीं बैठता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाये। वह नियम बताइये मुझे। माननीय बाबूलालजी नागर बैठें। (व्यवधान) दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठ जायें। माननीय शिवजीराम मीणा।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने बहुत आग्रह किया, मैं थोड़ा सा बता दूं।

**श्री सभापति**: नहीं, मैं उचित नहीं समझता जवाब देना। माननीय शिवजीराम मीणा।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री सभापति**: हां, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप बैठिये। माननीय शिवजीराम मीणा।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री सभापति**: माननीय बाबूलालजी नागर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय बाबूलालजी नागर, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू):×××

**श्री सभापति**: माननीय बाबूलालजी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं तो मत्री तो कभी भी किसी समय जवाब दे सकता है।

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहां पर 2001 की

(श्री शिवजीराम मीणा)

जनगणना के अनुसार 01 लाख 66 हजार 782 लोग निवास करते हैं। 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: बोलिये माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): मंत्री महोदय, आपका जवाब देने से पहले आप यह सुनिश्चित करें कि जिन क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी चल रही है, वहां पर मजदूरों को मात्र 73 रुपया भारत सरकार ने निर्धारित कर रखा है। उसको आज की तारीख में 35-40-45 रुपये से ज्यादा नहीं मिल रहे है। यह राजस्थान सरकार की कमी है या भारत सरकार की गड़बड़ी है? कहां गड़बड़ी हो रही है? यहां मजदूरों को 73 रुपये मिलना चाहिये। आखिर में यह कहां गड़बड़ी हो रही है? मेजरमेंट की बीमारी है या कहीं अवधि की समस्या है?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपकी पर्ची नहीं है।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में कुछ मुद्दे यहां उठाये। सबसे पहले इन्होंने यह कहा कि ग्राम सभा नहीं हुई है और एक्शन प्लान बना नहीं है और नरेगा चालू होने वाली है, इसको कैसे शुरू करेंगे? सभापति महोदय, मैंने जब मेरे विभाग की डिमाण्ड थी, उस दिन भी मैंने निवेदन किया और आज पुन: माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूं कि हमने आज नहीं बल्कि तीन महीने पहले से ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया और हमने सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की है। सभी गांवों में जो-जो काम ग्राम सभाएं लेना चाहती हैं, उनका एक्शन प्लान तैयार किया। ग्राम सभा से अनुमोदन होने के बाद उस प्लान को पंचायत समिति से अनुमोदन कराया गया। पंचायत समिति से अनुमोदन होने के बाद जिला परिषद् से करवाया गया और जिला परिषद् के बाद राजस्थान सरकार के पास भी आ रहा है। जिला परिषद उसमें से स्वीकृतियां करेंगी। जिला परिषद कलक्टर को भेजे और कलक्टर चूंकि वहां कमेटी का अध्यक्ष है, इसलिए वह वहां पर स्वीकृतियां करेगा। सारी तैयारी हमने कर ली है।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन कर रहा हूं इनके यहां क्या, पूरे राजस्थान में सब पंचायतों में ग्राम सभाएं हो गयी हैं। यदि आपके यहां कोई ग्राम सभा नहीं हुई होगी तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उसको दिखवा लूंगा और अगर ऐसा कोई आपके पंचायत के किसी काम को

(श्री कालूलाल गुर्जर)

छोड़ दिया गया होगा तो आप लिख दें, उनको हम और शामिल कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले।

दूसरा, आपने यह कहा कि जोब कार्ड जो बना रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़ी कमी बता रहे हैं। यह कह रहे हैं चूल्हा मानें या राशनकार्ड मानें। भारत सरकार की भी गाइड लाइन है और हमने भी रोजगार गारंटी योजना की बुक छापकर सब जगह भेजी और इसमें साफ स्पष्ट लिखा है एक परिवार को यूनिट माना है। परिवार से आशय पति-पत्नी, माता-पिता एवं उसके बच्चे, जो पूर्ण रूप से परिवार के मुखिया पर आश्रित हो तथा एक व्यक्ति, जो अकेला रहता है, अगर कोई एक ही व्यक्ति है, जिसके मां-बाप, पति-पत्नी कुछ भी नहीं है तो उसको भी परिवार माना है। अगर कोई पति-पत्नी है और उनके नाबालिग बच्चे हैं तो वह उस परिवार में शामिल रहेंगे, लेकिन जैसे ही बालिग हो गये और बालिग होने के बाद पति-पत्नी कमाने लग गये तो उसको अलग माना है। हमने यह भी निर्देश दिया है कि राशनकार्ड में चाहे 100 आदमी शामिल हो, चाहे 50 आदमी शामिल हो, 10 आदमी शामिल हो, 5 आदमी शामिल बना हो, उसको हम नहीं मानेंगे, हम तो यह मान रहे हैं कि परिवार और परिवार के हिसाब से ही हमने जोब कार्ड बनाने का निर्देश दिया। यदि इसमें कोई कमी आपको नजर आये तो बता दें। माननीय सदस्य, मेरे मित्र भी हैं और वैसे तो इन्होंने कहा मुझे सब जानकारी है, केवल बहुत दिनों से मेरा बोलने का नम्बर नहीं आया इसलिए बोल रहा हूं तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, बोल लें। बाकी जानकारी सब है और चाहे मैं दे दूंगा। इसलिए इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है और एक प्रशिक्षण के लिए कहा। सभापति महोदय, भारत सरकार ने नोर्म्स तय किये हैं कि ग्राम सेवक का, प्रधान का और सरपंच का, पंचायत समिति मैम्बर आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा। उनके नोर्म्स बना रखे हैं। काफी खर्चा होगा, अब भोजन का खर्चा, ठहरने का खर्चा, उनको दो दिन प्रशिक्षण दिया, उसका खर्चा और हमने यह गाइड लाइन सब को दी है और इसके साथ नरेगा से संबंधित सामग्री दे दी है। अब आप पता नहीं कौनसा बैग दिलाना चाहते हैं या जैसे अपने विधान सभा में बजट पेश होता है तो अटैची देते हैं तो वैसी अटैची दें तो मंहगी पड़ती है, क्योंकि गरीब आदमियों की योजना है, उसमें से इतना खर्चा हम नहीं कर सकते। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार हम काम कर रहे हैं और सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट बता दूं कि सबसे अच्छा काम राजस्थान

(श्री कालूलाल गुर्जर)

का हो रहा है। भारत में राजस्थान का नाम है। जिन प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार है, वहां का काम बिलकुल बेकार है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दे पाये आप? (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अच्छा काम हम करेंगे और आगे भी बढ़िया काम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): एक व्यक्ति को 100 दिन का आप कह रहे थे, 55 दिन का ही आप दे पाये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): 55 दिन का आप दे पाये और 100 दिन का देना था आपको। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: देखिये, यहां पर किसी प्रकार की वाद-विवाद की प्रतियोगिता नहीं हो रही है। अपन ने पर्ची का सिस्टम बना रखा है कि कोई भी माननीय सदस्य चार मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): यह किताब माननीय मंत्री महोदय ने बता दी, यह किताब मेरे पास भी है। (व्यवधान) राशनकार्ड वाइज जोब कार्ड बना रहे हैं।

**श्री सभापति**: दोनों माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। सदन को आप वाद-विवाद का विषय न बनायें।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): आप लिखित में डायरेक्शन भेज दें।

**श्री सभापति**: सभी माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय शिवजीरामजी मीणा। (व्यवधान) बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, जो आदमी काम करता है और उसको 73 रुपये के बजाय 40 से 45 रुपये मिलता है तो यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सीधी सी बात है टास्क पर पैसा मिलता है। हमने 30 परसेंट ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह वाद-विवाद प्रतियोगिता नहीं है। सबने अपना विषय रख दिया। आपने अपना जवाब दे दिया। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, 30 परसेंट टास्क कम कर दिया है उसके बाद भी कोई अकर्मण्य रहे और काम नहीं करे तो उसको 10 रुपये ही मिलेंगे। मैं क्या करूं उसका ? मेरे पास कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान) मैं कहता हूं मैं खुद गया हूं। मैंने उदयपुर और डूंगरपुर के अन्दर जाकर लोगों को पूछा है। सबने कहा हमको पूरा 73 रुपये मिल रहा है ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बैठिये। आपको इतने स्पष्टीकरण में बताने की आवश्यकता नहीं है। बैठिये आप। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जब वहां 73 रुपये मिल सकता है तो बांसवाड़ा में पैसा क्यों नहीं मिल रहा है ? इसका मतलब यह है या तो काम नहीं करते और या फर्जी हाजरियां भरते हैं। कुछ न कुछ करते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, आपका जवाब आ गया है। बैठिये आप।

## जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में जल संकट विषयक

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की जहाजपुर तहसील अधिकांशत: पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 1,67,782 है। उसमें भी फिफ्टी परसेंट से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं जो क्रमश 17.36 और 33.09 प्रतिशत लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहाड़ी एरिया होने से वहां का भू-गर्भित जल और जो थोड़ा बहुत जल मैदानी एरिये में है इसमें फ्लोराइड और अन्य कैमिकल की मात्रा अधिक होने से पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहां कोई बारहमासी नदी या बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं होने से पेयजल का भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता है। बारिश के तीन-चार माह तक तो सार्वजनिक कुए या निजी कुओं से पानी की व्यवस्था हो जाती है लेकिन उसके बाद पानी की भयंकर अव्यवस्था हो जाती है। वहां पर फ्लोराइड की मात्रा है वह भी 8 पी पी एम से ज्यादा है और नाइट्रेट की मात्रा भी 300 पी पी एम से अधिक होने से जो विभाग के मानक हैं वह मानक अधिक होने से पेयजल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

माननीय सभापति महोदय, वहां कुछ रीजनल स्कीम्स विभाग के द्वारा बनायी गयी हैं जिनको सात-आठ गांवों को मिला करके उनमें भी तीन-चार महीने तक तो स्थिति ठीक रहती है पर जनवरी के आते-आते जो उसके सोर्स हैं वह जवाब दे जाते हैं। तीन-चार दिन के अंतराल में पेयजल सुविधा उपलब्ध हो पाती है।

इसी प्रकार जो शहरी क्षेत्र हैं जहाजपुर और शाहपुरा वहां भी पानी की भयंकर समस्या है और शाहपुरा में तो पिछले सात-आठ साल से दो दिन के अंतराल में पानी दिया जा रहा है। यह समस्या देवली और शाहपुरा रोड है उसके दोनों साइड के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये भयंकर समस्या बनी हुई है। उस क्षेत्र में करीबन 88 गांव है। 68 गांव तो जहाजपुर में हैं और 20 गांव शाहपुरा के हैं। उनमें पेयजल की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के जहाजपुर पधारने पर उनमें से 3 गांवों की समस्या का तो समुचित निदान कर दिया गया जिसमें कार्य बड़ी तेज गति से चल रहा है। उसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन जो शेष 85 गांव और 7 मजरे रह गये हैं उनमें पेयजल का भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पशुधन को भी हम जिन्दा नहीं रख पा रहे हैं। उससे भी हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और कार्य भी प्रभावित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए माननीय मंत्रीजी के निर्देश से वर्ष 2005-06 में एक स्कीम बनाकर विभाग के पास भेजी गयी थी। उस समय विभाग की तकनीकी कमेटी ने उसको सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी लेकिन बीसलपुर परियोजना में पानी आरक्षित नहीं होने से बात वहीं की वहीं रह गयी, आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद 2006-07 में विभाग ने एक ओपन वेल लेकर अजमेर कोटा रोड़ पर इस स्कीम को भिजवाया जिससे यहां की एफ.सी. में 539 दिनांक 1/7/2006 करीब 15.41 लाख रुपये सर्वेक्षण, डिजाइन एवं कंसलटेंसी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिये इस शर्त पर सैंक्शन किये गये कि पानी आरक्षित हो। पुनः पी.पी.सी. 175 दिनांक 3/4/2007 को इस शर्त पर अनुमोदन किया गया कि इसमें ओपन वेल ले लिया जाए। आज विभाग के पास में वह स्कीम काफी लम्बे समय से पैंडिंग है। बीसलपुर परियोजना में हमारे क्षेत्र का पानी आते हुए भी हमारे क्षेत्र के लोगों को पेयजल की भयंकर असुविधा हो रही है इसलिये मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है वहां के लोगों में भयंकर आक्रोश है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

पेयजल के लिये उदार मन से कई स्कीम सैंक्शन की हैं। आपने करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपयों की राजस्थान में पेयजल स्कीम्स सैंक्शन की हैं। हमारे यहां भी आपने कई स्कीम सैंक्शन की, परन्तु यह एक महती स्कीम है। अगर यह स्कीम सैंक्शन हो जायेगी तो निश्चित रूप से यहां के 88 गांव और शहरी क्षेत्र जहाजपुर और शाहपुरा जहां करीब डेढ़ लाख की पापुलेशन है। इनमें अधिकांशत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। उनकी पेयजल संकट की समस्या का समाधान हो जायेगा इसलिये मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहाजपुर तहसील में जो पेयजल संकट है, जो बढ़ता ही जा रहा है उसके निदान के लिये जो स्कीम माननीय मंत्रीजी के विभाग में पैंडिंग हैं, उसको स्वीकृत कराने का कष्ट करें। आपने मुझे इसके लिए समय दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्रीमती राजकुमारी शर्मा। चार मिनट में आपको अपना विषय रखना है।

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी का ... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: वह उचित समझेंगे तो जवाब दे देंगे।

## सीकर में ड्रेनेज कार्य विषयक

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): चार मिनट मेरे पर ही क्यों लागू कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय ? धन्यवाद आपका, जो मुझे समय दिया।

मैंने आज एक पर्ची लगायी है। हमारे सीकर में ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। उसके ठेकेदार बहुत ही धीमी गति से काम कर रहे हैं। कभी आठ दिन बंद कर देते हैं, कभी दस दिन बंद कर देते हैं क्योंकि वहां पर बोर्ड अपना है नहीं इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि ड्रेनेज और सीवरेज पर भी अब स्टे खतम हो चुका है। इसको चालू करें।

रघुनाथगढ़ क्षेत्र मेरा है, आदरणीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं। वहां के एस.एच.ओ., एक-डेढ़ साल से मैं निवेदन करना चाह रही हूं काफी दिनों से लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी हमारे यहां शाकम्भरी माता के नवरात्रे प्रारम्भ होने वाले हैं। शीतला माता के जो यात्री आते हैं वह वहीं से गुजरते हैं। यह दिल्ली हाइवे मार्ग से जुड़ा हुआ है इसलिये रघुनाथगढ़ के एस.एच.ओ. हटाकर किसी भी अच्छे व्यक्ति को लगाएं।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

कोतवाल सिटी, सीकर ने तो शिवरात्रि के दिन हद ही कर दी। शिवरात्रि के दिन एक व्यक्ति दूध लेने के लिये दूध की दुकान पर जाता है तो कोतवाल सिटी उधर से गुजरते हुए उस व्यक्ति को पकड़ कर मारते हैं और कहते हैं कि इतनी लम्बी लाइन क्यों लगा रखी है। उस गरीब व्यक्ति को धमकी देते हैं कि इतनी लम्बी यदि लाइन रही, सम्राट टाकीज के सामने कृष्णा दूध की डेयरी है। दूध बेचने वाले को भी धमकी देते हैं और लेने वालों को भी धमकी देते हैं। दो सौ, चार सौ लोग मेरे पास आये कि हम धरना देंगे, इसको अभी तत्काल हटाइये। जब शिवरात्रि का दिन था मैंने उनसे विनती की कि मैं विधान सभा में जाऊंगी और आपकी बात पर्ची या किसी और माध्यम से कल हमारे आदरणीय गृह मंत्रीजी का वक्तव्य है उस समय मैं जरूर बोलूंगी, तब जाकर वह हटे। मैंने उनसे क्षमा याचना की। इस तरह की यदि घटना होती है तो बहुत शर्मनाक है। इंचार्ज सिटी कोतवाली को हटायें और किसी अच्छे व्यक्ति को लगाएं तो लोग लाभान्वित होंगे। सीकर की जो हालत है इस वक्त वह दूभर होती जा रही है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कभी डी.एस.पी. नहीं सुनते हैं, कभी कोतवाल नहीं सुनते हैं। मेरे यहां काफी दिनों से एस.पी. नहीं थे। अभी-अभी एस.पी. लगे हैं और वह नये आये हैं। उनको बोला तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा निरीक्षण कर रहा हूं उसके बाद मैं आपकी बात पर ध्यान दूंगा।

मैं गृह मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने चार मिनट भी नहीं लिये हैं माननीय सभापति महोदय, लेकिन मेरी जो वेदना है, आपके माध्यम से पहुंचा रही हूं। धन्यवाद।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, वैसे यह मंच किसी को हटाने या नहीं हटाने के लिये तो नहीं है। इन्होंने 8 तारीख को मुझे एक पत्र दिया है। मैं उस पत्र को दिखवा रहा हूं। तीन घटनाएं इसमें उन्होंने लिखी है। उनके बारे में मैं पूरी जानकारी ले रहा हूं। जानकारी लेने के बाद ही मैं कोई निर्णय कर पाऊंगा। ऐसे में अगर हर माननीय सदस्य एस.एच.ओ. को लगाने और हटाने के लिए रोज चर्चा करेगा यह सम्भव नहीं है। अगर उसमें कोई दोष होगा, कमी होगी तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। लेकिन इस मंच का उपयोग उनको हटाने के लिए करेंगे यह परिपाटी ठीक नहीं रहेगी।

**श्री सभापति**: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

## गंगरार कस्बे में डीएलसी दरों विषयक

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र गंगरार और गंगरार कस्बे में जिसको बसे हुए सैकड़ों वर्ष हो गये हैं और कई माननीय सदस्य वहां से होकर के गुजरते हैं। हस्त निर्मित जूतियों की एक शानदार मंडी है और अभी वर्तमान में प्रधान मंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा सड़क को चौड़ी करने का काम जारी है। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भूमि अर्जन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने वहां के व्यापरियों की, मकान मालिकों की कुछ जमीनों को अवाप्त करने की कार्यवाही की है। 27.04.2004 को अधिसूचना जारी की गयी। अधिसूचना की प्रक्रिया के आधार पर ही डीएलसी की तत्कालीन दरों के आधार पर लोगों को मुआवजा देना तय किया गया। वर्तमान में कृषि की दर तो जो डीएलसी की दर थी, उसके आधार पर बने पक्के मकान भी उसी बीएसआर दर पर, 2004 में बीएसआर दर के आधार पर जिनके मकानों का मुआवजा का निर्धारण किया गया है जब कि आज 2008 है और आज कोई मकान मालिक अपना मकान बनाना चाहे तो वर्तमान दर में लगभग 60 प्रतिशत का अंतर आ गया है। गरीब व्यापारी, गरीब मकान मालिक यदि कोई भी अपना मकान या दुकान बनाना चाहते हैं तो दर अधिक देनी होगी लेकिन मुआवजा उसी पुराने समय का मिल रहा है। आज की तारीख में यदि कोई मकान बनाना चाहते हैं तो वह नहीं बना सकता है। आज अगर कोई मकान बनाना चाहे तो सीमेंट, सरिया, ईंट, पत्थर आदि महंगे हो चुके हैं।

सभापति महोदय, इसमें अवाप्ति की कार्यवाही हमारे अतिरिक्त जिला कलक्टर, भूमि अर्जन अधिकारी के द्वारा की जा रही है, जमीन का मुआवजा जमाबंदी में जो रिकार्ड है उस रिकार्ड के आधार पर बनाया गया जब कि मौके पर आज की तारीख में वहां पर दुकान, गोदाम, मकान निर्मित हैं और उनका मुआवजा भी यदि कोई व्यक्ति कृषि को आधार मानकर के देवे, डीएलसी में जो दरें तय की जायें वह कृषि की हों और वहां मौके पर मकान, दुकानें और गोदाम हैं और मेरा निवेदन है कि मौके की स्थिति के आधार पर मुआवजा तय होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पांच-छः बातें जो महत्वपूर्ण हैं, इस मुआवजे के संबंध में उन पर विशेष जोर देना चाहता हूं, पहला हितबद्ध

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

व्यक्ति जो कब्जेधारी है वर्तमान में जिस जमीन पर जिस व्यक्ति का कब्जा है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। यदि वर्तमान में मौके पर किसी का विवाद नहीं है तो जो हितबद्ध व्यक्ति है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि मौके पर उपयोगिता के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, मौके पर यदि दुकानें, मकान और गोदाम निर्मित हैं और यदि रिकार्ड में कृषि है तो मेरा निवेदन है कि कोई भी आबादी क्षेत्र यदि 40 साल पुराना हो गया है तो आटोमैटिक ही वह आबादी क्षेत्र में आ जाता है और उसको आबादी क्षेत्र के आधार पर और मौके की स्थिति के आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में बीएसआर की दरों के आधार पर निर्माण का मुआवजा मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का मकान 40 फीट अंदर तक तोड़ा जा रहा है और उसके बाद 20 फीट उसका मकान है तो उसको 40 फीट का मुआवजा दिया जा रहा है जबकि 20 फीट उसका खंडहर हो गया है, खंडहर मकान में तो वह रह नहीं सकता है। इसलिए पूरे मकान का मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, चौथा मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने भूमि रूपांतरण के लिए सरकार के पास में चालान के माध्यम से राशि जमा करा दी है तो उस राशि की तिथि से वक्त रिकार्ड, वक्त भूमि के आधार पर उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। पांचवां, मेरा निवेदन है कि जिन जमीनों का मूल्यांकन अधिकारी ने वर्तमान में जिस स्थिति में हैं और मौके पर माना है कि यह जमीन महंगी है और मूल्यांकन अधिकारी कह रहा है कि यहां पर व्यावसायिक लगना चाहिए और व्यावसायिक की ही रजिस्ट्री करानी पड़ेगी लेकिन उसको भी कृषि का ही दिया जा रहा है, मैं दो मिनट और निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मुआवजा देने के बाद ही लोगों की जमीनों को अपने कब्जे में लें और सड़क का निर्माण करवायें ताकि कानून व्यवस्था बनी रह सके। सभापति महोदय, इस संबंध में एक मिनट और लूंगा, इस समस्या को हमारे माननीय एम.पी. साहब और चित्तौड़ जिले के हमारे माननीय सदस्यों ने हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय के सामने रखा। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि एडवोकेट जनरल की राय के आधार पर उनको मुआवजा दिलाया जायेगा। एडवोकेट जनरल के माध्यम से भी जनहित

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

में राय आयी है कि मौके की जैसी स्थिति है उसके आधार पर मुआवजा दिया जाये। लेकिन अभी तक यह प्रकरण हमारे पी.डब्ल्यु.डी. सेक्रेटरी के पास में लम्बित है। मेरा विशेष निवेदन है कि इस प्रकरण का जल्दी से जल्दी हल निकाला जाये।

सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौड़ जिले में भी कई कम्पनियां हैं चाहे सीमेंट कम्पनी हों, चाहे जिंक की हों या अन्य कोई खाद का कारखाना पड़ रहा हो और यदि काश्तकारों की जमीन वह अवाप्त करा रहे हों सरकार के माध्यम से तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी कोई न कोई नीति बनानी चाहिए उसके माध्यम से जो बेरोजगार होने वाला व्यक्ति है, जिस काश्तकार की जमीन यदि अवाप्त की जा रही है और वह कारखाना लगा रहा है तो उस कारखाने के अंदर एक व्यक्ति जाये उस खातेदार का नौकरी करने में और जनहित को ध्यान में रखते हुए डीएलसी की दर पर नहीं वर्तमान में जो दर चल रही है, किसान जिस तरह से लेन-देन कर रहे हैं डीएलसी के दर के ऊपर भी कुछ पैसा देना पड़ता है। उस आधार पर कम्पनियों से लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया अपनायें। पुन: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गंगरार की प्रमुख समस्या है इसको ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया सम्पन्न करावें ताकि सड़क जल्दी से जल्दी बन सके। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रकरण पर्ची के माध्यम से उठाया है, यह भारत सरकार की प्रधान मंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना है, इस योजना के अंतर्गत सड़क दो लाइन में बन रही है। 1.2 किलोमीटर गंगरार की मुख्य आबादी से गुजर रही है। इसमें जिनकी भूमि अवाप्त कर रहे हैं उसमें 46 प्रकरण तो ऐसे हैं जिनमें कब्जा तो है उनका परन्तु उसके साथ-साथ उनके पास भूमि के स्वामित्व के कोई विधिक दस्तावेज नहीं हैं और इसी तरह 14 प्रकरण ऐसे हैं जिनके अंदर भूमि या मकान जो भी हैं उनका विधिवत विक्रय नहीं हुआ है, एग्रीमेंट से या दूसरे से है और अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कब्जा धारियों को बिना स्वामित्व के ही मुआवजा दिया जाये। इसके बारे में एडवोकेट जनरल की राय और लॉ डिपार्टमेंट की राय दोनों में भिन्नता आयी है। मैं सारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पत्रावली खुद मंगाकर के और इसको देखकर के और माननीय सदस्यों से बातचीत करके इसका कोई सर्वमान्य हल निकले और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही प्रेस्टिजियश प्रोजेक्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज, इसके निर्माण में बाधा नहीं आये, क्योंकि विकास कुछ न कुछ जमीन पर होता है इसलिए थोड़ी बहुत कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती हैं परन्तु लीगल राइट्स जिनके पास हैं उनको मुआवजा निश्चित समय पर दिलाया जायेगा।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): मेरा एक ही निवेदन है कि कोई भी सरकार बनती है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: पर्ची पर वाद-विवाद नहीं होता है।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): जनहित को ध्यान में रखते हुए, धन्यवाद... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आपने अपना विषय रख दिया और मंत्रीजी ने जवाब दे दिया ...(व्यवधान) और अलग से मिल लेना। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति के सात प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

## समिति का प्रतिवेदन

### राजकीय उपक्रम समिति, 2007-08 के सात प्रतिवेदन

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2007-08 के सात प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य, प्राक्कलन समिति 'ख' एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

## प्राक्कलन समिति, 2007-08 का बारहवां प्रतिवेदन

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग एवं राजस्व मंडल के कार्य-कलाप एवं गतिविधियों से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख' 2007-08 बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री मोहन मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

## अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2001-02 का द्वितीय प्रतिवेदन

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2001-02 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित अनुसूचित जाति कल्याण समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

# याचिकाओं का उपस्थापन

**श्री सभापति**: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

## जोधपुर बस-स्टैण्ड पर सुविधाओं में सुधार विषयक

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर शहर में वर्तमान रोडवेज बस स्टैण्ड पर सुविधाओं में सुधार एवं नया बड़ा बस स्टैण्ड खोलने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

**श्री सभापति**: श्री भागीरथ चौधरी।

## किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका छात्रावास की मांग

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका छात्रावास की स्वीकृति जारी करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री चुन्नीलाल धाकड़।

## जावदा (नीमडी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत

**श्री चुन्नीलाल धाकड** (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

अनुमति से बेगूं विधान सभा क्षेत्र के कस्बा जावदा (नीमड़ी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री अर्जुनलाल जीनगर।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्न याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

## राशमी (चित्तौड़गढ़) को उपखण्ड मुख्यालय बनाने बाबत

(1) तहसील मुख्यालय राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ को उपखण्ड मुख्यालय बनाने बाबत।

## गंगरार के विभिन्न गांवों का डामरीकरण

(2) गंगरार विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का डामरीकरण करने बाबत।

**श्री सभापति**: श्री रामरतन बैरवा।

**श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्न याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

## शाहपुरा (भीलवाडा) के विभिन्न धार्मिक स्थलों को मुख्य सड़क से जोड़ने बाबत

(1) शाहपुरा (भीलवाड़ा) विधान सभा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को मुख्य सड़क से जोड़ने बाबत।

## अखड़ बांध (भीलवाड़ा) की नहरों को पक्का करने बाबत

(2) शाहपुरा (भीलवाड़ा) विधान सभा क्षेत्र में अखड़ बांध की नहरों को पक्का करने बाबत।

## खामोर, ढीकोला एवं बच्छखेड़ा ग्रामों में बच्छखेड़ा के उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

(3) शाहपुरा (भीलवाड़ा) विधान सभा क्षेत्र में ग्राम खामोर एवं ढीकोला एवं बच्छखेड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत।

# अनुदान की मांग

## मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

**श्री सभापति**: आय-व्यय अनुमान वर्ष 2008-2009 द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांग पर विचार एवं पारण। श्री सुरेन्द्र गोयल, अनुदान की मांग संख्या-29, नगरीय विकास एवं प्रादेशिक विकास को विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 14,95,95,00,000/- (रुपए चौदह अरब पिच्यानवे करोड़ पिच्यानवे लाख) तक की राशि प्रदान की जाए।

**(ग्राह्य कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)**

**श्री सभापति**: मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार प्रकट करेंगे। माननीय सदस्य, श्री बी.डी. कल्ला।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बहस के लिए कितना समय निश्चित किया, जरा बता दें, वक्ताओं के लिए कितना-कितना समय दिया है क्योंकि कल्ला साहब को फिर बाद में आप टोकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।

**श्री सभापति**: कल भी कुछ माननीय सदस्य नाराज हो गए थे। दस से बारह मिनट में आपको अपना विषय रख देना चाहिए।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पहले वक्ता हेतु समय निश्चित नहीं होता है।

**श्री सभापति**: आपको अतिरिक्त डिस्काउण्ट देंगे।... (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि बीच में टोका-टोकी न करें। पिछले दिनों से सदन इतना बढ़िया चल रहा है। हमारी सबकी गुडविल इस सदन से जुड़ी हुई है, सारे पत्रकार बाहर हमारे सब के मजे लेते हैं, हमें उनको अवसर नहीं देना चाहिए, मेरी आपको राय है।... (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उधर कोई नहीं है इसलिए उधर से कोई नहीं टोकेगा।

**श्री सभापति**: सब को दिख रहा है कि कौन कहां है, कौन कहां नहीं है। (व्यवधान) जिस विषय की आपको जानकारी है सदन में आपको आंखों से दिख रहा है कि वहां पर कोई नहीं है तो बार-बार बोल कर अवगत कराने की क्या आवश्यकता है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह 120 में से कितने हैं यह भी गिन लो।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): 120 में से 125 आएंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): चलो कोई बात नहीं है।

## अनुदान की मांग संख्या-29 पर विचार

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार रख रहा हूं। राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इसका क्षेत्रफल 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर है और यह देश का दसवां हिस्सा है। इसी प्रकार राजस्थान की जनसंख्या 5 करोड़ 65 लाख है जो देश की जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत है। सभापति महोदय, राजस्थान में शहरों की आबादी 1 करोड़ 32 लाख है जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 23.38 प्रतिशत है। यह लगभग एक चौथाई हिस्सा बैठता है और इस पर जो अभी 14 अरब से ऊपर की बजट की मांग माननीय स्वायत्त शासन राज्य मंत्रीजी ने रखी है, मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, इनका प्रमुख काम सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, बड़े शहरों में सीवरेज की व्यवस्था और इसी प्रकार आपके सड़क और नालियों की व्यवस्था करना है। मोटे तौर पर देखा जाए तो कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो नगर पालिकाओं की स्थिति इतनी खराब है कि नाली का सौ मीटर का टुकड़ा भी वह नहीं बना सकते। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप टोकेंगे नहीं, देखिए यह अच्छी बात नहीं है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): टोकेंगे तो मैं ठनठाने की बिल्ली हूं।

**श्री सभापति**: आप जिस पार्टी से आते हैं उसमें अनुशासन की पराकाष्ठा है, इसको समझिए आप लोग।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इस बार संसदीय कार्य मंत्रीजी ने ट्रेनिंग नहीं करवाई इसलिए यह दिक्कत आ रही है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

तो सौ मीटर नाली का टुकड़ा नगर पालिका नहीं बना सकती, सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास सफाई कर्मचारी नहीं हैं, सभापति महोदय, 2007 में विभाग ने जो नोर्म्स बनाए और यह कहा कि सफाई कर्मचारियों की संख्या इतनी होनी चाहिए उसके अनुसार राजस्थान में किसी भी नगरपालिका और नगर परिषद में और नगर निगम में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है और सफाई को तो ठेके पर दे रखा है, पूरे राजस्थान की सफाई व्यवस्था ठेके पर दे रखी है जिसके कारण से सफाई कर्मचारियों में रोष है। मैं किस-किस का उदाहरण दूं आपको राजस्थान में एक-एक नगर परिषद में लगभग 2400 व्यक्तियों की कमी है, कहीं पर 3 हजार की कमी है तो कहीं पर साढ़े 3 हजार सफाई कर्मचारियों की कमी है। यह स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक नगरों की सफाई व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बार सिंगापुर गया था वहां पर जगह-जगह लिखा हुआ है कि कहीं कोई व्यक्ति थूक देगा तो वहां उस पर फाइन लगता है पचास डालर का, कहीं कोई व्यक्ति सार्वजनिक शौचालय जो बने हुए हैं उसके अलावा कहीं किसी सड़क पर पेशाब कर दे या कहीं और कोई काम कर दे उस पर भी वहां पर फाइन लगता है लेकिन राजस्थान में जगह-जगह लोग जर्दा थूक रहे हैं इसके लिए हमें सिविक सेंस डवलप करना होगा इसलिए विभाग को समय-समय पर जन जागृति पैदा करनी होगी। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता से यह अपील करता हूं कि वह शहरों की सफाई व्यवस्था में खुद आगे आकर ध्यान दें और जो पोलिथिन बैग्स हैं, उनको जगह-जगह न फेंक कर उनको एक जगह इकट्ठा करें और उनको जलाने का काम करें और जो कचरा हमारा समाप्त नहीं होता है ऐसे कचरे को एक जगह इकट्ठा करके उसको जलाने का काम करें तब जाकर के सफाई व्यवस्था जन सहयोग, जनसहभागिता भी हम ले सकेंगे लेकिन अफसोस है कि सफाई व्यवस्था के लिए सरकार जागरूक नहीं है, लट्टू या ट्यूब लाइट कहीं पर खराब हो गई है तो दो-दो महीनों तक उसको बदलने वाला नहीं है इसके अलावा नगरपालिका की इच्छा शक्ति होते हुए भी उनके पास फण्ड नहीं है इसके लिए मैं कुछ सुझाव स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपको देना चाहता हूं। एक तो जिस प्रकार से वित्त आयोग केन्द्र सरकार का बनाया हुआ है, उस वित्त आयोग के माध्यम से राज्यों को केन्द्रीय करों से एक हिस्सा केन्द्रीय सहायता का मिलता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है इसी तर्ज पर राजस्थान में भी बिक्री कर, राजस्थान का रोड टैक्स, राजस्थान का मनोरंजन कर, राजस्थान का विलासिता कर और राजस्थान का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो आता है उसका एक निश्चित हिस्सा राजस्थान वित्त आयोग की अभिशंसा के आधार पर इन नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों को दिया जाए। ताकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और वो कम से कम एक लट्टू और ट्यूबलाइट बदल सके और नाली है, सड़क निर्माण है, सफाई व्यवस्था में जो काम उनको करना चाहिए इसके लिए उनको आगे आना चाहिए।

आजकल विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। विज्ञापन से नगर पालिकाओं, नगर परिषद व नगर निगमों की आय बहुत ही कम है। इसके लिए आपके विभाग के पास बहुत अनुभवी सेक्रेट्रीज हैं उनका लाभ लेते हुए आपको चाहिए कि आप विज्ञापन से हर नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम की आय को बढ़ाने का काम करें। विज्ञापन आपको बहुत बड़ी आय दे सकते हैं।

इसके अलावा राज्यों की नगरपालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम की जो केन्द्र सरकार से संबंधित योजनाएं हैं उनके लिए हिस्सा राशि भी राज्य सरकार के पास नहीं है। अनेक योजनाएं वाम्बे योजना, जवाहरलाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन, जैव संरक्षण और अनेक कच्ची बस्तियों के विकास के लिए जो योजनाएं केन्द्र सरकार ने जारी कर रखी हैं उनके लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त फण्ड की कमी है। इसके लिए आपको एक स्थायी कोष बनाना होगा और यदि स्थायी कोष बना देंगे तो निश्चित रूप से उस कोष के माध्यम से हम अपने राज्य का हिस्सा दे पाएंगे नहीं तो 20-30 परसेंट राशि किसी भी नगरपालिका के पास नहीं है। केन्द्र सरकार की इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का सबसे कम फायदा यदि हिन्दुस्तान में लिया है तो राजस्थान ने लिया है। इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, कानपुर की डवलपमेंट अथोरिटीज् और इनकी संबंधित नगर निकायों ने जितनी सहायता केन्द्र सरकार से ली है, उतनी सहायता हम नहीं दे पाये इसके कारण ही गंदी बस्तियों का विकास नहीं हुआ, कच्ची बस्तियों का सुधार नहीं हुआ और राजस्थान प्रदेश में जहां एक चौथाई जनसंख्या शहरों में रहती है उन शहरों में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जो बदबू, सड़न, अंधेरा और चारों ओर सड़कों में गड्ढे हैं। हमारे यहां तो राजस्थान में कहावत है कि किसी व्यक्ति के कमर में दर्द है तो उसका कारण है टूटी हुई सड़कें, प्रसूता महिलाओं के सड़कों पर प्रसव होते हैं तो उसका कारण है टूटी हुई सड़कें। इन सब चीजों पर अगर सरकार ने गौर नहीं किया तो आप निश्चित मानिए राजस्थान के शहरों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा।

सभापति महोदय, मैं इस संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं बजट की क्या स्थिति है। 2003-04, जब इनकी सरकार आयी थी उस समय बजट एस्टीमेट रखा गया था 941.86 करोड़। उसमें बजट एस्टीमेट और वास्तविक व्यय का अंतर यदि हम देखें तो 2003-04 में 219.66 करोड़ रुपये की राशि सरकार खर्च नहीं कर पायी। यानी कम खर्च किया। उसके बाद 2004-05 में 964.76 करोड़ रुपये का बजट एस्टीमेट रखा गया था, लेकिन वास्तविक व्यय हुआ उसमें और बजट एस्टीमेट में 45 करोड़ 90 लाख का फर्क रहा। उसके बाद 2005-06 में बजट एस्टीमेट रखा गया था 1086.54 करोड़ और वास्तविक व्यय किया गया 864.35 करोड़। इस प्रकार जो बजट एस्टीमेट रखा गया था उससे 222.19 करोड़ रुपया कम खर्च किया गया। उसके बाद 2006-07 में 1361.80 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था वास्तविक व्यय उससे 355.05 करोड़ रुपये कम किया गया। ये चारों वर्षों के आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार ने बजट एस्टीमेट ज्यादा रखा और वास्तविक व्यय इन चार सालों में कम किया है। इस साल का बजट एस्टीमेट 1496.02 करोड़ रुपये का किया गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें से कम से कम 300-350 करोड़ रुपये इस ट्रेंड के आधार पर आप खर्च नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने दो बातें इस रूप में रखकर अपनी बात आगे प्रारम्भ करता हूं। नगर परिषद, नगरपालिका और नगर निगम की प्रमुख आय का स्रोत चुंगी, हाउस टैक्स था उसको सरकार ने समाप्त किया। उसकी जगह उसकी एवज में आप जो अनुदान दे रहे हैं वह बड़ी नगर परिषदों को साढ़े बारह रुपये प्रति व्यक्ति और किन्हीं को 25 रुपये, छोटी नगरपालिकाओं को आप 37.50 रुपये दे रहे हैं। उससे क्या होगा? इस अनुदान को जब तक 100 रुपये प्रति व्यक्ति आप नहीं करेंगे नगरपालिकाओं के लिए आने वाले वक्त में जो नया वित्त आयोग भारत सरकार का रिकमंडेशंस देगा, उसके अनुसार वे अपनी तनख्वाह भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए, सभापति महोदय, इस अनुदान में वृद्धि की जाए और जैसा मैंने बताया राजस्थान वित्त आयोग से वर्ष 2006-07

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में आपने 60.3 करोड़ रुपये विभिन्न स्थानीय निकायों को अनुदान दिया। गत वर्ष 2006-07 में 57.85 करोड़। अभी 2007-08 में 57.85 करोड़ रुपये। इस साल भी आपका बजट करीब-करीब 57.85 करोड़ का है। इसका मतलब यह हुआ कि आप राज्य की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों को जो अनुदान दे रहे हैं, वह स्थिर हो गया है। इस अनुदान से राज्य की 187 नगरपालिकाओं, नगर परिषद और नगर निकाय को कोई फायदा नहीं हो रहा है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): 183 है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): चलो, 183 समझ लो। 183 है कोई बात नहीं। फ्लो में जब बोलते हैं मेरे पास भी 183 लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक्सटेम्पोर बोल रहा हूं। इसमें आपने यूआईटी को गिना नहीं है, डवलपमेंट अथोरिटीज को नहीं गिना है। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आपका अनुदान स्थिर हो गया है इसको आपको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो यह प्रदेश के लिए बहुत घातक है। वित्त आयोग दो-दो वर्षों से और 3-3 वर्षों से करीब-करीब एक जैसी राशि की अभिशंसा करे कि राज्य की नगरपालिकाओं को इतना-इतना रुपया दिया जाए यह उचित नहीं है। इस राशि को तत्काल आपको बढ़ाना चाहिए ताकि राजस्थान की इन संस्थाओं का भला हो सके।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो राशि प्राप्त होती है उसमें कई नगरपालिकाओं ने, कई अन्य राज्यों ने आधा परसेंट सेस लगा रखा है और यह आधा परसेंट नगरपालिकाओं और नगर परिषदों को मिलता है इससे भी नगर परिषद, नगर पालिकाओं की इनकम में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आप केवल अनुदान देकर उनको तनख्वाह चुकाते जाएंगे तो न तो वहां सफाई होगी और न वहां पर और व्यवस्था होगी। अब आप धीरे-धीरे सीवरेज का काम भी उनको दे रहे हैं। 5 यूआईटी और नगर परिषदों को मिलाकर आपने ट्रांसपोर्ट कम्पनियों का निर्माण किया उसमें भी भरतपुर, बीकानेर में तो उनका निर्माण अभी तक आपने नहीं किया। क्या उन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों ने वहां पर बसों का संचालन शुरू कर दिया? क्या उन्होंने वहां पर बसों का नियंत्रण शुरू कर दिया, सिटी बसें चला दीं? उनकी सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं हैं वहां वास्तव में कुछ नजर नहीं आता क्योंकि सिटी बसों का संचालन ये ट्रांसपोर्ट कम्पनियां कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के स्थानीय निकायों की आर्थिक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

स्थिति को सुधारने के लिए माननीय विधायकों, कुछ चुने हुए नगर परिषद के अध्यक्षों और कुछ एक्सपर्टस जो हमारे आईएएस आफिसर हैं, इनकी एक कमेटी बनाकर आपको महाराष्ट्र, कलकत्ता, मुम्बई और दो-तीन फोरेन कंट्रीज में भी भेजना चाहिए और जाकर देखें कि वहां पर स्थानीय निकायों की आय के साधन क्या-क्या हैं। बिना जनता पर भार डाले हुए कुछ स्थानों पर हम जो इनकम प्राप्त कर सकते हैं उस इनकम को प्राप्त करना चाहिए।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो बताएं कि राजस्थान में सीवरेज का काम आप नगर परिषदों को ट्रांसफर कर रहे हो, क्या आपने फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ इनको ट्रांसफर किया है या केवल आदेश निकाल दिये? 65 लाख रुपये की लाइबिलिटी, किसी पर 70 लाख रुपये, जयपुर में तो कम से कम ढाई तीन करोड़ रुपये की लाइबिलिटीज इस काम के संधारण के लिए उनको जो आपने ट्रांसफर कर दिया, इंजीनियर एक ट्रांसफर नहीं किया और यह पीएचईडी का है, पीएचईडी इसके लिए एक्सपर्ट है और पीएचईडी इसके लिए 20 परसेंट राशि पानी के बिलों पर चार्ज करती है, वह आपने उनको ट्रांसफर की नहीं और आपने सीवरेज का काम कहीं सीवरेज फूट गई तो शहरों में तो जैसे दूषित पानी पीने की लाइन में मिल रहा है उसको सम्भालने वाला कोई धणी-धोरी नहीं होगा इसलिए, सभापति महोदय, इन कामों को जिम्मेदारी के साथ ट्रांसफर करना चाहिए। फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ यदि आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो यह सारी की सारी योजनाएं आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे और कभी आपको लगेगा कोटा में सीवरेज लाइन फूट गई, कभी लगेगा कि जयपुर की फूट गई, कभी बीकानेर में फूट गई, कभी जोधपुर में फूट गई और उसको सम्भालने के लिए न तो आपने इंजीनियर्स का ट्रांसफर किया वहां पर, न आपने वहां पर कोई तकनीकी स्टाफ का ट्रांसफर किया, न आपने पैसे का ट्रांसफर किया और जो सीवरेज स्कीम है वह सारी की सारी आपने नगर परिषदों को दे दी और उसमें भी क्या है। पहले से ही कुछ एडीबी प्रोजेक्ट्स हैं, अनुबंध के आधार पर अथवा और कोई आपकी मजबूरी होगी। आपने जैसे एक कम्पनी को बीकानेर नगर परिषद में जो सीवरेज लाइन का काम है, 65 लाख रुपये और कुछ हजार में आपने एक कम्पनी को दे दिया, पहले से ही काम दे दिया है। अब कम्पनी को 65 लाख रुपये नगर परिषद कहां से देगी तो इन सब कामों के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए और संबंधित नगर परिषदों को राज्य में तमाम जैसे जयपुर है, जयपुर में नगर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

निगम है, आपके जोधपुर में नगर निगम है, कोटा में नगर निगम है और जहां नगर परिषदें हैं उनको उन फंड्स को ट्रांसफर करना चाहिए। 20 परसेंट जलदाय विभाग एक्स्ट्रा चार्ज करता है, यह म्युनिसिपैलिटीज को ट्रांसफर करना चाहिए और उनके टैक्निकल स्टाफ को भी वहां पर आप ट्रांसफर करेंगे तब जाकर वह सीवरेज लाइन को मेंटीनेंस का काम कर पाएंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, नगर निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया विज्ञापन की आय बढ़ानी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था करने के लिए भी कोई न कोई आपको इलैक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर सेस लगाना चाहिए। आज बहुत-सी नगर परिषदें बिजली का बिल नहीं भर पा रही हैं और बिजली का बिल नहीं भर पाने के कारण उनके कनेक्शन कट रहे हैं। कई शहर अंधेरे में डूबे रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बिजली के बिल समय पर भर सकें। यह तभी भर सकेंगे जब वह आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। इसके लिए आय के साधन बढ़ाने के लिए तत्काल एक कमेटी बनाकर नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा राज्य की मंत्री परिषद् ने यह निर्णय किया हुआ है कि जो भी यूआईटी अपनी जमीन बेचेगी, जयपुर विकास प्राधिकरण जमीन बेचेगी तब तत्संबंधी चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद् हो उसको 15 परसेंट राशि ट्रांसफर करेगी। मैं जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि किन-किन यूआईटीज ने इस निर्णय की पालना नहीं की और पालना नहीं की तो ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? ...(व्यवधान) मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। अब मेरा कटमोशन गया होगा तो पैसा ट्रांसफर हो गया होगा। इस संबंध में मेरी जानकारी है कि जब से डिसीजन हुआ है उससे लेकर अब तक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। पूरे राजस्थान में तमाम यूआईटीज और जे.डी.ए. को आप निर्देश दीजिए कि जो भी 15 परसेंट राशि जो यूआईटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी नहीं देगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तब जाकर यह पैसा ट्रांसफर होगा, नहीं तो मंत्री परिषद् के निर्णय की पालना नहीं होती और मैं यह भी मांग करता हूं, सभापति महोदय, कि यह यूआईटी वगैरह जो बनी हैं, एक ही काम के लिए अलग-अलग जगह अलग-अलग चीजें बन गई हैं, यूआईटी, म्युनिसिपैलिटीज जो यह बनी हैं, मुख्य रूप से आपकी नगरपालिकाएं क्यों कमजोर हुई हैं, कभी सोचा है आपने ? आपने भूमि विक्रय का काम यूआईटी को

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

दे दिया। अब नगरपालिका तो ठन ठन लाल, मदन गोपाल हो गया, उनके पास कोई साधन नहीं है इसलिए आप ...(व्यवधान) नहीं, उनके पास आर्थिक साधन कुछ भी नहीं था।

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): क्या कहा था आपने ? वह थोड़ा सा बता दें।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, आप भविष्य में बिना आसन की अनुमति के खड़े नहीं होंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह बहुत अच्छा किया आपने, इनके स्प्रिंग लगी हुई है न? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: या तो अपने अनुशासन का चोला ही बाहर फेंक दो, किस्सा ही खतम हो जाए, हम काहे का नाटक करते हैं अनुशासन का ? इस चेप्टर को ही बंद कर दो अनुशासन के।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): तो, सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने कम से कम मुझे व्यवधान से रिलीफ दी, आपका बहुत ही आभारी हूं। अब मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहता हूं कि यह जो यूआईटी जमीन बेचती है, इसकी 30 परसेंट राशि संबंधित नगर परिषद् और नगर निगम को मिलनी चाहिए तब जाकर के उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा और नगर परिषद, नगर निगम अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगी नहीं तो नगर परिषद् और नगर निगम एक-एक पैसे के लिए मोहताज रहती हैं और उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वह अपने दायित्व को चाहते हुए भी निवर्हन नहीं कर पाती हैं।

इसके अलावा, सफाई व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो गंदी और कच्ची बस्तियां हैं उनकी क्या स्थिति है? मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2007-08 के बजट में 65.58 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी और अभी 2008-09 के बजट में आपने 59.99 करोड़ की राशि रखी है, यह गत वर्ष से 5.5 करोड़ रुपये कम है तो गंदी बस्तियों का सुधार कैसे होगा? पहले ही राजस्थान में गंदी बस्तियां हैं और बजट आपने गंदी बस्ती के सुधार के लिए और कम कर दिया तो मुझे बहुत ही यह भय है कि वास्तव में आप गंदी बस्तियों के सुधार के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, इनके सुधार के लिए आपको इस राशि को बढ़ाना चाहिए। मध्यम श्रेणी के नगरों के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

समेकित विकास के लिए आरयूएफडीसी में कोई राशि बजट में प्रदर्शित नहीं की गई है। स्थानीय निकाय, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता के तहत विशेष अनुदान के अन्तर्गत और विविध व्यय हेतु 2006-07 में वास्तविक व्यय 545.5 करोड़ का था परन्तु बाद के वर्षों में एक हजार रुपये का टोकन आपने प्राविजन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप बढ़ा सकें, हैरिटेज वॉक प्रोजेक्ट इसका 2007-08 में 10 करोड़ रुपये आपने इसके लिए प्रावधान रखा और 2008-09 के बजट में केवल मात्र एक हजार रुपये का टोकन प्राविजन किया है तो क्या आगे इसके लिए सप्लीमेंटरी बजट लाएगी या हैरिटेज वाक प्रोजेक्ट केवल मात्र घोषणा के लिए घोषणा रहा। शहरी सड़कों के लिए, सभापति महोदय, देखिए, कितनी चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ 2006-07 में अकेले झालरापाटन में 2.85 करोड़ रुपये और राजस्थान के विभिन्न शहरों के लिए मात्र 3 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और अभी इस साल के बजट में मात्र 1 हजार का प्रावधान आपने शहरी सड़कों और नालियों के लिए किया है। इसके बाद गंदी बस्ती विकास के लिए पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया तो जब गंदी बस्तियों के विकास के लिए आप प्रावधान नहीं करोगे तो गंदी बस्तियां खतम कैसे होंगी ? एक तरफ स्लम्स क्रिएट हो रही हैं और जो स्लम्स क्रिएट हो गई, उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं तो, सभापति महोदय, राजस्थान से गंदगी कैसे दूर होगी? आप जयपुर की चौकड़ियां को देख लें, कोटा की चोकड़ियां को देख लें, बीकानेर की गलियों को ले लें, भरतपुर शहर की गलियां तो कुंज गलियां हैं लेकिन सब गंदगी से भरी हुई हैं, जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती परियोजना के हैड में भी आपने 2007-08 व 2008-09 में मात्र एक-एक हजार रुपये का टोकन प्राविजन कर रखा है। इस तरीके से इस जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना के अन्तर्गत गंदी बस्तियों का एकीकृत आवास का कैसे विकास होगा?

स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, इसमें तो आपने हद ही कर दी। सभापति महोदय, बी.पी.एल. परिवारों के सम्बन्ध में 2006-07, 2007-08, 2008-09 तीनों वर्षों में लक्ष्य एक जैसा 5500 का है। पहले वर्ष 2006-07 में 1.57 लाख मैन-डैज, एक लाख मैनडेज, ढाई करोड़ की राशि का खर्च बताया है और अभी 2008-09 के बजट में आपने बी.पी.एल. के 5500 परिवारों को एक लाख मैन-डेज और 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है। इससे ऐसा लगता है कि कोई रटी-रटाई भाषा में आप बजट बना रहे हो। तीनों सालों का 5500 लोगों का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

टार्गेट है। बी.पी.एल. की सूचियां ही फाइनल नहीं हुई अभी तक। शहरों में लोग पुराने कार्ड लेकर जाते हैं तो उनको दवाई नहीं मिलती है, उनको सुविधा नहीं मिलती है कि नया कार्ड लेकर के आओ लेकिन नया कार्ड बना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के शहरी लोगों की हालत बहुत खराब है। उनको रोजगार नहीं, उनको दवाई नहीं, उनको मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलतीं इसके कारण राजस्थान का शहरी व्यक्ति बहुत परेशान है, पीड़ित है, दु:खी है और सरकार को कोस रहा है। आपने 4216 आवास पर पूंजीगत व्यय का किया है, आप इशारा मत कीजिये।

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ये आपकी तरफ देख रहे हैं और आप देख ही नहीं रहे हो।

**श्री सभापति**: मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है पीछे से, आप चिंता ही मत करो।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय आपके काबू वाले नहीं हैं, ये न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। जस्टिस इक्विलिटी और गुड कांसियसनैस इनके ऊपर हावी है। पूंजीगत प्राप्तियां एवं परिव्यय, वृहद् निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2006-07 में आपने 2.85 करोड़ का बजट वास्तविक रूप से व्यय किया। 2007-08 में 2.36 करोड़ बजट एस्टिमेट थे और 2008-09 में यह घटकर मात्र 37 लाख रुपये हो गया तो आपका निर्माण कार्यों में कोई विश्वास ही नहीं है और धीरे-धीरे यह राशि घटती हुई चली जा रही है।

शहरी आवास, अन्य व्यय- बीड़ी श्रमिकों के लिए एक योजना बनी कि बीड़ी श्रमिकों के लिए आवासीय भवनों का प्रबन्ध किया जाए और इसमें वृहद निर्माण कार्यों के हैड के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 51 लाख 14 हजार रुपये खर्च किये गये। 2007-08 में यह घटकर 24.95 रही और इस साल तो आपने हद ही कर दी कि केवल मात्र 2 हजार रुपये बीड़ी श्रमिकों के आवास के लिए रखे हैं। यह विचारणीय बात है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कि गंदी बस्तियों के लिए पैसा कम, कच्ची बस्तियों के लिए पैसा कम और उसके बाद बीड़ी बनाने वाले हैं, उनके आवास के लिए मात्र दो हजार का प्रावधान। इससे यह लगता है कि सरकार का बजट गरीबों के प्रति नहीं है, गरीबों के प्रति, बी पी एल फैमिलीज के प्रति सरकार संवेदनहीन है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से जो युवक-युवतियां शहर में काम करने के लिए आते हैं तो उनके लिए किराये के आवास बनाने का काम स्थानीय निकाय करती है। इसके अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्यों के लिए आपने 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में मात्र एक-एक हजार रुपये का टोकन प्रावधान किया। इससे सिद्ध होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी आपने कोई ध्यान नहीं रखा, उनके लिए किराये के आवास भी आप नहीं बना सके। उसके लिए केन्द्र सरकार भरपूर सहयोग देती है, फण्डिंग करती है लेकिन आप लाभ नहीं ले पाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहता हूं कि यहां नगर निगम, प्राधिकरण, डवलपमेंट अथोरिटी बनती है इसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है। अभी राज्य सरकार ने जोधपुर में 15 अगस्त मनाया और यह घोषणा की कि जोधपुर को जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी हम बनायेंगे। क्या जोधपुर के लिए बिल आ गया? यह विधान सभा होली से पहले-पहले खतम हो जाएगी, आप भाग जाओगे लेकिन डवलपमेंट अथोरिटी जो जोधपुर की है, उसका एक झुनझुना पकड़ा दिया है 15 अगस्त को और वह झुनझुना कई दिन तक बजाते रहेंगे। लेकिन जोधपुर में डवलपमेंट अथोरिटी के लिए यदि आपकी नीयत होती तो इस विधान सभा में आपको जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी का बिल लाना चाहिए था लेकिन आप नहीं लेकर के आये। उसके बाद अजमेर में आप 26 जनवरी मनाने गये, वहां पर आपने नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): वो यह देख रहे थे कि आप सुन रहे हैं या नहीं या सो तो नहीं रहे हो। यह देख रहे थे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वो नींद ले रहे हैं, यह देख रहा था।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): वो नींद तो पीछे ले रहे हैं पर यह तो पता लगे कि आप नींद नहीं ले रहे हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपकी जोधपुर की बात कर दी, अब आप क्यों कह रहे हो। अभी तो कान में आकर कहा कि जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी का इश्यू उठाना और यहां आकर के व्यवधान कर रहे हो। आप पैरवी कर नहीं सकते और हम आपके शहर की पैरवी करें तो आप यहां पर व्यवधान करते हो।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): 50 साल में आप कुछ कर नहीं सके और हमने पांच साल में यह करके बता दिया।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमने जोधपुर में नगर निगम बनाया, उसका भवन बनाया और जोधपुर को आज हमने आगे बढ़ाया।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): नगर निगम की हालत देख लो कि वहां आपस में लड़ते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं आपके कांग्रेस वाले। पिछली बार कांग्रेस की मीटिंग हुई तो तीन कुर्सियां टूटीं आपस में लड़ने से।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): अब यह विषय वहां नगर निगम में उठाना, यह विधान सभा है। (व्यवधान) ये अनट्रेंड संसदीय सचिव हैं इसलिए अपनी जगह से नहीं बोल रहे हैं। अब सभापति महोदय को पता लग गया इसलिए इस बार बोलेंगे तो अपनी जगह से बोलना पड़ेगा नहीं तो नहीं बोलने देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि अभी अजमेर में 26 जनवरी जब ये मनाने गये तो वहां पर यह घोषणा की कि अजमेर को नगर निगम बनायेंगे। क्या अजमेर को आपने नगर निगम बना दिया? अजमेर को नगर निगम बनाओ, मैं स्वागत करता हूं लेकिन अजमेर की जनसंख्या 4,96,670 है और 12 गांव मिलाने पर 5 लाख की आबादी होती है। आज उदयपुर और बीकानेर की आबादी भी लगभग इतनी ही हो गई है। बीकानेर की आबादी तो 5 लाख 65 हजार है और 2008 की देखो तो 6 लाख से ऊपर चली गई है। बीकानेर और उदयपुर में नगर निगम नहीं बनाना, यह उनके साथ अन्याय है और लोकतंत्र में अन्याय करने वाली सरकार चल नहीं सकती।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): वहां क्या कर रहे थे आप? आप बहुत लम्बे समय रहे तो क्या कर रहे थे? लोकतंत्र में जो सरकार है उस लोकतंत्र में आप वहां क्या कर रहे थे उस समय?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं बताता हूं, आप विराजो।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): आप तो स्वायत्त शासन मंत्री रह चुके, बीकानेर पर क्या ध्यान दिया? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप डाक बंगले में बैठे थे, मैं निगरानी रख रहा था। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): हमने बीकानेर में क्या काम किया, आपने बीकानेर में क्या काम किया, आप चाहो तो सुन लो। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ज्यादा बुलवाओ मत। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): स्वायत्त शासन मंत्री रहते हुए आपने 5 साल में बीकानेर में कितना काम किया, आप बता दें। मेरे पास आंकड़े हैं कि हमने कितना काम कर दिया। आपने बीकानेर शहर का बिलकुल भी विकास नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): बैठो आप। आप विराजो।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): महापौरजी, आपको केवल आंकड़े पढ़ने का ही काम दिया है इस सरकार ने। इससे ज्यादा आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वैसे तो यह जानकारी आपको स्वायत्त शासन मंत्रीजी से लेनी चाहिए कि मैंने बीकानेर में क्या किया लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीकानेर में ए.डी.बी. का प्रोजेक्ट लगभग 211 करोड़ रुपये का हमने मंजूर किया।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार के समय में था। यह भैरोंसिंहजी की सरकार ने किया था। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपका भी नम्बर आयेगा। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, आपका नाम है। मुझे लगता है कि आप सब समझदार आदमी हैं, माननीय कल्ला साहब जैसे ही बोलते-बोलते थक जाते हैं तो आप उनको रैस्ट करा देते हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ऐसा है, गलत बोलने पर प्रीविलेज मोशन ला सकते हैं। (व्यवधान) यह व्यवधान हो रहा है यह समय जुड़ेगा नहीं।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): आपने 211 करोड़ रुपये सैंक्शन किये उनमें 170 करोड़ रुपये का खर्चा तो हमने किया है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वो तो जो सरकार बाद में आयेगी तो बाद में खर्चा करना पड़ेगा इसमें क्या बात है। (व्यवधान) मैं आऊंगा या नहीं पर आपको यहां लाने की व्यवस्था कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता रहा था कि बीकानेर और उदयपुर को नगर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

निगम नहीं बनाना वहां की जनता के साथ धोखा है और यह लोकतंत्र में चलता नहीं है। हाई-कोर्ट बैठा हुआ है। कम जनसंख्या वाले जिलों को आप नगर निगम बनाओ और ऊंची जनसंख्या वाले शहरों को छोड़ दो, यह लोकतांत्रिक कदम नहीं है, अलोकतांत्रिक कदम है। इसलिए आप अजमेर के साथ-साथ बीकानेर को, उदयपुर को भी नगर निगम बनाओ। मैं तो आपको सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इनका वास्तव में डवलपमेंट करना चाहते हैं...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट की बात और कोर्ट की बात वो करता है + + +? हाई कोर्ट बैठा है, फलां बैठा है। आप क्या कर रहे हो? आप करो न कुछ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं तो यहां पैरवी कर रहा हूं ना बीकानेर की। हां, लेकिन आपको मैं अभी बताऊंगा कि... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): बस यहीं पैरवी कर रहे हो।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय,..(व्यवधान)

**श्री सभापति**: किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, अभी आपका नम्बर आएगा, उस समय बोलें। आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा जब तक मैं सीट पर हूं, चिंता ही मत करो आप।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कितना खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ। मैंने जो बताया, आपने पूछा कि आपने बीकानेर के लिए क्या किया था तो मैंने कहा था कि मैंने 200 से अधिक करोड़ रुपये के कार्य इसमें किये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक ने अभी जो यह कथन किया है कि +++ कोर्ट के बारे में इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लोग न्याय के लिए कहीं भी जाते हैं, वह +++ नहीं होते हैं इसलिए आप मेहरबानी करके एक्सपंज करने का कष्ट करें।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): सूरसागर की प्रोब्लम तो भाजपा के राज में ही पूरी हुई है।

**श्री सभापति**: बिलकुल, हटा दो।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अदालत के बारे में मर्यादा में बात कहेंगे तो गरिमा बढ़ेगी, मेरा आपसे यही निवेदन है।

**श्री सभापति**: हां चलो, आपकी राय को मान लिया है। बैठो।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): आपने तो जीवन भर अदालत की पालना की है ना?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): अदालत की अवमानना करने का कोई सवाल ही नहीं है। यहां केवल सवाल यही है कि विधायिका इतनी मजबूत है और इसमें कल्ला साहब जैसे आदमी...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप बहुत वरिष्ट सदस्य हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): हां हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह कहना कि कोर्ट में + + + आदमी जाता है। कोर्ट अनडेमोक्रेटिक, अनपार्लियामेंट्री है इसलिए मैं आपका फिर ध्यान आकर्षित करूंगा।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय सभापति महोदय, हर समय खड़े होकर यहां स्पष्टीकरण देंगे क्या, यह न्यायोचित नहीं है यहां।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि अदालतों की अवमानना का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें + + + व्यक्ति जाता है, इसमें दो राय है क्या?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पीड़ित पक्ष जाता है, + + + पक्ष नहीं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप पीड़ित पक्ष हैं?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): राजनैतिक दृष्टि से पीड़ित हैं? यही है ना?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप बिराजो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय कल्ला साहब पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे। फिर प्रतिपक्ष के नेता रहे, बाद में प्रतिपक्ष के नेता पद से हटे। इनसे ज्यादा और कौन पीड़ित होगा? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंता करने वाले बहुत लोग बैठे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौन है?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमारी जनता।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौन है, खड़ा तो हो कोई।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं चिंता करता हूं इनकी।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): बहुत हैं, बहुत सारे तो अदृश्य हैं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, अब इनकी हालत तो यह है कि ये खरी-खरी बातें सुनना नहीं चाहते।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): केवल खरी-खरी ही क्यों सुनाते हो, खोटी भी सुनाओ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, वह सुनाऊंगा अंत में। माननीय सभापति महोदय, नगर निगमों की आबादी के आधार पर यहां घोषणा करेंगे लेकिन यह 15 अगस्त, 2008 को बीकानेर में जब जायेंगे 15 अगस्त मनाने के लिए, तब उस घोषणा का लाभ लेने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन यह प्रवृत्ति आपकी गलत है।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): तभी तो आप लाभ नहीं उठा रहे हो।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपको आपके अधिकारियों ने भी सलाह दी होगी कि बड़े शहरों को छोड़कर आप छोटे शहरों को जो नगर निगम बना रहे हो, वह ठीक नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूं कि आपने अजमेर को बनाया, अजमेर हमारी पर्यटन की नगरी है, बहुत अच्छा किया लेकिन साथ ही साथ जो बराबर की नगर परिषद हैं, उनको नगर निगम नहीं बनाना, यह आपने बहुत गलत काम किया है, खोटा काम किया है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जितनी भी यू.आई.टी. हैं, उनको आप डवलपमेंट अथोरिटीज बनायें। डवलपमेंट अथोरिटीज बनायेंगे तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके माध्यम से आप प्रकाश व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, नाली व्यवस्था, यह सारी म्युनिसिपैलिटीज से छीनकर उनको केवल सफाई का काम दो, नगर परिषद को और बाकी सारा काम उनके माध्यम से करायें क्योंकि उनके पास फण्ड्स बहुत होते हैं। यही नहीं, 30 प्रतिशत पैसा डवलपमेंट अथोरिटीज को पूरा का पूरा नगर परिषदों को,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नगर निगमों को ट्रांसफर करो तब जाकर के आपकी सफाई की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और सीवरेज का काम दुरस्त होगा, अन्यथा नहीं होगा।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

पहले स्पीकर को महाराज, घंटी नहीं लगाई जाती। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं सभापति महोदय और मेरे तो एक-एक सेन्टेंस के ऊपर व्यवधान पड़ रहा है। मैं अपने दल का समय ले लूंगा। (व्यवधान)

नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को श्वान, आवारा पशु और गायों के लिए भी काम करना पड़ता है कि उनके लिए गौशाला वगैरह बनायेंगे लेकिन उनके लिए जमीनें नहीं है। आपको पूरे राज्य में जहां-जहां नगर परिषदों के पास जमीनें नहीं हैं, इनको अलाट करें ताकि वे श्वानघर और गौशाला के लिए अन्य आवारा पशुओं के लिए कोई व्यवस्था कर सकें।

ए.डी.बी. प्रोजेक्ट राजस्थान में कच्ची बस्तियों के सुधार के लिए बना। सभापति महोदय, इस ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में छह सम्भागीय मुख्यालयों के लिए सड़कों का विकास, कच्ची बस्तियों का विकास और रेलवे पुल, रेल बाइपास और इस प्रकार के विभिन्न कार्यों के लिए पैसा रखा गया। सभापति महोदय, जिन पैसों का आबंटन जिन कामों के लिए किया गया, उसका उपयोग नहीं हो पाया। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मेरे कटमोशन के आधार पर जानना चाहूंगा कि बीकानेर में रेलवे बाइपास के लिए जमीन अधिगृहीत कर ली गई और उसके लिए 61.12 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद रेलवे का बाइपास आज तक नहीं बना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसका कसूर है ?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपका है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रेलवे मंत्रालय का, आपकी केन्द्र सरकार का है। उन्होंने एम.ओ.यू. साइन क्यों नहीं किया? उन्होंने एम.ओ.यू. साइन क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप बिराजो एक मिनट।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): कसूर तो रेलवे मंत्रालय का है ना।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप बैठो। ऐसा है माननीय सदस्य, बीकानेर में एक आर.ओ.बी. का काम चल रहा है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप अपना जवाब दो तब बोलना। आप अपना जवाब दो, तब बोल लेना।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): बीकानेर में एक ओवरब्रिज बना हुआ है बीजेपी के राज में।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ...और दो के प्रपोजल रेलवे बोर्ड को भेजे हुए हैं और वहां से तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद कर देंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं हमारे रेल मंत्रीजी से मिलकर आया हूं। उन्होंने यह कहा है कि हमने एम.ओ.यू. राजस्थान सरकार को भेज दिये हैं और एम.ओ.यू. आप साइन कर दें तो वह इनको बनाने के लिए तैयार है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सदस्य, चार मामले आर.ओ.बी. के आये हैं। इसमें एक तो चल रहा है, एक की स्वीकृति हो गई है, वह तो चलेगा। दो के लिए यह है कि तकनीकी दृष्टि से उपयोगी नहीं है और रेलवे बोर्ड को भेजे हुए हैं और वहां से रिपोर्ट आने के बाद में, स्वीकृति आने के बाद में उन पर काम होगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप इतनी उतावली क्यों कर रहे हो? जब आप रिप्लाई दें तभी आप देना, इतनी उतावली क्यों कर रहे हो?

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): हां, वह देंगे। आप कह रहे हैं ना कि बीकानेर में रेलवे बाइपास के लिए कटमोशन के माध्यम से।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, रेल बाइपास इसलिए नहीं बना रहे हैं कि राजस्थान की सरकार यह चाहती है कि पुरानी लाइन है, इसके ऊपर बाइपास बनने के बाद एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। रेल मंत्रीजी यह कहते हैं कि वह मीटरगेज और ब्रोडगेज दोनों एक साथ कांटीनेंटल ट्रेक है और उसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे और बाइपास बना देंगे, अपने आप यह अण्डरस्ट्रड है कि पुराना ट्रेक है, वह गाड़ियां नहीं चलायेंगे लेकिन उस एक शर्त को आधार मानकर आपने बीकानेर की जनता के साथ जो अन्याय किया है, बीकानेर की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी और आपने पूरा का पूरा पैसा डाइवर्ट कर दिया है और अब आप पुराने गजनेर रोड, जैसलमेर रोड के ऊपर आप एक आर.ओ.बी. बना रहे हो। यह आर.ओ.बी. तो मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

था, उस समय रानी बाजार का पुल बनाया, उस समय ही बना देता। लेकिन कोट गेट में जो... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्यों नहीं बनाया?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने बनाया है रानी बाजार में, क्यों नहीं बनाया है। आप तो पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए, बनाया है मैंने रानी बाजार में लेकिन गजनेर रोड और जैसलमेर रोड जो हैं, वह एक ही है, उसके ऊपर आप एक आर.ओ.बी. बनाकर बीकानेर की जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आपको बाइपास बनाना पड़ेगा और नहीं बनायेंगे तो निश्चि‍ित रूप से बीकानेर के लोग इस भाजपा की सरकार का और आपकी करतूतों का विरोध करेंगे।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): आप लोग पांच साल क्या कर रहे थे? आपके राज में बना लेते?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने जिंदगी में कभी भांग नहीं पी और आप बैठे-बैठे बोलते हो ना, यह भी बहुत गलत बात है। संसदीय सचिव किसने बना दिया आपको?

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव) कल्ला साहब, आपके राज में भी तो बना सकते थे आप बाइपास। आपके राज में तो बाइपास बन सकता था। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ...तो सीएम को अफसोस होगा आपको संसदीय सचिव बनाने का। जैसे महावीरजी को जसोल जाने का अफसोस है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): क्या?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इसी तरह से आपके यहां बैठने पर भी उनको अफसोस होगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): अफसोस तो राजस्थान की जनता को है? आप मुंह दिखाने लायक नहीं हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्यों नहीं हैं? (व्यवधान) मैं पांचवीं बार जीतकर आया हूं। मैं आपसे ज्यादा बार जीतकर आया हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): क्या जीतकर आये हो?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(व्यवधान) आप प्रतिपक्ष के नेता के नाते फिट नहीं रहे। आप अध्यक्ष के नाते फिट नहीं रहे और आप कह रहे हो कि मैं हूं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): किसी ने उम्र सोची है क्या? हमारे यहां दो साल में चुनाव होते हैं। मैं दो साल और पांच महीने अध्यक्ष रहा, आपको पता तो है नहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं का। दो साल में हमारा कार्यकाल पूरा हो जाता है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): तो बीच में चुनाव होते हैं क्या?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने दो साल पांच महीने का कार्यकाल पूरा किया है।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): आपकी सोनियाजी से दलबल पूरी हो गयी क्या? (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आपके चुनाव हुए क्या?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमारी पार्टी की पंचायती मत करो। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): आपके अध्यक्ष पद पर सोनियाजी ने...

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप तो डाक बंगले की पंचायती करो (व्यवधान) वहां पर मुकदमा दर्ज किया था तो फिर हाथ जोड़ते फिरे थे।

**एक माननीय सदस्य**: सोनिया गांधी से तो पूछ लेते।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, आप जाकर कुंदन लालजी शर्मा के हाथ जोड़ते फिरे। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मेरे खिलाफ? यह कोई + + + पार्टी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कोई व्यक्तिगत सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का मंच नहीं है, यह विधान सभा है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं यहां राजस्थान का जनता का पिछले 25 सालों से प्रतिनिधित्व करता हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यदि कोई एक भी माई का लाल मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बता देता है तो... (व्यवधान) यह कोई + + +

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): एक नया पैसा भी खाया हो तो मैं फांसी पर भी लटकने के लिए तैयार हूं और आप, +++ क्या बात करते हो आप। (व्यवधान) +++

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): सारी बजरी के ट्रक बिना रायल्टी के लेकर जा रहे थे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमने ईमानदारी से काम किया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): क्या ईमानदारी से काम किया है?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मेहनत से किया है। हम लोग ईमानदार रहे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): और पूछ लो, बीकानेर की जनता जानती है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपकी तरह खोटा काम नहीं किया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): बीकानेर की जनता जानती है। आपने एक भी टोल-टैक्स नहीं चुकाया ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या नहीं चुकाई?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): बजरी की जो रायल्टी है वह नहीं चुकाई।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या नहीं चुकाई?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): बजरी की रायल्टी और +++ पर्ची आज तक वहां बंट रही है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मेरी तो कोई, मैंने एक नये पैसे की रायल्टी कहीं नहीं चुकाई है तो आपकी सरकार है, आप कार्यवाही क्यों नहीं करते। क्या बात कर रहे हो।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): करते हो ना। बजरी का वह कर रहे हो न, किया है न बजरी का वह? अब यदि वह पूरा किया है तो बता दो।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं-नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, नेवर, नेवर। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया सदन का उपयोग आपसी व्यक्तिगत सूचनाओं के आदान-प्रदान करने के लिए नहीं करें, मूल विषय पर बोलें।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने आपकी तरह + + + है, ईमानदारी से काम किया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): किसने?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमने। (व्यवधान) सभापति महोदय, एडीबी प्रोजेक्ट में साठ करोड़ रुपये जो हमारे विभिन्न डिवीजनल लेवल पर मेडिकल कालेज हैं, इन डिवीजन...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके दो साल में चुनाव होते हैं तो फिर सोनियाजी दस साल से कैसे बैठी हैं?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हर साल चुनाव में जीत कर आती हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह परमानेंट हैं?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): यह कोई बात थोड़े ही हुई। सभापति महोदय, अगर हम यह कहें कि महावीर प्रसादजी जैन जो हैं, यह मंत्री के योग्य ही नहीं हैं आप, हमेशा ही क्लास मानीटर की जगह आपको निश्चित हो रखी है तो यह कोई बात थोड़े ही हुई, यह कोई बात थोड़े ही हुई। इसीलिए हो क्या आप, सारी उम्र क्लास मानीटर रहोगे। आप इसी के योग्य हो, बोलो। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): योग्यता की सज़ा पाने के बावजूद भी घनश्यामजी तिवाड़ी अलग ख्याल बना रहे हैं। (व्यवधान) यह योग्यता का इनाम नहीं है, योग्यता की तो सज़ा है जो आप भुगत रहे हो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह वह स्वीकार कर लें तो ठीक रहे ना।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): पहले आप करो। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): अच्छा, आपने तो कर रखी है क्या?

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): तिवाड़ीजी, पैरों बलती नहीं दिख रही है, डूंगर बलती दिख रही है आपको। आप पैरों बलती देखो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है।

**श्री अमराराम** (धोद): यह सही है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, जो डिवीजनल हैडक्वार्टर के ऊपर मेडिकल कालेज हैं उनसे संबंधित अस्पतालों के लिए साठ करोड़ रुपये रखे हुए थे, जो खर्च हो गया वह हो गया, लेकिन यह पैसा भी पूरे राज्य का आपने डाइवर्ट कर दिया। कच्ची बस्तियों का पैसा डाइवर्ट कर दिया। सड़कों का पैसा डाइवर्ट कर दिया। और बीकानेर शहर का तो 61.12 करोड़ रेलवे बाइपास का, 22 करोड़ के लगभग सड़कों का, 9 करोड़ पीबीएम हास्पिटल का और 2 करोड़ कच्ची बस्तियों का, इस प्रकार लगभग सौ करोड़ रुपये एडीबी प्रोजेक्ट का आपने दूसरे शहरों में ट्रांसफर कर दिया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और बीकानेर के साथ जो आपने सौतेला व्यवहार किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं। इसके अलावा आपकी एक आदत और रही, सरकार की, जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं चाहे नीमकाथाना, पाली, मेड़ता रोड...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यह इनके कटमोशन ही नहीं हैं, नीमकाथाना, मेड़ता..

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कोई बात नहीं, आप बिराजो।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यह जरूरी है, जरूरी है यह, व्यवस्था है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, आप बिराजो।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): अच्छा, चलो बैठ जाते हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहता हूं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बिना कारण इस सरकार ने अपने पदों से निलम्बित किया।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह आज का विषय ही नहीं है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): और माननीय उच्च न्यायालय ने उन नगर पालिकाओं के और नगर परिषदों के अध्यक्षों को कम से कम चौदह-पन्द्रह स्थान पर अध्यक्षों को और हमारे वार्ड पार्षदों को बहाल करके वापिस बैठाया अपने स्थानों पर।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): आपके भी आंकड़े बता दो, आपने कितने लोगों को सस्पैण्ड किया जब आप राज में थे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमारी आप बता देना।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): आप बताओ ना।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं आपकी बता रहा हूं, आप हमारी बता देना।

**श्री अमराराम** (धोद): इनको नहीं किया आपने। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): अब सरकार कहती है कि हमने हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। स्टेट ग्रांट एक्ट में पूरे राजस्थान में कितने लोगों को पट्टे बांटे, हमारी सरकार ने कम से कम एक लाख से ऊपर स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे दिये होंगे।

**एक माननीय सदस्य**: जोधपुर में फर्जीवाड़ा हुआ था।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कच्ची बस्तियों का नियमन किया लेकिन आपने पूरे राज्य में पिछले सवा चार सालों में एक भी पट्टा स्टेट ग्रांट एक्ट का दिया हो तो बता दीजिये आप। चुनाव को देखते हुए कटारिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपने कच्ची बस्तियों के नियमन करने का काम किया है, मैं समझता हूं वह भी हमारे वक्त में जो कच्ची बस्तियों का नियमन हुआ है उससे आपने एक चौथाई लोगों का भी नियमन किया हो तो मैं मान जाऊंगा कि आपने कोई काम किया है। लेकिन काम आप करो नहीं, केवल मात्र यहां पर एक काम जरूर हुआ है, 90 बी, जिसके लिए राज्य सरकार ने, अभी मुख्य मंत्रीजी ने दो साल में जो 90 बी की कार्यवाही हुई है, जो-जो हुई है उनकी फाइलें मंगवाई हैं। आवासन मण्डल ने जो दो साल में काम किये हैं और जो निर्णय लिये हैं उनकी फाइलें समीक्षा के लिए मंगाई हैं। मैं तब इसको उचित मानूंगा जब उनकी समीक्षा का विवरण सदन की मेज पर रखा जाये। नहीं तो, माननीय सभापति महोदय, आज बच्चे-बच्चे की जबान पर है, इनके कार्यकर्ता भी यह कहते हैं कि 90 बी की कार्यवाही में भ्रष्टाचार का ओपन विण्डो है, +++ और मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाये, आज +++

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, बिना किसी आधार पर, बिना किसी तथ्य पर यों +++ आरोप पर आरोप लगाये जा रहे हैं। 90 बी के अंदर यह हो रहा है, वह हो रहा है, इससे थोड़े ही है, यह सदन है, कोई गम्भीरता से कोई बात रखें, हम सोचें भी, उस पर बात करें।

**श्री सभापति**: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, सदन में केवल मात्र तथ्यात्मक जानकारी रखें, तथ्यों के अलावा कोई बात आप +++ रखेंगे तो उसको डिलीट कर दिया जायेगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): डिलीट करिये आप।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, +++ और यह फैसले यहां नहीं होते, +++ (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, चर्चाओं के आधार पर विधान सभा में बात नहीं की जा सकती, यह अध्यक्षीय व्यवस्था है कई बार की। (व्यवधान) यहां चर्चाओं के आधार पर कोई बात नहीं कही जा सकती। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): +++ कौन करता है आपकी पार्टी में। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह हाइपोथिटिकल बात कह रहे हैं, यह काल्पनिक बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यदि माननीय सदस्य के पास कोई है यहां पर तो उसको टेबल करें।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आप बम्बई गये थे क्या, जाकर आये बम्बई कभी। (व्यवधान) वहां के +++ है यह। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि तथ्यात्मक देवें, राजस्थान की मुख्य मंत्री की उपस्थिति में राजस्थान के सांसदों की मीटिंग में कैलाशजी मेघवाल ने जो कहा...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप थे क्या वहां, आप थे क्या वहां? (व्यवधान) आप थे क्या वहां? (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): इनका नंदीग्राम तो याद करो।

**श्री अमराराम** (धोद): +++ (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप थे क्या वहां? (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): यह कहा है कि +++ यह मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में हुआ है इससे ज्यादा आरोप और क्या होगा। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आपको इसकी कोई जानकारी है नहीं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग बुलाई राजस्थान के सांसदों की और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: धोद से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) धोद से आने वाले माननीय सदस्य..(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): नंदीग्राम में क्या हुआ, नंदीग्राम को याद करो। (व्यवधान) आप तो नंदीग्राम को याद करो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कोई भी सदस्य आसन की आज्ञा के बिना बोलेगा नहीं। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): एक ही ग्राम में उन किसानों को मार दिया वहां पर, गरीब किसान की जमीन आपने जो यह घड़ियाली आंसू बहाकर यह कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरह...(व्यवधान) नंदीग्राम में वह काम कर इतना बड़ा काम कर दिया, उसको याद करिये। (व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापतिजी, पहले वक्ता का मतलब यह नहीं है कि डेढ़ घंटा बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक बार सभी माननीय सदस्य बैठें। (व्यवधान) एक बार सभी माननीय सदस्य बैठें।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक बार सभी माननीय सदस्य बैठें, मेरा आप सबसे आग्रह है। (व्यवधान) देखिये, मैं तो इस सदन में बिलकुल नया सदस्य हूं...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पर आप आसन पर बिराजे हो, आप विद्वान हो, आप आसन पर बिराजे हो।

**श्री सभापति**: मेरे मन में अत्यन्त पीड़ा हो रही है कि हम दो सौ विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम इस प्रकार के झूंठे आरोप एक-दूसरे पर लगाकर हम क्या हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, आप सब की अपनी इज्जत है, आप सब की अपनी गुडविल है, आप सब की अपनी मान्यताएं हैं, आप सब के अपने सिद्धांत हैं, आप सब की अपनी विचारधाराएं हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का आरोप नहीं लगायें जिससे आपके एक-दूसरे के मन में कटुता हो, पीड़ा हो, वाद- विवाद हो, समय की बर्बादी हो। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, केवल सदन में तथ्यात्मक जानकारी दें। जो सदस्य आसन की राय को नहीं मानेगा उसको मैं एक सैकण्ड भी बोलने का समय नहीं दूंगा। तय कर लें आप

(श्री सभापति)

लोग। बिलकुल तथ्यात्मक जानकारी सदन में रखें आप। माननीय सदस्य। (व्यवधान) बिना अनुमति के कोई भी माननीय सदस्य खड़ा नहीं होगा।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कैलाशजी मेघवाल का नाम लेकर के इन्होंने कुछ कहा और उन्होंने गलत आरोप लगाये हैं। मैं कहता हूं कार्यवाही से बाहर निकाला जाय।) व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, मंत्री कह रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में..(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अख़बार की कोई भी सूचना अधिकृत नहीं होती है। (व्यवधान) अख़बार की कोई भी सूचना अधिकृत नहीं होती है, यह मेरा आपसे आग्रह है।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): अख़बार के माध्यम से कोई बात, यह वहां पर मीटिंग में थे, क्या हुआ?

**श्री अमराराम** (धोद): मैं अख़बार की बात नहीं कह रहा, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में सांसदों की मीटिंग बुलाई, उसमें कहा।

**श्री सभापति**: नहीं, अख़बार की कोई भी सूचना, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): अख़बार की बात को लेकर आप कहने लग रहे हो, आपने तो ऐसा काम कर दिया, पूरा देश देख रहा है जिस काम को, जिनकी दुहाई देते थे उन मजदूरों को और उनके बच्चों और किसान की जमीन लेकर उन पैसे वालों को दे दी, आप तो कुछ कहने लायक हो ही नहीं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, मैं कोई अखबारों के माध्यम की बात नहीं कह रहा हूं, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जो राज्य के सांसदों की मीटिंग बुलाई... (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): और कहां अंदर बैठे थे आप? नहीं, आप मीटिंग के अंदर थे क्या? आप उस मीटिंग के अंदर थे क्या?

**श्री अमराराम** (धोद): उसमें जो चर्चा हुई है, वह बात कह रहा हूं।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आप उस मीटिंग में अंदर थे क्या, आप थे मीटिंग में अंदर बैठे? आप उस मीटिंग में थे क्या अंदर?

**श्री अमराराम** (धोद): अब क्या है, मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट कर दें, क्या कहा उन्होंने। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आप अंदर बैठे थे मीटिंग में?

**श्री सभापति**: चलो आपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर लिया है अपने स्थान पर बैठें। सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): अमरारामजी की कार्यवाही को ... (व्यवधान) काटा जाए ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: बिना तथ्यों के आधार पर जो भी जानकारी दी जाएगी, उसको बिलकुल डिलीट कर दें आप।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सभापति महोदय, झूठ शब्द असंसदीय है, यहां संसदीय मंत्रीजी ने उपयोग किया, आपके लफ़्ज़ों से भी हुआ झूठ शब्द ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: जिस शब्द से आपको पीड़ा हुई उसको भी डिलीट कर देंगे।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): असत्य, झूठ की जगह असत्य बोला जाये। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जो आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, यह प्रमुख कारण है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को विभाग बदलना पड़ा बीमारी के कारण, इस भ्रष्टाचार के कारण और दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी गई, नहीं तो विभाग क्यों बदला? (व्यवधान) यह विभाग बदला ही इसलिए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह तो चार साल से ...(व्यवधान) के माध्यम से होता है कोई नई बात नहीं है ...(व्यवधान) यह तो मुख्य मंत्रीजी का विशेषाधिकार होता है। (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, यह ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आरोपों के कारण जेडीए को बदला। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: पिछले साठ साल के सारे मंत्रिमण्डल देख लो, परिवर्तन होते रहते हैं। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है

(श्री हरिमोहन शर्मा)

और इसी कारण मुख्य मंत्रीजी को विभाग बदलना पड़ा और दूसरे आदमी को देना पड़ा ...(व्यवधान) अगर आपका अच्छा विभाग चल रहा था। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) कांग्रेस के राज में मंत्रियों के कितनी बार विभाग बदले? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): तीन बार ...(व्यवधान) सदस्यों के विभाग बदले थे, क्या इन्होंने भ्रष्टाचार किया था? सीपी जोशीजी का विभाग बदला, शांतिलाल धारीवालजी का विभाग बदला। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ...(व्यवधान) आपके प्रदेशाध्यक्ष बदले गए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान).... +++ इसलिए इनके विभाग बदले थे, आपके राज में कितनी बार पांच साल में विभाग बदले? उस वक्त भ्रष्टाचार तो ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: बैठिए आप लोग।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान).... +++ इनके, इसलिए बदलते गए इनके, +++ था ...(व्यवधान) कौन सा विभाग था ...(व्यवधान).... खुद के अंदर तो झांक लो पहले। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): संसदीय सचिव जिनको क्या शब्द काम में लेना चाहिए, वह नहीं जान रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) यह मुख्य मंत्रीजी का अधिकार क्षेत्र है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप बिलकुल भी अंकित नहीं करें। मैं बार-बार कह चुका हूं, मेरी अनुमति के बिना एक भी शब्द अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर):×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री सभापति**: आप सब बोले, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना):×××

**श्री सभापति**: सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी विशेषताओं का बखान नहीं करें।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा):×××

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना):×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा):×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा):×××

**श्री सभापति**: हां, बोलो सारे बोलो, आज शाम तक यही काम करो सब लोग।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा):×××

**श्री सभापति**: मूल विषय पर बोलना नहीं है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ो, एक दूसरे पर आरोप लगाओ। एक दूसरे की बेइज्जती करो, एक दूसरे का अपमान करो, अपन ने यही सीखा है चार साल में सदन में।

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर):×××

**श्री सभापति**: बोले सब लोग बोलें।

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर):×××

**श्री सभापति**: एक मिनट सभी माननीय सदस्य बैठें। एक मिनट सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री सभापति**: सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर):×××

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी):×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्यात्मक बातें इस रूप में रख रहा हूं। गोचर भूमि, जयपुर शहर के आसपास की गोचर भूमि ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: बस बहुत हो गया, अब आप सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): रोहिणी नगर योजना बनाई, यह रोहिणी नगर योजना गोचर भूमि पर क्यों बनाई गई? एक तरफ तो बीजेपी कहती है देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है और गोचर भूमि के ऊपर, चरागाह भूमि पर आवासीय कालोनी बसाना मैं समझता हूं कि बहुत गलत है और यदि आपने किसी मजबूरी में बसायी है तो उतनी की उतनी जमीन गोचर भूमि और चरागाह के लिए आपको छोड़नी चाहिए नहीं तो इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। यह सिर्फ गोचर भूमियों पर, चरागाह भूमियों के ऊपर कालोनियां काटकर और जिस तरीके से गाय की दुराशीष ले रही है यह उचित नहीं है। इसके अलावा मैं सभापति महोदय स्पोर्टस सिटी का मामला, इस स्पोर्टस सिटी के मामले में कितनी बार अदला-बदली हुई? इस पूरी स्पोटर्स सिटी की पत्रावली की जांच विधान सभा की कमेटी से करवाई जाए। समझौता समिति के जितने भी मामले हैं, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि वह आज फाइलें कहां है? कितने लंबे अरसे से पेंडिंग हैं? आप अपनी रिप्लाई में दें तथा खुलासा करें कि समझौता समिति ने जो फ़ैसले लिए उन समितियों के निर्णयों की फाइलें एक स्थान पर क्यों रुकी हुई हैं और उनके फ़ैसले क्यों नहीं हो रहे है और इसके साथ-साथ मैं पुन: आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है लेकिन मेरा आरोप सरकार के ऊपर हैं कि सरकार 90 बी के मामले में पिछले चार वर्षों में और मैं तो कहता हूं इससे भी पहले के आप लेना चाहे तो ले लो जो-जो 90 बी की कार्यवाहियां हुई हैं, क्या आप सीबीआई से उसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो-जो समझौता समिति के माध्यम से इन्होंने कार्यवाही की है उसकी भी जांच करवाएं। समझौता समिति, जिसकी पैरवी यहां कर रहे हैं, उस समझौता समिति की आड़ में राजस्थान की अवाम को जिस तरह से लूटा गया है, उसे सारा राजस्थान जानता है। माननीय सदस्य खुद पैरवी कर रहे हैं उन निर्णयों को लागू करवाना चाहते हैं, आप लोग मिलीभगत करके जो कुछ किया, आपके सामने है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): समझौता समिति ने जो निर्णय लिए हैं, आप उसकी भी जांच करवा लो लेकिन यह जांच करवाकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाओ नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी। राजस्थान में आज जयपुर में कोई आदमी फ्लैट खरीदने भी जाता है तो पचास लाख से 90 लाख ...(व्यवधान) नहीं मिलता... (व्यवधान)....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, समझौता समिति के माध्यम से ऐसी ज़मीनें जिन ज़मीनों के बारे में उच्च न्यायालय ने टाइटल जेडीए को तय किया, नगर निगम को तय किया, समझौता समिति गठित करके पिछले दरवाजे से धन्नासेठ को देने के लिए अगर किसी ने गुनाह किया है तो आपकी अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने किया है। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ऐसा है, सभापति महोदय, आप 90 बी, समझौता समिति, इनकी सबकी जांच सीबीआई से करा ले हम तैयार हैं लेकिन केवल मात्र जोर से बोलने से आपका +++ दब नहीं सकता, +++ अपनी दुर्गंध देता है और यह +++ आज सारे राजस्थान के लोग जानते है। यह न केवल जयपुर में, जोधपुर में पहुंच गया, कोटा में पहुंच गया, उदयपुर में पहुंच गया, अन्य स्थानों के ऊपर भी पहुंच गया और 90 बी की कार्यवाही का भ्रष्टाचार जो ऑफिस गैलेरी में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उसको रोको ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आप गैलरी को संबोधन नहीं कर सकते? उनको संबोधन नहीं कर सकते, आफिस गैलरी में बैठे हुए को संबोधन नहीं कर सकते हैं?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, अपने यहां नियम बने हुए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य गैलरी को संबोधित करके नहीं बोल सकता, कोई भी माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने सदन के सुप्रीम को संबोधित करते हुए अपना सुझाव दिया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): जो कटौती प्रस्ताव है, उसमें भी यह है ''उस नीति का ब्यौरा सूचक से दर्शाएगा जिस पर वह चर्चा करना चाहता है, चर्चा सूचना में उल्लेखित विषय की बातों तक ही सीमित रहेगी'' अब माननीय बुलाकीदास कल्लाजी ने ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपने जो विषय उठाया है वह विषय मैं बोल ही नहीं रहा हूं । मैं तो यह कह रहा हूं कि राजस्थान के अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होना चाहिये, यह कहने में मुझे कौन रोकता है ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके जो कटौती प्रस्ताव हैं उनको आप देखिए इसमें कोई भी कटौती प्रस्ताव श्रीमान कल्लाजी का नहीं है जो बातें यह कर रहे हैं ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह सदन संविधान, परम्परा और प्रक्रिया के नियमों से चलता है ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यह परम्परा भी है और प्रक्रिया भी है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यहां विपक्ष के नेता भैरोंसिंहजी शेखावत ने कभी कट मोशन नहीं दिया और राजस्थान के हर विषय पर वह बोले हैं ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): वह एप्रोपिएशन बिल पर बोले हैं ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): .... (व्यवधान) सूचना लगा कर बोले हैं । (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप भ्रष्टाचार को सहयोग मत दीजिए।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): .... (व्यवधान) ढाई सौ रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है आपने 25-50 रुपये भी बढाये हैं क्या .. (व्यवधान) 50 रुपये ही नहीं बढ़ाये आपने ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न रखा है उस पर आप व्यवस्था दीजिए जिससे अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में आपका भी नाम आयेगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 90 बी के जितने भी मामले हैं ....(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यह जो कटौती प्रस्तावों की लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, इस सरकार का विधान सभा का अधिकृत कागज है इसके बियोन्ड कोई नहीं बोले जो कटौती प्रस्ताव है, उस पर ही अपनी राय रखें ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो बिन्दु मैंने उठाये हैं उसकी जांच सीबीआई से कराई जाये और सदन के पटल पर उसकी रिपोर्ट रखी जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

सभापति महोदय, रंगमंच के मामले में मैं कहना चाहूंगा, बीकानेर में जब से रंगमंच का काम शुरू हुआ कई कमेटियां बैठ गई, कई कमेटियों ने अपनी-अपनी रिकमंडेशन दे दी और जो लगभग 2 करोड रुपये का प्रोजेक्ट था, आज उसमें कम से कम साढे 6 करोड रुपयों की और जरूरत बताई जा रही है, उसके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। केन्द्र सरकार से सहायता लेकर और डीएडीपी के प्रोजेक्ट में जो कुछ राशि मिलती है मैं कम से कम दो करोड़ रुपये उसमें देने के लिये तैयार हूं वह रंग मंच का प्रोजेक्ट आप आगे बढ़ाइए ताकि बीकानेर में इस रंगमंच की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके ।

सभापति महोदय, अंत में, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं कि नगर परिषद, नगर निकाय, नगर निगम इन सब में सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, नाली और सड़क निर्माण के लिये जब तक इनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करेंगे यह अपने काम को पूरा नहीं कर पायेंगे । इसलिए इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये हाउस की एक कमेटी बनायें और उस कमेटी के माध्यम से तीन महीने में उनकी अभिशंषाओं के आधार पर आर्थिक अभिशंषा जो है उसको राज्य सरकार अक्षरशः: लागू करें तब जाकर शहरों की सफाई होगी नहीं तो शहर गंदे और उजड़े हुए पड़े रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सरकार ने यह जो मांग प्रस्तुत की है, उसका विरोध करता हूं ।

**श्री सभापति**: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अगर कोई माननीय सदस्य अपने दिये प्रस्तावों से अलग बोलेगा तो उसका अंकित नहीं किया जायेगा । माननीय सदस्य श्री मोहनलाल गुप्ता ।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, नगरीय विकास के संबंध में बजट प्रस्तावों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और नगरीय विकास को जो नई ऊचाइयां हमारी सरकार ने दी हैं, वसुंधरा जी की सरकार ने दी हैं उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी के नगर कैसे बने, किस प्रकार से व्यवस्थाएं हो यह एक नई सोच, नई दिशा और नई दृष्टि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दी है । यदि कोई आज जयपुर शहर को आकर देखे तो आज जयपुर शहर की जो काया कल्प हुई है, जोधपुर, कोटा, अजमेर और विभिन्न शहरों की जो आज कायाकल्प हुई है उसको आकर देखें तो भूल जायेगा कि राजस्थान पहले ऐसा भी था क्या, कोई ऐसे शहर भी थे क्या । एसएएफआरडी के माध्यम से हमने एक नया एजेंडा देने का प्रयास किया, स्टेट एजेंडा फोर राजस्थान डवलपमेंट के माध्यम से विभिन्न शहरों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जायेंगी । सभापति महोदय, जाग, जयपुर एक्शन एजेंडा ग्रुप के माध्यम से हमने जयपुर में विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं और वह इस प्रकार स्थापित किये हैं कि कोई नया कर हमने नहीं लगाया । करोडों अरबों रुपये की राशि खर्च की है और विकास के लिये हमने कोई नया कर नहीं लगाया । हमने चुनाव में घोषणा की थी कि हम हाउस टैक्स को खतम करेंगे और इस बात के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता पर से हाउस टैक्स को खतम कर दिया। यह

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

भारतीय जनता पार्टी की सबसे बडी उपलब्धि है और बहुत बड़ी उपलब्धि इस बात की है कि नगरीय विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो-जो वादे किये थे उनको हमने पूरे किये हैं ।

सभापति महोदय, आपको याद होगा शहरों में पहले चुंगी लगा करती थी । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चुंगी को खतम किया । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाउस टैक्स को खतम किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरों में लगने वाले लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स को खतम किया । सभापति महोदय, हमने नगरीय विकास को एक नई ऊंचाई देने की दृष्टि से, उनकी आय को बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कर जो कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकायों से वापस ले लिये थे, उनको वापस दिलाने की घोषणा भी की है।

सभापति महोदय, मनोरंजन कर कांग्रेस सरकार की ओर से वापस ले लिया गया था । नगर पालिकाओं को आज वह मनोरंजन कर भी मिल रहा है। सभापति महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हमने म्युनिसिपैलेटी की आय को बढाने के लिये कोई काम नहीं किया, उनकी कटौती की । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके समय में तो म्युनिसिपैलिटी को तनख्वाह ही देखने को नहीं मिल रही थी, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, टीए डीए के बिल नहीं मिलते थे । आपने तो चुंगी के पुनर्भरण की राशि पर स्थगन दे दिया था । हमने यह कहा था 10 परसेंट प्रतिवर्ष देंगे लेकिन आपने वह 10 पर्सेंट प्रतिवर्ष भी खतम कर दिया । आपने चुंगी के पुनर्भरण का अनुदान 1998-99 में 19433 लाख दिया, 1999 में 32 हजार लाख दिया, 2001 में 35 हजार लाख किया, 2001-02 में 378 लाख और 2002 में 38888 लाख रुपया, यह आपकी सरकार के कार्यकाल का है । हमने प्रथम वर्ष से ही 2002-03 में ही 40833 लाख रुपया दिया । 2004-05 में 44916 लाख दिया और 2007 में 44496 लाख रुपया चुंगी के पुनर्भरण के पेटे राजस्थान की 143 म्युनिसिपैलिटी को दिया । इसके साथ ही 2008 में 60 हजार लाख रुपया देने का हमने प्रावधान किया है । शहरों के पुनरुद्धार के लिये आपने कुछ नहीं दिया, आपके जीरो-जीरो थे । हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 285 लाख, 2009 लाख, 700 लाख और 1499 लाख रुपये देने की घोषणाएं की हैं। यह हमारी आर्थिक सोच का परिणाम है। यह हमारी मुख्य मंत्रीजी के विजन का परिणाम है और मैं

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

कहना चाहूंगा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय राज्य वित्त आयोग के माध्यम से हम राजस्थान की म्युनिसिपैलिटी को पैसा देते हैं । आपने कितना दिया यह आंकड़े मेरे पास हैं और हमने कितना दिया, वह भी आप सुन लीजिए । आपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय राज्य वित्त आयोग में पहले वर्ष 1750 लाख, दूसरे वर्ष में 1547 लाख ही दिया, तीसरे वर्ष में 2389 लाख दिया, चौथे वर्ष में 2760 लाख दिया और पांचवें वर्ष में 2760 लाख दिया । हमने पहले वर्ष में 2760, दूसरे वर्ष में 4601 लाख, तीसरे वर्ष में 5375 लाख और चौथे वर्ष में 6030 लाख रुपया राजस्थान स्टेट के बजट में से दिया । बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस प्रकार से उन्होंने चित्रण किया, यह चित्रण ठीक नहीं है । आप पढ़ कर आते नहीं हो, आपकी सीनियरटी के आधार पर हम आपकी इज्जत करते हैं । अगर आप पढ़ कर आते और आंकड़ों के आधार पर चित्रण करते तो शायद यह आंकड़े आप प्रस्तुत नहीं करते ।

आपने एक और आंकड़ा दिया, एक लाख पट्टे दिये आपने। मैं चैलेंज करता हूं इस हाउस के सामने कि आपने एक लाख पट्टे नहीं दिये। मैं चैलेंज करता हूं। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत। आप यह +++ आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो। इस प्रकार +++ आंकड़े देकर के आप...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर, आसन से बार-बार व्यवस्था दी हुई है कि +++ शब्द असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बिलकुल।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह मेरे को कह रहे हैं पढ़ लिखकर आये, यह तो ट्रेनिंग लेकर आए हैं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह गलत आंकड़े हैं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप देख लीजिए +++ शब्द असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): असत्य आंकड़े दिये हैं आपने। असत्य आंकड़े दिये हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): असत्य बोलिए।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): असत्य बोल दिया अब आप

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

स्वीकार करते हो मेरा चैलेंज। एक लाख पट्टे नहीं दिये आपने, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत, बोलिए आप स्वीकार करते हो। यह +++ आंकड़े देकर...(व्यवधान) जिस प्रकार से आप, असत्य आंकड़े...

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह विधान सभा है, राजस्थान का सर्वोच्च सदन है इसमें +++ शब्द को निकाला जाता है। बार-बार आपके द्वारा व्यवस्था दी गई।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य अब के ध्यान रखें आप।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): असत्य आंकड़े देकर...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: वैसे तो जयपुर में 1100 कालोनियां अनुमोदित हैं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से विजन इन म्युनिसिपैलिटी को दिया है, उसका कोई सानी नहीं है और जो आंकड़े मैंने दिये, म्युनिसिपैलिटी की आय बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफी पैसा दिया है। सफाई के लिए, बिजली के लिए और विभिन्न प्रकार के मदों में खर्च करने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि एक विशेष योजना हमारी मुख्य मंत्रीजी ने चालू की वह है अक्षय पात्र योजना। गरीब लोगों को पांच रुपये में खाना मिलना, यह कोई बहुत छोटी बात नहीं है। गरीब, रिक्शे वाले, तांगे वाले, अस्पताल में मिलने वाले, सभी प्रकार के शहर में काम करने आने वाले लोगों के लिए गरमा गर्म खाना दाल, बाटी, चावल, पुरी, सब्जी और वह भी गरमा गर्म। इस प्रकार से...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी है कि जो कटमोशन है उस पर ही बोलेंगे। इनके कटमोशन 128,129 और 130 को आप पढ़ ले...(व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह भी कटमोशन पर ही बोलेंगे क्या... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप स्वंय ही निर्णय कर दें, यह क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं अक्षय कलेवा पर बोल रहा हूं जो नगरीय विकास से संबंधित है। हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है... (व्यवधान) दस हजार लोगों को प्रतिदिन हम पांच रुपये में खाना खिला रहे हैं और वह भी गरमा गरम, वह इनको चुभ रहा है। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): कटमोशन में नहीं है (व्यवधान) मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अगर इनके लिए व्यवस्था बदलती है तो फिर सब के लिए बदलेगी। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आप बोल रहे हो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना, आपके जो वक्ता बोलेंगे, उनका जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं तो माननीय सभापति महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसके हिसाब से कह रहा हूं। इनको छूट है तो फिर सबको छूट है।

**श्री सभापति**: पूरा ध्यान कटमोशन पर रखें। (व्यवधान) नगरीय विकास पर चर्चा हो रही है, शहरों पर चर्चा हो रही है, शहरों का विषय भी आप रख सकते हैं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, हमने हाउस टैक्स खतम किया, हमने लैण्ड एंड बिल्डिंग टैक्स खतम किया, हमने चुंगी खतम की। शहरों के विकास को एक नया आयाम दिया और इस प्रकार से यह नया आयाम देकर आज शहर जिस प्रकार से नये और विकसित होते जा रहे हैं, उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने एक शहर और बनाया, ग्लोबल सिटी बना रहे हैं शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड के समीप, नेशनल हाइवे नम्बर आठ पर, जो दिल्ली से 107 किलोमीटर दूरी पर लगभग 40 हजार एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जिसकी आबादी करीब दस लाख होगी। ग्लोबल सिटी में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर आने वाले समय की अधिक गतिविधियों का केन्द्र होगा। इस शहर में हैल्थ, टयूरिज्म, बायोटैक्नोलोजी, सूचना प्रौद्योगिकी, एंटरटेनमेंट, हाइकोर्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जैसी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार किया जाएगा। ग्लोबल सिटी जिस प्रकार से तैयार की जा रही है, मैं समझता हूं बहुत बड़ा हब, इकोनोमिक हब हमारे राजस्थान का होगा क्योंकि दिल्ली और गुडगांव के नजदीक हो रहा है। दिल्ली की आबादी वापिस राजस्थान की ओर आ रही है, गुडगांव की ओर आ रही है और ग्लोबल सिटी को बनाने का हमारी मुख्य मंत्रीजी का सपना निश्चित रूप से पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से एक ग्लोबल सिटी, अन्तरराष्ट्रीय सिटी की कल्पना हमारे यहां की और उसको मूर्त रूप देने का प्रयास भी कर रहे हैं। मूर्त रूप चालू हो गया है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से नगरीय विकास में हमने नये आयाम स्थापित किये हैं उसी हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि नगरीय विकास का काम केवल 90 बी का नहीं है। नगरीय विकास का काम केवल मात्र जमीनों के आबंटन का ही नहीं है, अलाटमेंट का ही नहीं है। नगरीय विकास, उसका एक नया आयाम भी है, वह हर घर- घर से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर महिला से, हर पुरूष से, युवा से जुड़ा हुआ है। नगरीय विकास की दृष्टि से मैं कुछ सुझाव भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को देना चाहूंगा कि हर घर, हर सड़क, हर व्यक्ति, उसको हम नगरीय विकास की क्या-क्या सुविधा दे सकते हैं इस बात का निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। केवल 90 बी और केवल जमीनों के आबंटन का मामला उठाकर सदन को गुमराह करने का प्रयास हमारे विपक्ष के सदस्य करना चाहते हैं उसके बारे में हमें गुमराह नहीं होना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कल्लाजी ने सफाई की बहुत इम्पोरटेंट बात उठाई है। मैं कह रहा हूं सफाई जो आज हो रही है उसके बारे में नये आधुनिक तंत्रों का यंत्रों का हमें निश्चित रूप से उपयोग लेना चाहिए। राजस्थान में जयपुर में और अन्य शहरों में ले रहे हैं लेकिन 183 म्युनिसिपैलिटी सी ग्रेड, बी ग्रेड म्युनिसिपैलिटी में भी सफाई के आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाए, कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण प्रोवाइड किये जाए और कचरा निस्तारण का जो काम है वह भी आधुनिक ढंग से हो, इस बारे में निश्चित रूप से प्रयास किये जाने चाहिए।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने कर्मचारियों की भर्ती नहीं की। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने सफाई कर्मचारियों की भर्ती इसलिए नहीं की कि भारत सरकार ने अपने नोर्म्स में उन सफाई कर्मचारियों की संख्या को आधा कर दिया, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। पिछली बार भी क्वेश्चन उठा था, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। पहले प्रति हजार जनसंख्या पर चार सफाई कर्मचारी का प्रावधान था लेकिन भारत सरकार ने उस प्रावधान को चेंज कर दिया और वह प्रति हजार पर दो सफाई कर्मचारियों का नोर्म्स कर दिया, इस कारण से हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से नोर्म्स में रिलेक्सेशन करवा दें तो राजस्थान सरकार भी जैसे शिक्षकों की भर्ती की, अन्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की है, उसी प्रकार से राजस्थान में हरिजन कर्मचारियों की भर्ती निश्चित रूप से करेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। माननीय सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, सफाई यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एनजीओज के माध्यम से सफाई करवाये। सफाई कर्मचारियों की स्थिति को ठीक करें। कचरा निस्तारण को ठीक करें। कचरे से खाद बनायें, कचरे से बिजली बनायें, राजस्थान के कचरे को उपयोगी कामों में ले, इस प्रकार की व्यवस्था माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को करनी चाहिए।

सार्वजनिक प्रकाश आज जयपुर शहर में जलती है, रात को 12 बजे बाद में यदि आधे खम्भे कर दिये जाएं, एक खम्भे के बाद दूसरा खम्भा जले तो निश्चित रूप से बिजली कम हो जाएगी, बिजली की छीजत कम होगी और बिजली का बिल भी कम होगा। नगरीय क्षेत्रों में दिन में लाइटें जलती हैं। मैं समझता हूं कि दिन में लाइट और उसके लिए भी किसी प्रकार के आधुनिक यंत्रों की और सूरज की रोशनी से जलने वाले स्वीचेज का उपयोग यदि हम करें तो सूरज की रोशनी में जलने वाले स्वीचेज हैं उनके माध्यम से दिन में लाइटें नहीं जलेंगी, रात में लाइटें कम जलेगी और बिजली का खर्चा भी म्युनिसिपैलिटी में कम आयेगा, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था आप करें तो ठीक रहेगा। ज्यादा लाइट होना, यह भी शहर के लिए खतरनाक काम है इसलिए सोलर एनर्जी का और अन्य प्रकार की एनर्जी का निश्चित रूप से उपयोग करें।

हमने विभिन्न प्रकार के पार्क डवलप किये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि अमानीशाह नाले पर पूरा एक पार्क डवलप किया जाएगा, हरियाली डवलप की जाएगी। हमारे जेडीए ने स्मृति वन डवलप किया है, पिकाक पार्क डवलप किया है। नगर निगम ने विभिन्न प्रकार के जयपुर शहर में पार्क डवलप किये हैं और म्युनिसिपैलिटी ने भी बहुत सारे पार्क डवलप किये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि उन पार्कों में आवश्यक सुविधाएं भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। उन पार्कों में आवश्यक सुविधाओं के लिए टायलेट्स निश्चित रूप से उन पार्कों में और उनके आसपास होने

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

चाहिए, उनकी सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मैं कई पार्कों में सुबह-सुबह घूमने के लिए जाता हूं। मैंने अपने क्षेत्र के सारे पार्कों में घूमने की एक योजना बनाई थी उसके दौरान मुझे ध्यान आया कि वहां पर यदि टायलेट्स हो, महिलाओं के लिए, पुरूषों के लिए और उनकी नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छा काम हो सकेगा। उन पार्कों में यदि एक डे केयर सेंटर बनाने का एक छोटा-सा स्थान भी हो तो वहां बूढे लोग, वृद्ध लोग आकर वहां अख़बार आदि पढ़ सकते हैं, वहां ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से पार्क भी डे केयर सेंटर के रूप में काम आ सकते हैं। जो आक्सीजन का केन्द्र है उसके साथ-साथ डे केयर सेंटर के रूप में भी वह काम आ सकते हैं। सभापति महोदय, सिवरेज की योजना, निश्चित रूप से हर घर सीवरेज से जुड़ना चाहिए। और हर घर का जो रसोई का पानी है और बाथरूम का पानी है वह सीवरेज में निश्चित रूप से जाना चाहिए। इसके लिये जयपुर नगर निगम ने एक योजना बनाई थी। लेकिन वह योजना किन्हीं तकनीकी कारणों से फैल हो गई। मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में जितने भी घर हैं उन सब घरों का पानी सीवरेज से जुड़े। वह पानी बाहर नहीं आये क्योंकि वह पानी गंदगी करता है। वही पानी नालियों में आता है। केवल मात्र बरसात का पानी ही नालियों में जाए और घर का पानी सीवरेज में जाए, इस प्रकार की आधुनिक व्यवस्था, इस प्रकार की टैक्निकल व्यवस्था राजस्थान के सभी शहरों में करने के लिये निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, टाउन प्लानिंग, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके माध्यम से नगर का विकास हो सकता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा रोड़ा भी है। हमारे टाउन प्लानर्स शहरों के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। वह प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखते हैं और अमरीका और यूरोप के ज्ञान के आधार पर भारतवर्ष में शहरों का विकास करना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पूर्व सुभाष नगर शापिंग सेण्टर में, जहां मैं रहता हूं, वहां इस प्रकार की योजना बना दी कि वहां पर केवल फुटपाथ ही फुटपाथ रहेंगे, कोई सड़क नहीं होगी। और सब लोग अपनी कारें जैसे अमरीका में खड़ी करते हैं, उस प्रकार से अन्दर आएंगे। रेजीडेंशियल काम्पलेक्स, कामर्शियल

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

काम्पलेक्स और उसमें सब दूर तक, वहां जैसे कोई अमरीका में खड़ी करते हैं उसी प्रकार की योजना टाउन प्लानर्स ने बना दी। लोग गये और उस योजना को चेंज कराया। इसी प्रकार से शेख चिल्ली टाइप योजनाएं, हमारे टाउन प्लानर्स बनाते हैं। कभी क्या, कभी एफ.ए.आर.-2, कभी एफ.ए.आर.-3, कभी एफ.ए.आर.-डेढ, कभी कहां, कभी कहां। इस प्रकार से पूरे शहर का नियोजित विकास हो और भारतवर्ष की आवश्यकतानुसार विकास हो। हमारे यहां भूमि कम है और जनसंख्या ज्यादा है। इस नाते से ज्यादा से ज्यादा एफ.ए.आर. मिले। बड़े लोगों को फायदा देने के लिये एफ.ए.आर. इनका बढ़ाया नहीं जाए। छोटे-छोटे मकानों पर भी 2-3 मंजिल बन सकती हैं। इस बारे में निश्चित रूप से विचार-विमर्श किया जाए। यह छोटे-छोटे मकानों पर तो आप एक मंजिल ही बनाओ, क्यों भाई, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में शहरों में जमीनों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू लाना है, मकानों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू लाना है तो आप सौ गज के, दो सौ गज के, तीन सौ गज के, चार सौ गज के मकानों पर 2-2, 3-3, मंजिलें बनाने की निश्चित रूप से इजाजत दीजिये। अब यह पार्किंग की बातें, पार्किंग कहां से होगी। कार वालों के लिये आप सोच रहे हो। छोटे-छोटे लोगों के लिये नहीं सोच रहे हो, जो साइकिल पर चलते हैं, जो रिक्शे पर चलते हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनके लिये हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। कार की पार्किंग कहां होगी, बस, एक ही जवाब है, कार की पार्किंग कहां होगी। कार वालों के लिये हम फल-सब्जी वालों को हटा रहे हैं। कार वालों के लिये हम जाने क्या-क्या पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, कार कहां होगी, कार कहां होगी। आम आदमी की चिन्ता जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नगरीय विकास का ढांचा ठीक नहीं होगा। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने टाउन प्लानिंग के ये विषय बीकानेर में आते हैं, अजमेर में आते हैं, जोधपुर में आते हैं, अन्य शहरों में आते हैं, छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमेंस को वहां जाकर के इन टाउन प्लानर्स के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपनी योजनाओं की स्वीकृति के लिये जाना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति हो गई, वहां पर कि वह मुझे कहने में बड़ा दुःख हो रहा है। बार-बार चेयरमैन जाते हैं, साहब, हमारी योजना स्वीकृत कर दें। आज यह लाओ, आज वह लाओ।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

बजट को स्वीकृत कराने के लिये डी.एल.बी. में चक्कर खाने पड़ते हैं। क्यों? आखिर म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन, वे भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पार्षद भी चुना हुआ प्रतिनिधि है। 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत उसको भी संवैधानिक प्रावधान दिये गये हैं। हम आज एम.एल.ए. हैं तो वह भी पार्षद हैं। वह भी संविधान के अन्तर्गत बना हुआ पार्षद है। वह भी चेयरमैन है। वह भी नगर निगम का महापौर है। उसको डी.एल.बी. में चक्कर नहीं खाना चाहिए। उसको म्युनिसिपैलिटीज में वहां पर, राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर चक्कर नहीं खाने चाहिए। उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसके सम्मान की व्यवस्था करने के लिये हमने किया, अच्छा भवन बनाया, आजकल तो मैं देखकर आया हूं, अच्छा भवन बनाया, वहां बैठने की व्यवस्था है लेकिन रीजनल सेण्टर्स पर विभिन्न योजनाओं को स्वीकृत कराने के लिये चेयरमेंस की क्या हालत होती है, चुने हुए प्रतिनिधियों की क्या हालत होती है। एक बार आप जाकर देखें और उन चेयरमेंस से बात करें।

माननीय सभापति महोदय, आवासन मण्डल ने जिस प्रकार से काम किये हैं, मैं कहना चाहूंगा आवासन मण्डल ने अच्छा काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने पांच साल में केवल 12 हजार आवासों का निर्माण कराया था। हमारी सरकार ने आवासन मण्डल में 25 हजार मकानों को पूर्ण कर दिया, यह हमारी उपलब्धि है। आवासन मण्डल का मुख्य काम यह एन.आर.आई. कालोनी बनाना नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आवासन मण्डल का मुख्य काम है शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण जो आवासों की कमी हुई है उन आवासों की कमी की पूर्ति करना और सस्ती दरों पर लोगों को आवास उपलब्ध कराना। इसलिये आवासन मंत्री महोदय, आप इस बारे में भी ध्यान देवें कि जो आवासन मण्डल है वह बड़े लोगों के लिये नहीं, आम आदमी के लिये सस्ती दरों पर अच्छे मकान उपलब्ध कराये।

अभी कच्ची बस्ती के सम्बन्ध में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कच्ची बस्ती का बजट आपने कम कर दिया। यह बजट प्रावधान आपने कम कर दिये। मैं उनको चैलेंज करता हूं, वे असत्य बोल रहे हैं। एक मात्र संजय नगर भट्ठा बस्ती में राजस्थान सरकार 131 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। 131 करोड़ रुपये, और 12 हजार मकान बनाकर दे रही है। 12 हजार मकान, ई.डबल्यू.एस. के 12 हजार मकान और डेढ़ लाख के मकान 10 हजार

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

रुपये में। यह संजय नगर भट्ठा बस्ती में दे रहे हैं। और कांग्रेस के सदस्य उनको लेने नहीं दे रहे हैं। उनको लेने नहीं दे रहे हैं वह कह रहे हैं कि नहीं, हम आ जाएंगे, हम आपको यह मकान नहीं देंगे, हम आपको जमीन आबंटित करेंगे। यह इस प्रकार की डुप्लीकेसी, यह गरीबों के लिये ये कर रहे हैं, गरीबों के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। उनको बरगला रहे हैं। सरकार उनको डेढ़ लाख रुपये की कीमत का मकान 10 हजार रुपये में दे रही है। उनको बरगला रहे हैं, उनके हितैषी नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से कच्ची बस्तियों में आज जयपुर शहर में वातावरण बना हुआ है, राजस्थान भर में वातावरण बना हुआ है, दीवाली मन रही है, कच्ची बस्तियों में दीवाली। मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से नगर निगम काम कर रहा है। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, जयपुर नगर निगम की कि सारे अधिकारी एक ही टेबल पर बैठते हैं, एक ही टैण्ट के नीचे बैठते हैं, कैम्प में बैठते हैं। एल.डी.सी. से लेकर कमिश्नर तक, और कच्ची बस्ती वालों को पट्टे देने की प्रक्रिया जारी है और इस बात की घोषणा है, मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि राजस्थान की कच्ची बस्ती वालों के लिये अभी तक 25 हजार पट्टे हमने दे दिये, और अब भी पट्टे देने की प्रक्रिया सतत चालू है। आपके जमाने में, कच्ची बस्तियों को आपने पट्टे नहीं दिये, धोखेबाजी की। उनको यह दिया कि आपके पास इतनी जमीन है और यह जमीन भी ऐसी है जिस पर आप लोन नहीं ले सकते हैं, जिसे आप रहन नहीं रख सकते हैं, यह जमीन भी ऐसी है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के धोखेधड़ी के पट्टे आपकी सरकार ने दिये थे। आप चाहो तो मैं टेबल रख सकता हूं, किस प्रकार से कच्ची बस्ती वालों के साथ आपने अन्याय किया, अत्याचार किये। एक भी आबंटन कांग्रेस सरकार ने नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक यातायात के विषय में मैं कहना चाहूंगा आपने सार्वजनिक यातायात के विषय में क्या किया? हमने जयपुर शहर में बी.आर.टी.एस. लागू कर दी। मास रेपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जयपुर शहर में सीकर रोड पर प्रारम्भ हो रहा है। काम चालू हो गया है। विभिन्न शहरों में मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हो रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आप सार्वजनिक यातायात में सस्ती व्यवस्थाएं करें। लोगों को 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 2 रुपये में यदि आने-जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तो शहरों में जनसंख्या का दबाव कम होगा। शहरी जनसंख्या के लिये

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

निश्चित रूप से यातायात ही एक ऐसी चीज है जिस पर यदि हमने ध्यान दिया मास रेपिड बस सिस्टम, मेट्रो रेल, अभी केन्द्र सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया है, 3-4 दिन पहले कि मेट्रो रेल योजना बनाई जाए। उसके लिये यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के शहरों में मेट्रो रेल और मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हो सकता है।

शिक्षा व स्कूल, इनके लिये भी मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में प्रावधान करें कि लोकल व्यक्ति उस स्कूल में भर्ती हो सके। आज शिक्षा के नाम पर व्यवसायीकरण हो रहा है और बच्चे दूर-दूर, 20-30 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से कानून हम बना सकते हैं। क्योंकि जमीन हम आबंटित करते हैं, स्वायत्त शासन विभाग जमीन आबंटित करता है, यू.आई.टी. आबंटित करती है। मैं कहना चाहूंगा, उस स्कूल में, उसी कालोनी के बच्चे पढ़ें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मेरे विषय थोड़े से और हैं। मैं 5 मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: मैं आपको 6 मिनट देता हूं, 7 मिनट बोलने नहीं दूंगा।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): धन्यवाद। ओल्ड-एज होम बनें। इसके लिये हम निश्चित रूप से व्यवस्था करें। (व्यवधान) मैं एक बात और जरुर कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से इंजीनियर सड़कें बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सड़कें बना रहे हैं। जयपुर शहर में अच्छी सड़कें बन रही हैं, विभिन्न शहरों में अच्छी सड़कें बन रही हैं। लेकिन उन सड़कों को बनाते समय क्यों हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि वह महिलाएं, वहां से कैसे गुजरेंगी, रोड को क्रास कैसे करेंगी। अच्छी सड़कें बना दीं, बढ़िया सड़कें बना दीं। लेकिन रोड को क्रास करने की व्यवस्था नहीं है। वृद्ध पुरुष रोड को क्रास नहीं कर सकते हैं। महिलाएं, बच्चों के साथ में रोड को क्रास नहीं कर सकती हैं। विकलांग लोग कैसे उस रोड पर से जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। फुटपाथों को हमने खतम कर दिया।

यह हमारे नगरीय विकास का सोच, यह किस प्रकार से होगा? यह केवल कार वालों के लिए है, कि कार वाले, स्पीड से चल सकें, इसके लिए हमने सड़क बना दी, यह सोच ठीक नहीं है। यह व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। महिलाओं

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए, असहाय और अशक्त व्यक्तियों को भी निश्चित रूप से ससम्मानजनक ढंग से जीने का हक है। आज टायलेट बनते हैं। टॉयलेट में विकलांग कैसे जाएंगे? हर बिल्डिंग में, बायलाज में निश्चित रूप से विकलांगों के लिए एण्ट्री और उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से हमारी शहरी विकास से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको निश्चित रूप से इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए।

खेलकूद के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज मोहल्ले-मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हमने पार्क तो बना दिये लेकिन मोहल्ले-मोहल्ले में 2-3-4 मोहल्लों के बीच में एक खेल का मैदान तो आप विकसित करें। खेल का मैदान, खेलने के लिए आज जयपुर में यदि कोई विद्याधर नगर जाना चाहेगा या फिर लाल कोठी स्टेडियम में जाएगा, यह छोटे-छोटे बच्चे, इस प्रकार का वातावरण यहां पैदा हो गया जयपुर शहर में और अन्य शहरों में कि वह पार्कों में खेलते हैं और आस-पास की कालोनी वाले, वह घर वाले कहते हैं कि बच्चे हमारे कांच तोड़ रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है आपने चूंकि, मुझे समय कम दिया है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, तीन-चार कालोनियों के बीच में एक खेल का मैदान निश्चित रूप से रखवाने की व्यवस्था कराएं। निगम एक्ट को पास करें। यह निगम एक्ट बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): शहरों के बीच में कोई जगह है क्या?

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): मैं बताऊंगा आपको, जगह खूब है। चार पार्क डवलप करके एक पार्क न करें डवलप। पार्क की जगह उसमें कर दें और उसको ऊपर चारों तरफ से जाली लगवा दें। व्यवस्था की है हमने सुभाष नगर में, राष्ट्रपति मैदान में, आकर देख लीजिए। आप आइये और मैं यह कहना चाहूंगा कि ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, आप जमीन खोजें, यह डिपार्टमेंट का काम है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): जमीन भी हम बता देंगे। जमीन बता देंगे और माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सभापति महोदय, जब शहर बस गया है। शहर बस गया है और मतलब शहर के बीच में चार पार्कों की जगह के बीच में एक खेल का मैदान बनाना है, खेल का मैदान बनाना है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, जयपुर शहर में आप एक काम कर दें कि जितने भी पार्क की जमीन खाली है और जितनी भी सुविधा क्षेत्र खाली है, आप बाउण्ड्री-वाल बना दें, आपको कई बीघा जमीन मिल जाएगी। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): बहुत-बहुत जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जमीन से जुडे हुए नेता हैं, इनको सब मालूम है।

आपसे मैं एक निवेदन और करूंगा और यह आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका स्टेटमैंट मैंने पढ़ा है कि आप भंवरलालजी शर्मा के नक्शे-कदम पर चलेंगे। स्वागत है। अच्छी बात है। आप उनके नक्शे कदम पर चलिये। मैं भी उनका चेला रहा हूं। अभी हूं और निश्चित रूप से आप चलें, आपका स्वागत करेंगे, आपका अभिनन्दन करेंगे। चलिये, मेरे साथ कच्ची बस्ती वाले लोगों के पास में, उनके घर की स्थिति देखिये। उनके रहने की स्थिति देखिये, वह किस प्रकार से जीवन-यापन कर रहे हैं उनको देखिये और फिर उनके आधार पर अपने नगरीय विकास योजनाएं बनायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं यह कह रहा हूं कि कार वालों के साथ में जब हम घूमते हैं लेकिन बेकार लोगों के लिए भी हम कुछ न कुछ योजनाएं बनायें, उनके लिए भी अक्षय पात्र जैसी योजना बनायें। उनके लिए भी मकान की योजना बनायें। उनके लिए भी सस्ते आवासों की योजना बनायें। उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखें। उनके भविष्य का भी ध्यान रखते हुए योजनाएं बनायें तो निश्चित रूप से नगरीय विकास आपके नेतृत्व में बहुत चमकेगा और दिन दुगुनी और रात चौगुनी आप प्रगति करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि हम कच्ची बस्ती के पट्टे दे रहे हैं। पक्की बस्तियों में भी पट्टे देने का अभियान चलाएं। उनको भी लीज होल्ड से फ्री होल्ड करें। लीज की जो आज बार-बार जमा कराने की व्यवस्था है, उसको ठीक करें। दिल्ली में इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि जे.डी.ए. इस प्रकार की व्यवस्था करेगा तो निश्चित रूप से वह काम भी ठीक होगा।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नगरीय विकास को हम ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट अधिकारी चाहिए। सिटी मैनेजर्स चाहिए। आज हमारे पास सिटी मैनेजर्स कहां है? एक आई.ए.एस. आफिसर आते हैं, छह-आठ महीने किसी म्युनिसिपैलिटी में टिकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आर.ए.एस. आफिसर आते हैं, साल-दो साल टिकते हैं और फिर चले जाते हैं। सी.ई.ओ. है, उसकी तो हालात ही खराब है। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, कि सिटी मैनेजर्स की एक सर्विसेज की एक अच्छी व्यवस्था करें और उस व्यवस्था के तहत बाहर जाइये आप। लोकल म्युनिसिपैलिटीज को कितना आदर सम्मान और कितनी पावर्स हैं उनको, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कांग्रेस सरकार ने एक बार म्युनिसिपैलिटी के लिए विधान सभा में यह कहा था कि हम म्यूनिसिपैलिटीज को यह दे रहे हैं। हम म्युनिसिपैलिटीज को वह दे रहे हैं। बड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया था लेकिन वह काम उन्होंने नहीं किया। आप आये हैं, आप निश्चित रूप से इन म्यूनिसिपैलिटीज को सिटी मैनेजर्स अच्छे दें और वहां बाहर तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि सिटी मैनेजर्स कहते हैं कि मेरा चैलेंज है, इस सिटी को मैं ठीक करूंगा। सफाई व्यवस्था ठीक करूंगा। यहां की इनकम ठीक करूंगा। इतना रुपया मुझे दीजिए। यह तनख्वाह लेता है इतनी, अच्छी तनख्वाह दीजिए उनको, अच्छी व्यवस्थाएं कीजिए। सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन बनाइये। एक्सपर्ट एण्ड कम्पीटेंट लोगों को छांटिये और उन लोगों को छांटकर वह सिटी में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था कराएं। इस प्रकार की मैं व्यवस्था कराना चाहूंगा।

मैं कहना चाहूंगा कि हाट बाजार, नाइट बाजार, छोटे-छोटे काम करने वाले नाई, धोबी, चमार, फल-सब्जी वाले, ताले वाले, खोमचे वाले, इन लोगों के लिए एक वेन्डर योजना हमने चालू की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि ... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: इनको मंत्री बनवा दो तो काम हो जाएगा, साहब।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): मैं तो इन्हीं को मान रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हाट बाजार, नाइट बाजार, छोटे-छोटे काम करने वाले, नाई, धोबी, चमार ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आपने पांच मिनट मांगे थे, छह मिनट हो गये हैं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): दो मिनट और दो, माननीय, कृपा होगी। दो मिनट और दीजिए। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए वेन्डर पालिसी हमने की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जूते बनाने वाले हमारे ... (व्यवधान) उन लोगों के लिए तो मैं तो ... (व्यवधान) उनके लिए हमने जमीन दी है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: तो मैं तो विश्वास करके धोखा खा गया, साहब। पाँच मिनट का समय मांगा था आपने तो।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): तो वेन्डर पॉलिसी को यहां पर इम्प्लीमैंट करवाइये। यह वेन्डर पालिसी, उसके तहत जो लोग खोमचे वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाइये। उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको अधिकार दीजिए। यह योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषित की है। उस योजना पर कितना इम्प्लीमैंटेशन हुआ है, इसके बारे में आप निश्चित रूप से बताइये कि शहरो में रहने वाले यह गरीब लोग, निश्चित रूप से किस प्रकार से यह कमा कर खा सकें। उनका जीवन स्तर ठीक हो सके, इसके लिए भी हम निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, पशु है, पशुओं को रोकने की व्यवस्था, गायें बाजार में बहुत फिरती हैं, कारों की हमको चिन्ता है बहुत ज्यादा, लेकिन इन पशुओं के लिए भी, गायों के लिए भी अनुदान बढ़ायें। गौशालाओं का अनुदान बढ़ायें और उसी के साथ-साथ शहरों में जो गाय पालने वाले और भैंस पालने वाले लोग हैं, उनको चारों तरफ बसायें। जयपुर में यह योजना बनी थी लेकिन उस योजना को क्रियान्वित नहीं होने दिया। मेरा यह निवेदन है कि सारे राजस्थान भर के शहरों में जहां-जहां भी जिस प्रकार से यह पशुपालक है, उन लोगों के लिए शहर से बाहर कालोनियां बनाकर और दूध देने वालों के लिए कालोनियां बनाकर उनका जीवन स्तर भी ठीक करने का प्रयास करें ताकि गन्दगी ठीक हो सके। तो ऐसे ही ट्रेफिक पुलिस, इसको भी जो है जे.डी.ए. और नगर निगम के माध्यम से पैसा दिलाएं ताकि वह भी ट्रेफिक की व्यवस्था को ठीक करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 74वां संविधान संशोधन आया और इस 74वें संविधान संशोधन के तहत म्युनिसिपैलिटीज को काफी अधिकार दिये गये हैं। हमें यह निश्चित रूप से सारे सदन को दलीय भावना से ऊपर उठकर इस नगरीय विकास विभाग की चर्चा करनी चाहिए।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

यदि गांवों में आम किसान की चिंता हम करते हैं, ग्रामीण व्यक्ति की चिंता करते हैं तो उनके पक्ष में एक बात यह है कि वहां आम किसान को, आम ग्रामीण व्यक्ति को शुद्ध हवा और शुद्ध पानी तो उपलब्ध है लेकिन शहर में रहने वाले, गंदी बस्ती में, कच्ची बस्ती में रहने वाले आम व्यक्ति की हालत जरा जाकर देखिये कि वह वहां किस प्रकार से लेट्रिन जा रहा है, वह वहां किस प्रकार से गंदी स्थितियों में रह रहा है। किस प्रकार से वह पानी प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार से उसके जीवन-यापन को ठीक करने के लिए हम दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर उनके हित में काम कर सकें तो यह सार्थक चर्चा होगी। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: माननीय श्री शांतिलालजी चलपोत।

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): माननीय सभापतिजी, मैं मांग संख्या-29 पर अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर शहर दुनिया में सुन्दर शहरों में माना जाता है। उदयपुर में विश्व स्तरीय दो होटल्स हैं। उदयपुर में सैकड़ों होटल्स हैं। दुनिया में 10 बड़ी अच्छी होटल्स मानी गयी हैं उसमें से दो उदयपुर में हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध है कि विश्व के अच्छे पर्यटन स्थलों में उदयपुर का नाम है। मैंने जो कटमोशन लगाया है, वह इस बारे में लगाया है, आयड़ नदी अति सुन्दर नदी है पर आज की तारीख में सारे गन्दे नाले उसमें गिरते हैं और इस वजह से जिस समय गृह मंत्रीजी और हम पढ़ा करते थे, आयड़ नदी में बराबर पानी बना रहता था और लोग गर्मी के दिनों में उसमें स्नान करते थे और आज वह सूख गयी है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस आयड़ नदी को थोड़ा सा खोदा जाए, बहुत पुरानी सभ्यता है आयड़ की, उसको खोद कर चट्टानें तोड़ी जाएं।

और उसके दोनों तरफ सीवरेज की लाइनें निकालकर 6-6, 8-8 फीट की अच्छी फुलवाड़ी लग सकती है। फतेह सागर से यह नदी चलती है तो वहां से आहड़ तक उसको बांधा जाये और आहड़ के पुल के पास वहां पर एक बंधा बनाया जाये और उसके गेट लगाया जाये, यह भारत का वेनिस हो जायेगा, अच्छी फुलवाड़ी हो जायेगी। अच्छी खासी उसमें बोटिंग हो सकती है। विश्व स्तरीय बोटिंग की प्रतियोगिताएं और स्वीमिंग भी यहां पर हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे इस बारे में अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय विशेष

(श्री शांतिलाल चपलोत)

ध्यान दें। नगर परिषद् उदयपुर ने भी उसके लिए प्रयत्न किये हैं, यू.आई.टी. उदयपुर भी उसके लिए प्रयत्नशील है। भारत सरकार को आप यह योजना भेजें। भारत सरकार भी इसमें मदद कर सकती है और आप भी योजना बनायें। आज की तारीख में जितने पर्यटक उदयपुर में आ रहे हैं, शायद ही कहीं आते होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है इस बारे में आप विशेष ध्यान देने की कृपा करें। दूसरी बात यह है माननीय सभापतिजी, हमारी बस्तियां बेतरतीब बसती जा रही हैं। हम हर छोटी म्युनिसिपैलिटी का मास्टर प्लान बनायें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसको आप सरकारी स्तर पर कराना चाहते हो कि पी.पी.पी. में कराना चाहते हो। यह एड वाला जो मामला है इसको पी.पी.पी. में कराना चाहते हो या सरकारी में कराना चाहते हो?

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): जिसमें भी आप कर सकते हो, आप सरकार हो। आप चाहो जैसा उत्तर दे सकते हो। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको लेते हो। मेरा आपसे अनुरोध है छोटी नगरपालिका में आज तक मास्टर प्लान नहीं है। बेतरतीब बस्तियां बसती जा रही हैं। कच्ची बस्तियों को नियमित करने के लिए आपने कहा है, उनके पट्टे देने के लिए आपने कहा है पर अभी काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसलिए इन कच्ची बस्तियों का किसी न किसी तरह से सारे राजस्थान में नियमितिकरण करें, उसके लिए आप कोई न कोई योजना अतिशीघ्र बनाने की कृपा करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं 5-6 गांव, जो बड़े हैं, उनके भी मास्टर प्लान होना चाहिये। हर विधान सभा में 7-8 गांवों के 5-6 गांवों का एक कलस्टर बन जाता है, उन गांवों के विकास का एक प्लान होना चाहिये। कहां पर इंडस्ट्रीज होगी, कहां पर हमारी स्कूल होगी, किस प्रकार की रोड होगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी तो कैसे होगी। इससे लोग भी शहर की तरफ ज्यादा नहीं जायेंगे। यदि उनको ग्राम में ही या छोटी म्युनिसिपैलिटी में ही सारी की सारी सुविधाएं मिल जायेंगी तो वह शहर की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आज मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ता है जब भी बम्बई जाते हैं, किस तरह की नारकीय जिन्दगी लोग वहां जी रहे हैं। वहीं पर टट्टी जाना, वहीं पर नहाना, वहीं पर खाना, इससे ज्यादा शर्मनाक जिन्दगी कुछ नहीं हो सकती और यही हालत दिल्ली में भी है। यमुना के आस-पास देखें किस तरीके की

(श्री शांतिलाल चपलोत)

बस्तियां बस गयी हैं। किस तरीके से लोग रह रहे हैं? कीड़े-मकोड़े अच्छे तरीके से रहते होंगे, बनिस्पत शहर में रहने वाले लोगों से। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि गांवों में विकसित करने के लिए जो छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं, उनको विकसित करने के लिए पहले आप उस पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज की तारीख में आप जयपुर में बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है पर एक बात तो आप सोचें बम्बई जिसमें समुद्र है, सवा करोड़ की आबादी होने के पश्चात् भी वहां समुद्र होने के पश्चात् भी रोज बरसात आती है, उसके पश्चात् भी चार साल पहले एक ऐसी स्थिति आई कि वहां पीने के पानी का बहुत ज्यादा संकट आ गया। आपने जयपुर को 35-40 लाख का शहर बना दिया। आज के 15 साल बाद आप पीने का पानी कहां से लायेंगे। प्रति व्यक्ति 300 या 400 लीटर भी समझें तो आपके पास इस प्रकार की क्या योजना है? कहां से आप इस प्रकार का पानी उपलब्ध करायेंगे? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन बड़ी बस्तियों को छोटा-छोटा कर छोटे-छोटे शहर बनाना प्रारम्भ करें। यह बात मैंने पूर्व में भी तत्कालीन माननीय नगर विकास मंत्रीजी, हमारे भंवरलालजी शर्मा थे, उनके सामने यह बात रखी और आज आपके सामने भी इसी बात को रख रहा हूं।

मेरा एक अनुरोध और है पेराफेरी विलेज के संबंध में। हमारी म्युनिसिपैलिटियों में पेराफेरी विलेज हैं । उदयपुर के आस-पास 62 गांव ऐसे हैं जो यू.आई.टी. के पेराफेरी में आते हैं। वहां पर कोई कन्वर्जन हो नहीं सकता। वहां पर लोगों को पट्टे मिलते नहीं, वहां पर लोगों को कन्वर्जन चार्जेज आप जो गांव में है, हैं तो गांव की म्युनिसिपैलिटी, गांव का एरिया है, है तो म्युनिसिपल एरिये के पास, लेकिन गांव का एरिया है वहां पर कन्वर्जन नहीं हो सकता। 25 पैसे, 30 पैसे फीट में जो ग्रामीण इलाके में कन्वर्जन होता है, आप उन्हीं में कन्वर्जन करने दीजिये न उनको। आप ग्रामीण विकास के लिए वहां से पैसा तो ले रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही है मावली में, मान लो रजिस्ट्री हो रही है पर उसका सारा पैसा उदयपुर में जा रहा है। उसमें से कुछ हिस्सा वापस इन गांवों में, आसपास के जो गांव हैं, जो पेराफेरी विलेज में हैं, उनको भी दीजिये आप। इस प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था करें फिर पेराफेरी विलेज में छोटे-छोटे मकान बने हुए हैं। 60 साल से, 70 साल से, 80 साल से मकान बने हुए हैं और आदिवासी लोग रह रहे हैं। मैं अभी उदयपुर ग्रामीण की माननीय सदस्या के एरिये में गया था। वहां सारे के सारे आदिवासी वहां 100 साल से बसे हुए हैं।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

अब उनके पास पट्टा नहीं और पट्टे देने की स्थिति में नहीं हैं आप। यह पेराफेरी की बड़ी भारी अड़चन आ रही है। उसके बारे में कोई न कोई किसी प्रकार की स्कीम निकालें। आफ्टर आल वह भी अच्छी इंसानियत की जिंदगी जी सकें, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, आज की तारीख में हमारे कई पद खाली हैं। ई.ओ. के पद नहीं हैं। हमारे यहां मेरी म्युनिसिपैलिटी फतेहसागर-सनवाड़ में हैं ई.ओ. पर उस प्रकार के नहीं हैं, प्रमोटेड कर रखे हैं। ऐसे ही छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज में ई.ओ. नहीं हैं, ए.ईएन. नहीं हैं, जे.ईएन. नहीं हैं, फिर किस प्रकार से विकास का काम हो सकता है? क्या आप यह सोचते हैं कि पांच-दस बड़े शहर ही अच्छे हों जायेंगे, इससे देश की या प्रान्त की खुशहाली आ जायेगी, मैं ऐसा नहीं सोचता। जब तक छोटी म्युनिसिपैलिटीज को आप स्ट्रेन्थन नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चल सकता। आफ्टर आल इस प्रान्त की 25 प्रतिशत की आबादी हमारी इन म्युनिसिपैलिटीज में निवास करती है, जिसमें जयपुर भी है, उदयपुर भी है, फतेहनगर भी है, कानोड भी है, भिण्डर भी है, सलुम्बर भी है। आज जो भी छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनकी आय के स्रोत क्या हैं? वहां पर हरिजनों के वेतन नहीं चुक पाते, उनको तनख्वाह नहीं मिल सकती तो उनका विकास का काम हो नहीं सकता। फिर ऐसी नगरपालिकाएं बनाने का लाभ क्या रहेगा? मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां पर जो खाली पद हैं, उनको भरा जाये। हरिजनों के पद कई समय से खाली हैं। सफाई कर्मचारी नहीं है, कौन भरेगा इनको? कब आपकी अनुमति मिलेगी? कब मिलेंगे? जब सारा शहर सड़ांध मारने लग जायेगा, उसके बाद आप अनुमति देंगे। आपने भर्ती तो हजारों कर्मचारी किये हैं। अध्यापक भी किये हैं, नर्सेज स्टाफ भी किया है, कांस्टेबल भी किये हैं, दूसरे भी किये हैं। पर अहम मुद्दा सफाई कर्मचारी का है और वह आज की तारीख में नहीं लगे हुए हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाये।

एक पार्किंग स्थल नहीं हैं यहां। म्युनिसिपैलिटी एरिये में पार्किंग स्थल नहीं है। फिर किसी प्रकार की ग्रीन लैण्ड नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कम से कम ग्रीन लैण्ड तो छोड़ें। मास्टर प्लान बना रहे हैं, किसी प्रकार का प्लान बना रहे हैं, बस्तियां बसाये जा रहे हैं, हरिजन का नाम ही नहीं है। यदि ग्रीन लैण्ड नहीं होगी तो बच्चे जायेंगे कहां, खेलेंगे कहां? ग्रीन लैण्ड

(श्री शांतिलाल चपलोत)

होगी तो कम से कम अच्छी शुद्ध हवा उन्हें मिल सकती है। 400-500 बीघा की ग्रीन लैण्ड तो छोड़ें। आप प्राइवेट आदमी से यह अपेक्षा करो कि वह प्लान नहीं काटेगा तो यह सम्भव नहीं है। इसलिए ग्रीन लैण्ड तो सरकार की जमीन में ही चलेगा और ग्रीन लैण्ड आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो एक प्रकार से किसी न किसी भयानक स्थिति खड़े होने की सम्भावना रहेगी।

मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा हाउसिंग बोर्ड छोटी म्युनिसिपैलिटी में नहीं है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है हाउसिंग बोर्ड के लिए भी किसी न किसी प्रकार आप म्युनिसिपल एरिये में प्लानिंग करने का कष्ट करें। हमने हाउस टैक्स भी माफ किया और दूसरे टैक्स भी माफ किये। लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स भी माफ किये।

हमने हाउस टैक्स भी माफ किये हैं और दूसरे टैक्स भी माफ किये लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स भी माफ किये और म्युनिसिपैलिटी में आज की तारीख में जितना आमद का सोर्स होना चाहिए, नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आमद का सोर्स बढ़ाने के लिए कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो और नहीं तो सरकार छोटी म्युनिसिपैलिटीज को अनुदान की राशि बढ़ाये।

एक इसके साथ-साथ हमारे यहां कई बार, आज म्युनिसिपैलिटी में क्या होता है कि एक दिन तो टेलीफोन वालों ने तार डाला खोद दी रोड। आपने बहुत अच्छी रोड बनायी, एक दिन तार डाल लिया म्युनिसिपैलिटी ने, एक दिन डाल दिया आपकी पी.एच.ई.डी. ने, एक दिन किसी ने तार डाल दिया, एक साल में चार बार रोड काटनी पड़ जाती है। क्या एक ही बार में हम नहीं कह सकते, क्या सभी विभागों का तालमेल नहीं हो सकता? क्या आप यह नहीं लिख सकते टेलीफोन एक्सचेंज को कि आप बताइये कि आपको कब इसमें लाइन डालनी है ? आप बताइये कि आपको कब गटर की लाइन निकालनी है? आप बताइये कि आपको यहां से कब सीवरेज की लाइन निकालनी है ?आप बताइये कि आपको पी.एच.ई.डी. की लाइन कब निकालनी है? इसमें सब एक साथ क्यों नहीं कर लेते? बारबार में रोड को तोड़ा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में उसका वापस मरम्मत का काम हो नहीं सकता, एक पैसा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें।?

हजारों कालोनियां बस गयी हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी न किसी प्रकार से उन कालोनियों का नियमितीकरण करने का कष्ट करें।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मेरा आपसे और अनुरोध है कि आप छोटी म्युनिसिपैलिटी को भी स्ट्रैन्थन करने की कृपा करें जिससे छोटी म्युनिसिपैलिटीज आगे जाकर के अच्छे रूप से निखर सकें और एक अच्छा वातावरण बन सके और दुनिया के देश यह सोच सकें कि भारत विकसित देश है, विकासशील नहीं है विकसित हो चुका है और यह तभी होगा जब इस प्रकार की हमारी जो छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी आप अनुदान देकर के और स्ट्रैन्थन करने की कोशिश करेंगे।

बहुत ज्यादा लम्बा-चौड़ा और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आयड़ नदी को यदि आप सम्भव हो तो इसी सत्र में करें, जब माननीय मंत्री महोदया उदयपुर पधारी थीं, उनसे भी अनुरोध किया

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): आयड़ नदी के सौन्दर्यीकरण हेतु विचाराधीन प्रक्रिया चल रही है, आप अपने सुझाव वहां पर यू.आई.टी. और ...(व्यवधान)

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, उसके लिए आपका विशेष अनुग्रह मानते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, माहिर आजाद

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन मांग संख्या-29 पर चर्चा कर रहा है, मैं भी आपके माध्यम से सदन के सम्मुख अपनी बात रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में तीन नगर निगम हैं- जयपुर, जोधपुर और कोटा और अभी हाल ही में आपने अजमेर नगर परिषद को भी नगर निगम बनाने की घोषणा की है। आप आगे चल कर और जो सम्भाग मुख्यालय हैं, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में भी नगर निगम की स्थापना करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विगत 15 वर्षों से राजस्थान में यह तीन नगर निगम कार्य कर रहे हैं। 1990 में तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री, माननीय भंवरलालजी शर्मा की अध्यक्षता में एक सलेक्ट कमेटी बनी थी और वो कमेटी नगर निगम के बाइलाज बनाने के लिए बनी थी, मैं भी उस कमेटी में था, मौजूदा शिक्षा मंत्रीजी, माननीय कालीचरणजी सराफ उसमें थे, और भी कुछ माननीय सदस्य हैं जो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उस कमेटी में थे। उस कमेटी ने दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, हैदराबाद, बैंगलोर और दूसरे कई ऐसे स्थानों पर जहां नगर निगम काम कर रहा है वहां का अध्ययन किया, वहां की सूचनाएं इकट्ठी कीं और नगर निगम बाइलाज को अंतिम रूप दिया लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक का यह नगर निगम, नाम नगर निगम है लेकिन इनका काम नगरपालिका अधिनियम के तहत ही हो रहा है। आज तक राजस्थान में नगर निगम विधेयक को लागू नहीं किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बहुत लम्बा समय निकल गया, कई चीजें ऐसी हैं, कई प्रावधान ऐसे हैं जो नगरपालिका अधिनियम में नहीं हैं और नगर निगम अधिनियम के अन्दर वो आते हैं तो सरकार जब उत्तर दे, मंत्री महोदय, तो इस बात का खुलासा करें कि राजस्थान में नगर निगम अधिनियम को कब से लागू कर दिया जायेगा? क्या आप उन सिफारिशों को, जो उस समय की हैं, उनको मानेंगे या नयी कमेटी बनायेंगे, नया अध्ययन दल बनेगा, दोबारा से इसके ऊपर एक्सरसाइज होगी और नया बनायेंगे लेकिन कब तक लागू करेंगे, कब तक बनायेंगे? मैं समझता हूं कि यह जानकारी आप सदन को देने का काम करें।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): नगर निगम का प्रस्ताव विधि विभाग में परीक्षा के लिए विचाराधीन है और वहां से आने के बाद में... (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): बहुत जल्दी विधि विभाग को आपने भेज दिया। जब कोई सलेक्ट कमेटी बनती है, मंत्रीजी, मैं कोआपरेटिव की सलेक्ट कमेटी में भी रहा हूं, मैं अभी नया पुलिस विधेयक बना, उस सलेक्ट कमेटी में भी रहा हूं, मैं आपके पहले गृह कर की जब कमेटी बनायी, उसमें भी था और शिक्षा की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कमेटी बनायी, उसमें भी था तो जब कोई भी सलेक्ट कमेटी बनती है तो उसमें विधि विभाग के लोग भी मौजूद रहते हैं और एक-एक क्लाज पर चर्चा होती रहती है, लेकिन परीक्षण करने भेज दिया, ठीक है, देर आये दुरुस्त आये, जल्दी चेते आप, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप जल्दी इसको लागू करने का काम कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में नगरपालिकाओं की हालत और स्थानीय निकायों की हालत बहुत खराब है, बद से बदतर हो रही है। हमने जब स्थानीय निकायों की स्थापना की थी या पंचायत राज की स्थापना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की थी तो उसके पीछे हमारी मंशा यह थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा, छोटे स्तर पर लोगों को काम करने का मौका मिलेगा तो सही प्रशासनिक व्यवस्था होगी और सही तरीके से काम होगा। आज नगरपालिकाओं की स्थिति आप स्वयं से छिपी हुई नहीं है। अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य भी उस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

आपने यह जो पुस्तिका हम को दी है, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, इसका पेज चार का अवलोकन करें। मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता कि तीन नगरपालिका हैं और ग्यारह ए श्रेणी की नगर परिषद है और II की 39 हैं और कितनी-कितनी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता आप जरा पेज चार पर देखें। आयुक्त, तीन पद खाली, आप अधिशासी थर्ड की जरा देखिये, अधिशासी अधिकारी, तृतीय, कुल पद हैं आपके 58 स्वीकृत, हालांकि स्वीकृत पद भी आपके आवश्यकता से कम हैं लेकिन फिर भी स्वीकृत पद 58 और कार्यरत 24 और रिक्त 34 ।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय सदस्य, 66 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है, जल्दी से जल्दी भर दिया जायेगा।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मंत्रीजी, मेरे हर मुद्दे का जवाब आप बीच में देंगे? अभी नये-नये मंत्री बने हैं, मेरे पुराने साथी हैं, आप नोट कर लें कृपया इन पाइंट्स को और जब आप सरकार की तरफ से उत्तर दें तब अगर आप इनका खुलासा करें तो मैं समझता हूं, अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन चाह रहा था कि 58 में से 34 पद रिक्त हैं। और इसके नीचे देखिये, अधिशासी अधिकारी फोर्थ, टोटल पद 72 और 72 में से रिक्त कितने हैं, 66 यानी 6 लग रहे हैं कुल। चार साल से क्या कर रही है सरकार? सो रही है? (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): कब से चल रहे हैं यह खाली ? इतना ही पूछा है मैंने तो कि कब से खाली चल रहे हैं ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैं मंत्री था तब से चल रहे हैं, बोलो अब आप।... (व्यवधान) फिर यह क्या मतलब हुआ, मुझे क्यों कह रहे हो यह बात?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मुझे पता है पहले आप इधर थे, पहले इधर थे।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैं तो फिर ऐसे कैसे भी रहूंगा लेकिन मेरा काम आज की तारीख में मैं जहां खड़ा हूं वहां मेरा काम सरकार को सचेत करने का है और वह सावचेत करने का काम कर रहा हूं। मैं पालिटिकल बात नहीं कह रहा। आज पहली बार मैं आपसे यह बात, आपने जो पुस्तिका दी है उस पुस्तिका के आधार पर कह रहा हूं। या तो आप इसमें लिख देते कि यह कांग्रेस के शासन से खाली चल रहे हैं या माननीय भैरोंसिंहजी के कार्यकाल से खाली चल रहे हैं या लिख देते स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया के कार्यकाल से खाली चल रहे हैं तो फिर मैं वह कह देता। यह सूचना दी है, उस सूचना के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय कुल पद 72 और भरे हुए कितने हैं छह, संसदीय सचिव ही बना दिये छह तो आपने और 66 आपके खाली और राजस्व अधिकारी फर्स्ट के पद पन्द्रह और पन्द्रह में से ग्यारह खाली और राजस्व अधिकारी सैकिण्ड के पद 54 और उसमें से 29 खाली और सहायक लेखाधिकारी के 22 में से 12 खाली। स्वास्थ्य अधिकारी जो एक नगरपालिका की जान होता है स्वास्थ्य का, स्लाटर हाउस का, बीमारियों का, वेक्सीनेशन का, कचरा कहां डाल रहा है उसका क्या किया जाय, अगर स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है तो नगर पालिका का मुख्य काम होता है सफाई। सफाई की गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री थे ईश्वर भाई पटेल, उन्होंने सफाई की परिभाषा दी थी। आप सब भी सुन लो, स का मतलब सर्व चीजों का और फा का मतलब फायदेशील और ई का मतलब इलाज यानि सब चीजों का फायदेशील इलाज, उसका नाम है सफाई। अब अगर सफाई ही नहीं है, सफाई निरीक्षक ही आपके खाली चल रहे हैं तो क्या खाक नगरपालिका सफाई करेगी, क्या करेगी।

यह स्थिति इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकती। सत्रह में से आपके दस पद खाली हैं और विधि अधिकारी, गैर कानूनी काम करने का तो आपने ठेका ही ले रखा है इसलिए विधि अधिकारी लगाने की तो जरुरत ही नहीं है। काहे की राय लेनी है, ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कानून चल रहा है, जो मन में आए जो चला दो जरुरत क्या है। राजा माने सो रानी और बाकी सब पटरानी, भरती रहो पानी। इसलिए आपकी तो स्थिति यह है कि विधि अधिकारी के भी सात में से चार पद खाली चल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इन पदों को भरिये और इसके लिए आपके जो अधिशासी अधिकारी थर्ड हैं, इन अधिशासी अधिकारी थर्ड के लिए आपके जो कर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निर्धारक होते हैं, जिनको आप असेसर कहते हैं, आपकी एक कमेटी बनी थी उस कमेटी ने आपको सिफारिश की है कि इन असेसरों को आप अधिशासी अधिकारी थर्ड के पद पर पदोन्नत कर दें लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी पदोन्नति अधिशासी अधिकारी तृतीय व राजस्व अधिकारी प्रथम के पद पर करने का प्रावधान है पर यह पदोन्नति ऐसे पद पर की जा रही है जिन पदों का वेतनमान कर निर्धारक के पद के समान ही है। उसको पदोन्नति थोड़े ही कहते हैं। आप जो असेसर का या कर निर्धारक का जो पद है उसका जो वेतनमान है सेम उसी पर कर रहे हैं तो उसको पदोन्नति नहीं कह सकते।

मैं इस सम्बन्ध में आपको तीन चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो प्राक्कलन समिति ने 17 जून, 2006 को यह सिफारिश की थी कि इन असेसर्स को आप अधिशासी अधिकारी थर्ड के रूप में पदोन्नत करें और इसके बाद 10 नवम्बर, 2005 को तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने भी सिद्धान्ततः इसको स्वीकार कर लिया था कि हम इनको अधिशासी अधिकारी थर्ड के रूप में पदोन्नत कर लेंगे। उसके बाद जयपुर नगर निगम के महापौर, श्री अशोक परनामी की अध्यक्षता में एक समायोजन, एक कमेटी बनी थी और उसमें से इन कर निर्धारकों को अधिशासी अधिकारी थर्ड के पद पर क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया था। मुझे उम्मीद है कि अगर इन पदों को आप भरना चाहते हैं और आपकी नीयत है तो आप इन सिफारिशों को इस बार लागू करने का काम करेंगे।

जहां तक माननीय सभापति महोदय, विभागीय बजट का सवाल है पेज संख्या-15 का अगर आप अवलोकन करें क्योंकि मैंने एक-एक पेज आपकी चाहे हाऊसिंग बोर्ड की रिपोर्ट हो चाहे डी.एल.बी. की रिपोर्ट हो चाहे आपकी सी.टी.पी. की रिपोर्ट हो, इनको सबको एक– एक पेज की एक-एक लाइन को पढ़ने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, इसके पेज 15 पर आप देखें कि आपने जो आयोजना भिन्न मद है उसमें विशेष अनुदान वास्तविक व्यय 2006-07 में 0.01 बजट प्रावधान, 2007-08 में आपने रखा है 0.00 और उसके बाद आप संशोधित बजट ला रहे हैं 154.83, यानि जब आपने इसके बजट का निर्धारण किया था तब आपको याद नहीं आयी जो बाद में इसको रिवाइज एस्टीमेट के अन्दर आप इसको शामिल कर रहे हैं। उस समय कहां चले गये थे आप?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपका उस वक्त ध्यान नहीं गया इसके ऊपर, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**(समय :16.05 बजे)**

**(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन )**

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन यह और करना चाहता हूं कि आपके 90-बी की कार्यवाही में और भू-उपयोग परिवर्तन में पिछले समय क्या हुआ, खूब अख़बारबाजी हुई, सरकार की क्या स्थिति हुई। बदनामी सबकी होती है जब राजनेताओं के ऊपर बदनामी का ठीकरा फूटता है तो हम भी उससे बचकर के नहीं रह सकते। इसलिए मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। अब जे.डी.ए. ने अपने सिस्टम को थोड़ा सुधारा है और जे.डी.ए. में अब पेन्डेंसी नहीं है। अब आकर के काम हो रहा है । लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव यह देना चाहता हूं कि जब कोई कालोनाइजर आता है और आकर के आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देता है, माननीय मंत्रीगण बात कर रहे हैं सभापति महोदय, इतने अच्छे सुझाव मैं दे रहा हूं और यह इसको इधर से सुनकर इधर से निकाल रहे हैं। आप शायद वह अकबर बीरबल की तीन मूर्तियों वाला किस्सा भूल गये, नहीं वह याद आ गया उनको।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर वह हेमारामजी वाली बात कर रहे हैं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मेरे से मेरी करा करो आप, हेमाराम जी की मुझसे क्यों करते हो? मैं उनका पी.ए. थोड़े ही हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप उनके अनुचर हो, इसलिए आप वही करोगे, जो उन्होंने किया।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अनुसरण करना ही चाहिए आपको।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, आपको आपत्ति हो रही है, आप जो बोल रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं आपको हमारे मंत्री हैं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आपसे मुलाकात आज हुई होगी, मेरे बीस साल पुराने मित्र हैं। मैं नहीं चाहता बार-बार उठक-बैठक करें। बैठ जाओ आप।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): यह बात अलग है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मेरे बीस साल पुराने मित्र हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज्यादा तकलीफ में रहें। मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि कोलोनाइजर अब अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर के देता है, भू-उपयोग परिवर्तन कराता है या 90-बी कराता है तो वह अपना एक प्लान मैप बनाकर देता है, उसमें लिखता है कि मैं इतने प्लाट तो काटूंगा, यह फैसेलिटीज होंगी, यहां पर पार्क होगा, यहां मन्दिर होगा, यहां स्कूल होगा, यहां कामर्शियल काम्पलैक्स होगा, यहां यह होगा। उसके बाद वह जब प्लोटिंग करता है आपसे एप्रूव्ड कराने के बाद तो वह फैसेलिटीज को भी प्लाट में काट देता है, उस जमीन पर भी पट्टे काटकर बेच देता है। आपके जे.डी.ए. में या यू.डी.एच. मिनिस्ट्री में कोई ऐसा विभाग है क्या, आज तक आपने किसी एक भी मामले में मानीटरिंग की क्या? उसने फैसेलिटीज में दिखाई और उसके बाद में उसने इसके पट्टे काट दिये, प्लोटिंग कर दी। ऐसे बीसियों और सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक सैल ऐसा भी बनाएं, जो आपने प्लान मैप दिया है, वह उसी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको बाद में भी आप वाच करें और आपका उस पर कंट्रोल रहे।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप स्वयं भी जो करते हैं जैसे जयपुर के जलमहल में, मदीना कालोनी, हजरत अली नगर और दूसरी जो जगह हैं उनकी बात करना चाहता हूं। मैं जे डी ए को और मंत्रीजी को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि आपने वहां गर्ल्स कालेज के लिए और पार्क के लिए जगह छोड़ी है लेकिन उन कालोनियों से आपने जो डवलपमैंट शुल्क लिया, आज तक उन कालोनियों में उसका डवलपमैंट का जो शुल्क आप ले रहे हैं वह खर्च नहीं करते, उसका क्या हुआ? ऐसा आपके पास कोई एक महकमा, फिर मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब देंगे कि इसका बड़ा जवाब हो गया इसलिए नहीं आया, कि आप जो पैसा लेते हैं विकास शुल्क का, डवलपमैंट चार्जेज का वह डवलपमैंट चार्जेज पर ही खर्च होना चाहिए। नगर निगम रोड कट का पैसा जमा कर लेता है। अभी सभापति महोदय, आप भी यह मुद्दा उठा रहे थे कि रोड कट का पैसा जमा कर लेता है, आप चाहे नल का कनेक्शन लें, चाहे आप बिजली का अण्डर ग्राउण्ड कनेक्शन लें, चाहे आप टेलीफोन का कनेक्शन लाइन अन्दर से भी तो रोड कट का पैसा जमा करके एन ओ सी देनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उसको वापस रिपेयर नहीं किया जाता है महीनों-महीनों तक और उसमें गाड़ी और स्कूटर के पहिये पड़-पड़ कर वह बड़ा हो जाता है इसलिये इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

एक मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब भू-उपयोग परिवर्तन के लिये कोई व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी की सारी औपचारिकताएं पूरी करके आपके पास आ जाता है। सी.टी.पी. से भी, डी.एल.बी. से भी, सब जगह से और उसके बाद कई-कई साल तक उसकी फाइल को पैंडिंग रखा जाता है। मैं बानगी के तौर पर एक उदाहरण देना चाहता हूं आप माननीय मंत्रीजी, नोट कर लें कि देवली नगरपालिका का एक प्रकरण आया हुआ है। 2003 में आया था ओ.पी. बरवाड़िया के नाम से। 2003 में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गयीं लेकिन आज तक उस मामले को अटका रखा है। कभी तो यह कहते हैं कि इसकी रेट पुरानी लगेगी या नयी लगेगी। कभी कहते हैं रास्ता इतना फुट का रहेगा। सब नगरपालिकाओं की इन्होंने फार्मलिटीज पूरी कर दी। डायरेक्टर लोकल बाडी सबसे आ गयी। तीन-तीन, चार-चार साल तक पड़ा रहेगा क्या कोई आदमी करेगा? तब जाकर उसमें कुछ बू आती है कि इसमें जो पैंडेंसी है, इसमें जो लिंगर ऑन किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है? इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया सी.टी.पी. के स्तर पर, यू.डी.एच. के स्तर पर आप एक ऐसा सैल बनाएं, सैल को कायम करें जो आपकी योजना को और मैप को जो उसने दी है उसकी मानीटरिंग हो कि उसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक हाउसिंग बोर्ड का सवाल है। हाउसिंग बोर्ड में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य नाम तो बताओ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): बता दिया ना देवली नगरपालिका से आया है ओ.पी. बरवाड़िया के नाम से।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास मंत्री): देवली नगरपालिका की ही फाइल आयी है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ओ.पी. बरवाडिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आवासन मंडल से संबंधित आपको आवासन बोर्ड कर्मचारी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

संघ ने भी ज्ञापन दिया है। हाउसिंग बोर्ड के जो बायलाज हैं उसमें भी है कि कोई भी जमीन आपकी बेशकीमती वाणिज्यिक भूमि है उस वाणिज्यिक भूमि को बिना नीलामी के नहीं दिया जा सकता। यह नियम है या नहीं? लेकिन उसके बाद आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को 16 एकड़ भूमि जो करीब 60,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की है उसको 40 परसेण्ट से भी कम रिजर्व प्राइस के ऊपर आप केवल 50,000 रुपये पर देना चाहते हैं और 22.11.2007 को इसका प्रस्ताव ले लिया। सारे लोग विरोध कर रहे हैं। जनता विरोध कर रही है। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहा है और आपके आवासन मंडल के डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 का एक्ट है उसमें साफ प्रावधान है कि कोई भी वाणिज्यिक भूखण्ड केवल नीलामी से ही बेचा जा सकता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद आखिर कौनसी ऐसी परिस्थिति है? किसी अस्पताल को दो जो गरीब लोगों का फ्री इलाज करने की आपको घोषणा करे, डिक्लेरेशन दे। आप स्कूल या कालेज को दें जो फ्री चिकित्सा और शिक्षा का लाभ जनता को पहुंचाये। धर्मशाला, ऐसे संस्थान को दो जो जन उपयोगी हो तो समझ में आता है। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक जो खुद प्रोफिट लेकर काम करने का काम कर रहा है उसको रियायती दर आप भूखण्ड दे रहे हो यह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसको राजस्थान की जनता किसी भी सूरत में आपके इस गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं करेगी ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय, कम्पलीट करने की कोशिश करें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूं। बहुत जल्दी कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लें तो सब का नम्बर आ जायेगा, नहीं तो रात को बारह-एक बज जाते हैं। आप तो देर से उठ रहे हैं पर हमारे जैसों को तकलीफ होती है। सुबह चार बजे उठना पड़ता है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैं भी चार बजे ही उठता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि माननीय विधायक और सांसदों के लिए ढाई परसेण्ट मकान आपके आरक्षित हैं। इसमें जो एक्स एम एल ए हैं उनको भी सेम प्रायोरिटी एम एल ए वाली मिलती है। मान लो किसी विधायक ने अपने

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विधायक काल में कोई अगर मकान नहीं लिया वह भूतपूर्व हो गया उसके बाद भी आप उसको मकान दोगे तो उसको एज ए-एम एल ए ही ट्रीट करोगे। यह प्रावधान है या नहीं है ? जब आप एक्स को भी एम एल ए की हैसियत से ही ट्रीट कर रहे हो उसने अगर उसका लाभ नहीं उठाया है तो। फिर आप एम एल ए में भी नये एम एल ए और पुराने एम एल ए के अन्दर फर्क कर रहे हो, मैं समझता हूं मेरी राय में यह उचित नहीं है। यह जो पुराने विधायक हैं उनको तो आपने इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा के अन्दर सिंगल स्टोरी मकान देने का काम किया है और जो विधायक 2003 में जीतकर आये हैं उनको नये विधायक मान कर आप कह रहे हो हम आपको डबल स्टोरी फ्लैट मुहाना के अन्दर देंगे तो यह नये एम एल ए और पुराने एम एल ए में फर्क मत करिये। मेरा आपसे निवेदन है कि जो नये हैं उनको भी आप उसी हिसाब से दीजिये। आप डबल स्टोरी फ्लैट देंगे, मान लो नीचे आ गया शाकाहारी और ऊपर आ गया मांसाहारी। ऊपर से हड्डी फेंक दी उसके बच्चे ने, कैसे काम चलेगा ? रोज झगड़े होंगे। इसलिये कम से कम यह एम एल ए, एम एल ए में फर्क मत करो। आपकी आवाज को उठा रहा हूं नये विधायकों, इसका तो समर्थन कर दो। मेजें थपथपा कर ही कर दो। नहीं चाहिये तो आपकी मर्जी, मेरा क्या लेना-देना है ? मुद्दई सुस्त और गवाह सुस्त वाली बात कर रहे हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय विधायकों को दो मकान की आपने सुविधा दी थी कि एक राजधानी में और एक बाहर। दूसरे मकान के लिए दो-दो साल हो गये, किसी ने भिवाड़ी, किसी ने कोटा में, किसी ने उदयपुर में अपना पैसा जमा करा कर रजिस्ट्रेशन कराया है, आज तक उसका कुछ अता-पता नहीं है। कब उसकी लॉटरी निकलेगी ? कब उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बन रही है? उसके ऊपर कब क्या कार्यवाही होगी ? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया उसके ऊपर भी आप ध्यान दें।

अब मैं कुछ सुझाव मेरे वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र नगर के सम्बन्ध में भी आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। नगरपालिका नगर एक शहर के अन्दर भीड़ भरे बाजार में छोटी-सी बिल्डिंग में चल रहा है। जब हम मीटिंग में जाते हैं तो वहां कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके नये भवन बनाने के लिये जगह निर्धारित करके पैसा दें ताकि नया भवन बने।

हमारे वहां सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास एक कच्ची बस्ती है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उसके लिये माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन है कि कृपया उसके लिए भी विशेष योजना मद से भारत सरकार की से, राजस्थान सरकार की से दें ताकि उस कच्ची बस्ती को पक्का बनाया जा सके और शहर सुन्दर बने।

पूरे नगर शहर के अन्दर गंदे पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क तो बनवा दी। मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कहीं से भी पैसा लाकर कैसे भी करके पूरे शहर को सी.सी. सड़क से सुशोभित करने का काम किया। लेकिन अगर नाली नहीं बनेगी तो पानी शहर के शेड में भरा रह जायेगा इसलिये उस गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करें।

नगर में आटोमोबाइल नगर बनना चाहिये यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिये भी जगह हो। नगर में आटोमोबाइल का बड़ा अच्छा काम है। राजस्थान की कई नगरपालिकाओं ने और यू.आई. टीज ने आटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिये आवेदन ले लिया, पैसा ले लिया, लाटरी निकाल दी लेकिन उसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ, कृपया उसको क्रियान्वित कराने का काम करें।

मैं अंतिम एक बात आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, यह और रखना चाहता हूं कि जयपुर एक राजधानी है, राजस्थान का बड़ा शहर है । यहां हर जाति और बिरादरी के छात्रावास हैं। अहीरों का भी छात्रावास है, जाटों का भी है, राजपूतों के भी दो-तीन हैं, ब्राह्मणों के भी हैं, सब के हैं लेकिन इतने बड़े समुदाय लगभग 10 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की राजस्थान में आबादी होने के बावजूद जयपुर जैसे शहर में अल्पसंख्यकों का हास्टल नहीं है। मुस्लिम हास्टल नहीं है। पढ़ने के लिये लड़कों को दिक्कत होती है जो प्रदेश भर के आते हैं। मुस्लिम मौहल्ले में पढ़ाई का माहौल नहीं होता और दूसरी जगह उनको मकान नहीं मिल पाते इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप जयपुर में माइनोरिटीज के हास्टल के लिये भी जगह दें और सारे सम्भागीय मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक छात्रावासों के लिये न्यूनतम दर पर नि:शुल्क जमीन आबंटित कराने का कष्ट करेंगे।

अंतिम मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की उन नगरपालिकाओं को, अब मुख्य सचेतकजी विरोध भी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा कटमोशन है यह पहला शुरूआत से कि राजस्थान की ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): नगर के बारे में मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। आप तो नगर को भूल ही गये। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): राजस्थान में आपने नगरपालिकाओं के साथ भेदभाव करने का काम किया है। आपने जो कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जिन नगरपालिकाओं में कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे आपने उनको राजनैतिक आधार पर निलम्बित करने का काम किया है। यह आपने अच्छा नहीं किया। आपकी मंशा सीकर नगर परिषद् में भी अच्छी नहीं है। सांगोद का आपके सामने उदाहरण रखा है। आपके सामने नीम का थाना का उदाहरण रखा था और दूसरी जगह का रखा था। राजनैतिक आधार पर अगर इस तरीके से आप बर्खास्त करने का काम करोगे चाहे वह किशनगढ़ हो, चाहे और हो तो सत्ताएं तो अदलती-बदलती रहती हैं। जो काम आप कर रहे हो, हो सकता है कि कल हमारे हाथ में भी कलम आ जाए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बिराज जाएं। बिराज जाएं आप।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): इसलिये मेरा निवेदन है कि राजनैतिक आधार पर कोई काम नहीं करना चाहिये।

अंत में एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करूंगा। एक शायर ने सही कहा है, बरसिये मत। खाली नियम और कानून बना देने से या संविधान संशोधन कर देने से राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। खड़े होकर संसदीय कार्य मंत्रीजी जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं इससे कोई डरते हैं क्या हम ? बरसिये मत।

‘बरसिये मत बरसने में कोई अपना नहीं रहता,
किसी भी आइने में देर तक चेहरा नहीं रहता,
बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना,
जहां दरिया समंदर में मिलता है वह दरिया नहीं रहता।‘

धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): जमा नहीं मामला, आज मजा नहीं आया, आज फ्लाप हो गये आप ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री बद्रीलालजी। श्रीमती अनिता भदेल। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 12-15 मिनट में अपना कथन समाप्त करने का कष्ट करें। (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, यदि आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं बैठ जाती हूं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी ...(व्यवधान) मैंने बोलना स्टार्ट ही नहीं किया और पहले से ही कहना शुरू हो जाते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: हां, बोलिये माननीय सदस्य बद्रीलालजी, वह आ गये हैं ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, ऐसा मत करें आप ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: बिराजिये आप, मैंने पहले उनका नाम पुकारा था वह कहीं बाहर निकल गये थे।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): नहीं, नहीं, मैं यहीं था।

**श्री सभापति**: कोई बात नहीं, आप बोलें। मैं अभी आपको बुला दूंगा ...(व्यवधान) 12-15 मिनट में अपना कथन आप समाप्त करें।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): आप जितना अवसर देंगे उतना ही ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: बिलकुल, चलिये आगे, बोलिये आप ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): सभापति महोदय, मांग संख्या-29 पर मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए यूडीएच के जो आदरणीय मंत्री महोदय विराजमान हैं इनके माध्यम से और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जब से अपना नेतृत्व संभाला है, राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इनके पहले जो मुख्य मंत्री थे वह भारत के मुख्य मंत्री नम्बर वन कहलाते थे परन्तु इन्होंने सेवा के माध्यम से मुख्य मंत्री नहीं होकर के सेवक नम्बर वन मुख्य मंत्री कहलाने का जो हक प्राप्त किया, राजस्थान की जनता की ओर से मुख्य मंत्री साहिबा को ढेर सारी बधाइयां देते हुए अपनी वाणी को इस तरह प्रारम्भ करने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, नगरीय विकास और गांवो में जो आज प्रतिदिन खाई बढ़ती जा रही है, जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा पाटने का आदरणीय मंत्री महोदय प्रयास करेंगे। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है और यह 38 प्रतिशत भाग पर है और जैसा कि आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा ने बजट पेश किया उसमें यह स्पष्ट

(श्री बद्रीलाल जाट)

निर्देशित होता है कि राजस्थान का ढांचा सुधारने के लिए गांवों और शहरों को प्राथमिकता दी जाये। शहरों को अधिकतम प्राथमिकता मिले हम उसके पक्षधर हैं परन्तु जो तबका शहरों की ओर नहीं बढ़े इसके लिए छोटे-छोटे गांवों को एक समूह के रूप में विकसित किया जाये ताकि आने वाले समय में हमारे से जो पूर्व जो सदस्य बोल रहे थे, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है या अन्य प्रकार के शहरों की जो व्यवस्था है वहां दूरस्थ व्यवस्थाएं हो रही हैं और वहां व्यक्ति नारकीय जीवन जी रहा है, उससे मुक्ति पाने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, जैसा कि नगरीय विकास में चित्तौड़ जिले का छोटा-सा विवेचन करने का प्रयास करूंगा। राजस्थान की आन, बान और शान चित्तौड़ शहर है और वह दुर्ग की वजह से काफी प्रसिद्व है, विश्व विख्यात है और उसके विकास के लिए पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने जौहर मेले में आकर के अपने श्रीमुख से पर्यटन विभाग के द्वारा 6 करोड़ रुपये देने की जो अनुशंसा की थी उसके माध्यम से चित्तौड़ में हैरिटेज के रूप में उसका जीर्णोद्धार हुआ और उसके माध्यम से विश्व के पर्यटकों को उसको दिखाने का प्रयास किया।

सभापति महोदय, आज चित्तौड़ अपनी अलग पहचान बना चुका है और लाइट एंड साउंडस की व्यवस्था करने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा ने करोड़ों रुपये दिये और उसके माध्यम से हमारे इतिहास को पुर्नजीवित करके चित्तौड़ का मान और सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा को और आदरणीय पर्यटन राज्य मंत्री उषा पूनियाजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने किले में विभिन्न प्रकार की, चाहे नाली की व्यवस्था हो, चाहे रोड की हो, चाहे अन्य प्रकार के डवलपमेंट की बात करने का भी आपने जो काम किया, यह इतिहास सदैव याद रखने के लायक है।

सभापति महोदय, जब गम्भीरी नदी हम पार करते हैं उस समय चित्तौड़ दो भागों में बंटा हुआ होता है और वहां नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय महेशजी इंदानी ने अपने अथक प्रयासों से वहां बोटिंग की व्यवस्था प्रारम्भ की थी परन्तु वह अधिक समय तक स्थापित नहीं रख पाये और पर्यटन की दृष्टि से वह लम्बा नहीं चल पायी। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप जरूर आशीर्वाद देंगे और चित्तौड़ में जो पर्यटन की दृष्टि से बोटिंग की व्यवस्था जो नगर पालिका द्वारा की जा रही थी उसको किन्हीं

(श्री बद्रीलाल जाट)

तकनीकी कारणों से बंद किया गया था तो उसको पुन: सुचारू करायें ताकि चित्तौड़ को एक सौगात मिले।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा ने अपने बजट भाषण के माध्यम से जो-जो घोषणाएं की हैं उनको मूर्त रूप देकर के उन्होंने एक इतिहास कायम किया है। चाहे 'अक्षय कलेवा' योजना हो जिसमें मात्र पांच रुपये में जो गरीब, बेसहारा, विकलांग, अपंग और अपाहिज है उसको सर्दी से बचाने के साथ-साथ उनको सुचारू रूप से गर्म, स्वादिष्ट भोजन मुहैया करा रहे हैं। अक्षय कलेवा के माध्यम से चित्तौड़ की नगरपालिका ने इतिहास कायम किया है उन्होंने आज भी उसको चालू कर रखा है। इसी तर्ज पर हमारी जो विभिन्न जो छोटी नगर पालिकाएं हैं वहां वह यह नहीं कर पाये हैं। विशेष रूप से जैसे छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, कपासन, प्रताप नगर, रावतभाटा इन नगरपालिकाओं में भी अनुदान देकर के इस व्यवस्था को लागू किया जाये तो निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित होगा और गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने चाहे पन्नाधाय योजना, श्रीजी बीमा योजना हो, उसके माध्यम से जो सामान्य डैथ हो जाती है बीपीएल परिवार के कार्डधारी को उसमें 30 हजार रुपये और आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा और मंत्री महोदय के सहयोग से जो गरीब काश्तकार को मिलता है, उसके साथ जैसे किसी की एक्सीडेंटल डैथ हो जाती है तो उनको 75 हजार, यदि दो पैर, दो हाथ कट जायें तो फिर 75 हजार और यदि एक हाथ और एक पैर कट जाये तो साढ़े 37 हजार रुपये उसको देकर के उसके परिवार को पुन: मुख्य सामाजिक धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक अनुकरणीय और राहत की बात है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने स्वर्ण जयंती शहरी योजना में भी बहुत बड़ा काम करके जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की, चाहे छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हों, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए अन्य प्रकार के मसाले बनाने की बात हो उसमें आपने करोड़ों रुपये अनुदान देकर महिलाओं के लिए एक नये विकास का और नये रोजगार का जो द्वार आपने रखा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही आपने हैरिटेज के नाम से या अन्य

(श्री बद्रीलाल जाट)

प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनके नाम से भी आपने करोड़ों रुपये दिये, मैं तहे दिल से उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। बालिका समर्थ योजना के नाम से आपने एक योजना चलायी उसके माध्यम से जो भाई और बहिन हैं जो पात्रता धारी है उनको 500 रुपये प्रति बालिका को दिये हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, राजस्थान में उनमें लगभग 16849 बालिकाओं को आपने सहयोग देकर के एक नया रास्ता दिखाने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, मुख्य मंत्री साहिबा को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चुंगी की जो घोषणा की थी अपने बजट भाषण में उसको समाप्त करके राजस्थान की एक जो चरमराती हुई, गरीब जो हमारे भाई और बहिन गांवों से शहरों में जो थे उनसे वहां अनावश्यक रूप से जो कर लिया जाता था चुंगी के रूप में, इसमें यशस्वी पूर्व महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत ने 1998 में चुंगी प्रणाली को समाप्त करके नगरपालिकाओं को अनुदान के रूप में जो राशि राजस्थान सरकार वहन कर रही है उसके लिए धन्यवाद दूंगा परन्तु हमारे जो प्रतिपक्ष के सदस्य हैं उनको मैं चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि उन्होंने 10 प्रतिशत राशि जो महामहिम पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत ने की थी उसको 2001-02 में काटकर के मात्र 5 प्रतिशत कर दिया। अपनी यशस्वी मुख्य मंत्री साहिबा ने उसको पांच से बढ़ाकर के 10 प्रतिशत करके एक इतिहास कायम किया है। उन नगरपालिकाओं को पुन: मूर्त रूप दिलाने के लिए, उनका आर्थिक ढांचा सुदृढ़ करने के लिए एक सम्बल प्राप्त हुआ।

सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पद भार ग्रहण करने के बाद विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं शुरू की, जो ग्लोबल सिटी दिल्ली के पास में बनाने का प्रयास किया। यह राजस्थान को एक सौगात होगी। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए यह कहने का प्रयास करूंगा कि हमारे राजस्थान की जो भावना है उसमें केवल शहरों के लिए ही लिखा है,

डूबने वाले को तो तिनके का सहारा भी बहुत है
दिल बहल जाए फकत इतना ही इशारा बहुत है,
इतने पर भी आसमां गिरा दे बिजलियां,
कोई तो दिल बहला दे,
यह डूबना फिर भी क्यों मुसीबत है

(श्री बद्रीलाल जाट)

माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि नगरों की जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं चाहे वह कार पार्किंग की बात हो जैसी हमारे पूर्व सदस्य ने कही, चाहे आने वाली गर्मियों में पेयजल की समस्या की बात हो, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था की बात हो, चाहे रोडों को पार करने की समस्या की बात हो, हमारे शहरों पर बढ़ते हुए आबादी के दबाव को कम करने के लिए निश्चि‍त रूप से हमें कारगर काम करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक-दो छोटी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो वहां की सब्जी मण्डी को अन्यत्र करें क्योंकि कपासन नगरपालिका डी श्रेणी की नगरपालिका है और वहां जो सब्जी मण्डी वर्तमान में स्थापित है, वहां पर आवागमन का बहुत बड़ा दबाव है, चाहे एस.डी.एम. कोर्ट हो, चाहे कालेज हो, चाहे दरगाह हो, चाहे सांवलियाजी रोड हो या चाहे शनि महाराज या आवराय माता का मंदिर हो या मातृकुण्डिया हो या फिर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जाने वाला मुख्य मार्ग हो, वहां यातायात का दबाव काफी है, यात्रियों का भी काफी दबाव है, एक उचित स्थान तो नगरपालिका कपासन द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा पर मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी अपने आशीर्वाद स्वरूप हमें उचित धनराशि के रूप में जरूर फरमाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक किसान का बेटा होने के नाते एक छोटी-सी मांग और मैं माननीय मंत्रीजी से करना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं नगरपालिका क्षेत्रों में की गई हैं, उनका खर्च वहन भी नगरपालिकाएं ही करती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरह पुलिस के लिए कहा जाता है कि चोरी होने के बाद पुलिस पहुंचती है उसी तरह से काश्तकार का सर्वस्व नष्ट होने के बाद हमारी अग्नि शमन सेवाएं वहां पहुंचती है, यह कोई अतिश्योक्ति नहीं है, उसको 60 किलोमीटर जाने में एक घण्टा, सवा घण्टा लगेगा। मैं माननीय मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि यदि वह आशीर्वाद देंगे तो मैं विधायक मद से दस या पन्द्रह लाख रुपए जो भी अग्नि शमन सेवाओं के मूल स्वरूप की स्थापना करने में लगते हैं, उसमें देने के लिए तैयार हूं। उसकी संचालन व्यवस्था खर्च यदि नगरपालिका वहन कर लेगी तो हमारे ग्रामीण अंचल के जो काश्तकार हैं उनकी जो अनेक प्रकार की सामग्री है, जो कृषि उपज की जिंसें हैं, वह जल जाती है और काश्तकार के पास रोने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता।

(श्री बद्रीलाल जाट)

मैं माननीय मंत्रीजी को एक छोटी-सी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि कपासन नगरपालिका डी श्रेणी की नगरपालिका है, उसमें ए.आर.आई., ए.एस.आई. और सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद हैं।

इसके साथ ही एक छोटी-सी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मानिक चन्दजी सुराना के नेतृत्व में जो वित्त आयोग था, समिति थी, उसमें उन्होंने सिफारिशें की कि पूर्व में नगरपालिकाओं को जो आबादी क्षेत्र की भूमि अलाट करते थे वह केवल लगान के मार्फत ही करते थे लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन करने से, डी.एल.सी. का 40 प्रतिशत लगभग जैसे एक करोड़ की जमीन है तो उसका 40 लाख रुपए छोटी नगरपालिका वहन नहीं कर पाती है और उसके माध्यम से नगरपालिका न तो डवलपमेंट कर सकती है और न ही विस्थापितों जो हमारी कच्ची बस्तियों के हैं उनको...

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व व्यवस्था को लागू करके हमारी छोटी नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। एक छोटी-सी बात और करके मैं अपनी वाणी को तुरन्त विराम देने का प्रयास करूंगा कि नगरपालिकाओं को अभी अनुदान राज्य सरकार 37 रुपए 50 पैसे प्रति व्यक्ति देती है वह 1991 की जनसंख्या के आधार पर दे रही है जब कि इसकी रेट में बढ़ोत्तरी स्केल पर 185 प्रतिशत हो गई है लगभग 37.50 रुपए के स्थान पर जो अनुदान है, प्रति व्यक्ति वह सौ रुपए से अस्सी रुपए के बीच में करके राजस्थान की छोटी नगरपालिकाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से नगरपालिकाएं सुदृढ़ होंगी और अग्नि शमन सेवाओं की विशेष सुविधा आप प्रदान कराएंगे। जय हिन्द, जय राजस्थान।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता भदेल।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-29 पर सदन में अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं। मैं सबसे पहले तो इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उनकी एक सोच के माध्यम से 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर समारोह मनाया जाएगा और इसी का यह परिणाम है कि अजमेर में जब कार्यक्रम हुआ तो अजमेर को

(श्रीमती अनिता भदेल)

सौगात मिली। अजमेर नगरपालिका नगर निगम घोषित हुआ और इसके अतिरिक्त उनके आगमन की पूर्व तैयारियों के तहत अजमेर की सड़कें, अजमेर की सीवर की व्यवस्था, अजमेर की यातायात की व्यवस्था और भी बहुत सारी चीजें दुरुस्त हुई हैं जो पिछले 50 सालों में अजमेर शहर का जो स्वरूप है उसको निखारने की कोशिश कर रहे हैं, इस फैसले से वह 6 महीनों में निखर कर सामने आया है, पूरी जनता ने इसको महसूस किया है और इसके लिए अजमेर की जनता ने माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया। इन कामों को करने के लिए स्वायत्तशासी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। अजमेर नगर परिषद और अजमेर नगर सुधार न्यास, दोनों ने ही बहुत बढ़ी राशि इन कामों के लिए खर्च की है। यह राशि उनके पास आई तो सरकार ने ही निश्चित रूप से उनको दी है, सरकारी अनुदान के माध्यम से उनको मिली है और उन्होंने अपने सोर्स डवलप करके यह राशि इकट्ठी की है। इसलिए मैं कुछ सुझाव इस प्रकार के यहां देना चाहूंगी और माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहती हूं कि यदि आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, आपकी कोई पाई नहीं लगेगी और कर्मचारी भी खुश हो जाएंगे और जो हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए किया है सिर्फ स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी ही क्यों पीड़ित रहें, बिना बजट के, बिना पैसे के यदि उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है तो निश्चित रूप से हमें उसे करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी थे तो उन्होंने चुंगी समाप्त की थी, चुंगी समाप्त करने के बाद वहां के जो नाकेदार थे और जो वहां के कर्मचारी थे उनको कई जगह एडजस्ट भी किया गया और अग्नि शमन सेवा केन्द्र जो नगर निगमों में संचालित हैं, वहां पर उनको बाकायदा सरकारी स्तर पर फायर मैन की ट्रेनिंग दिलाई गई और ट्रेनिंग दिलाने के बाद वे कर्मचारी वहां पर आज भी कार्यरत हैं। अपने जीवन को जोखिम उठाकर गाड़ियां लेकर जहां भी आग लगती है वहां जाते हैं, काम करते हैं, दमकल कर्मियों के साथ, लेकिन चूंकि वह फायर मैन के पद पर समायोजित नहीं किए गए हैं आज तक भी इस कारण से जो फायर मैन को सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वर्दी जो उनको मिलनी चाहिए, दूसरी चीजें जो उनको मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती हैं। बाइ चांस यदि वहां जाकर के उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर दमकल कर्मियों को मृत्यु उपरान्त जो राशि मिलती है, उनको वह नहीं मिल सकती तो यदि हम जो थोड़े

(श्रीमती अनिता भदेल)

बहुत कर्मचारी हैं उनके लिए यह व्यवस्था कर दें तो जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं उनका तो प्रश्न ही नहीं है लेकिन जो फायर मैन के आधार पर फायर मैन के पद पर काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को यदि हम यह सुविधाएं दे देंगे तो शायद उनका भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे और वह भी बहुत ऊर्जा से और बहुत ही अच्छी भावना से अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त...(व्यवधान)

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय सभापति महोदाय, प्रद्युम्नसिंहजी कुछ खा रहे हैं चबा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): अपने यहां नियमों में व्यवस्था है, पढ़कर सुनाऊं आपको, आपने प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बनाए।... (व्यवधान)।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): जब भी अनिताजी बोलती हैं आप बीच में इण्टरप्ट करते हैं। अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य जब भी बोलती हैं तो हमेशा उनको आप बीच में डिस्टर्ब करते हैं, बोलने भी नहीं देते हैं।

**श्री हीरालाल** (निवाई): आप क्यों खड़े हो गए बीच में।

**श्री सभापति**: वैसे 269 में है"...''shall not smoke or drink water or any other potable or eat anything in the House." खैर, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं। माननीय सदस्य, आप बोलें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, अभी हम सब चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान की जितनी नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं, उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में बता रहे थे कि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। यदि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक करनी है तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारे उपाय ऐसे करने पडेंगे जिससे जनता पर टैक्स भी नहीं लगे और नोन टैक्स की जो रेवेन्यू आती है उसको ठीक ढंग से हम कलेक्ट कर पाएं, जितनी हम कलेक्ट करते हैं उससे शायद चार गुना ज्यादा कलेक्ट कर सकेंगे यदि हम कर्मचारियों पर ठीक ढंग से ध्यान दे पाएं। उनकी सुविधाओं का ध्यान दे पाएं, उनके जो नियमित वेतन-भत्ते मिलते हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम नान टैक्स रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा संग्रहीत कर सकेंगे।

माननीय मत्री महोदय, अभी चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग रखी थी उसको मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी। जो अनुदान आप दे रहे

(श्रीमती अनिता भदेल)

हैं वह 1991 की जनसंख्या के आधार पर दे रहे हैं। पर 2001 निकल चुका है, अभी 2008 चल रहा है और यदि हमने इस अनुदान को नहीं बढ़ाया तो निश्चित रूप से उनकी जो वित्तीय स्थिति है वह और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और हमारी भावना है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं और पावर्स उनको दें, और काम उनको दें तो कर्मचारी नहीं होंगे तो कैसे हम काम कम्पलीट करा पाएंगे। इसको देखकर आप ठीक प्रकार से लागू कर सकें तो इन संस्थाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी।

इसी प्रकार से नगरपालिकाओं के कर्मचारियों का वेतन है और सर्विस नियम हैं ये दोनों ही राज्य कर्मचारियों के समान हैं, पर इन पालिकाओं में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको राज्य कर्मचारियों के समान चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसके लिए वित्त विभाग और विधि विभाग ने बहुत सारी चीजें अपनी बतायी हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि हम यह चाहते हैं कर्मचारियों से ठीक प्रकार से काम लें तो इस ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरी जानकारी में यह भी आया है कि नगरपालिकाओं में इन दिनों जो 10-10, 12-12 साल से दैनिक श्रमिक काम कर रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट पर दो हजार रुपये में या डेली वेजेज की मिनिमम मजदूरी है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। उनको 10 साल हो गये, कई लोगों को 20-20 साल हो गये, उनकी शादियां हो गईं, उनके बच्चे हो गए, वे कालेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वे कर्मचारी उसी मानदेय में काम कर रहे हैं। हम उन कर्मचारियों को नियमित कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको यह ध्यान होगा कि इन कर्मचारियों के लिए कार्यवाही चल रही है, जो पत्रावली चल रही है, वह पत्रावली प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत हो चुकी है और इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। यदि हम इस पत्रावली पर ध्यान देंगे, उसको उठाएंगे, उसके ऊपर से धूल झाड़कर उसकी तरफ भी देखेंगे तो शायद इन कर्मचारियों का भला हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने जेईएन के पदों को नियमित किया है, रानी और सुमेरपुर में जो जेईएन के पद थे, जो दैनिक वेतन पर काम कर रहे थे उसी भांति हम इनको भी कर देंगे तो हमारे जो कर्मचारियों की कम संख्या है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और जो लम्बे समय से डिमाण्ड कर रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए उसकी भी पूर्ति हम कर सकेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा इश्यू है, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि हमने बारहवें वित्त आयोग में यहां से बहुत सारे साधन नगरपालिकाओं, नगर परिषदों में भेजे हैं। नए इलेक्ट्रोनिक साधन भेजे हैं, नई सफाई की मशीनें भेजी हैं, नए डम्पर भेजे हैं, जेसीबी मशीनें भेजी हैं और जो डिमाण्ड की गर्इ थी उससे ज्यादा भेज दिये, क्योंकि हमें उस पैसे को ऑब्जर्ब करना था, किसी न किसी काम में लगाना था। आपने इतने सारे साधन तो भेज दिये, लेकिन उनको चलाने वाला वहां कौन है, उनको कौन चलाएगा, कर्मचारी है ही नहीं। हमारा वहां पर ड्राइवर ही नहीं है। इस पैसे को जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका क्या उपयोग है? यदि इतनी सारी मशीनें हमारे पास हैं और उनको चलाने वाले कर्मचारी हमारे पास नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपना पैसा व्यर्थ में लगाया है। हमको यह उपाय करना चाहिए कि किसी तरह से उनकी नियमित सर्विस हो, उनकी देखभाल हो, उनकी कोई जिम्मेदारी ले। हम कांट्रेक्ट बेस पर लगाएंगे, चार कर्मचारी लगा देंगे, कल वह जेसीबी मशीन लेकर गया, परसों तोड़कर ले आया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, न कोई देखने वाला है। इसलिए मेरा यह कहना है कि हमने इतने सारे साधन खरीदे हैं, नगरपालिकाओं को खरीदकर दिये हैं तो वहां कम से कम वाहन चालकों की व्यवस्था करें।

मैं इसमें एक सुझाव यह देना चाहूंगी कि हम नई फ्रेश भर्ती नहीं कर सकते, पर जो कर्मचारी वाहन चला रहे हैं, उन कर्मचारियों ने पुराने कर्मचारियों के साथ सीख-सीख कर चला लिये और अभी वे व्यवस्थार्थ वाहन चला ही रहे हैं, पर वे ड्राइवर की पोस्ट पर कार्यरत नहीं हैं, उनको प्रमोशन नहीं दिया ड्राइवर की पोस्ट पर। कम से कम उन कर्मचारियों को ड्राइवर की पोस्ट पर प्रमोशन दे दें ताकि उनकी जिम्मेदारी तो उस वाहन के प्रति बन जाएगी। इसलिए यदि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब यह सुनिश्चित करके ही वाहन खरीदे जाएं कि इसको चलाने वाला कौन व्यक्ति है, कैसे इसको चलाएंगे, कैसे इसकी मेंटिनेंस होगी तभी हम उसको उपयोग कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1998 में जो चुंगी समाप्त की गई थी तो मैंने आपको पहले भी जैसा फरमाया है कई लोग तो फायरमैन का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी चुंगी समाप्ति के बाद में समायोजित

(श्रीमती अनिता भदेल)

किये गये, जैसे नाकेदारों को कनिष्ट लिपिक बनाया गया। अब कनिष्ट लिपिक और नाकेदार का पद समान ग्रेड का है। जब राजस्थान में नाकेदार का पद रहा ही नहीं और उन्हें कनिष्ट लिपिक बना दिया। इसमें एक टैक्नीकल प्रोब्लम है वह मैं आपको बताना चाहूंगी कि नाकेदारों को कनिष्ट लिपिक बनाया है और कनिष्ट लिपिक का जो प्रमोशन है इसमें बताया गया है कि जब हम उनको प्रमोट करें तो नाकेदार कनिष्ट लिपिक से उसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर यदि हम प्रमोट करते हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर यदि हम उसको प्रमोट करते हैं तो कर्मचारी की प्रमोशन की तकनीकी समस्या है क्योंकि आगे उनको प्रमोशन का कोई विकल्प ही नहीं है वे कनिष्ट लिपिक बनकर ही समाप्त हो जाएंगे, एंड तक अपनी सर्विस कनिष्ट लिपिक के पद पर करते रहेंगे इसलिए उनके आगे प्रमोशन के चांस रहें, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले तो उन कर्मचारियों का हम भला कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात अलग से है वह मैं आपको बताना चाहूंगी। जमीनों से जुडे हुए बहुत सारे प्रकरण हैं जो लिटिगेशन में चले जाते हैं। कई बार जमीनों पर कब्जा हो जाता है। नगर परिषद की जमीनों पर, नगर निगम की जमीनों पर अतिक्रमण हो जाता है और वह अतिक्रमण इसलिए होता है कि हमारे यहां न तो पटवारी की पोस्ट है जो उसका डिमार्केशन कर सके कि यह नगर परिषद की जमीन है या यह नगर निगम की जमीन है। आजकल नगर निगमों में और नगर परिषदों में पटवारी की पोस्ट तो है ही नहीं। आये दिन झगड़े होने के कारण रोज लिटिगेशन में यदि नगर परिषद उसकी नीलामी करके उसको बेचना भी चाहती है तो नहीं बेच सकती, क्योंकि उसे अपनी जमीनों के बारे में पता ही नहीं है। कई अधिकारी रोज स्थानान्तरित हो जाते हैं। तो जो काम करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई काम करना भी चाहता है जितनी भी नगर निगम के पास जमीन है उनको लैण्ड बैंक खुद का बने, एक तो मैं यह बात कहना चाहूंगी प्रत्येक नगर परिषद का, प्रत्येक स्थानीय निकाय का खुद का एक लैण्ड बैंक होना चाहिए।

**श्री सभापति**: अनिताजी, आप बहुत अच्छा कह रही हैं, पर कंक्लूड करें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): अभी तो शुरूआत हुई है।

**श्री सभापति**: किसी को भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं दिया।

**श्री हीरालाल** (निवाई): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के तो केवल पांच हैं, बैंचेज खाली पड़ी हैं, पांच ही आदमी हैं।

**श्री सभापति**: विराजें आप। हीरालालजी, बार-बार टोकाटाकी नहीं। वे अपना काम जानें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगी कि कुछ पटवारियों के पद नगर परिषदों में सृजित किये जाएं ताकि उनकी जो जमीन है उसकी देखभाल हो सके, उनका डिमार्केशन हो सके कि कौन से खसरा नम्बर में कहां उनकी जमीन मौजूद है। इसके अतिरिक्त टाउन प्लानिंग की बात सभी माननीय सदस्यों ने कही। मैं अजमेर के संदर्भ में यह बात कहना चाहूंगी कि जब अजमेर का मास्टर प्लान बना तो उस मास्टर प्लान में कुछ रोड्स को अव्यावहारिक रूप से किसी रोड की चौड़ाई बढ़ायी गई और उस रोड की चौड़ाई बढ़ने के कारण से भू-रूपान्तरण के प्रकरण हैं उनका हम निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि वे इस बात को देखें कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। आपने जो मास्टर प्लान बनाया है उसमें एक बात नीचे लिखी है वह मैं कोट करना चाहूंगी ''जहां सड़क की वास्तविक चौड़ाई या मार्गाधिकार वर्तमान में कम है वहां एकल सम्पत्ति की गहराई उतनी ही दूरी के लिए बढ़ जाएगी जितनी कि उस सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई सड़क के उस तरफ एवं उस भाग में मध्य रेखा से कम पड़ रही हो। एकल सम्पत्ति की यह बढ़ी हुई गहराई जो कि सड़क के मार्गाधिकार कम होने के कारण मिली है यह अनिवार्य रूप से सेट बैक के साथ खुली छोड़ी जाएगी जब तक कि स्थानीय निकाय सड़कों के विकास एवं अन्य सेवाओं के विस्तार हेतु इस भूमि का अधिग्रहण'', इसमें अधिग्रहण शब्द लिखा है। मंत्री महोदय, क्या यह व्यावहारिक है हम कामर्शियल एरिया में और वो भी शहर के मुख्य मार्गों में हम सड़क की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हम अधिग्रहण करेंगे? क्या यह व्यावहारिक है और अधिग्रहण करेंगे तो अरबों रुपया आपके पास अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए है? हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हमने क्यों उस मास्टर प्लान में उस सड़क की चौड़ाई, जो 60 फुट या 65 फुट मौजूद है उसको 120 या 160 फुट कर दिया? इससे भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी जो चौड़ाई मास्टर प्लान में होनी चाहिए वह आपके पास नहीं है, फिर आप जब भू-रूपान्तरण के लिए अपना आवेदन नगर परिषद में जमा कराते हैं तो वहां यदि आपकी सेटिंग हो गई है तो ठीक बात है, नहीं सेटिंग हुई तो इस सड़क की

(श्रीमती अनिता भदेल)

चौड़ाई इतनी है इसलिए इस केस को रिफ्यूज किया जाता है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। हम वही काम करें जो वास्तव में धरातल पर कर सकते हैं। यह मैं बताऊंगी कार्यालय, नगर परिषद्, अजमेर की आम सूचना यह विज्ञापन निकला है, इसमें सड़क की चौड़ाई उन्होंने प्रस्तावित की, जो मास्टर प्लान में जैसे आगरा गेट चौराहे से जयपुर गोल्डन तक 45 फीट, मौजूदा सड़क की चौड़ाई 45 फीट है और अधिकतम 60 फीट है, मास्टर प्लान के अनुसार इसकी चौड़ाई मास्टर प्लान में जो प्रपोज की है, 160 फीट से 200 फीट प्रपोज की है।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): और प्रस्तावित जो नगर निगम है और अजमेर नगर निगम जो प्रस्तावित चौड़ाई वह 65 फीट फिर भी 5 फीट उसको एक्वायर करनी पड़ेगी।

**श्री सभापति**: अनिताजी, समाप्त करें अब आप।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): 5 फीट के एक्वायर के लिए उसको बहुत सारा पैसा मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा तो हम यह काम कैसे करेंगे ? आप यह बताइए।

**श्री सभापति**: बिराजें आप।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): मैं दो बातें अपने विधान सभा क्षेत्र की ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा इश्यू है।

**श्री सभापति**: आप अपने क्षेत्र की ही कहें न। (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): बहुत जरूरी है।

**श्री सभापति**: सब लोग सारे राजस्थान की, इंटरनेशनल बातें करने के आदी हो गये, अपने क्षेत्र की बात तो ... (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): मैं इंटरनेशनल बात नहीं कर रही हूं।

**श्री सभापति**: You can conclude it within 5 minutes.

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): मैं अजमेर के मास्टर प्लान की बात कर रही हूं, कोई भी इंटरनेशनल बात नहीं की है या कर्मचारियों से संबंधित बात की है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और चाहूंगी कि भू-

(श्रीमती अनिता भदेल)

रूपांतरण के प्रकरण हैं, वह आप भू-रूपांतरण के प्रकरण का निस्तारण करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के 173 'क' के अन्तर्गत इसमें जो पैरा ग्राफ लिखा हुआ है, उस पैरा ग्राफ को मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। ''राज्य सरकार किसी नगरपालिका, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य संकाय या प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवत्त किसी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति की नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कोई भूमि जिस प्रयोजन के लिए, इस लाइन को मैं वापस पढ़ लूं, नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कोई भूमि जिस प्रयोजन के लिए मूल रूप से आबंटित की गई या नहीं की गई थी जहां मास्टर प्लान लागू है, वहां के प्लान में वर्णित प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति उस भूमि का उपयोग नहीं करेगा और न ही ऐसा करने की अनुमति देगा, वह अपना भू-रूपांतरण जिस एक्ट के माध्यम से करते हैं 173 की जो 'क' धारा है, उसके अनुसार यह है। अब आपने इस एक्ट में लिखा है कि जो लैंड आप अलाट करेंगे या आबंटित करेंगे उसी का लैंड यूज आपको चेंज करने का अधिकार है। माननीय सभापति महोदय ,हो क्या रहा है? यूआईटी में जो लैंड यूज चेंज के प्रकरण जाते हैं, जो नगर परिषद् में लैंड यूज चेंज के प्रकरण जाते हैं उसमें जो नगर परिषद् में लैंड अलाट नहीं की, स्वयं खातेदारी लैंड है और स्वयं पीपी लैंड है, पीपी डिक्लेयर वह लैंड है और जब वह अपना लैंड यूज चेंज कराने के लिए वहां जाता है, मास्टर प्लान के अनुरूप क्योंकि मास्टर प्लान में अब उसका चेंज हो गया इसलिए भी वह वहां जा रहा है तो भी उससे लैंड यूज के चार्जेज लेते हैं, जब कि यह 10 कोर्ट के डिसीजन हैं जिसमें माननीय डाइरेक्टर महोदय ने स्वयं एक कोर्ट के डिसीजन के रेफरेंस में जो आदेश निकाला है, उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। नगरपालिका चूरू द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, कृपया आसन की तरफ देखें, इधर-उधर मरमरिंग नहीं हो।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): यह विषय मैं समाप्त कर रही हूं। प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 19.2.2004 की न्याय हित में पुष्टि की जाकर... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय जोशीजी, माननीय मंत्रीजी, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। भवानीजी, माननीय जोशी साहब, मंत्री साहब, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है।

**श्री सभापति**: 8 बार आवाज दी आपको इधर देखें आप, Be alert. This is not a gossiping centre.

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि धारा 73 क के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही उन्हीं मामलों में की जा सकती है जो भूमि राज्य अथवा नगर पालिका द्वारा आबंटित की गई है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा होपचंद बनाम नगर परिषद्, अजमेर एवं नगर निगम, जोधपुर बनाम राजेन्द्र भण्डारी के प्रकरण में निर्णय पारित किया है कि जिन मामलों में भूमि राज्य अथवा नगर पालिका द्वारा आबंटित नहीं की गई है उनमें भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। उपरोक्त प्रकरण में भी राज्य सरकार अथवा नगर पालिका द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अत: प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही का औचित्य प्रतीत नहीं होता, अत: तदनुसार कार्यवाही की जाए। इस प्रकार से हमारे यहां जो सिलसिला चल रहा है।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या– 29 नगर आयोजना पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन की अनुमति है ?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

बोलिए, अब एक मिनट में कन्क्लूड कर दें आप।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): मैं दो-तीन मिनट और लूंगी।

**श्री सभापति**: नहीं, अब नहीं।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें करना चाहूंगी।

**श्री सभापति**: फिर मेरा बैठना व्यर्थ हो जाएगा यहां।

# मांग संख्या-29 पर अग्रेत्तर विचार

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): नहीं, नहीं। मैं खतम कर रही हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना-सा चाहती हूं, इस विषय को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि जो लोग जानते हैं नियमों के बारे में और नगर परिषद् से डिमांड नोटिस लेते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं, वहां कोर्ट में लड़ते हैं, वहां डिसीजन करा कर लाते हैं और फिर इस प्रकार का डाइरेक्टर महोदय आदेश निकालते हैं कोर्ट के आदेश के आधार पर, फिर वह वैसा ही करते हैं तो क्यों न हम एक जनरल पालिसी बनाएं कि भाई, आप इन केसेज में भू रूपांतरण करेंगे, इन केसेज में नहीं करेंगे ताकि यह भ्रष्टाचार जहां से पनपता है, उसको रोक सकें और सभी व्यक्तियों के लिए एक समान पालिसी होगी तो सब को लगेगा कि हमको जमा कराना है, हमको जमा नहीं कराना है। आधे लोग तो इसी भ्रम में जमा नहीं कराते कि पता नहीं, हमारे लगेगा या नहीं लगेगा।

एक दूसरा विषय यह है कि आजकल हमारे नगर परिषद् के डिमांड नोटिस जारी नहीं होते हैं। उनको पता है कि डिमांड नोटिस जारी होते ही कोर्ट चले जाएंगे तो सेल्फ असेसमेंट के आधार पर आप जमा करा दीजिए तो यह क्या सिलसिला हुआ, भाई सेल्फ असेसमेंट कैसे जमा कराएगा व्यक्ति तो इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए और तकनीकी समस्या का समाधान करके लोगों को रिलीफ दिलाने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय बहुत जरूरी है इसलिए मैं बोलना चाह रही हूं कि 90 बी की कार्यवाही राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी की कार्यवाही जो होती है उसके तहत कृषि भूमियों का नियमन किया जाता है। अब हमारे यहां कृषि भूमियों का नियमन तो हो रहा है पर उसका डिस्पोजल उसके एक्ट के तहत न होकर के यूडीएच विभाग के लैंड डिस्पोजल रूल, 1974 के तहत हो रहा है। बताइए अब, कितनी बड़ी गलती आरएएस और आईएएस अधिकारी कर रहे हैं ? मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों को इस रूल्स के तहत पट्टे जारी करते हैं, क्या आप उनसे वापस लेकर के नये पट्टे जारी करेंगे ? मतलब आप यह चीजें देखें, छोटी-छोटी चीजों के ऊपर कार्यवाही किस एक्ट के तहत कर रहे हैं, पट्टे किस एक्ट के तहत जारी कर रहे हैं, क्या यह हो सकता है और यह इसका प्रमाण है, मैं आपको टेबल कर देती हूं यह तो। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं बताना चाहूंगी।

**श्री सभापति**: अब आप बैठें ...(व्यवधान) बिराजें आप।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): हमारे यहां सिर्फ चार समस्याएं हैं।

**श्री सभापति**: सारी।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां आनासागर झील है और आनासागर झील में ओवरफ्लो से निकलने वाली एक एस्केप चैनल बनाई गई थी। आज उस एस्केप चैनल ने नाली का रूप ले लिया। पूरी नालियों का गंदा पानी डिस्पोजल उस नाली के अन्दर किया जाता है जिसके कारण से पूरी कालोनी चाहे वह सुन्दर विलास हो, नगीना बाग़ हो, चाहे गुर्जर धरती हो, चाहे नगरा हो, चाहे बिहारी गंज हो, इस पूरे क्षेत्र से वह गंदा पानी होकर के निकलता है।

**श्री सभापति**: माननीय बृज किशोरजी शर्मा।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): और इसके कारण से वहां जो लोग रहते हैं।

**श्री सभापति**: बिराजिए आप।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): वह नारकीय जीवन जी रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस एस्केप चैनल की सफाई के लिए और इसका यदि हम कवर्ड कर सकें।

**श्री सभापति**: बिराजें आप, बहुत अच्छा बोलीं, अमूल्य सुझाव दिये।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): ताकि कचरा इसके अन्दर नहीं चले तो हम उस जनता को रिलीफ दे पाएंगे। एक, माननीय सभापति महोदय, मैं एक और कहना चाहूंगी कि हमारे यहां, आप यह बताएं कि क्या कोई आदेश ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कहने को तो मैं भी एक घंटे तक कहता पर मैं अपनी लिमिटेशन से ही बात करता हूं।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): मेरे कृषि भूमि के जो पट्टे हैं वह जारी नहीं हो रहे हैं, नगर सुधार न्यास में, ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: फिर मैं किसी को कह नहीं सकता।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): अजमेर नगर सुधार न्यास से कृषि भूमि का नियमन का काम ठप्प पड़ा हुआ है, कम से कम 7 हजार केस हैं और वह लोग आकर रोज-रोज अपना दबाव बनाते हैं कि किसी तरह से हमारा नियमन हो जाए, वह कोई अतिक्रमी नहीं है, खातेदार हैं, कृषि भूमि के खातेदार

(श्रीमती अनिता भदेल)

हैं, अपना नियमन कराना चाहते हैं, उन्होंने मकान बनाये, पेनल्टी भी देना चाहते हैं लेकिन वहां कृषि भूमियों के नियमन का काम ठप्प पड़ा हुआ है और जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि राज्य सरकार ने बनाया है।

**श्री सभापति**: बिराजिए।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): इसलिए आप रिटन में इसका कोई आदेश दें कि ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आप बिराजें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): कितने दिन में आप इसका निस्तारण करेंगे, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: बिराजें आप। धन्यवाद। माननीय बृज किशोरजी शर्मा।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-29 पर सदन चर्चा कर रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं सबसे पहले मांग संख्या-29 पर जयपुर विकास प्राधिकरण के जेडीसी महोदय आदरणीय डीबी गुप्ता साहब, जिन्होंने जेडीसी के पद पर आने के बाद जिस तरीके से जयपुर में 90बी की कार्यवाही को लेकर जो धांधलियां और जो जयपुर शहर ही नहीं राजस्थान का एक-एक आदमी इस बात को जानता था कि 90की कार्यवाही को लेकर क्या-क्या नहीं हुआ। यह भी एक इम्पोर्टेंट विषय है कि जेडीसी गुप्ता साहब के कार्यकाल में तत्कालीन मंत्री महोदय ने 90बी की कार्यवाही के अधिकार भी अपने से लेने की कोशिश की। और एक-आध दिन लिये भी। मैं आशा करता हूं कि अब जो नये मंत्री महोदय आये हैं वो और आदरणीय गुप्ताजी मिलकर कुछ करेंगे। आज जयपुर में ही नहीं, राजस्थान के लिए मैं खासतौर से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और जे.डी.सी. साहब से निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में जितनी 90बी के लिए एप्लिकेशंस पैण्डिंग हैं उनका गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करेंगे जिससे जो जयपुर में आम जनता में एक मैसेज गया हुआ है कि 90बी की कार्यवाही जब तक नहीं होगी जब तक इसमें कुछ ऊपर-नीचे का नहीं किया जाएगा। जब तक मैं समझता हूं कि.....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि रिलेवेंट बात पर बोलें तो समझ में आये। क्या ऊपर और क्या नीचे, ऐसे तो फिर हम समझौता समिति की बात कहने लगेंगे तो ठीक रहेगा क्या? इनके पास कोई तथ्य हैं तो रखें नहीं तो ऐसे तो सदन का समय जाया हो रहा है। क्या मतलब है ऊपर-नीचे का?

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ऐसा है कि माननीय संसदीय मंत्री जी, ऊपर-नीचे के बारे में जानते हैं, पुराने राज में ये पुराने नेताओं का घर है तो ऊपर-नीचे की बात को देखा हुआ है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजें-विराजें।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, ऊपर-नीचे का मतलब यह है कि दो साल की 90बी की जांच करवा रहे हैं, दो साल की 90बी की जांच करवा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ......देश आजाद हुआ तो पीछे की जांच कराओगे। राज गया था उसमें क्या-क्या समझौते हुए, किस-किस की जांच कराओगे?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बोल रहे हैं उनको बोलने दें। (व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय संसदीय सचिव साहब, विराज जाएं।

**श्री सभापति**: कृपया कोई डिस्टर्बेंस नहीं करें। आप टू-द-पाइंट बात करें और रिलेवेंट बात करें। फरमायें आप।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): मैं टू-द-पाइंट बात कर रहा हूं। माननीय सभापतिजी, ऐसा लगता है कि इनके 'चोर की दाढ़ी में तिनका' नजर आता है। (व्यवधान) मैं इस 90बी के प्रकरण को ही खतम कर देता हूं जिससे इनका उछलना बंद हो जाए।

**श्री सभापति**: विराजें।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, जयपुर में नगर निगम बनी और नगर निगम बनने के बाद आज से चार साल पहले.... (व्यवधान) माननीय सभापतिजी, हाउस को आर्डर में ले आयें तो मैं बोल सकूं। माननीय सभापति महोदय, चार साल पहले यहां पर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बनी। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम थी लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में जयपुर शहर में कचरे के

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

निस्तारण के लिए 80 रुपये टन में कचरा निस्तारण किया जाता था और आज जब से यह नगर निगम आई है तब से यहां के कचरे का निस्तारण 80 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक हो गया। 5 गुना बढ़ने के बावजूद आज जयपुर शहर के अन्दर किस तरीके से गंदगी का आलम रहता है और गंदगी की वजह से किस तरीके से बीमारियों का आलम रहता है यह सारा शहर इस बात को जानता है। जिन शर्तों पर यह नया कांट्रेक्ट दिया गया उन शर्तों का भी सीधा सीधा उल्लंघन होता है। सारे कचरे को खुले टैंकरों में, ट्रैक्टर्स में, डम्पर्स में ले जाया जाता है और उसका प्रोपर जगह पर भी निस्तारण नहीं किया जाता। चाहे वो वी.आई.पी. एरिया हो, चाहे जयपुर शहर की कच्ची बस्तियां हों, जयपुर शहर की गलियां हों लेकिन कचरे के ढेर इस तरीके से पड़े रहते हैं कि जिसकी कोई सार-संभाल करने वाला नहीं है। इसी कचरे को उठाने के लिए नगर निगम द्वारा ठेकेदारों से नाले की सफाई, सीवर लाइन की सफाई की भी व्यवस्था की गई थी लेकिन आज तक हर साल, हर वक्त जून के अन्दर यह घोषणा की जाती है कि जयपुर शहर के एक-एक नाले की सफाई कर दी जाएगी लेकिन मैं चुनौती के साथ में कह सकता हूं कि 25 प्रतिशत नालों की भी सफाई नहीं होती और उसका सारा का सारा पेमेंट उठा लिया जाता है। सारे मैन-हाल टूटे पड़े हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। सीवर लाइन चोक होती है और अकेली सीवर लाइन की वजह से जयपुर शहर को दूषित पानी पीना पड़ता है और दूषित पानी की वजह से आज जयपुर शहर के अन्दर 11-11 मौतें हो गईं और उसके बावजूद यह सरकार नहीं चेतती है। एक्सीडेंट में करने वालों को तो मुआवजा दे सकती है लेकिन जयपुर शहर में मानवीय मूल्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए दूषित पानी से मरने वालों को मुआवजा देने के लिए यह सरकार कटिबद्ध नहीं है।

यह सरकार जब शासन में आई उसके पहले इनके घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम हाउस टैक्स खतम कर देंगे। कांग्रेस ने जब इस बात को लेकर आंदोलन किया तो इनके कान पर जूं रेंगी और बहुत मजबूर करने के बाद इन्होंने हाउस टैक्स को समाप्त तो किया लेकिन उसके साथ पीछे के दरवाजे से नगरीय विकास कर थोप दिया। चाहे वह हाउस टैक्स का नाम है, चाहे नगरीय विकास कर का नाम है, जनता आपकी सब चीजों को जान चुकी है और वो समझ चुकी है कि आप कितने +++ हैं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): 400 गज तक का तो हाउस टैक्स माफ है। नगरीय विकास कर उन पर नहीं लगा।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माफ करें, आप विराज जाएं।

**श्री सभापति**: विराजें। माननीय गुप्ता साहब, विराजें। आप पहले बोल चुके 40 मिनट। बहुत है, अब दूसरों को बोलने दो। विराजो।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ये आधे तथ्य बोलते हैं, मिस रिप्रजेंटेशन करते हैं, असत्य बोलते हैं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): 300 गज का।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): 300 गज का तो हो गया न। आम आदमी के लिए तो माफ हो गया।

**श्री सभापति**: विराजें-विराजें। समय जाया नहीं करें। माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें आप।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): अब क्रेडिट ये भी ले रहे हैं कि हमारे आंदोलन के कारण हुआ। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने कहा है कि नगरीय विकास कर लगाओ आप।

**श्री सभापति**: वह बाद में कह देना, आप मंत्रीजी को कह दो, रिप्लाई में वो कह दें। आप प्लीज, बैठिये।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): अगर हम नहीं लगाते तो हमारी केन्द्रीय योजनाओं में वित्त पोषण रोक देते ये। (व्यवधान) सारा पैसा रोक देते।

**श्री सभापति**: आप विराजिये। आप विराजें। मंत्रीजी को बता दें। कोई बात होगी तो कह देंगे।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जब भाषण दिया तब तो भूल गये और अब किश्तों में याद आ रही है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): किश्तों में याद नहीं आ रही है, मैं इनको बता रहा हूं कि आपकी केन्द्रीय सरकार ने नगरीय विकास कर लगाने के लिए हमको बाध्य किया।

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, रिप्लाई दे दें, आप उन्हें कह दें। विराजें।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप शायद यह बात पहले बता देते तो सुरेन्द्र गोयल की जगह आपको मिनिस्टर बना दिया होता। यह शायद

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आप पहले मुख्य मंत्रीजी को बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। (व्यवधान) अब वो तो एक ही बात है, कालीचरणजी बन गये, अब एक ही बात कहने से काम चलता नहीं है, काम तो खुद के करने से होता है। आप अपना कितना ही मुंह छिपाओ लेकिन यह जो नगरीय टैक्स लगा है यह जनता को मालूम है।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सिर्फ मकान बनाकर के गरीबों को या लेने वालों को देता है। लेकिन अभी एक प्रकरण सामने आया है कि प्रोजोन लिबर्टी इंटरनेशनल को, बहुउद्देश्यीय कम्पनी को, बहुउद्देश्यीय इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना हेतु मानसरोवर के अन्दर वी.टी. रोड पर 4 लाख 32 हजार 831 वर्ग मीटर जमीन, जो कि कामर्शियल है वह, इस कम्पनी को देने का प्रस्ताव आया है। यह प्रस्ताव जिन शर्तों पर आया है उसमें सिर्फ 72 करोड़ रुपया और 25 प्रतिशत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर देने का प्रस्ताव आया है। माननीय सभापतिजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह 4 लाख 32 हजार 831 वर्ग मीटर की जो जमीन है उसी के पास में.....

**श्री सभापति**: कृपया थोड़ा धीरे बोलें। मेघवाल साहब, इधर देखें आप। जो बात करें वो आप पीछे जाकर कर लें।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): जे.डी.ए. ने जो बेची है वह 63 हजार रुपये वर्ग मीटर में बेची है और तत्कालीन हाउसिंग कमिश्नर जिनको न मालूम किन कारणों से हटा दिया गया। उन्होंने इस जमीन की कीमत 50,000 रुपये वर्ग मीटर मानी है। मैं समझ सकता हूं कि अगर यह इस प्रकार से निस्तारण नहीं हुआ हो तो माननीय मंत्रीजी, अपने जवाब में इस बात का खुलासा करेंगे कि ऐसा कोई भी गलत काम जो कि हाउसिंग बोर्ड जमीन बेच नहीं सकता, कामर्शियल लैण्ड बेच नहीं सकता, उसके एक्ट के अन्दर यह है, इसलिए मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी, आप काबिल मंत्री हो, ईमानदार मंत्री हो, ऐसा खोटा काम आप नहीं करेंगे जिससे आपकी छवि को ठेस पहुंचे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के अन्दर पिछले साढ़े चार साल से पार्किंग की समस्या को बराबर उठाता रहा हूं और तत्कालीन मंत्री महोदय जब भी मैंने यह बात उठाई तो हमेशा आश्वासन देते रहे कि मैं पार्किंग की व्यवस्था ठीक की जायेगी

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

लेकिन ठीक करने के नाम पर साढ़े चार साल गुजरने के बावजूद भी एक भी पार्किंग के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है, एक भी जगह पर पार्किंग का काम शुरू नहीं किया गया है। जयपुर के अन्दर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और उस यातायात के दबाव बढ़ने के साथ-साथ बहुत से कामर्शियल काम्प्लेक्सेज भी आ रहे हैं और मैं नगर निगम और जे.डी.ए. के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कंडीशन्स के आधार पर इन काम्प्लेक्सेज में जो पार्किंग की जगह छोड़ी गई है और छोड़ने के लिए अधिगृहीत की गई है, उस पार्किंग की जगह पर सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की जाये, न कि उस जगह को भी बेचकर उससे कामर्शियल मुनाफा किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्रीजी, ऐसे काम्प्लेक्सेज की जांच कराई जाये। तत्कालीन मंत्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि इसकी जांच कराऊंगा और दोषी व्यक्ति को सज़ा दिलाऊंगा लेकिन आज तक न तो एक भी कामर्शियल काम्प्लेक्स का चालान हुआ है और न ही कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही साथ जिस तरीके से पार्किंग के मामले में लूट हो रही है, दो रुपये की जगह पांच रुपये, पांच रुपये की जगह दस रुपये और कहीं-कहीं दस रुपये के स्थान पर 50 रुपये लिये जा रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जयपुर जिले की डी.एल.सी. की रेट के मामले में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि डी.एल.सी. की रेट बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है और जिला स्तरीय कमेटी में जिले के निर्वाचित प्रतिनिधि और जिले के सक्षम अधिकारी उसमें होंगे लेकिन अफसोस की बात है, बहुत विरोध करने के बावजूद इस बार जयपुर जिले में जो डी.एल.सी. की रेट बढ़ाई गई, वह जिला स्तरीय कमेटी में नहीं बढ़ाकर विधान सभा क्षेत्रवाइज बढ़ाई गई। मैं समझता हूं, यह जो रेट बढ़ाई गई है डी.एल.सी. की, यह गैर कानूनी है और यह रेट अगर बढ़ानी थी तो पूरी जिला स्तरीय कमेटी के सामने बढ़ानी चाहिए थी। इसमें सारे जन-प्रतिनिधि होते तो शायद अच्छा होता। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि जो इस तरीके का इल्लीगल काम हुआ है रेट बढ़ाने का, उसको वापस लेंगे।

**श्री सभापति**: माननीय, कन्क्लूड करें।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): मैं दो मिनट में कन्क्लूड करूंगा। आपके हुक्म की तामील करूंगा।

**श्री सभापति**: नहीं नहीं, ठीक है, फरमायें आप।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापतिजी, जयपुर शहर बढ़ रहा है, जे.डी.ए. की रेंज बढ़ रही है। हमने 30 किलोमीटर का दायरा करीब-करीब जयपुर शहर में ले लिया है और जयपुर शहर में 1,400 से ज्यादा कालोनीज अनरेगुलराइज पड़ी हुई हैं। जयपुर शहर में 30 किलोमीटर का एरिया ले लिया, जिसमें बहुत से गांव और ढाणियां आ गई और वह जे.डी.ए. के क्षेत्र में आ गया, वहां पर और कालोनीज बसने लग गई और उसकी वजह से इन कालोनीज को रेगुलराइजेशन के लिए कोई समय सीमा तय की जाये क्योंकि जब तक ज्यों-ज्यों क्षेत्र बढ़ता जायेगा, त्यों-त्यों कालोनीज बढ़ती जायेंगी। रेगुलराइजेशन का काम पेंडिंग चलता जायेगा और जब तक इस पर कोई स्पष्ट रूप से पालिसी नहीं बने, तब तक यह तलवार अनरेगुलराइज्ड कालोनीज पर पड़ी रहती है, उसमें मैं समझता हूं कि कोई न कोई सार्थक विचार करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी अपने जवाब में इस बात पर खास तौर से ध्यान देंगे।

मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। अभी कुछ दिन पहले आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आमेर की कुछ हवेलियों को खाली कराने का काम किया गया। उन हवेलियों को खाली कराया गया और उनको एक्वीजिशन के नाम से खाली कराया गया। मैं उस विवाद में भी नहीं जाना चाहता कि खाली कराने के बाद किन लोगों ने परचेज की। मैं समझता हूं कि यह वही हाल होगा, जिस तरह से आई.टी. सिटी, नोलेज कोरीडोर की घोषणा की गई और उसमें डर दिखाकर जिस तरीके से जमीन का भाव सरकारी प्रोपर्टी डीलरों द्वारा उन जमीनों को खरीदा गया और फिर उन आई.टी. सिटी, नोलेज कोरीडोर, वह अपने आप में वापस खतम हो गया। मैं समझता हूं इस तरह का जो काम है, वह गलत है, उसको रोका जाना चाहिए।

अंत में माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर मेरी बात को खतम करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे प्रश्न के बाद नगर निगम में लावारिस लाशों का जो घोटाला हुआ है और उसके बाद में जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है और ऐसे कामों पर पाबन्दी लगनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: बिराजिये धन्यवाद आपका। आदरणीय ज्ञानचन्दजी पारख साहब।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): मान्यवर, बीच में भी थोड़ा।

**श्री सभापति**: बुला लेंगे अभी, समय-समय सुन्दर सबै, समय पर सब सुन्दर होते हैं। चलिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चर्चा हो रही है शहरी विकास पर और शहरी विकास पर हमारी सरकार कितनी गम्भीर है और उनकी सरकार कितनी गम्भीर थी, यह सब को पता है।

जब महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत के काल में चुंगी जनता की मांग के ऊपर कि हमें इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसको लेकर बंद की गई तो चुंगी की एवज में नगर पालिकाओं को पर्याप्त पैसा मिल जाये और उस पैसे में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी भी होती रहे तो यह प्रावधान किया गया, यह व्यवस्था की गई कि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ हम अनुदान के रूप में नगर पालिकाओं को चुंगी का पुनर्भरण करेंगे। जब तक हमारी सरकार थी, हमने किया और 2001 में नगर परिषद या नगर पालिकाओं का वह पैसा जो उनका हक था, उसमें विगत सरकार ने पांच प्रतिशत की कटौती कर दी 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 में, वह बढ़ोतरी जो हमारी सरकार ने तय की थी, उसमें भी इन्होंने कटौती की। साथ में जो अधिकार हमने दिये थे स्थानीय निकायों को कि महापौर, सभापति या अध्यक्ष चाहे, अगर ऐसी आवश्यकता महसूस करे, कोई कार्य तत्काल कराया जाना आवश्यक है, बोर्ड की स्वीकृति से हो सकता है, विलम्ब हो जाये तो हमने उनको वित्तीय अधिकार भी दिये थे ताकि उन अधिकारों के बूते वह जनता के जो छोटे-मोटे काम या कोई जरूरी काम हैं वह कर सकें और इनकी सरकार ने क्या किया, दिये हुए अधिकार वापिस छीन लिये। जितने भी महापौर थे, सभापति थे या अध्यक्ष थे उनको अधिकारविहीन कर दिया। पर हमारी सरकार ने आते ही वह अधिकार वापिस उनको दिये ताकि विकास का जो कार्य शहरी निकायों में आवश्यक है वह कभी रूके नहीं। यही नहीं, हमने आयुक्तों के, ई.ओ. के अधिकार भी बढ़ाये, वित्तीय अधिकार भी बढ़ाये ताकि छोटे-मोटे काम वह भी अपने विवेक के अनुसार करवा सकें। आज अधिकारों का परिणाम है कि जो आवश्यक काम हैं वह समय पर हो जाते हैं वरना कई बार बोर्ड की स्वीकृति मिलती नहीं, बोर्ड के झगड़े होते हैं और आवश्यक काम रूक जाते हैं, उसकी परेशानी जनता को उठानी पड़ती है। हमारी सरकार ने जनता की इस परेशानी को समझ कर अधिकार दिये और जनता को

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

परेशानी से मुक्त कराया। यह भी जनता की बहुत बड़ी परेशानी थी लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स। उसको हटाना, वह भी हमारे हिस्से में है, और हाउस टैक्स, जिसको लेकर भी जनता परेशान थी, केन्द्र सरकार के दबाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने वह ऐतिहासिक काम भी कर दिखाया, आज हाउस टैक्स से सारे लोग मुक्त हो गये। बात करते हैं कि जमीन के कई प्रकरण हैं, समझौता समिति जो इन्होंने लागू की थी, पुन: लागू करके उन प्रकरणों को निपटाया। इनकी समझौता समिति के कारनामे हम देखें कि समझौता समिति की आड़ में इन्होंने जेडीए को कितना नुकसान पहुंचाया, अगर वह नुकसान नहीं होता तो जेडीए के पास आज कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त होते। सभापति महोदय, यह जानकारी है, यह विवरण है यह, समझौता समिति ने ऐसे ऐसे समझौते किये जिससे करोड़ों का जेडीए को नुकसान हुआ। एक खातेदार है छोटूराम पुत्र प्रताप व अन्य, ग्राम बीड़ खातीपुरा के खसरा नम्बर 193, 193/248, 194 कुल रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो आज की तारीख में लगभग 200 करोड़ रुपये की है, अल्सर एक्ट में अधिग्रहीत होकर वह जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम चढ़ भी गई थी। समझौता समिति ने राज्य सरकार के भूमि नियमन के आदेश 26.5.2000 की आड़ में चित्रकूट योजना की आरक्षित दर 1650 रुपये का पच्चीस परसेंट मात्र 412.50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मात्र छह करोड़ में समझौता कर दिया, दो सौ करोड़ की भूमि का छह करोड़ में समझौता। यह समझौता नहीं होता, यह बेइमानी होती है, इसको समझौता नहीं कहते, न इसको राहत पहुंचाना कहते हैं। साथ ही समझौता समिति ने दिनांक 14.10.2000 को निर्णय दिया लेकिन इससे पूर्व विगत सरकार 26.5.2000 के नियमन के आदेश में संशोधन कर 16.2.2000 का आदेश ला चुकी थी जिसके अनुसार जिन योजनाओं में दो बीघा से अधिक राजकीय भूमि सम्मिलित हो एवं पचास प्रतिशत से कम निर्माण है तो ऐसा नियमन राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति से 30.6.2003 को गठित किया था, उप समिति ही कर सकती है लेकिन विगत सरकार द्वारा भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने की नीयत से, गठित समझौता समिति ने नियम विरूद्ध तरीके से नियमन के आदेश दे दिये। इसमें भी लाखों, करोड़ों का घोटाला हुआ। इसके साथ ही 26.5.2000 और 16.2.2000 के आदेश सहकारी समितियों की भूमि के थे लेकिन समझौता समिति ने विधि विरूद्ध खातेदार को 60 बीघा भूमि के नियमन के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आदेश दे दिये, इसमें भी करोड़ों रुपये का जेडीए को नुकसान पहुंचा दिया और इसके अलावा..

**(समय : 17.24 बजे)**

**(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)**

मैं समझा था शायद आप इतने बड़े घोटाले हुए हैं उससे खुश होकर कि हमने बहुत अच्छा, बड़ा काम किया है, करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हां, पारख साहब, कंटीन्यू रखिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हैं, यह तो मैं तीन-चार उदाहरण दे रहा हूं आपको। और आबंटन में क्या किया आपने, आपके कार्यकाल में जो आबंटन हुए, आपकी सरकार के कार्यकाल में जो आबंटन हुए, वह अगर आप खुद देखें तो आपको खुद को शर्म आयेगी। सुराणा मल्टीप्लेक्स को आपने जवाहर सर्किल पर 17853 वर्गमीटर भूमि मात्र 1260 रुपये वर्गमीटर की दर पर आबंटित कर दी उसको, कामर्शियल के नाम से मात्र सवा दो करोड़ में। जब कि उसका मूल्य बीस करोड़ रुपये था। किसी गरीब को फायदा पहुंचाते, समझ में आ जाता। जिसके पास मकान नहीं है उसको छोटा-मोटा कब्जा होने देते तो भी समझ में आ जाता, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, जो पैसे से खरीदने की ताकत रखता है, आप उसको और पैसा दे रहे हो, और उसको फायदा पहुंचा रहे हो। साथ ही आपने मैसर्स ग्रीन फरह हास्पीटल को 23535 वर्गमीटर भूमि जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर केवल 1600 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से सवा चार करोड़ रुपये में आबंटित कर दी, जब कि उपरोक्त भूमि की उस समय की दर तीस करोड़ रुपये थी। यह अस्पताल कोई गरीबों के लिए चलता नहीं, या गरीब की यहां निशुल्क सेवा भी नहीं होती। किसी आप चेरिटेबल ट्रस्ट को यह भूमि दे देते तो शायद सब स्वीकार भी कर लेते, लेकिन आपको सिर्फ मात्र कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना है और फायदे का कुछ अंश उसमें से हमको भी अर्जित करना है, आपने तीस करोड़ की भूमि मात्र सवा चार करोड़ में दे दी, उनको आबंटित कर दी। साथ ही लाला चमनलाल एजुकेशन ट्रस्ट जिसके न तो कोई बाहर काम है, राजस्थान के बाहर, न राजस्थान में कोई विशेष काम है, उसको भी आपने एक रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 22054 वर्गमीटर जमीन दे दी आपने, जैसे कोई आपके घर की जमीन हो, राजस्थान की जमीन पर राजस्थान की जनता का हक है, मात्र आप लोगों का हक नहीं है कि आप चाहे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जिसको जैसे जमीन लुटा दो फोकट में। इसके साथ ही आपने वर्ल्ड ट्रेड पार्क, गोल्ड सुक, तत्कालीन गोल्ड सुक को आपने पच्चीस हजार की जमीन को मात्र छह हजार में, एक चौथाई रेट में दे दी आपने। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं आपके काल के। अगर यह घोटाले या ऐसे आबंटन या ऐसे समझौते अगर आपके काल में नहीं होते तो आज राजस्थान की स्थिति और होती। आप कह रहे थे न कि खजाना खाली है, खजाना खाली नहीं हुआ, आपके इन कार्यों से खजाना खाली हुआ। जहां से पैसा आता था वह पैसा सरकार के खाते में आपने डाला नहीं, पता नहीं किन लोगों के खाते में डाल दिया और आपके पांच साल का खजाना खाली रहा। अभी एक मेरे साथी विधायक भी कुछ बता रहे हैं कि बहुत सारे हुए हैं लेकिन बहुत सारे बताऊंगा तो शायद यह सदन जब तक चलेगा तब तक यह घोटाले सामने आते रहेंगे। मान्यवर, आज भी मैं कह दूं आपको कि आज शहरी विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। जो राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना हमारे राजस्थान में लागू हुई है उसके माध्यम से जो पैसा स्थानीय निकायों को मिल रहा है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि पर्याप्त मानीटरिंग हो जाये, यदि सही मानीटरिंग हो गई तो हमारे राज्य के जितने भी कस्बे हैं, जितने भी शहर हैं, निश्चित रूप से हम एक आदर्श कस्बा, एक आदर्श शहर के नाम से उनको संज्ञा दे सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे पाली में 250 करोड़ की स्वीकृति आई है इस योजना के तहत, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी है, 250 करोड़ की एक पाली शहर में। कहां पैसा लगाना, इसके लिए भी हमारे अधिकारियों को दिमाग लगाना पड़ता है कि पैसा इतना कहां खर्च करें, इतना पैसा हमारे आ रहा है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि पैसा आपने बहुत भेजा उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, मगर यह पैसा सही तरीके से लग जाय इसके लिए प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था भी आप निश्चित रूप से करें ताकि इसका उपयोग हमारी जनता को मिल सके और हमारा शहर भी अच्छा और सुन्दर हो सके। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ समस्याओं के बारे में जरूर कहना चाहूंगा।

हर एक विधायक की समस्या है कि आज सफाई की जो स्थिति बन रही है वह लगभग-लगभग हर शहर में काफी विकट हो गई है और उसका एकमात्र कारण है कि सफाई कर्मियों की जो संख्या है वह जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। केन्द्र सरकार ने पैटर्न बना दिया सफाई का कि एक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हजार पर दो जब कि पहले पैटर्न था एक हजार की आबादी पर चार सफाई कर्मचारी होंगे। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि हमारी पिछली सरकार ने जब माननीय भैंरोसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे तो राजस्थान की जितनी भी नगरपालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद थीं उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती की छूट मांगी तो उस समय जितनी छूट चाहिए वह मिली। मैं पाली का चेयरमैन था इसलिए मुझे पता है कि उस समय मेरे काल में भी 29 वर्ष बाद भर्ती हुई थी और मैं यह भी कह दूं आपको सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं होने से जो सफाई कर्मी परिवार हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है क्योंकि उनको कोई दूसरा रोजगार मिलता नहीं, कोई कह दे यह हरिजन है तो कोई दुकान में या कभी फैक्ट्री में लगाता भी नहीं उसको, उसका एकमात्र काम है, जो पढ़ा लिखा है वह तो और काम कर लेगा लेकिन उसका एकमात्र काम है वह कोई न कोई संस्थान में सरकारी कार्यालय में लग कर सफाई करें।

मेरा मंत्री महोदय से विशेष आग्रह रहेगा कि आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में कुछ सोचें और जो-जो नगर परिषद, नगरपालिकाएं सक्षम हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, जिनकी कमजोर है नहीं दे उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और वह नगर परिषद अगर आपसे सफाई कर्मियों की भर्ती की छूट मांगती है तो आप देने की कृपा करें। यह मेरा विशेष आग्रह रहेगा। साथ ही सफाई के जो उपकरण हैं, हो सकता है कि बड़े शहरों में आ गये हो वो लेकिन छोटे शहरों में सफाई के उपकरण अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कोई गहरा नाला सफाई करना है तो आज भी सफाई कर्मचारी को कमर-कमर पानी में या गंदगी में उतर कर वहां से फावड़ा लेकर गहरा नाला साफ करना पड़ता है। जहां बड़े नाले हैं वहां तो ढोलक से निकाल दे, कोई नहीं लेकिन जहां मैन हाल होता है वहां ढोलक काम नहीं आता, वहां उसको अंदर घुस कर तो आज जब जहां मानवाधिकार आयोग चाहता है कि हर मानव को सही काम मिले तो उसके लिए भी आवश्यकता है कि ऐसे जो सफाई के उपकरण हैं, कई छोटी नगर पालिकाएं हैं, उनके अधिकारियों को पता नहीं कौन-कौन से उपकरण आ गये? या किन-किन की आवश्यकता है आप ऐसा डोमेस्ट्रेशन रखें, उनको बताएं कि ऐसे-ऐसे उपकरण आ गये हैं और आप जो वित्तीय सहायता देते हैं, उस वित्तीय सहायता में प्रावधान कर दें कि इतना पैसा आपको उपकरणों में लेना है तो आपके जो यह सफाई वाली व्यवस्था है और सफाई कर्मचारियों की जो हालत खराब होती है नालों को साफ करते

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

समय इन दोनों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है और बढ़ती गंदगी से जो परिणाम है वह तो आप देखते हैं कि बढ़ती गंदगी से मच्छर और मच्छर से बीमारी और बीमारी से जो मौतें हैं तो बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा तो मच्छर पैदा नहीं हो इसके लिए भी हम क्या प्रयास कर सकते हैं? नाले-नालियों में तेल डालना है जला हुआ या चूना डालना है तो उसकी व्यवस्था हम करवाएं। पहले हमारे यहां फोगिंग की जो व्यवस्था थी बीच में एक बार फोगिंग का प्रकरण हो गया जयपुर में उसके बाद आदेश जारी कर दिया कि जितनी भी फोगिंग मशीनें हैं सारी बंद कर दो तो कई नगर पालिकाओं, नगर परिषद ऐसी हैं जहां फोगिंग मशीनें हैं लेकिन राज्य सरकार ने वापस पुनः कोई नया आदेश जारी नहीं किया जिसकी वजह से वह बंद पड़ी है। पाली नगर परिषद में एक फोगिंग मशीन मेरे चेयरमैन काल में खरीदी थी, एक बार चलने के बाद राज्य सरकार के आदेश के कारण वह अब तक बंद पड़ी है तो उस मशीन को दिखवाएं आप, अगर उस मशीन में कोई टेक्नीकल डिफेक्ट है या कोई कैमिकल डिफेक्ट है उसको ठीक करवाएं और ऐसी मशीनों का उपयोग लेकर मच्छरों से जनता को निजात दिलायें, साथ ही यह जो आपकी ठोस कचरा प्रबंधन योजना है...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): अभी मेरी तो दो-चार बातें हुई हैं। मेरे जो विषय खास हैं मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा पैसा आपने बहुत दे दिया है, 250 करोड़ रुपये दे दिया आपने पर आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि पैसा बहुत दे दिया लेकिन नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर आपने अंकुश नहीं लगाया तो हो सकता है आपका पैसा जनता के काम न आये, कुछ लोगों की जेबों में चला जाए। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था पाली नगर परिषद में फर्जी पट्टों के बहुत सारे प्रकरण हुए, लगभग एक दर्जन से ज्यादा पुलिस में मुक़दमे दर्ज हुए हैं, मात्र दो-चार कमजोर लोगों को हमने पकड़ लिया और उनको बंद भी कर दिया लेकिन इतने फर्जी पट्टे कैसे बने? उन फर्जी पट्टों पर इजास्ते कैसे जारी हो गई? उनके पीछे कौन-कौन है? कौन कौन दोषी है? उसकी जांच अभी भी चल रही है। एक सवा साल हो गया है मामूली-सा काम इतनी लम्बी जांच। जब आपने मान लिया कि फर्जी पट्टे बने हैं तो जहां भी भ्रष्टाचार की जांच का मामला है अगर आप इसमें दो-तीन साल

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निकाल दोगे तो वह बोर्ड ही भंग हो जाएगा फिर क्या कार्यवाही करोगे आप? इसलिए नगर परिषद में कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत आपको मिले तो पहले एक समय सीमा तय कर लें कि इतनी अवधि में उसकी जांच करें, आपको लगे कि यह दोषी है तो आप कार्यवाही करें और आपको लगे कि निर्दोष है, चाहे किसी की भी शिकायत हो, हम नहीं चाहते कोई निर्दोष को सज़ा मिले लेकिन जो दोषी है आपकी जांच की देरी की वजह से वह बच जाए तो फिर नगर परिषदों के माध्यम से आप शहर का विकास करना चाहेंगे यह कभी नहीं हो पाएगा। साथ ही यह जो आपने डोजर वगैरहा दिए हैं पाली में या कहीं भी दिए हैं यह डोजर है, बड़े-बड़े उपकरण आपने दे दिये, अजमेर की माननीय विधायिका ने भी यह मैटर उठाया है, मेरे अभी तीन डोजर हैं और तीनों पर पिछले 7-8-10 साल से कान्ट्रेक्ट पर ड्राइवर लेने की परम्परा रही है...

**श्री सभापति**: अब आप आपके कोई सुझाव है तो बताइये माननीय मंत्री जी आपके ही ज़िले के हैं उनको बता देना। (व्यवधान) एक मिनट में कन्क्लूड करें आप।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मैं बता रहा हूं, 8-10 साल से जो भी कान्ट्रेक्ट पर कर्मचारी डोजर चला रहे हैं तो उनको नियमित कर दें। हमारी सरकार ने जितने भी कान्ट्रेक्ट के चाहे चिकित्सा कर्मी थे, शिक्षक थे, और पटवारी, ग्राम सेवक थे, जब हमारी सरकार ने सबको कान्ट्रेक्ट वालों को रेगुलर नौकरी दे दी तो नगर परिषदों में जो भी कान्ट्रेक्ट पर जो सफाई वाले हैं, ड्राइवर है या कोई भी कर्मचारी है उनको आप निश्चित रूप से स्थाई कर दें, यह मेरा विशेष आग्रह रहेगा और साथ में अंतिम बात कह रहा हूं।

हम कच्ची बस्ती विकास के लिए बहुत बड़ी राशि दे रहे हैं, देनी भी चाहिए उनका अधिकार है लेकिन जो नगर परिषद की बसायी हुई बस्तियां हैं जिनके प्लाट नगर परिषद या नगर पालिकाओं ने खुद ने दिए हैं आज वहां असंतुलन पैदा हो रहा है। कच्ची बस्ती में विकास ज्यादा और जो नगर परिषदों की अपनी बसायी बस्ती है वहां विकास कम तो यह असंतुलन नहीं हो, दोनों बस्तियों में बराबर विकास हो। इस बात की भी आवश्यकता है और अंत में एक शास्त्री नगर योजना जो आज से दस साल पूर्व मेरे कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, एक हजार के करीब प्लाट है और उस समय अलाट भी हो गई, प्लाट भी अलाट कर दिये, वहां दस साल बाद भी क्योंकि मेरे लास्ट कार्यकाल के अंतिम

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

समय हुई थी जो दस साल बाद भी किसी व्यक्ति का भूखण्ड कहां स्थित है? यह डीमार्केशन भी नहीं हुआ है जब कि सैकड़ों प्लाट लोगों ने ले लिए। अब लोग वहां चक्कर लगाते हैं कि मेरा प्लाट कहां स्थित है? ताकि मुझे बताओ तो मैं वहां कुछ जाकर कब्जा तो कर लूं और वहां न कोई नाली बनी है, न नाला बना, न सड़क, न लाइन और न बिजली के पोल जब कि इस योजना के नाम से लाखों रुपये, करोड़ों रुपये जनता से ले चुके हैं तो मंत्री महोदय मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि शास्त्री नगर योजना को आप दिखाकर वहां विकास कार्य हो जाए और वहां डीमार्केशन होकर या जो खरीददार है उसको पता लग जाए कि मेरा प्लाट यहां पर है और वो वहां कुछ कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्री महोदय बहुत ही एक्टिव हैं..

**श्री सभापति**: माननीय प्रो. बीरूसिंह जी राठौड़।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मंत्री महोदय और सभापति महोदय दोनों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरी बात को सुना। जय हिन्द।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 29 पर बोलना चाह रहा हूं। बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र की स्थापना 1967 में हुई थी। वर्तमान में यह विधान सभा राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है, जिसकी 11 लाख की आबादी है, पांच लाख वोटर है, नगर निगम के 70 में से 20 वार्ड हैं, लगभग 40 कच्ची बस्ती हैं, 12 गांव और 40 ढाणियां हैं, लगभग तीन से चार हजार इस विधान सभा क्षेत्र के अंदर कालोनी है। यह विधान सभा क्षेत्र सांगानेर से स्टार्ट होता है और मुरलीपुरा रोड नम्बर-14 तक है। इस विधान सभा क्षेत्र में सूर्यनगर, तारों की कूट, मानसरोवर, दुर्गापुरा, टोंक फाटक, बरकत नगर, महेश नगर, करतारपुरा, गुर्जर की थड़ी, श्याम नगर, वैशाली नगर, पृथ्वीराज नगर, लालकोठी योजना, नंदपुरी, स्वेज फार्म, हसनपुरा, सोड़ाला, सी- स्कीम, सिविल लाइन, खातीपुरा, झोटवाड़ा, निवारू रोड, मुरलीपुरा, आनंदपुरी, आदर्श नगर यानी यह अजीब तरह का विधान सभा क्षेत्र है। जिसमें जयपुर शहर का लगभग आधा क्षेत्र आता है जिसमें मात्र एक विधायक है और बाकी आपके आधे जयपुर में चार विधायक हैं। मैं इस अवसर पर राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधराराजे सिंधियाजी का, मंत्रिमण्डल के सबसे वरिष्ट माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, प्रतापसिंह सिंघवी, महापौर अशोकजी परनामी, आवासन मण्डल के अध्यक्ष अजयपालसिंह जी, माननीय दिगम्बर सिंहजी, सांवरमलजी जाट,

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

प्रभुलालजी सैनी, खेल मंत्री माननीय युनूस खां और हमारे माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, इन सब का मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा । इन सब के सहयोग से अकेले विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में पिछले चार साल में 897 करोड़ रुपये के विकास के कार्य हुए हैं जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है । मेरे क्षेत्र के जितने भी पूर्व विधायक हैं उनकी आलोचना करने में मैं विश्वास नहीं करता हूं उन्होंने भी अपने स्तर पर इस विधान सभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये अपने विशेष प्रकार के प्रयास किये होंगे । मैं इस अवसर पर जेडीए की जो पूरी टीम है उसका मैं विशेष तौर से आभारी हूं जिनके सहयोग से विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में जो 20 वार्ड हैं, लगभग 17 वार्ड ऐसे हैं जिनमें सीवरेज का काम पूरा हो गया है । 3 ऐसे वार्ड हैं जिनमें भी सीवरेज का काम चल रहा है और लगभग ढाई हजार कालोनियों का हमारा सीवरेज का और सडकों का काम पूरा हो गया है। जेडीए के माध्यम से पिछले चार साल में अकेले विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में लगभग 240 करोड़ रुपये के विकास के काम हुए हैं । नगर निगम के माध्यम से 26 करोड़ के काम हुए हैं, आरयूआईडीपी के माध्यम से लगभग 70 करोड़ के काम हुए हैं, आवासन मंडल के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 30 करोड के विकास के काम हुए हैं । अगर हम वर्तमान में जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर एशिया में जितने भी शहर हैं उन सबकी आप गणना करें, विभिन्न प्रकार की मैगजीन में भी इसकी डिटेल आयी है, आज जयपुर शहर एशिया में नंबर 7 पर आ गया है, जो कि जयपुर के लिये एक ऐतिहासिक घटना है । इस अवसर पर राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो जयपुर शहर को विश्व के पटल पर नंबर वन पर लाना चाहती है। हम जेडीए की बात करें तो पिछले चार साल में पूरे जयपुर शहर में जेडीए के माध्यम से 944 करोड़ के विकास के काम किये गये हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है । अगर हम इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो लगभग 500-600 करोड़ के विकास के काम के प्रोजेक्ट बन गये हैं और चुनाव आने तक यह 500-600 करोड़ के हमारे विकास के काम हो जायेंगे । मैं इस अवसर पर ऐसी अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिनकी वजह से निश्चित रूप से जयपुर विश्व पटल पर नंबर एक पर आयेगा । हम जयपुर की बात करें आरओबी और फ्लाई ओवर में लगभग 24.10 करोड़ के विकास के काम जेडीए के माध्यम से किये गये हैं । 144.75 किलोमीटर की रिंग रोड की योजना चल रही है । मैं समझता

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

हूं जल्दी ही इसका भी काम चालू हो जायेगा । शूटिंग रेंज में 64.56 करोड़ के विकास के काम इसके माध्यम से किये गये हैं । खोले के हनुमानजी की जो योजना है उसमें लगभग 22-25 करोड़ रुपये के विकास के काम किये जा रहे हैं। मैं खुद भी एक आर्मी परिवार से रहा हूं, अमर जवान ज्योति का निर्माण करके हमने हमारे जितने भी सैनिक हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। 3.50 करोड का काम इस के माध्यम से किया गया है । जल महल परियोजना 24.72 करोड, स्मृति वन में 8 करोड, पिकाक गार्डन में 2 करोड़, बीआरटीएस का मुरलीपुरा में, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, 470 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है उस पर भी काम चालू हो गया है और मैं समझता हूं सालभर में हमारी यह पूरी योजना पूरी हो जायेगी । पूरे जयपुर शहर में ऐसे 33 स्मारकों को चिन्हित किया गया है जिनका आने वाले समय में सौंदर्यीकरण किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट या खर्चा जेडीए के माध्यम से किया जायेगा इसके लिये भी जेडीए बधाई का पात्र है ।

विधान सभा क्षेत्र जयपुर में जो पांच विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें 111 करोड़ रुपये का खर्चा अकेले सडकों पर किया गया है और सड़कें जेडीए इस प्रकार से बनाता है जिसको अपन मशीनकट सड़कों के नाम से पुकारते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है । अगर हम विद्युतीकरण की बात करें तो जितना भी अंडर ग्राउंड विद्युतीकरण का काम चल रहा है इस पर जेडीए के माध्यम से 125 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा । लगभग आधा काम इस क्षेत्र में हो गया है ।

अभी जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि जयपुर में पार्किंग की बड़ी समस्या है । जेडीए ने रामनिवास बाग़ में 50 करोड़ की लागत से पूरा नक्शा बना दिया है । हाई-कोर्ट में केस चल रहा है, यह काम भी जल्दी चालू हो जायेगा । पुरोहितजी का कटला को भी चिह्नित कर लिया गया है, यहां पर भी पार्किंग की बडी सुंदर व्यवस्था की जायेगी । पुराने पागलखाने को भी हमने पार्किंग के लिये चिह्नित कर लिया है और उसका भी हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन कर तैयार हो गया है । जेडीए के माध्यम से और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं सैटेलाइट टाउन और ग्रामीण क्षेत्र पर लगभग 44 करोड रुपये खर्च किये गये हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की योजना का विकास बिलकुल योजनाबद्ध किया गया है । फार्म हाउस योजना को लागू किया गया है। जेडीए के माध्यम से आसपास में जो मकानों की समस्या है उसकी पूर्ति

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

करने के लिये 12 नई आवासीय योजनाओं का सृजन किया गया है और उसमें अधिकांश की हमने लाटरी निकाल दी है । घाट की घुणी का विकास विशेष प्रकार से किया गया है । जयपुर में लगभग 600-700 पार्क हैं, नगर निगम और जेडीए के माध्यम से 300 पार्कों का विकास कर दिया गया है जिसमें आप सुबह शाम आसानी से घूम सकते हैं । एक अलग से योजना और बनाई गई है इसको मिशन अनुपम के नाम से पुकारते हैं । अगर जयपुर की सडकों पर आप निकलेंगे तो लगभग 54 चौराहों को चिह्नित किया गया है और उन पर भी विकास का काम चल रहा है और इनके ऊपर भी लगभग 22-23 करोड़ रुपये का खर्चा किया जायेगा । मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार कच्ची बस्ती के लोग बनाते हैं । जोधपुर हाई-कोर्ट में कच्ची बस्तियों को पट्टा देने के लिये कोर्ट का स्टे लगा हुआ था । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्तिगत प्रयास करके उस स्टे को वैकेट कराया और 35 साल बाद जयपुर की ऐसी अनेक कच्ची बस्तियां हैं जिनको पट्टा दिया गया है और उसके माध्यम से उनके घरों में भी घी के दीपक जलने लगे हैं । 500 करोड़ की लागत से मानसरोवर में एक अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण किया जायेगा जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है ।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर, पर यह संस्था ठीक प्रकार से चले, इसके लिये तीन-चार आधारभूत सुझाव आपको देना चाहता हूं । अगर आप उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे तो सभी को फायदा होगा । जयपुर नगर निगम में अलग से एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिये क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 वार्ड हैं और उनमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं । अगर मान लीजिए सड़क शाम को बनती है और सुबह टूट जाती है तो उसकी मोनीटरिंग होनी चाहिये और वह सड़क जिस वार्ड में बनती है उसका अधिकारी और उस वार्ड के पार्षद की तनख्वाह से वह पैसा वसूल करना चाहिये नहीं तो एक बार शाम को सड़क बनी और सुबह सड़क टूट जायेगी, इस पर अत्यन्त गंभीरता से आपको विचार करने की आवश्यकता है । बरसात का समय आने वाला है अक्सर मई जून में नालों की सफाई की जाती है । शाम को नालों की सफाई होती है रात में बारिश होती है और पूरा गंदा पानी, कचरा वापस नालों में चला जाता है । इसके लिये आपको समय सीमा तय कर देनी चाहिये । मार्च, अप्रैल और 15 मई तक जयपुर शहर के सब नालों की आप ठीक प्रकार से सफाई कर देंगे तो जो आपके झूंठे बिल उठते हैं उस पर आपकी रोक लग जायेगी । इस संसार में

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

जो व्यक्ति आया है उसकी मृत्यु तय है । मैं कई बार शव यात्राओं में जाता हूं और मन में बडी पीड़ी होती है क्योंकि श्मशानों की हालत बड़ी खराब है । दुनिया भर की वहां गंदगी फैली हुई है और वहां पर बदबू आती है, आदमी वहां रुक नहीं सकता और मजे की बात है कि उस श्मशान के आस-पास के 25-30 कालोनियों के आदमी आते हैं, आपस में चर्चाएं भी होती है कि श्मशान को सुधारा जाये इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इसकी एक अलग से नोडल एजेंसी बनायी जाये, इसका अलग से एक विंग बना दी जाये तो जयपुर शहर में जितने भी श्मशान या कब्रिस्तान हैं उनकी ठीक प्रकार से सफाई हो । आदमी वहां पर जा सके, ठीक प्रकार से बैठ सके और मन में प्रसन्नता हो जाये ।

एक समस्या मैं शुरू से उठा रहा हूं जयपुर शहर में लगभग 422 भू माफिया सक्रिय हैं, क्योंकि मुझे तो अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं खैर, मैं तो शिक्षक हूं धमकी का मेरे पर असर नहीं पड़ता है । जेडीए और नगर निगम के माध्यम से एक महीने में जयपुर शहर में जितने भी पार्क हैं और जितने भी सुविधा क्ष्ोत्र हैं उनका आप सर्वे करें। पिछले महीने हाई-कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है कि जितने भी पार्क हैं और जितने भी सुविधा क्षेत्र हैं उस पर तत्काल चारदीवारी बनाई जाये । यह काम जेडीए ने तो प्रारम्भ कर दिया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में जेडीए ने जितने भी पार्क हैं वहां पर अपने बोर्ड लगा दिये हैं और चारदीवारी का काम चालू कर दिया है लेकिन नगर निगम में ढिलाई क्यों है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को भी आप सब लोगों को गम्भीरता से लेना चाहिये । एक मेरा सुझाव और भी है कि जयपुर शहर में दो प्रकार की सोसाइटी हैं । एक तो वह सोसाइटी है जिनके सारे रिकार्ड जमा हैं और उनको ठीक प्रकार से पट्टे मिल रहे हैं और दूसरी इस प्रकार की सोसाइटी हैं जिन्होंने आज तक जेडीए में अपने पूरे रिकार्ड ही जमा नहीं कराये ।

वहां पर लगभग 70 से 80 प्रतिशत की आबादी हो गई है। कांग्रेस सरकार के समय में एक आदेश परित हुआ था कि सरकार की इस प्रकार की जमीन है जिसमें सोसाइटी ने अपने कागज जमा नहीं करवाये हैं तो उस कालोनी की खुद की विकास समिति बने, वह लैटर पेड़ बनाये, सदस्यों की सारी सूची दें और खुद को अपने स्तर पर उस कालोनी का नक्शा बनाना पड़ेगा। यह तीन चीज तो उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन जिस सोसाइटी वाले ने किसान से एग्रीमेंट किया था वह एग्रीमेंट भी इसके साथ लगाना जरूरी होता है। लोगों ने काफी

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

प्रयास कर लिया एग्रीमेंट की कापी नहीं मिलती नहीं है इसलिए माननीय मंत्रीजी मेरा आपसे आग्रह है कि अगर वह एग्रीमेंट नहीं मिलता है और उस कालोनी के लोग यह तीन प्रकार के दस्तावेज जमा करवा देते हैं तो उसका सर्वे करके उन सब लोगों को भी हमको पट्टे का वितरण करना चाहिए क्योंकि वहां पर आपने सड़क बना दी, सीवरेज भी बना दी, लाइट की व्यवस्था भी कर दी, पार्को का निर्माण भी कर दिया, अगर वहां पर कैम्प लगाकर पट्टे की तैयारी कर देंगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा।

मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री और जयपुर शहर के जितने भी विधायक हैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, कालीचरणजी सर्राफ, मोहनलाल जी गुप्ता, सुरेन्द्र जी पारीक, उनका भी मैं विशेष तौर से आभारी हूं, जो पृथ्वीराज नगर की योजना की समस्या पिछले 20 से 22 साल से अटकी हुई थी, उसका समाधान कर दिया। कोर्ट में हमने जवाब दे दिया है और 60 रुपये से 90 रुपये के अंदर उस कालोनी को पट्टे दिये जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसका समाधान जल्दी कर दें तो हमारी भी जीतने की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी। मेरा अगला सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय जेडीसी साहब ने तीन प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। जो जो सोसाइटी बेइमान होती है वह जेडीए में अपने नक्शे पेश कर देती है और उसमें 40-60 का रेशों होता है, तो नक्शा आपने पेश कर दिया है और स्कीम आपको पास करवानी है और मेरा 20 साल से मकान बना हुआ है वहां पर हमने क्रोस कर दिया तो नक्शे में तो आपने खाली जमीन बता दी लेकिन वास्तविक रूप में मकान बना हुआ है उनको जेडीए पट्टे नहीं दे रहा है, तो इसके अंदर जिस व्यक्ति के पास 2001 से पहले का कोई बिजली का बिल, पानी का बिल है तो उसको जेडीए पट्टा देता है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करूंगा। ऐसी लगभग 600-700 कालोनियां हैं जिसमें इस प्रकार की समस्या हमको देखने को मिली है। अब तक केवल नगर निगम के माध्यम से जो गैर-अनुमोदित कालोनी है उसमें विकास के काम किये जाते थे लेकिन जिन कालोनी के पास पट्टे नहीं है वहां पर जेडीए काम नहीं करता है। इसमें मजे की बात तो यह है कि उस कालोनी में लोग कैम्प लगवाना चाहते हैं, पट्टे का पैसा जमा करवाना चाहते हैं लेकिन सरकार के पास टाइम नहीं है। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा । जेडीए ने इस प्रकार एक सकुर्लर निकाला है जिस कालोनी में 70 प्रतिशत की आबादी हो गई है

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

वहां पर जेडीए के माध्यम से भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि इससे सभी लोगों को फायदा होगा। जेडीए ने एक सर्कुलर और भी निकाला है उसमें बधाई का पात्र है कि अब तक तो नगर निगम के माध्यम से जो गैर-अनुमोदित कालोनी में सीवरेज का काम किया जाता था अब जेडीए भी साढ़े बारह रुपये के हिसाब से पैसा जमा कराकर सीवरेज का काम चालू करेगा। मेरी लगभग 60 कालोनियों में यह काम चल रहा है और इसमें खास बात यह है कि जब भी उस कालोनी का कैम्प लगेगा यह साढ़े बारह रुपये उसके अंदर से माइनस हो जाएंगे। मैं समझता हूं यह भी ठीक प्रकार की योजना जेडीए ने बनायी है।

दो मेरी डिमांड भी हैं, विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क वार्ड नम्बर 9 खातीपुरा, खिरणी का फाटक, वहां पर अक्सर जाम रहता है वहां रेलवे की लाइन है अगर वहां पर पुलिया बना दें तो मैं समझता हूं ठीक रहेगा। इसी प्रकार से वार्ड नम्बर एक दादी का फाटक वहां पर काफी यातायात की हालत खराब है, अगर वहां पर भी एक पुलिया का निर्माण कर दें तो ठीक रहेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड नम्बर एक, आठ, नौ, दस एवं 70 वहां पर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि जेडीए ने एक सकुर्लर निकाल रखा है कि कम से कम दो हजार वर्गगज भूमि होनी चाहिए और अगर दो हजार गज की भूमि होगी तभी आपका सामुदायिक केन्द्र बनेगा जब कि नगर निगम के माध्यम से 500, 600, 700 वर्गगज जमीन है वहां पर सामुदायिक केन्द्र बना दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है इसके अंदर आप संशोधन करें ताकि जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर भी सामुदायिक केन्द्र का निर्माण हो सके क्योंकि जेडीए नोरमल पैसा लेता है। अगर आपके परिवार में शादी होने वाली है, आपको कोई बुकिंग करवानी है आपको एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख रुपये देने पड़ते हैं लेकिन जेडीए मात्र जयपुर शहर में जहां तक मुझे ध्यान है एक दिन का केवल 1700 रुपये लेता है। गरीब से गरीब आदमी भी एक दिन के 1700 रुपये जमा कराकर उसकी बुकिंग करवा सकता है और अपनी बच्ची की शादी कर सकता है।

इस अवसर पर मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी वर्तमान में 2008-09 का बजट पेश किया है, उसमें शहरों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा की गई है उसके लिए मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा । जैसे 15 शहरों के विकास के लिए 1560 करोड़ रुपये का

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो 30 शहर है उसमें अरबन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाण्ड्स है उनको जारी किया जाएगा1 सभी जिलों में किसान भवनों का निर्माण किया जाएगा। जयपुर प्रवेश के सभी स्थानों पर प्रवेश द्वार बनाये जाएंगे। अमानीशाह नाले पर स्मृति वन का विकास किया जाएगा। इसमें विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क का 90 प्रतिशत इलाका आता है। पांच साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स, इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। जयपुर शहर में नई पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी। आपने शहरों में देखा होगा और आप रात को जाएंगे चौराहे के ऊपर आपको गरीब आदमी सोते हुए मिल जाएगा जो दिन में बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं उनके लिए भी सरकार ने महत्वूपर्ण घोषणा की है कि जितने भी बेलदार आते हैं वहां पर वह रात को ठहर सके, दिन में पानी पी सके। उनके अलग-अलग प्रकार के शेड बनाए जाएंगे, यह भी एक बड़ा सुन्दर काम है।

इसके अलावा सैनिक विश्राम गृह पर 40 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। सड़कों के विकास के ऊपर दस हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा1 बैकुण्ठ धाम के लिए दो करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। 9 जिलों में परिवहन टैक्स के बारे में योजना बनाई गई है । श्रमिक महिलाओं के विकास के लिए लगभग दस करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया गया है। 6-7 छोटे व्यवसायियों समूहों का निर्माण किया जाएगा। दस नई खुली जेल, 1 करोड़ 30 लाख रुपये इनवेस्टमेंट किया जाएगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नमस्कार, भारत माता की जय।

**श्री सभापति**: डा. गोपाल बाहेती।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद की मांग संख्या-29 पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय जब मैं अभी चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे गत वर्ष की चर्चा के कागज देख रहा था, तो मझे लगा कि किस प्रकार मेरे सामने की बैंच के वक्ता सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। सरकार गत वर्ष से शहरी विकास के अंदर दो कदम भी आगे नहीं चली। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। यदि अजमेर ही एक चेहरा है सरकार का तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजमेर में मुख्य मंत्रीजी जब 26 तारीख को झण्डा फहराने पधारी तो उन्होंने एक उद्घाटन किया सेटेलाइट अस्पताल का, जो पूर्ववर्ती सरकार के समय बन चुका था और कार्यरत था। एक उद्घाटन किया कैथलैब का, जो कैथलैब मुख्य मंत्रीजी के आने से पहले 50 एनजियोग्राफी कर

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

चुकी थी, उसके बाद उन्होंने उसका लोकार्पण किया। कैथलैब का किया (व्यवधान) चलो वह निकाल दो। कैथलैब का किया।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह गलत स्टेटमेंट दिया है सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीया श्रीमती अनिता भदेलजी। (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): निकाल दो उसको, लड़ने की क्या बात है इसमें। लड़ने की क्या बात है इसमें।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): लड़ने की बात यह है कि हाउस में गलत स्टेटमेंट नहीं दिये जा सकते।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): कैथलैब का किसने किया? (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): विदड्रा करें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: संसदीय सचिवजी, बिराजिए। बिराजिए, कृपया बोलने दीजिए उनको।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : कैथलैब वहां काम कर रही है, उसका आप लोकार्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, एडीबी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में सीवर लाइन डाली गई, जिसका एसटीबी का निर्माण अभी भी अंडर प्रोसेस है वह लाइनें चोक होने को हैं। एसटीबी बनी नहीं है यह आपके शहरी विकास की शक्ल है। जिसको आप उदीयमान राजस्थान कहते हैं मैं उसकी शक्त बताना चाहता हूं। उदयमान राजस्थान को आपने तीन-चार नई पहचान दी, फिर आप गुस्सा करेंगे, 90 बी- की जो आपने चर्चा की, बहुत-सी पहचान दी, बहुत बडी बात है। कच्ची बस्तियों का आपने नियमन रोका यह आपका उदीयमान राजस्थान है।

118 करोड़ रुपये अजमेर और पुष्कर के लिये जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन में केन्द्र सरकार से आये पड़े हैं, बैंक में जमा हैं। उसके टेण्डर इनसे अब तक नहीं हो रहे हैं और कच्ची बस्ती निर्माण के काम वहां प्रारम्भ नहीं हुए। यह आपका उदीयमान राजस्थान है। इसके अलावा जवाहर लाल नेहरू मिशन...

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं हो।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मंत्रीजी, आप बाद में बोल लीजियेगा। नहीं तो सभापति महोदय, मेरे वक्त में यह काउण्ट नहीं किया जाएगा।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप गलत जानकारी नहीं दें। बाकी आप बोलें। काम प्रारम्भ हो चुका है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। गलत सूचनाएं आप सदन में नहीं दें। (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत 118 करोड़ रुपये नहीं आये हैं, मंत्रीजी, आप यह बता दें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): काम प्रारम्भ होकर के टेण्डर निकल गये हैं। काम प्रारम्भ हो चुका है।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): नहीं हुआ है।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप जाकर जानकारी कर लीजिये।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत जो 118 करोड़ रुपये आये हैं, कच्ची बस्ती के विकास के लिये..

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): कच्ची बस्ती के लिये 107 करोड़ रुपये आये हैं, न कि 118 करोड़। पहले तो आप संख्या ठीक करिये।

**श्री सभापति**: शिक्षा राज्य मंत्रीजी, कृपया विराजिये।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): 107 अजमेर के लिये और 11 करोड़ आये हैं पुष्कर के लिये। मैं बोल रहा हूं, पुष्कर और अजमेर, जोड़कर बोल रहा हूं, उस पैसे को।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, तथ्यों के आधार पर हाउस में बात कही जाएगी। यह तो आपकी व्यवस्था हो चुकी है।

**श्री सभापति**: पहले आप सुन लीजिये। यह देखना आसन का काम है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): नहीं, आसन का काम है, वह तो मुझे ध्यान है। पर यह व्यवस्था हो चुकी है कि तथ्यों के आधार पर बात कही जाएगी।

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्रीजी जवाब देंगे, उसको शुद्ध करेंगे। आप बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइये।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): चलिये, वह पैसा भी नहीं आया। वह पैसा भी नहीं आया। आपकी बात मान ली हमने।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

एन.एल.सी.पी., नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, उसका दोनों का प्रोजेक्ट पास हो चुका है, पुष्कर और अन्नासागर झील का। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से इसका पूरा प्रस्ताव पास हो चुका है। अब केवल टैक्निकली पैसा आना बाकी है। उसमें भी पुष्कर के लिये दो करोड़ के करीब आ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पुष्कर सरोवर के पानी की जो दुर्गति है, उसको ठीक करने के लिये बहुत आवश्यक यह है कि वह कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। उसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ। यह आपका उदीयमान राजस्थान है। और लीजिये, इसके अलावा आपने शहरी विकास के नाम पर जो पुष्कर के अन्दर कच्ची बस्तियों के नियमन पर रोक लगा रखी है, उन्होंने क्या गुनाह किया। जब पुष्कर के अन्दर आप गवर्नमेंट की लैंड को, बाहर के लोगों को बड़े बड़े रिसोर्ट बनाने के लिये अलाट कर सकते हैं तो कच्ची बस्ती के लोगों ने क्या अपराध किया। यह आपका उदीयमान राजस्थान है। इसके अलावा और लीजिये आप कि जब नगर परिषद अजमेर में या नगर परिषद पुष्कर के अन्दर जब ये आते हैं, लैंड यूज चेंज करने के प्रस्ताव, अभी फिर आप लोग चौकेंगे, इस बात के ऊपर, सिफारिश इस बात की आती है कि हमारा प्रस्ताव आप रिजेक्ट कर दें, हम ऊपर से करवा लेंगे। क्या मायने इसके। नगर परिषद जो वहां लोकल बॉडी है, जिसको वहां रक्षा करनी है, वहां के एन्वायरमेंट की, वहां के वातावरण की, वहां काम होगा नहीं। ऊपर से करवा लेंगे और उसका उदाहरण है कि पुष्कर में ऐसे बहुत से लैंड यूज चेंज हुए हैं जो आज भी पुष्कर सरोवर के लिये खतरा हैं। आप चाहें तो डेढ-दो साल के काम आप दिखवा लें। जिस प्रकार से आप दो साल के 90-बी दिखवा रहे हैं, दो साल के हाऊसिंग बोर्ड के फैसले दिखवा रहे हैं, आप यह भी दिखवा लें। आप बहुत ईमानदार हैं, मैं कब कहता हूं, बे-ईमान हैं आप। यह तो आपका फैसला है, आपकी मुख्य मंत्रीजी का फैसला है कि दो साल की 90-बी दिखवा रही हैं। कोई बात उनको पता पड़ी होगी, कोई सपना उनको आया होगा कि यह-यह घपले हुए हैं। यह आपके देखने की बात है। उदीयमान राजस्थान की बात करने वाली सरकार यह भूल जाती है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो कृषि भूमि के नियमन हुए थे, उस समय उसमें क्लाज था कि कृषि भूमि नियमन में जो पैसा आयेगा, उस पैसे का 60 प्रतिशत पैसा उन्हीं कालोनियों में खर्च किया जाएगा जहां से नियमन का पैसा लिया जा रहा है। नगर सुधार न्यास अजमेर के अन्दर उनमें से कोई पैसा उन

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बस्तियों में आज तक खर्च नहीं किया गया। आप यह बता दें कि गत दो-तीन वर्षों में, में जितने इन्होंने नियमन किये, मुझे यह बता दें, कितनी कच्ची बस्तियों के पट्टे दिये। यह सब बातें आपको इसलिये बताना चाहता हूं कि आप बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं कि हमने यह विकास किया, हमने वह विकास किया। लेकिन जब तक विकास का लाभ गरीब को नहीं मिलेगा, अन्तिम व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक आपका विकास कोई मायने नहीं रखता है। एक शायर ने बहुत ठीक लिखा है,

आ मरकजे ख्याल में मेरे समां के देख
तूफान उठ रहे हैं यहां किस बला देख
दौलत लुटा रहा है तू बज्में शराब में देख
मजूदर की तरह भी तू पसीना बहा के देख।
फुटपाथ के करीब भी बसती है जिंदगी,

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान चाहता हूं कि

फुटपाथ के करीब भी बस्ती है जिंदगी
महलों के अपने रेशमी परदे उठा के देख
मुफलिस की बेबसी का तसव्वुर बना के देख
फाकों के दर्द से भी कभी तिलमिला के देख

सभापति महोदय, अन्त में उसने कहा है,

फर के लिबास में तुझे लग रही है ठंड
नंगे भी कुछ बदन हैं निगाहें उठा के देख
क्या-क्या मुसीबतें हैं कच्ची बस्ती में आ के देख।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, सरकार से कि सरकार वह बस्तियां भी देखे कि जिन बस्तियों के अन्दर आज गरीब आदमी गंदगी में रह रहा है, मिट्टी में रह रहा है, बिना पानी के रह रहा है। उसमें आप देखें, उस मुसीबत के लिये केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत अजमेर और पुष्कर का भी चयन किया था। उसके प्रोजेक्ट आज तक पास नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह हुई कि जब जयपुर में काम शुरू हो सकता है, वहां केवल मात्र जो पास हुआ है वहां पर एक हुआ है पानी का 165 करोड़ का। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट वहां पास नहीं हुआ

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

है, जब कि उसमें सड़कों के लिये था, ट्रांसपोर्ट के लिये था। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इस जवाहर लाल नेहरू मिशन के पैसे का उपयोग करके बजरंग गढ़ी से लेकर के मर्टिनल ब्रिज तक एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए तो ट्रेफिक की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। इसी प्रकार से इंडिया मोटर्स से लेकर के गांधी भवन तक उस सड़क को अच्छा बना दिया जाए तो अजमेर के ट्रेफिक में बहुत सुधार हो सकता है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जब भी मीटिंग करते हैं तो फैसले आप मनमाने ढंग से लेते हैं। एक संस्था आपने बना रखी है पीडी कोर। मुझे लगता है टाउन प्लानिंग में म्युनिसिपैलिटी में, यू.आई.टी. में न योग्य अफसर हैं, न योग्य अधिकारी हैं, फिर क्यों तनख्वाह दे रहे हैं आप। जब काम पीडी कोर से कराना है, आपको जब सर्वे उनसे करवाना है। आपके पास अधिकारी नहीं हैं, टैक्निक जानने वाले लोग नहीं हैं तो क्यों आप सरकार का पैसा जाया कर रहे हैं, इनको तनख्वाह देकर के। मैं इस अवसर पर आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पीडी कोर ने ए.डी.बी. प्रोजेक्ट की जो दुर्गति की है, मुझे अंदेशा है कि जवाहर लाल नेहरू मिशन का इतना बड़ा पैसा कहीं फिर होम नहीं हो जाए और अजमेर की जनता फिर से हाथ मलती न रह जाए। यह देखने की बात है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपसे यह बात कहना चाहता था, वह यह कहना चाहता था, आप देखिये, कुछ नमूने आपकी कटिंग के, करोड़ों की कमीशनखोरी का अंदेशा है। यह मेरा बयान नहीं है, यह आपके लोगों का बयान है। इसके अलावा आप देखिये, दोनों सरकारी हवेलियां, यह हवेलियां आपने आमेर में बेचीं। एक तरफ हैरिटेज की बात करते हैं और एक तरफ सिर्फ पानी और बिजली के बिल के आधार पर उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। उसके बाद सरकार खुद उसका खण्डन करती है और उसके बाद वहां व्यवस्था सरकार करती है। यह है आपका उदीयमान राजस्थान। आप देखिये कि किस तरह से आपने बार्डर बेचा। बार्डर बेचने में आपने कोई कोताही नहीं बरती। आप पर इतने बड़े आरोप लगे कि भाजपा नेता के बेटे ने बिकवाया बार्डर। यह आपका उदीयमान राजस्थान है, जिसमें आप बार्डर बेचने से नहीं चूके।

**एक माननीय सदस्य**: कांग्रेस के लोग थे।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): किसी का हो, इसकी जांच करवाइये आप। आप यह देखिये कि अजमेर की यू.आई.टी. के लिये कोर्ट ने, कोर्ट ने फैसला

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

किया है कि यू.आई.टी. की बदनीयत। यह मैंने नहीं किया है। इसको आप देख लें। यू.आई.टी. की बदनीयत, कोर्ट ने कहा है। इसके मायने, कहीं न कहीं आपकी वर्किंग में घपला है, कमी है, या मोनीटरिंग नहीं है। अन्यथा यू.आई.टी. बनती है जनता के लिये, म्युनिसिपैलिटी बनती है जनता के लिये, विकास होता है जनता के लिये और आप बात करते हैं उदीयमान राजस्थान की। आपने 8 दिसम्बर के बाद से सरकार के लाखों रुपये खर्च किये हैं, उदीयमान राजस्थान और महारानी, उदीयमान राजस्थान और महारानी। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उदीयमान राजस्थान की हकीकत तो देखो। शाइनिंग इंडिया आप देख चुके हो। शाइनिंग इंडिया में क्या हुआ था। वही उदीयमान राजस्थान आपका है। इसी प्रकार से देखिये आप, यह भी न्यूज पढ़ लीजिये। आपके नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा सड़क का व्यवसायिक नियमन। सड़क का व्यवसायिक नियमन। यह कहीं भी नहीं हो सकता है लेकिन आपकी सरकार ने रिकार्ड कायम किया है। आपकी सरकार रिकार्ड कायम करने में विश्वास करती है। आपकी सरकार ने इस बात का पूरा-पूरा बीड़ा उठा रखा है कि जिस प्रकार से भी हो, जैसे भी हो हमें यू.डी.एच. के माध्यम से पूरे राजस्थान को एक बार तबाह करना है। यह फैसला आप कर चुके हैं और यदि आप फैसला नहीं करते...

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। यह सड़क का नियमन कब हुआ, यह जरा बता दीजिये आप। (व्यवधान) यह बताने की कृपा करें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): अख़बार की कटिंग से देखकर बोल रहे हैं।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): यह हुआ है अभी। यह मैं टेबल कर रहा हूं, आप देख लेना इसको।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप अख़बार से क्यों पढ़ रहे हो।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता भदेलजी, आप बैठ जाइये।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): और अभी चलो, आप वह बात करना चाहते हैं तो अभी जयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्यजी, आपने जो कोट किया कि सड़क का नियमन हुआ, या तो आप उसकी तारीख और रेफरेंस बता

(श्री सभापति)

दें और या जो कागज आपके पास है, जिसमें डेट्स हैं वह आप माननीय मंत्रीजी को दे दीजिये। (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): नगर सुधार न्यास द्वारा प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): अख़बार कटिंग को आप परमिट कर रहे हैं क्या (व्यवधान) अख़बार कटिंग को आप परमिट कर रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यहां बात कही जाती है। (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): यह अभी हुआ है, और इस काल में हुआ है। और इसकी मंत्रीजी जांच करा लें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है, एक अख़बार से पढ़ दिया है, कोई खास जानकारी हो तो दे दीजिये। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, इसलिये वह एक्सपंज करो।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): इसकी मंत्रीजी जांच करा लें। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): अख़बार की कटिंग को आप कैसे अलाऊ कर रहे हैं?

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, यह एक-एक अख़बार के पन्ने निकालकर और कुछ न कुछ वहां से कोट किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): और आपके सामने अख़बार के पन्ने बताये जा रहे हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अख़बार के पन्ने कोट किये उन्होंने। (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): ... (व्यवधान) चलो मैं अख़बार के पन्ने नहीं दिखाकर ... (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): नहीं, कोई ओथेंटिक बात हो तो बतायें ...(व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मैं अख़बार के पन्ने नहीं दिखाकर बल्कि आपको हर बात पर ... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह कहने को लो, यह भी नहीं, यह कहां से ले रहे हैं। यह भी नहीं ... (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): अखबार से कोट नहीं कर सकते हैं, माननीय सभापति महोदय, अगर आपके पास में कोई ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप बैठो एक मिनट। संसदीय सचिवजी, आप विराजिये। आप बैठिये। कृपया, बैठ जाइये। माननीय सदस्य ... (व्यवधान) अनिताजी, बैठिये।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजिये। कृपया, आप बैठ जाइये फर्स्ट, आप बैठ जाइये। इस सदन में कई बार आसन से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि समाचार-पत्रों के आधार पर कोई उद्धरण यहां पर नहीं किया जाएगा अगर आपके निजी जानकारी में कोई चीज है, सड़क का नियमन हो, तो आप बता दीजिए। (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है। मेरा यह निवेदन है कि ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: पर पहले इनको बताने दीजिए। आप इनको बोलने दीजिए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना है, आप तो बहुत अनुभवी माननीय सदस्य हैं। मैं एक मिनट। मेरा दूसरा निवेदन है ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: जानकारी हो तो ठीक, नहीं तो मैं निकलवा दूंगा। (व्यवधान)

## व्यवस्था का प्रश्न

### कटौती प्रस्तावों के बाहर चर्चा नहीं की जा सकती

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मेरा एक साहब, दूसरा निवेदन यह है, आपने व्यवस्था दी, उसके लिए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मेरा निवेदन है कि बस स्टैण्ड ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इनका एक कटौती प्रस्ताव है केवल। उस कटौती प्रस्ताव के बाहर सारी चर्चाएं बिना जानकारी के यह किये जा रहे हैं। हम इसलिए चुप हैं क्योंकि आप विद्वान सभापति वहां बैठे हैं तो मैंने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यही है कि आपकी ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मुख्य सचेतकजी, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो कटौती प्रस्ताव दिये जाते हैं उसको तो स्वत: ही प्रस्तुत हुआ मान लिया जाता है और विचार जो सदस्य रखते हैं, वही उनको प्राथमिकता दी जाती है, जिनके कटौती प्रस्ताव हैं लेकिन यह नहीं कि वह उन्हीं को पढ़ दें। वह तो अपने पास है ही। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): पढ़ दें, नहीं। जो पेश हुए हैं ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: इसलिए जो वह कह रहे हैं, आप इनको कहने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): बिना जानकारी के ही ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): एक मिनट। मैं बताता हूं आपको।

**श्री सभापति**: नहीं, वह किताब यहां भी है। अब आप उनको बोलने दीजिए। उनके पास जानकारी हो तो बता देंगे और आपकी जानकारी नहीं होगी तो मैं इसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर इनको निजी जानकारी नहीं होगी तो कार्यवाही में अंकित नहीं होने देंगे। ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, अगर ... (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि भूमि के जो नियमन होते हैं उनकी 60 परसेंट राशि जमा ... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): उनको जानकारी नहीं है। यह सारी की सारी उनको कोई जानकारी नहीं है। यह अख़बार की कटिंग में लिख दिया, माननीय सभापति महोदय, अख़बार में कटिंग में यह आया था कि उस कार्य का टेंडर हुआ है, बोली लगाई गयी है और वह कोई ... (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): लेकिन इनका डवलपमेंट होता है लेकिन आपके कार्यकाल में आपने कितने खर्च किये? योजना क्षेत्र से बाहर अब अभी के, ...(व्यवधान) इस कार्यकाल में योजना क्षेत्रों के बाहर कितनी, नहीं माननीय सभापति महोदय,... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आपके चीफ-व्हिप महोदय बोल रहे हैं। आपके मुख्य सचेतकजी बोल रहे हैं तो जरूरी है आपका बोलना? आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह ... (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): नहीं, आपने जो बोला उसकी बात बताना चाह रही हूं। आप यू.आई.टी. के अध्यक्ष रहे हैं इसलिए कह रही हूं कि आपके कार्यकाल में आपने कितने खर्च किये और अभी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितने खर्च किये, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें और सदन में पेश कर दें, टेबल कर दें आप। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह जब आपका बोलने का अवसर था तब क्यों नहीं बोलीं आप? (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): नहीं, माननीय सभापति महोदय, आपने बोला है इसलिए जवाब दे रही हूं। आपने यह गलत सूचना दी है सदन को इसलिए बोल रही हूं।

**श्री सभापति**: अब आप अपने चीफ-व्हिप साहब को सुन लीजिए।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मैं तो इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो व्यवस्था है 60 नम्बर पर ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हां, 60 पर।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): क्योंकि यह हमेशा के लिए परम्परा बनती है और इसलिए कोई गलत निर्णय नहीं हो जाए इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हां, बोलिये-बोलिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): इसमें यह है कि अनुदान की जो मांगें हैं, उस पर जो कटौती प्रस्ताव रखेंगे, उसमें जो कटौती प्रस्ताव रखेंगे उसकी शर्तें हैं। इसमें जो है वह केवल वही मांग होगी जिसमें जो आपके कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

**श्री सभापति**: नहीं, आप पढिये न, 60 में क्या है। 144 है, अनुदान की मांगों पर मतदान, 145, कटौती प्रस्ताव, कौनसा पढ़ना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मैं अभी बता रहा हूं, एक मिनट, मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप बोलिये। आप देख लीजिए, इतने उनको बोलने दीजिए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): हां।

**श्री सभापति**: आप कंटीन्यू करिये।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): हां, तो बोलूं मैं। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मेरा सब्मिशन है कि मैं किसी भी आक्षेप में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मेरे से पहले जब यह जयपुर के विधायक महोदय बोल रहे थे तब शायद इनको याद नहीं आया इस बात का कि कटौती प्रस्ताव पर बोलना है, तब शायद ध्यान नहीं आया इनको। माननीय सभापति महोदय, तो मैं आपसे यह बात कर रहा था कि जिस नियम की यह बात कर रहे हैं, अजमेर से आने वाली विधायक महोदया को अच्छी तरह से पता है इस बात का कि ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): पेज नम्बर-60 में 'क' में जो लिखा है वह चर्चा सूचना में उल्लेखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी। पेज नम्बर-60 ... (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): तो आप बोल लो, फिर मैं भी बोलूंगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हां, 60 पर क्या है?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): 60 में यह जो 'क' है कि मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। मांग के अन्तरनिहित नीति के

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अनुमोदन प्रगट करने के लिए ऐसा प्रस्ताव नीति अनुमोदन कटौती कहा जाएगा। ऐसा प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य उस नीति का ब्यौरा सुतथ्यात्मक दर्शाएगा जिस पर वह चर्चा करना चाहता हो। चर्चा सूचना में उल्लेखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी।

**श्री सभापति**: और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे। आगे भी पढ़िये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे लेकिन वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे और वहां तक सीमित रहेंगे।

**श्री सभापति**: और फिर आगे 'ख' और 'ग' भी पढ़ लीजिए। बैठ जाइये। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): पढ़ लिया वह मैंने।

**श्री सभापति**: हां, ठीक है। कंटीन्यू रखिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): 'ख' बताओ आप। 'ख' और 'ग' आप बता दो। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्य सचेतकजी ने जो बात कही है, यह सत्ता पक्ष के लिए लागू होती है। विपक्ष जो देता है 100 रुपये का कटौती प्रस्ताव देता है, उसके लिए लिखा है कि मांग की राशि ''that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-' in order to ventilate specific grievance which is within the sphere of the responsibility of the Government. Such a motion shall be known as 'Token Cut' and the discussion thereon shall be confined to the particular grievance specified in the motion." इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है। आप तो बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं। यहां पर कई लोग पर्ची के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अथवा कोई और तरीके से जो विषय उठाने चाहते हैं, आसन के द्वारा यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): परम्परा बताओ न? बताओ न कहां है? (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, यह इन्होंने जो पढ़ी वह व्यवस्था भी इनके खिलाफ है। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): एक मिनट, पहले मैं इसको ... (व्यवधान) आप विराज जाओ, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं बोल लूं, उसके बाद आप अपनी बात कह देना ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप यह बताओ कि यह परम्परा है। जो अध्यक्षीय व्यवस्था है अपने, अपने कौल एवं शकधर में भी है ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह अपनी बात आ जाती है। आप उनकी भी सुन लें। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): तो आसन के द्वारा इनको बोलने की अनुमति दी जाती है। इस सदन में मैं भी पांचवीं बार चुन कर आया हूं। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने कभी कटौती प्रस्ताव नहीं दिये एक भी, उनको भी इस सदन में अलाऊ किया जाता था स्पीकर के द्वारा, आसन के द्वारा और वह इस पूरी डिमांड के बारे में अपनी बातें रखते थे। यदि आप कटौती प्रस्ताव पर किसी को सीमित कर देंगे तो दो मिनट भी कोई आदमी अपनी बात नहीं कह पाएगा, वह अपनी डिमांड के बारे में पूरी बात कह सकता है।

## व्यवस्था

## कटौती प्रस्ताव के बाहर बोलना भी परम्परा है

**श्री सभापति**: ठीक है। आप विराजिये अब। मैंने मुख्य सचेतकजी की और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान) एक मिनट, विराजिये, संसदीय सचिवजी। दोनों की बातें सुन ली हैं। कटमोशन की सारी लिस्ट आपके पास है। अभी बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, और भी माननीय सदस्य यहां पर बोले हैं। सबने अपने कटौती प्रस्तावों के दायरे में नहीं बोला है इसलिए नियम अपनी जगह है। परम्परा यह रही है कि कटौती प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति अपनी बात कहता है। उनको अपनी बात कहने दीजिए। कंटीन्यू रखिये। एक बार इनको बोल लेने दीजिए, अब इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं यह कह रहा था, माननीय सभापति महोदय, यह दोनों विद्वानों की सुन ली लेकिन इधर तो एक रुपया है, इधर 100 रुपया है, महंगाई बढ़ गयी है, थोड़ा-थोड़ा यह भी बढ़वा दो ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: दोनों को 101 मान लीजिए आप।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): घनश्यामजी, आप बोलते थे या नहीं?

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, अजमेर के विकास को लेकर और पुष्कर के विकास को लेकर जब मुख्य मंत्रीजी अजमेर आयी थीं तो उन्होंने घोषणा की थी पुष्कर के लिए, पुष्कर विकास बोर्ड उन्होंने बनाया। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन उस पुष्कर विकास बोर्ड को बनाने के बाद ... (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पहले जब तक इस बात पर आपकी व्यवस्था नहीं आएगी ... (व्यवधान) एक मिनट ... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, आप नालेज से बताएंगे, आपने डाइरेक्शन दिया कि पहले अपनी नालेज की बात बता दें, वह कहां गयी? (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): एक मिनट। आपने अख़बार की कई कटिंग यहां पर दिखायी और सरकार पर आरोप पर आरोप लगाये। या तो अपनी बात को यह प्रूव करें या इसकी कार्यवाही में से जो भी इन्होंने अख़बार की कटिंग के आधार पर लगाये उन सब को इसमें से निकलवाइये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: वह मैंने व्यवस्था दे दी। आपने सुनी नहीं। आप बोलिये कन्टीन्यू। वह समय ज्यादा बढ़ रहा है उनको फिर ... (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): आपको इसकी ज्यादा रूचि है कि ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: नहीं-नहीं, आप जवाब मत दीजिए इनका, आप इधर देखकर बोलिये। आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

## मांग संख्या-29 पर अग्रेत्तर विचार

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब अजमेर पधारी थीं तो उन्होंने पुष्कर के विकास के लिए एक पुष्कर डवलपमेंट बोर्ड की घोषणा की थी। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, लेकिन इस बजट में भी और वहां भी उन्होंने उस विकास बोर्ड के लिए न तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाये और न पैसे की व्यवस्था की तो मेरी यह मांग है कि उस बोर्ड को पैसा भी दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जाए।

इसी प्रकार उसी तर्ज के ऊपर एक दरगाह विकास बोर्ड बनाया जाए।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

दरगाह पूरे विश्व के तीर्थयात्रियों के लिए भी, श्रद्धालुओं के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी एक पाइंट आफ वीजिटिंग है और उसमें बहुत लोग आते हैं तो दरगाह विकास के लिए भी एक दरगाह डवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए और उसको भी उसी प्रकार से पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि दोनों का विकास हो सके। इसी प्रकार से एन.एल.सी.पी. के तहत जो आना सागर झील और पुष्कर सरोवर, यह एक बात और बताना चाहता हूं मैं, आना सागर झील का जहां प्राकृतिक महत्व है वहां इस बात का भी महत्व है कि प्रतिवर्ष लाखों अल्पसंख्यक भाई आकर वहां बज्जू करते हैं आना सागर झील के अन्दर ऐसा वहां विश्वास है कि ख्वाजा गरीब नबाज ने वहां बज्जू किया था तो जो जायरीन आता है वह कोशिश करता है आना सागर में वहां नहाने की तो उसकी सफाई, उसकी जो दुर्गति आज है वह देखने लायक है, उसको ध्यान में रखकर, दोनों झीलों को मिलाकर एक ऐसी बोडी बनायी जाए, जिस बोडी के पास पावर भी हो और पैसा भी हो ताकि वह मैंटिनैंस भी रख सकें। आप देखिये, बड़े अफसोस की बात, इस बात की है कि अब ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप कृपया, कनक्लूड कीजिए।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मैं यह कह रहा था कि अभी माननीय विधायक जो जयपुर से पधारे उन्होंने बोला था कि मंत्रीजी ने कहा है कि मैं भंवरलालजी शर्मा के नक्शे-कदम पर चलूंगा। बहुत बढ़िया बात है लेकिन एक बात पर रहम करना कि भंवरलालजी शर्मा ने बिना यू.आई.टी.की मांग किये सुओमोटो आना सागर की जमीन का लैण्ड यूज चेंज किया।

ऐसी कृपा आप मत करना। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अजमेर यू.आई.टी. जो आपको लिखकर भेजती है उसके खिलाफ सरकार फैसला करती है। अजमेर की यू.आई.टी. ने लिखा कि जयपुर रोड पर जिंक बैल्ट पर एक जमीन थी, जो आपको किसी प्राइवेट आदमी को देनी थी होटल के लिए। यू.आई.टी. अजमेर ने आपत्ति की है, आपने स्वीकार नहीं की, आपके अफसरों ने स्वीकार नहीं की। जब यू.आई.टी. का यह हाल है उसके बाद में भी आप उदीयमान राजस्थान की बात करते हैं तो आपकी मर्जी की बात, यह भी आप जांच करवा लें और जिस सड़क की मैं बात कर रहा था, मैं फिर बता दूं आपको कि प्राइवेट बस स्टैण्ड अभी साल भर पहले खाली हुआ है, कांग्रेस के टाइम में खाली नहीं हुआ था, उसके पास यह सड़क है। उसका नियमन तब होने की बात ही नहीं थी। जब खाली नहीं हुआ तो नियमन कैसे होता, वह भी आप दिखवा

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

लें। मेहरबानी करके आप यह देखिये लोकतंत्र के अंदर यह बहुत आवश्यक है "Caesar's wife must be above suspicion." आप ईमानदार हैं, यह पर्याप्त नहीं है। जनता ईमानदार माने, यह उतना ही आवश्यक है लोकतंत्र के अंदर, नहीं तो जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए बार-बार यह बात कह रहा हूं कि मेहरबानी करके यू.डी.एच. के नाम से या टाउन प्लानिंग के नाम से, एक बात और कहना चाहता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज तक आपका यू.डी.एच. सर्कुलर पर चल रहा है। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां सुविधा से कर रहे हैं। आप उसका कोई एक्ट बनाइये। इसके अलावा आप देखिये कि टाउन प्लानिंग के अंदर जो स्थिति आपकी है, न वहां स्टॉफ है, न उन्हें अधिकार। टाउन प्लानिंग की दयनीय स्थिति यह है कि टाउन प्लानिंग के आदमी भी सर्वे कराने के लिए रखने पड़ते हैं। सेन्सस सर्वे जो आप लोग करवाते हैं तो सर्वे के लिए देते हैं प्राइवेट एजेन्सी को। जब कि उससे कम खर्चे में टाउन प्लानिंग वाले सर्वे कर सकते हैं, वह आप नहीं करवाते हैं, क्योंकि वहां स्टाफ नहीं है। उस स्टाफ की आप भर्ती कीजिये। टाउन प्लानिंग या तो आप बनाइये ही मत, आप मास्टर प्लान बनाइये ही मत और बना है तो उस पर अमल करिये। आप अपनी सुविधा से सेंट्रल लाइन चेंज कर देते हैं, अपनी सुविधा से सड़क की विड्थ चेंज कर देते हैं, यह बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि टाउन प्लानिंग हो और चाहे अरबन डवलपमेंट हो, यह सब जनता की सुविधा के लिए है, जनता के हनन के लिए नहीं है, जनता को डराने के लिए नहीं है, जनता को हंट करने के लिए नहीं है। यह बात मैं बहुत स्पष्ट इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं और एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि पुष्कर के अंदर कच्ची बस्ती के नियमन पर जो रोक लगा रखी है, उसको आप तत्काल प्रभाव से हटायें। जब आप खुले रूप में दूसरे लोगों को वहां सरकारी जमीन होटल बनाने के लिए दे रहे हैं तो कच्ची बस्ती वालों ने क्या अपराध किया, क्या गुनाह किया? जो 100 गज में बैठा है, 50 गज में बैठा है, 20 गज में बैठा है। उनका आप नियमन नहीं कर रहे हैं बेन लगा रखा है। बेन क्यों लगा रखा है? कोई बात तो आप निश्चित रूप से करिये। बात करते हैं उदीयमान राजस्थान की। (व्यवधान)

**श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आधा घंटा हो गया।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): मेरा निवेदन यह है। मैं अंत में अपनी

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बात समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि अरबन डवलपमेंट के नाम पर.. (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय श्री नन्दलालजी बंशीवाल।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मुझे आसन से पहले व्यवस्था दी है उसके बाद में चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आसन ने मुझे पहले ही कहा था कि आपका नम्बर है। (व्यवधान) सभापति महोदय, आसन द्वारा पहले मुझे सूचना मिली थी उसके बाद में चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय श्री नन्दलालजी बंशीवाल।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, नगर पालिका दौसा जिला मुख्यालय की नगरपालिका है और हमारा दौसा नया जिला बना है। इसको जिला बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। बहुत पुराना एक सब डिवीजन हैड क्वार्टर था। दौसा जिला बन गया। वहां पर सीवरेज लाइन की बहुत ज्यादा प्राब्लम है। नाली और सड़कों की बहुत ज्यादा प्राब्लम है1 मैंने नगरपालिका चेयरमैन के मार्फत भारत सरकार को एक योजना बनाकर भिजवाई UIDSMT अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन। यह योजना हमारी थी माननीय सभापति महोदय, 114 लाख की और एक कच्ची बस्ती सुधार योजना है इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्माल डवलपमेंट प्रोग्राम 222 लाख की। माननीय सभापति महोदय, मैंने डी.पी.आर. के थ्रू अनुदान के लिए स्वायत्त शासन विभाग को भेजी। स्वायत्त शासन विभाग ने सुना नहीं तो मैंने माननीय एस.एन. गुप्ता साहब से निवेदन किया। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है हाउस में इस तरह की बात बोलते हुए, हमारी सरकार है, हम सत्ता में हैं। मैं इस तरह की बात अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, मगर मुझे पीड़ा हो रही है इसलिए बोल रहा हूं कि पीड़ा हो रही है। हमारे यहां पर जो अधिकारी हैं, उनका किस तरह का आचरण है, किस तरह का उनका काम है, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं। एस.एन. गुप्ता साहब ने प्रताप सिंहजी को पत्र लिखा। तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्रीजी सिंघवी साहब ने 17.11.2007 को पत्र लिखकर भेजा कि मैंने नगरपालिका दौसा को विभिन्न विकास कार्य एवं उपकरण क्रय हेतु राशि 679.55 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिलवाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर रहा हूं। यह 17.11 को तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने लिखा। उसके बाद में भी कोई आगे गाड़ी बढ़ी नहीं। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत उदार हैं, हर बात को बड़ी गम्भीरता से लेती हैं, उनको मैंने निवेदन किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने.30.11 2007 को उसी दिन एक पत्र लिखा स्वायत्त शासन सचिव को। पत्र यह लिखा मैं इसको टेबल करूंगा। उपरोक्त विषयक श्री नन्दलाल बंशीवाल, माननीय विधायक, दौसा द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को अनुलग्नकों सहित प्रेषित पत्र का अवलोकन कराने का श्रम करें। निर्देशानुसार निवेदन है कि इस प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें। अब गौर करना इसके अंदर लिखा था एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति से माननीय विधायक को भी अवगत करावें। यह लिखा है 30.11 को, आज है 11.3.2008, इनको जरा सी शर्म नहीं आई कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने लिखा है कि एम एल ए से कम से कम बात करके बता दें कि आपने जो ग्रांट के लिए दिया है भारत सरकार को भेजने के लिए, हम इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूं UDISMT और IHDSDP योजना। यह भारत सरकार की योजना है। यह देती है 60-20-20 के रेशो के अंदर पैसा देती है। 60 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का होता है, 20 प्रतिशत पैसा होता है नगरपालिका का, 20 प्रतिशत पैसा होता है राज्य सरकार का। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फोन पर कह दिया, इनसे कह दिया Do it. उसके बाद भी इन अधिकारियों की कानों के अंदर जूं जरा सी भी नहीं रेंगी। इनको शर्म नहीं आई और इन्होंने इस तरह का बर्ताव किया। मेरे से फोन पर बात की शासन सचिव ने। मैं कहना चाहता हूं शासन सचिव ने मेरे से बात की। मेरे से कहते हैं कि आपका डार्क जोन में है, पानी की योजना बनाकर भेजिये। मैंने पानी की स्कीम बनाकर भेजी उसके बाद आज छह-छह महीने हो गये इन बातों को, इन्होंने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारी बात पर गौर नहीं किया, ना इन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी की सुनने की जरूरत समझी, ना मंत्रीजी की सुनने की जरूरत समझी, ना विधायक की सुनने की जरूरत समझी। मुझे बड़ी शर्म आ रही है यह बोलते हुए। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मैंने सारी बात कही है आप इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, मुझे इसके बाद बतावें। (व्यवधान) नहीं, मैं जवाब चाहता हूं। मैं बैठूंगा नहीं, माननीय मंत्रीजी से जवाब चाहता हूं। जब आप रिप्लाई दें उसके अंदर मुझे जवाब चाहिये।

**श्री सभापति**: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी।

**एक माननीय सदस्य**: आप क्या चाहते हो इसके अंदर?

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): मैं तो यह चाहता हूं जो मेरी यह स्कीम है तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को भिजवाई जाये। हमारी सरकार पैसा देना चाहती है। 20 प्रतिशत मेरी नगरपालिका का है, हम देना चाहते हैं। 20 प्रतिशत सरकार देना चाहती है, मगर आप लोग इसको भिजवाने में क्यों देरी कर रहे हैं? इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। इसके लिए माननीय मंत्रीजी, आप अपने विभाग के अधिकारियों से पूछ लेना और जो मेरी ग्रांट है, कृपा करके ग्रांट के लिए मैंने निवेदन किया था, आप हमको चुंगी पुनर्भरण के लिए 25 लाख रुपये दे रहे हैं। 25 लाख के अंदर हमारा पैसा बिजली, पानी और कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता है। नगरपालिका की कोई आय नहीं है। जिला मुख्यालय की नगरपालिका है। नगरपालिका को पैसा नहीं मिलेगा तो वहां पर विकास कार्य कैसे होंगे? और आगे चुनाव आ रहे हैं। चुनावों के अंदर हमें लोगों को जवाब देना है। जवाबदारी हमारी बनती है क्योंकि हम वहां से जन प्रतिनिधि हैं। वहां से एम एल ए हैं। हमारे से जनता पूछेगी कि आपने क्या किया तो हमारे पास क्या जवाब है देने के लिए। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आपसे ग्रांट मांग रहे हैं, आप ग्रांट नहीं दे रहे। भारत सरकार से मांग रहे हैं, भारत सरकार देने को तैयार बैठी है। हमारी राजस्थान सरकार तैयार बैठी है मगर अधिकारी बीच में करने को तैयार नहीं हैं। यह मेरा आरोप है अधिकारियों पर और जो मैंने ग्रांट मांगी है, आप उसको कृपा करके जारी कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

**श्री सभापति**: आदरणीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे चिंता यह हो रही है कि मैं कहां से शुरू करूं और क्या करूं। सभापति महोदय, मैं 72 के अंदर नगर पार्षद रही हूं, 1982 के अंदर नगर पार्षद रही हूं। मैं एक ही बात को आज तक कहती आई हूं मेरी इतनी बड़ी फाइल हो गयी, मगर वह काम आज तक नहीं हुआ।

अभी 15 अगस्त को आदरणीय मुख्य मंत्रीजी जोधपुर पधारी थीं और इस बात को मैंने उनके सामने पहले रखा कि गुलाब सागर और फतेह सागर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

का पहले जीर्णोद्धार होना चाहिए तो उन्होंने मेरे कहने पर पौने तीन करोड़ रुपये सैंक्शन किये और उनका जीर्णोद्धार हुआ। इसी की तर्ज पर जब मुख्य मंत्रीजी 15अगस्त को जोधपुर पधारीं तो मैंने निवेदन किया कि गंगलाव तालाब और बाईजी का तालाब, बाईजी का तालाब एक ऐसा स्थान है, माननीय सभापति महोदय, जो कि स्टेट के टाइम का है और महाराज उम्मेद सिंहजी की लड़की ने उस तालाब को बनवाया और एक स्कूल बनवायी। उस तालाब का पानी इतना बढ़िया था, सारी मशीनें लगी हुई थीं, मगर उस तालाब की आज ऐसी स्थिति खराब है, इतने सालों से वहां सारी नहरें बंद कर दीं, सारा पानी गंदा आ रहा है, आस-पास में काफी एनक्रोचमेंट हो गये और गंदा पानी उसके अन्दर जा रहा है। मैंने इसकी सारी जानकारी जब सदन की नेता को दी, उन्होंने तुरन्त उसी वक्त यह कहा कि इस बाईजी तालाब का जीर्णोद्धार होना चाहिए मगर आज आठ महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि नगर निगम का यह हाल है। हम कैसे बर्दाश्त करें? गंदगी से भरा हुआ, गंदगी चारों तरफ, कोई सफाई का लेना-देना नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसके ऊपर विचार करें और जब मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने कह दिया फिर भी उस काम के अन्दर इतनी देर क्यों हुई?

इसी तरीके से, सभापति महोदय, गंगलाव तालाब है। इसके अन्दर कमोर्ड डाल दी गयी है, पानी पड़ा है और उसके चारों तरफ एनक्रोचमेंट हो गये। पहले तो एनक्रोचमेंट कराते हैं फिर उसको हटवाते हैं तो फिर जनता नाराज होती है। ऐसे काम यह अधिकारी लोग क्यों करते हैं? जिन अधिकारियों ने वहां पर जहां-जहां एनक्रोचमेंट कराये हैं और अब आप तोड़फोड़ कर रहे हैं तो पब्लिक नाराज होती है। जिस समय एनक्रोचमेंट करे उन अधिकारियों के खिलाफ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि क्या आप एक्शन लेंगे, मैं यह जानकारी चाहूंगी।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि जोधपुर शहर जयपुर के बाद दूसरे नम्बर पर है मगर इतनी कच्ची बस्तियां हैं, हालांकि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं हूं वहां कोई दो-चार कच्ची बस्तियां हैं, ज्यादा नहीं हैं मगर उन कच्ची बस्तियों का सुधार करने में नगर निगम ने कोई काम नहीं किया।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हाउसिंग बोर्ड ने जो पैसा था वो सारा नगर निगम को दिया मगर नगर निगम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कच्ची बस्तियों का सुधार हो सके। अब मेरा क्षेत्र आगे तक बढ़ गया है, मैं यह चाहूंगी कि वहां पर लोगों को सहूलियत कैसे मिले, इसके ऊपर नगर निगम विचार करे मगर नगर निगम को वो बात करने की जरूरत समझती नहीं है क्योंकि न तो वहां पर जे.ईएन. ढंग का है न वहां एक्स.ईएन. है ना ए.ईएन. है। जे.ईएन. है वो करता है ए.ईएन. का काम और ए.ईएन. है वो करता है एक्स.ईएन. का काम। यह जोधपुर की नगर निगम हाल है। इस बात से मैं बहुत पीड़ित हूं कि इस तरीके से जो जोधपुर नगर निगम का ढांचा बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि आप विचार करें।

सभापति महोदय, अब मैं आ रही हूं उनके काम की तुलना के ऊपर। हाउसिंग बोर्ड ने लाखों रुपये दिये उसका क्या दुरुपयोग किया है, हाउसिंग बोर्ड के अन्दर जितना उन्होंने, जो नगर निगम ने काम किया है अगर उनकी इंक्वायरी बैठा दें तो मैं चैलेंज के साथ कह रही हूं कि इतना घटिया काम किया है, जगह-जगह सड़कें बह गयीं, इससे अच्छा तो अगर वो कच्ची बस्तियों का सुधार करते तो वहां गरीब जनता है वो इनको दुआ देती और अच्छा काम होता।

**एक माननीय सदस्य**: नगर निगम किस का है?

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): नगर निगम किस का है, कांग्रेस का है। महापौर कांग्रेस की है, पूरा बोर्ड कांग्रेस का बैठा हुआ है और जो बी.जे.पी. के पार्षद हैं उनका नगर निगम कोई काम नहीं करती है। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): ज्ञान क्या दे रहे हो?

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): नहीं, मेरे को किसी के ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इनके जितना तो मेरे लड़का है, समझ गये आप। मेरे को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सक्षम हूं कोई भी बात कहने के लिए। हिन्दी में कहो चाहे मारवाड़ी में कहो, जो कुछ बात होगी वो मैं जोधपुर की बात यहां पर रखूंगी।

सभापति महोदय, मैं अब आ रही हूं पार्कों के ऊपर। जोधपुर शहर के अन्दर मण्डोर उद्यान है, बहुत पुराना है मगर आज उसकी स्थिति यह है कि

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

क्या बताऊं आपको, फिर भी मैं नगर सुधार न्यास को धन्यवाद दूंगी कि थोड़ी कुछ उसकी सुध ली है। मेरी मांग है कि उसका विकास होना चाहिए। सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर पब्लिक पार्क है, उसकी भी यही दुर्दशा हो रही है। आज तक उसकी नगर निगम ने देखभाल नहीं की है। जय नारायणजी व्यास के नाम पर एक पार्क है हालांकि वो शहर के अन्दर है मगर फिर भी उसके अन्दर कोई भी व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मैंने नगर सुधार न्यास के अधिकारियों को, नगर सुधार न्यास के चेयरमैन से कहा तो उन्होंने थोड़ा कुछ काम कराया है ताकि हमारी कुछ बचत हो सके। इसी तर्ज के ऊपर नेहरू पार्क है, उसकी भी यही स्थिति है मगर थोड़ा काम शुरू हुआ है।

सभापति महोदय, अब रही शहर के अन्दर सड़कों की बात, मैं धन्यवाद दूं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि इन्होंने करीबन डेढ़ करोड़ रुपये जोधपुर शहर की सड़कों के लिए किया है और मैं आपको आज की तारीख में कह रही हूं कि जो शहर की सड़क पर कोई एक्स.ईएन. या ए.ईएन. काम कर रहा है उसको मैं साधुवाद दूंगी कि जोधपुर में इतनी बढ़िया सड़क बन रही है कि आज तक कहीं नहीं बनी। इसी तर्ज पर, सभापति महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर जालौर गेट से लेकर फतेह पोल तक की जो आर.यू.आई.डी.पी. ने सड़क बनायी है वो भी एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। वहां करीबन एक करोड़ की सड़क बनी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर महाराजा अंजनेशवर आश्रम है, पुराने नाम से बकरा मंडी कहलाती है, उसके अन्दर भी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने सहयोग दिया, उन्होंने 60 लाख रुपये सैंक्शन किये और नगर सुधार न्यास ने 40 लाख रुपये दिये, वो भी एक करोड़ के करीबन सड़क है, वह भी पूर्ण होने पर जा रही है और बहुत ही बढ़िया सड़क बनी है जो कि आज तक कभी नहीं बनी थी और मैं वहां के जो मोमडन भाई हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया, सड़क चौड़ी करने के अन्दर जहां-जहां अपने कोई भी एनक्रोचमेंट थे उन्होंने खुद ने हटा लिये इसलिए वहां के लोग भी साधुवाद के पात्र हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): इन्होंने बकरा मंडी के लिए पैसा दिया ?

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): बकरा मंडी, बकरा रोड है, बकरा मंडी नाम है उसका।

**श्री सभापति**: नहीं, आप कन्टीन्यू रखिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरे दो-तीन और सुझाव हैं। जोधपुर शहर के अन्दर और बाहर सरदारपुरा और कहीं भी हो, मल्टी परपज बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं और ना तो उनकी कहीं कोई परमिशन है ना उनकी कोई पार्किंग की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है और जैसे मर्जी आये वैसे ही बन रही हैं। नगर निगम की एक कमेटी है, उसके अन्दर मोहनजी मेघवाल और मैं, हम दोनों वहां के मैम्बर हैं, हमारे मना करने के बावजूद भी वहां के अधिकारी समझो, चाहे वहां के महापौर समझो, चाहे कोई भी समझो, उन्होंने परमिशन देकर मल्टी परपज का बनवाया और यहां तक कि आई.ए.एस. अफसर खुद स्वयं बैठे थे कुनाल सिंहजी फिर भी वो बिल्डिंग बन गयीं और आज पूरी हो गयी और उसके नीचे से बहुत बड़ी भारी पाइप लाइन निकल रही है फिर भी इसके ऊपर रोक नहीं लगायी। मौका मुआयना भी कर लिया, जल चौक चौराहे के पास भी है, मैं और कई नाम बता सकती हूं मगर उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, संकट यह क्या है, क्यों वहां पर बंटवारा किया हुआ है, यह एरिया यह कमिश्नर देखेगा, यह एरिया वो कमिश्नर देखेगा? तो उन कमिश्नर ने, कुनाल सिंहजी ने बहुत मेहनत की फिर भी वहां कोई निर्णय नहीं निकला और वहां के जो इन्चार्ज कमिश्नर साहब हैं उन्होंने उसको बनाने की परमिशन समझो, बगैर परमिशन ही बन गयी, ना कोई पार्किंग है ना कोई और बात है ...(व्यवधान) हां, बगैर परमिशन ही तो कह रही हूं। बगैर परमिशन ही सारे बन गये तो यह नगर निगम का हाल है और कभी इन्होंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि जोधपुर शहर का कोई सुधार हो। यह कांग्रेस का बोर्ड है।

सभापति महोदय, आपने मेरे को जो पांच-छः मिनट बोलने के लिए दिये इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देऊं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि पुराने शिक्षा मंत्री रहे थे उनके लिए कि जोधपुर शहर की स्कूलों के अन्दर एक पहला मंत्री था जिन्होंने हर स्कूल को जाकर के देखा, इसलिए उनको धन्यवाद।

**श्री सभापति**: यह परसों कह देना शिक्षा विभाग की अनुदान मांगो पर कह देना।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): क्योंकि वह नगर निगम में आती है इसलिए इनको धन्यवाद दिया है। आपने मेरे को समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आज आप आसन पर पहली बार बैठे हो, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था।

**श्री सभापति**: मैं पहले भी बैठ चुका हूं, पिछले सदन में आप नहीं थे, मैं पहले भी बैठ चुका हूं।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): पिछले सदन में मैं नहीं था ना मेरा दुर्भाग्य है, मैंने तो आज देखा है आपको आसन पर।

**श्री सभापति**: यह मेरे पास सूची है इसमें लास्ट ही लास्ट में नम्बर है आपका। इनके बाद आप बोल लीजिएगा।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): मेरी बात सुनें, मुझे आसन से सूचना दी गयी थी मैं कोई मेरे मन से नहीं कह रहा हूं यह बात।

**श्री सभापति**: इनके बाद आप बोल लीजिए।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): हमें हमेशा ही 9-10 बजे, यह ठीक है, बढ़िया है, टाइम तय कर लिया आपने।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जब से राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने हमारे मारवाड़ के, हमारे पड़ौसी जिले के लेजिस्लेटर और मौजूदा स्वायत्त शासन मंत्री गोयल साहब को नगरीय विकास की कमान सौंपी है, यह उनके लिए और हमारे इलाके की ओर से भी मैं यह समझता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि विगत चार वर्षो में इस विभाग में जो क्रियाकलाप हुए हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं। राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाओं के आगे बौनी पड़ चुकी हमारी नौकरशाही तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं, कानूनी प्रावधानों, फाइनेंशियल रूल्स उन सब की वो दुर्गति की है कि गोयल साहब को वापस उसे ठिकाने पर लाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज इस मांग पर चर्चा के दौरान हमारे साथियों की ओर से जाने अनजाने ही अगर कोई आरोप सरकार के ऊपर लग गया तो यह चुनौती दी गयी कि भ्रष्टाचार के प्रमाण पेश करिये। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर कि पिछले साल इसी नगरीय विकास की मांगों पर चर्चा के दौरान गंगानगर सुधार न्यास में हुए अनगिनत घोटालों

(श्री संयम लोढ़ा)

की ओर मैंने राजस्थान की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। वरिष्ट आई ए एस अधिकारी और बीकानेर के सम्भागीय आयुक्त से राजस्थान सरकार ने उन घोटालों की जांच भी करवाई। जांच प्रमाणित पाई गयी। आज मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उन घोटालों पर क्या कार्यवाही की, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? जिन्होंने गंगानगर यू आई टी के द्वारा अपनी योजना में जिस भूमि को शामिल कर लिया गया उसके बाद भी 90बी के आदेश जारी कर दिये। राजस्थान आवासन मण्डल ने जिस भूमि को अवाप्ति के अधीन बता दिया, उसके एक महीने बाद 90 बी की कार्यवाही स्टार्ट कर दी, एन ओ सी दे दी।

माननीय सभापति महोदय, यह मेरा वक्तव्य नहीं है, आपकी सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये बीकानेर के सम्भागीय आयुक्त ने यह सब बातें अपनी जांच रिपोर्ट में बताई हैं लेकिन यह सरकार सम्भागीय आयुक्त को जांच अधिकारी बनाने के बाद में उसने जांच रिपोर्ट क्या दी है, कभी देखना जरुरी नहीं समझती और राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन के अन्दर क्या आश्वासन इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को दिया है, उसको देखना भी कभी ठीक नहीं समझती। मैं चाहूंगा सभापति महोदय, कि जब स्वायत्त शासन मंत्री अपना उत्तर दें तो सिलसिलेवार इस बात की घोषणा करें कि उन्होंने क्या क्या कदम उस रिपोर्ट पर उठाये हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही इस सरकार ने की है, इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को जानकारी देने का कष्ट करें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में गंगानगर में कितने बीघा की 90बी हुई, वह बता दें ...(व्यवधान) मैं बता देता हूं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपके मंत्रीजी बता देंगे ...(व्यवधान) आएगी तब बता देंगे, अभी तो इनसे पूछो।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ...(व्यवधान) 1820 बीघा, हमारी सरकार ने 470 बीघा की हुई है, 1826 बीघा की 90बी हुई है।

**श्री सभापति**: माननीय गुप्ताजी, कृपया विराजें। आप आधा घंटा अपने विचार रख चुके हैं, अब उनको बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, कभी ईश्वर ने

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहा तो हमारे जयपुर के पुराने महापौर को भी अवसर मिलेगा कि वह सदन में मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा पर आज मैं इस लायक नहीं हूं।

**एक माननीय सदस्य**: यह मुंगेरीलाल का सपना नहीं चलेगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं सिर्फ एक सदस्य के रूप में अपनी बात कह सकता हूं, सरकार की ओर से जवाब देने का अधिकार आज मेरे पास नहीं है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह बता दें कि गंगानगर में कितनी 90 बी हुई है।

**श्री सभापति**: आप बिराजिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): लेकिन राजस्थान की जनता की ओर से जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगा। मैं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता लेकिन मंत्रीजी जब आप जवाब दें तब आप इस बात की जानकारी जरुर देना कि सवा चार साल के अन्दर राजस्थान के विभिन्न शहरों के अन्दर मास्टर प्लान के अन्दर लैण्ड का जो यूज दिया हुआ था आपने कितने मास्टर प्लान के लैण्ड यूज चैंज किये? सिलसिलेवार एक-एक शहर की आप इस सदन को जानकारी देना। कोई प्रमाण नहीं होता भ्रष्टाचार का लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जोधपुर के अन्दर जिस लैण्ड को ग्रीन बैल्ट में बताया हुआ हो जब वह किसान उसका लैण्ड यूज चैंज कराना चाहे, कोई यू आई टी कोई सरकार उसकी नहीं सुनती लेकिन उसी किसान की भूमि को जब अंसल आकर के खरीद लेता है और अंसल सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करता है तो उसका लैण्ड यूज चैंज कर दिया जाता है।

मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार लेकिन कौन उनकी परस्ती कर रहा है वह सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ छोटी-छोटी बातों की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जयपुर विकास प्राधिकरण बना एक्ट के माध्यम से 1982 में, आज जयपुर विकास प्राधिकरण की गतिविधियों को देखकर यह लगता है कभी तो वह भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का काम कर रही है, कभी अक्षय पात्र फाउंडेशन को पैसा दे रही है, कभी जननी कलेवा में 66 लाख रुपया दे रही है, कभी महिला भोज के लिए 18 लाख 74 हजार रुपये दे रही है और कभी उस रामनिवास गार्डन के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्दर योग सिखाने के नाम पर पैंतीस लाख रुपया फूंक रही है। यह जे डी ए एक्ट में बताये हुए काम हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर के चौगान स्टेडियम के अन्दर पीने के पानी की ढंग की व्यवस्था नहीं, छाया की व्यवस्था नहीं, मानसरोवर के स्टेडियम में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं और आप शूटिंग रैंज के नाम पर पैंसठ करोड़ रुपया जयपुर की जनता का फूंक रहे हो। इस जे डी ए एक्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, जयपुर की जनता की तरफ ध्यान दीजिए। इन सामन्ती संस्कारों के आधार पर जयपुर के निर्माण की चेष्टा मत कीजिए। अगर आपको खिलाड़ियों को सुविधा देनी है तो मैंने बताया वहां आप टूटा-फूटा भी ठीक नहीं करा सकते और पैंसठ करोड़ रुपये एक व्यक्ति की पसंद नापसंद के आधार पर फूंकने का काम यह सरकार कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कौन से कानून के तहत नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया को अड़तालीस लाख रुपये दे दिये और जो उपकरण खरीदे उन्होंने फ्रांस की फर्म लापेट बाल से ट्रेप उपकरण जो खरीदे, क्या उसका प्रोसेस रहा, उस एन आर आई के बाप का पैसा था, जयपुर की जनता का पैसा था, राजस्थान की जनता का पैसा था, बिना टेंडर प्रोसेस के किस आधार पर उपकरण खरीद लिये गये। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तीन साल से एक आदमी को जो राजस्थान राइफल एसोसिएशन का प्रेसीडेंट बना हुआ है पैंतीस हजार रुपये जे डी ए का महीने का आप उसके ऊपर खर्च कर रहे हो। तीन साल में 15 लाख रुपये उसके ऊपर राजस्थान की जनता की गाढ़े पसीने की कमाई आप उसके ऊपर फूंक चुके हो। कौनसा एक्ट आपको परमिट कर रहा है ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार बी आर टी एस परियोजना लेकर आयी है। आपका अधिकार है लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने पी डी कौर को कंसलटेंट अपाइंट कर दिया जो राज्य सरकार की और निजी सहभागिता की कम्पनी है और फिर वह पी डी कौर, जो कंसलटेंट अपाइंट किया है, वह आगे फिर कंसलटेंट अपाइंट करता है। आपने कंसलटिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को खाली इस बी आर टी एस परियोजना के लिये

(श्री संयम लोढ़ा)

एक करोड़ ग्यारह लाख में अपाइंट किया है। रामनिवास की पार्किंग के लिये उसी को आपने 1.13 करोड़ में अपाइंट किया। आपके पास पूरा अपना एस्टेब्लिशमेंट है। जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी अपने आप में कोई कम सक्षम संस्था नहीं है लेकिन फिर भी विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के लिये मैं यह मानता हूं कि कंसलटेंसी की जरूरत आपको पड़ सकती है। जब पी डी कौर हो गयी तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज कौनसी और नयी आ रही है ?

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा बहुत हवाई, फौलादी इरादों और फौलादी बातों के साथ इस सरकार ने घोषणा की थी 'सुराज' नामक एक संस्था बनाने की। आधा पैसा जयपुर विकास प्राधिकरण देगा, आधा पैसा राजस्थान की सरकार देगी। माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ? सुराज फण्ड में 7 करोड़ रुपया दिया तो जयपुर डवलप आथोरिटी ने दिया, आपकी सरकार ने फूटी कौड़ी इस सुराज फण्ड के अन्दर नहीं दी। जयपुर की जनता के 7 करोड़ से आपने क्या किया है आज तक कोई काम बताओगे आप ? सिवाय होटल क्लार्क आमेर में फाईव स्टार होटल में तीन मीटिंग करने के आपने कुछ नहीं किया। मेरे पास बिल की कापी है। पार्क प्लाजा से जो बिल खाने का, जो रुका है और पेमेंट उसका हुआ है। बीयर तक के पैसे का पेमेंट जे डी ए के द्वारा किया गया, सरकार के अन्दर जिसकी रोक है कि आप शराब के पैसे का पेमेंट नहीं करेंगे। ... (व्यवधान) वह मंत्रीजी जवाब देंगे। इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक संस्था का निर्माण किया गया है लोगों की बेहतरी के लिये, लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये। उस काम में इसको लगाइये।

आपने यह राइफल प्रतियोगिता की। पूरा जे डी ए का स्टाफ वहां पर लगा हुआ था। जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी का और जो लोग जे डी ए के आफिस में उन दिनों में गये तो दफ्तर में एक अधिकारी, कर्मचारी उनको वहां पर नहीं मिला इसलिये मेहरबानी करके इस सामन्ती मिज़ाज से कृपा करके बाहर आइये। आप तो धरती के आदमी हैं और धरती से उठ करके आये हैं इसलिये आपसे हमको और राजस्थान की जनता को आपसे बहुत खास अपेक्षाएं हैं।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से

(श्री संयम लोढ़ा)

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जे डी ए में जो आप सर्वे का काम कराते हैं इसका हर साल टेण्डर होता है। इसका सर्वे का काम देते हैं आप। यह मेरे पास 2004 का है। एन के बिल्डकान को आपका टेण्डर गया जिसमें प्रति दस हजार स्क्वायर मीटर ओपन एरिया में 130 रुपये, इसी तरीके से सेमी बिल्डर, बिल्डर, रोड क्रासिंग, इम्प्रूवमेंट आफ रोड्स, इन सभी कैटेगरी के अन्दर सर्वे करने की आपकी रेट फिक्स है जो टेण्डर के माध्यम से आप तय करते हैं। 2004 में एन के बिल्डकान को हुआ, 2005 में बी एल जी कंस्ट्रक्शन को हुआ, 2007 के अन्दर किशन खाण्डा एण्ड एसोसियेट्स को हुआ। अब जब आपकी रेट फिक्स है तो मुझे यह समझ में नहीं आता मंत्रीजी, कि जो लोग इसमें एनटाइटल नहीं हुए, जिनके नाम का टेण्डर नहीं खुला, दूसरे लोगों को किस आधार पर तो आपने काम दिया और लाखों रुपयों का पेमेंट आपने किस आधार पर किया ?

**(समय : 18.54 बजे)**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

मैं चाहूंगा जब आप जवाब दें तब बतायें कि यह 11 मई, 2007 को जो 60 लाख रुपये का पेमेंट मैसर्स किशन खाण्डा एण्ड एसोसियेट्स को हुआ, क्या यह सही है कि तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर ज्ञानाराम ने उसके ऊपर एक पेज का डीसेंट नोट लिखा था। इसके बाद भी उसका भुगतान कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो खाली एक बानगी है इस सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपयों का भुगतान जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी में किया गया है। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, मंत्रीजी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। हर पेमेंट में उस जोन के डिप्टी कमिश्नर का 25 परसेण्ट हिस्सा होता है इसलिये मेहरबानी करके इस पूरे प्रकरण को यह जितना भी लैंड सर्वे हुआ है, विदाउट टेण्डर जो लैंड सर्वे के काम दूसरे को दिये गये हैं। मौके पर काम हुआ नहीं है, पेमेंट उठ गये, मेहरबानी करके अगर इस सरकार का दामन साफ है और इसमें पारदर्शिता है और मुझे भरोसा है कि आप इस बात का प्रमाण देंगे कि जितने भी सर्वे के काम के पेमेंट हुए हैं, आप एक ऐसी एजेन्सी से उसकी जांच कराने की घोषणा करें जिससे राजस्थान की जनता को यह मालूम पड़ सके कि राजस्थान के हमारे स्वायत्त शासन महकमे का हैड जनता के पैसे के दुरुपयोग को हर हालत के अन्दर रोकना चाहते हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार ने जो हमें यह विवरण पत्र उपलब्ध कराया है उसकी दो-तीन बातें माननीय मंत्रीजी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 2007-2008 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, साल समाप्त हो रहा है। आप अपने प्रगति विवरण में कह रहे हैं कि हमको 1832.21 करोड़ रुपया भारत सरकार से प्राप्त हो गया। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना मैचिंग शेयर अब तक रिलीज नहीं किया। आप क्या पैसा नीचे तक पहुंचायेंगे जब आपने भारत सरकार के पैसे को अभी तक नहीं भेजा, खुद का पैसा आपने रिलीज नहीं किया।

विरासत संरक्षण योजना। इस सरकार ने सबसे ज्यादा इस विरासत, विरासत की पांच साल के अन्दर बार-बार अपने वचनों के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति की है। क्या हाल है विरासत संरक्षण का ? 2007-2008 में आपने 10 करोड़ का प्रावधान किया है। 18 निकायों को पैसा देना था आपको। अभी तक 15 निकायों को फूटी कौड़ी आप हस्तांतरित नहीं कर पाये। मात्र तीन निकायों को एक दशमलव कुछ करोड़ रुपया आपने दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी जन सहभागी योजना 2007-08, प्रोविजन 15 करोड़, पैसा रिलीज किया ? नहीं। पिछले साल के पैसे खर्च कर रहे हो अभी।

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन 2007-08 में 75 करोड़ का प्रावधान जिन शहरों के लिये 80, 20 का शेयर है। पैसा रिलीज किया ? नहीं किया।

शहरी पुनरुद्धार हेतु विशेष अनुदान, बहुत हैरत में रहेंगे उपाध्यक्ष महोदय आप। 2006-07 में 7 करोड़ का प्रावधान और पूरा 7 करोड़ रुपये कहां पर खर्च हुआ ? माननीय मुख्य मंत्री के माननीय सांसद बेटे श्री दुष्यंत सिंह के क्षेत्र के अन्दर। पूरा 7 करोड़ रुपये उनके क्षेत्र के अन्दर। उनके क्षेत्र के बाहर कहीं राजस्थान के अन्दर फूटी कौड़ी खर्च नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2007-08 में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है और 2007-08 की यह 15 करोड़ की पूरी योजना कहां पर खर्च हो रही है? माननीय मुख्य मंत्री के सांसद बेटे के क्षेत्र में या माननीय मुख्य मंत्री की ससुराल धौलपुर जिले में। उसके अलावा पूरे राजस्थान के किसी जिले, किसी कस्बे, किसी शहर में एक फूटी कौड़ी यह सरकार खर्च नहीं कर रही है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके शासनकाल की भी बता दो जरा। आप मंत्री हैं, जोधपुर से बाहर निकले थे आप ? अगर विकास के लिये खर्च हो गया तो आपके पेट में जलन हो रही है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मुझे जलन नहीं, दर्द है। मुझे भी राजस्थान की जनता ने जिताकर भेजा है। यह पैसा कोई मुख्य मंत्री की मर्सी का पैसा नहीं है। राजस्थान की जनता के हक का पैसा है। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं तीन लाख लोग वहां भी रहते हैं। उनका भी हक है इस पैसे के ऊपर इसलिये दर्द है हमको।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके दर्द की दवा लावें क्या ?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): लगायेगी, जनता आपके दवा लगायेगी ग्रामीण विकास मंत्रीजी। चिन्ता मत करो ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दर्द तो आपके है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): बहुमत में बैठे हो तो इस बहुमत का घमण्ड जरा भी मत करो ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दर्द तो आपके है, दवा आपको लेनी चाहिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सांगोद नगरपालिका के अन्दर वहां के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव नगरपालिका कानून के अन्तर्गत जिला कलक्टर के समक्ष पेश किया जाता है और जिला कलक्टर एक अधिकारी को अपना प्रतिनिधि मनोनीत करके उस अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को सम्पादित करने और कार्य भार की व्यवस्था करने के लिये भेजते हैं। सांगोद नगरपालिका में 2007 के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव महिला के खिलाफ पारित हो गया।

कोटा के जिला कलक्टर ने एसडीएम को अपना प्रतिनिधि बनाकर के भेजा, संविधान संशोधन हो चुका है। नगरपालिका एक संवैधानिक यूनिट है। रूल्स बने हुए हैं, वहां महिला को कार्यभार सौंपा जाना चाहिए था, महिला को कार्यभार नहीं सौंपा गया और वहां के एसडीएम और कलक्टर ने राजनीतिक दबाव के अंदर महिला के अधिकारों का हनन करते हुए पुरुष को वहां का

(श्री संयम लोढ़ा)

कार्यभार सौंप दिया। वहां के डिप्टी डायरेक्टर, लोकल बाडी द्वारा सरकार के नोटिस में भी लाया, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, उसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार की ओर से इस पर व्यवस्था होनी चाहिए, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला है। एक कलक्टर और एक एसडीएम, जो कलक्टर और एसडीएम कानून नहीं जानता है, जो नियम नहीं जानते, क्या कर रहे हैं आप बैठे-बैठे, आपका दायित्व बनता है कि आप सरकार में बैठे हुए हैं तो उस संवैधानिक व्यवस्था का आप पालन करायें। बहुत अच्छा होता कि उस कलक्टर और एसडीएम को आप यहां लाकर के एपीओ बैठाते और यह संदेश जाता कि जो कलक्टर और एसडीएम संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं करायेगा, हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे नौजवान मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप जब सदन में वक्तव्य दें तो इस बात की घोषणा करें कि उस एसडीएम के खिलाफ और उस कलक्टर के खिलाफ जिसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। आपकी सरकार क्या कार्यवाही करती है नहीं तो आने वाले वक्त में जो सरकार आयेगी उस सरकार को तो उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से करनी ही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा..

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपको करीब 20-25 मिनट हो चुके हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपकी आज्ञा से मैं सिर्फ तीन मिनट का वक्त और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब एक ऐसा मामला आपके माध्यम से जानकारी में लाना चाहता हूं।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि विरासत योजना केवल एक ही जिले में लागू की गयी है। ऐसा नहीं है इसमें 31 शहरों का चयन किया गया है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): विरासत का नहीं था। आप पहले रिकार्ड चैक करिये, विरासत का नहीं है। रिकार्ड चैक करिये और फिर बोलिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): विरासत का नहीं था।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मंत्रीजी सुन रहे थे, आपका तो ध्यान कहीं और रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के हाउसिंग बोर्ड के एक आदेश का मैं विवरण देना चाहता हूं। दिनांक 27 फरवरी को सीनियर अकाउंट आफिसर ने जोधपुर हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर को एक मकान की कास्ट के बारे में सूचित किया, हाउस नंबर 17 ई 757, हायर इनकम ग्रुप 3287800 रुपये और 27 तारीख को यह सूचित किया और 28 तारीख को वही हाउस अलाट किया गया 3311631 रुपये में और वही हाउस 4 मई, 2007 को मात्र 1681000 रुपये में दे दिया गया और यह सब इसलिए हुआ है राजस्थान की गरीब जनता को यह 15 लाख से 18 लाख का चूना इसलिए लगा कि +++ जिस मकान की कीमत 33 लाख रुपये आन रिकार्ड पर थी, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने जो कीमत बतायी है, भारतीय जनता पार्टी की एक एम.एल.ए. को फायदा पहुंचाने के लिए 16 लाख रुपये के अंदर यह हाउस का अलाटमेंट कर दिया। मेरे पास प्रमाण हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस मकान के आबंटन की यह बात कर रहे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं टेबल कर सकता हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हाउसिंग बोर्ड में हो सकता है कि अपना कोई संशोधित आदेश उस पर दे दिया होगा पर यह आरोप झूंठा लगा रहे हैं, +++ का नाम ले रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह सरासर +++ करने का इनाम दिया गया है। राजस्थान की गरीब जनता को 18 लाख रुपये का चूना लगाने का काम +++ (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान) इनको कोई हक नहीं है आरोप लगाने का... (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं टेबल पर रखता हूं ...(व्यवधान) चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो बताये, नहीं तो टेबल पर रखे ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बिराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से आरोप लगाये, मैं यह जानना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिना नोटिस दिये इस तरह के आरोप लगाना ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं यहां अपनी बात खतम कर रहा हूं एक मिनट में ...(व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने अशोक उद्यान बनाया था जोधपुर में वह किसकी राशि थी, उनके घर की थी ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बिना नोटिस दिये इस तरह की बात मत फेंकिये ... (व्यवधान) इसको एक्सपंज कर दें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। राजस्थान की सरकार ने यह पत्रिका निकाली, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने सर्व जन हिताय और जयपुर तथा ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो बेबुनियाद आरोप माननीय सदस्य ने लगाये हैं उसको एक्सपंज करके रिकार्ड से निकाला जाये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कोई बेबुनियाद नहीं है, सरकार के आदेश हैं मेरे पास ...(व्यवधान)

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): हाउसिंग बोर्ड ने कोई काम किया है उसके लिये +++ पर यह आरोप लगायें यह आरोप एक्सपंज होने चाहिये... (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं ...(व्यवधान)

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): हाउसिंग बोर्ड ने कोई काम कर दिया और उसका आरोप +++ पर लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): फाइल +++ तक गयी है, फाइल +++ तक गयी है... (व्यवधान)

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): किसी भी मंत्रालय ने काम किया और उसकी जिम्मेदार +++ को मान रहे हैं आप ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सरकार के अंदर हिम्मत है तो यह सदन की टेबल पर रखें ...(व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप गलत हैं, यह आरोप एक्सपंज किये जायें।

**श्री उपाध्यक्ष**: इसको एक्सपंज कर दिया जाये। (व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हाउसिंग बोर्ड का कोई काम है +++ के ऊपर इस तरह के आरोप ...(व्यवधान)

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): हाउसिंग बोर्ड ने कोई काम कर दिया और उसका आरोप +++ पर लगा दिया आपने ...(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): आपके कार्यकाल में कितना अलाटमेंट हुआ ...(व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको एक्सपंज करायें। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आखिर में एक बात कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): इससे +++ का कोई संबंध नहीं है... )व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): जो मकान की कीमत के बारे में ...(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): हाउसिंग बोर्ड जो करता है ...(व्यवधान) +++ का कोई संबंध नहीं है इससे ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आपके श्रवणजी को भी दिया है मकान, सूर्यकान्ताजी को भी ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप कनक्लूड कीजिये।

**एक माननीय सदस्य**: क्या कह रहे हैं आप? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हाउसिंग बोर्ड में जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स 8 ए के अंदर एक परसेंट मकान आबंटन करने का ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): रेट कम करने का अधिकार नहीं है, रेट कम करने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हाउसिंग बोर्ड का काम है और पूर्ववर्ती सरकार ने एक-दो नहीं, 37 मकान अलाट किये हैं लोगों को ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): रेट कम करने का अधिकार किसी को नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 37 लोगों को अलाट किये हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): एक परसेंट अलाटमेंट का अधिकार है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसी रूल्स के अंदर 37 लोगों को अलाट किया है ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): रेट कम करने का कोई अधिकार नहीं है ...(व्यवधान) भारी दुरूपयोग किया है...+++ (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 37 लोगों को अलाट किया है ...(व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): अब इनको बैठायें आप। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): अब बैठायें इनको ...(व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जो पांव से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं ...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): इनके कार्यकाल में मुख्य मंत्रीजी ने 37 लोगों को अलाट किया हुआ है, कागज बना लो, अशोक महान ने ...(व्यवधान) अशोक महान ने एक कागज बनवा लिया ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मुकदमे दर्ज करायें आप, आपको किसने रोका है?

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: अब समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये।

**डा. एन.एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: अंकित मत कीजिये, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बात समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: अब वह समाप्त कर रहे हैं, कह दिया है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बिराजें, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: महावीरजी। (व्यवधान) आप थोड़ा बैठो।

# समिति का प्रतिवेदन

## कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या-22)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने 21वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि दिनांक 17 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक सदन में लिए जाने वाले अग्रेतर कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

| | |
|---|---|
| सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2008 | (1) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। (2) अतिरेक मांगें वर्ष 2003-2004 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2004-2005 तथा अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2007-2008 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द कर मतदान एवं पारण। (3) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 का पुरस्थापन, उन पर विचार एवं पारण। (4) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। |
| मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 | (1) जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008, (2) सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक 2008, (3) एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008, (4) निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान जयपुर विधेयक, 2008 (5) सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008, (6) राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। |
| बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008 | (1) राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 एवं (2) राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2008, (3) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। |
| गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2008 | (1) राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 (2) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008, (3) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2008- पर विचार एवं पारण। |

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**(स्वीकृत)**

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

माननीय मंत्रीजी, आप अपना जवाब दीजिए।... (व्यवधान) आप आगे बात कर लेना, बहुत हो गया। कासनियाजी, आप सुनना।

## अनुदान की मांग संख्या-29 पर अग्रेत्तर विचार

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आसन द्वारा सूचना दी गई थी उसके बाद 6 माननीय सदस्य बोले हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: बोल लिए, कोई बात नहीं है।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल सही कह रहा हूं, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, मुझे आसन से सूचना दी गई थी, मैं बोलने का कोई भूखा नहीं हूं। यह तयशुदा प्रोग्राम है, अभी तो माननीय सभापति महोदय जो आकर विराजे थे ...(व्यवधान) ।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): यह हमारे बीच वालों के साथ ज्यादती है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप एक तरफ तो कहते हैं कि अपने समय का उपयोग करो, निर्दलियों के समय का उपयोग करो, जब आप वहां जाते हैं तो कहते हैं कि आप अपना समय लो, तो यह दोहरी बात नहीं चलेगी, यह कोई तरीका है? बड़े-बड़े लोग अखबारों की सुर्खियों में छाने के लिए पांच बजे से पहले बोलने का जो कार्यक्रम चल रहा है ...(व्यवधान)।

**श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला कटमोशन था।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): हम भी समझते हैं इस बात को, हमें कोई छपास रोग नहीं है, हम हमारी बात कहना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपको कहने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): बैठ तो जाएंगे, मैं कोई उल्लंघन

(श्री रामप्रताप कासनिया)

नहीं करता पर आए दिन हमें वहां से कहा जाता है कि आप अपने समय का उपयोग करो और जब हमारा समय निर्धारित है और उसमें से हम मांग करते हैं तो यह शोषण हमारे साथ क्यों होता है हमेशा से।

**श्री उपाध्यक्ष**: टाइम देंगे, आपको मौका मिलेगा।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात बोलने की नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा नाम काट कर माननीय संयमजी का नाम पुकारा है तो मैं कहता हूं कि यह तयशुदा प्रोग्राम आसन के द्वारा किया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं कि आज मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज 144 माननीय सदस्यों ने कटमोशन प्रस्तुत किए, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि 48 घंटे के अंदर आपके जवाब पहुंचा दिए जाएंगे। आज चर्चा में 13 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि आपने जो भी प्रश्न उठाए हैं ...(व्यवधान)।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): मेरी जो विपदा थी, बड़ी भयंकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत मैं वह बात रखना चाहता था और जनता ...(व्यवधान)।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप लिखित में दे देना मंत्रीजी से मिल लेना, आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा, आप चिंता मत करो।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्रीजी से मिल लेना, आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज विधान सभा के नवम् सत्र में शहरी विकास के बारे में बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नगर विकास आज राज्य की ही नहीं बल्कि देश और राष्ट्र की भी प्राथमिकता है क्योंकि रोजगार, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर के अवसर गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक दिखाई देते हैं। साथ

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ही स्थान परिवर्तन मानवीय स्वभाव का एक गुण है। जो लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, वे विदेश जाते हैं, छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, वे विदेश जाते हैं, छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों में और बड़े शहरों के नागरिक मेट्रो सिटीज की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार गांवों के लोग शहरों की ओर रुख करते हैं। शहरों की ओर रुख करने की प्रवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव राज्य पर भी हुआ है। यह मैं नहीं आंकड़े बताते हैं कि गत दशक में राज्य में शहरीकरण की वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है।

क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 65 लाख में से करीब 1 करोड़ 32 लाख की आबादी शहरों में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 23.28 प्रतिशत है।

राज्य में कुल 222 शहर हैं, जिनमें एक जयपुर विकास प्राधिकरण, 10 नगर विकास न्यास एवं 183 नगर निकाय है। इनमें से 3 नगर निगम, 11 नगर परिषद व 39 द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका, 58 तृतीय श्रेणी की नगर पालिका एवं 72 चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएं हैं तथा 60 शहरों में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद, अजमेर को नगर निगम बनाने की घोषणा की जा चुकी है एवं जोधपुर नगर विकास न्यास को प्राधिकरण बनाने की घोषणा की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 2 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/आर यू आई डी पी/स्वायत्त शासन विभाग आदि संस्थाओं के माध्यम से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा सिर्फ विकास कार्य हेतु खर्च किए जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुख-सुविधाओं, स्वच्छ वातावरण, सुगम यातायात, नियोजित एवं सुखी जीवन के लिए नगरीय विकास विभाग सतत प्रयासरत है।

वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में जो निवेश एवं विकास का वातावरण तैयार किया है उससे राजस्थान राज्य उत्तरी भारत के एक प्रमुख विकसित केन्द्र के रूप में उदित हो रहा है, इसके कारण न सिर्फ राष्ट्रीय, स्थानीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा राज्य में निवेश किये जाने की अपूर्व संभावनाएं उभरी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध एवं सुनियोजित विकास, समग्र रूप से आधारभूत जनसुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नगरीय विकास विभाग द्वारा मुख्य रूप से जो कार्य संपादित किये जा रहे हैं अथवा करवाये जा रहे हैं मैं आपका ध्यान उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

समग्र एवं नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए सभी शहरों में मास्टर प्लान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

यातायात आवागमन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, प्रत्येक बड़े शहर में गौरव पथ का निर्माण, आर.ओ.बी. का निर्माण, बी.आर.टी.एस., रिंग रोड आदि कार्य करवाये गए एवं हाथ में लिये जा रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कुछ सार्वजनिक स्थलों को चिह्नित कर बी.ओ.टी. आधार पर बहुमंजिली पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बहुमंजिली इमारतों में अधिक पार्किंग की जगह प्राप्त हो सके, इस हेतु तीन बेसमेंट अनुज्ञेय किये जाने का अभी हाल ही में नियमों में संशोधन किया गया है। शहरों को सुंदर एवं साफ-सुथरा रखने को ध्यान में रखते हुए सीवरेज लाइन डालने का कार्य तेजी से प्रगति पर है, वहीं जगह-जगह कचरागाह हेतु भूमि के आबंटन नगर निगम एवं नगरपालिकाओं में किया गया है तथा साथ ही सोलिडवेस्ट मैनेजमेंट हेतु घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था भी लागू की गई है।

बढ़ते हुए विकास को ध्यान में रखते हुए निर्धन वर्ग के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जहां द्वारकापुरी, घरौंदा जैसी योजनाएं अमल में लाई गई हैं। हाउसिंग पालिसी के अंतर्गत विकसित क्षेत्र का 15 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित किये गये हैं। निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। नई टाउनशिप पालिसी में कुल योजना भूमि का 7.5 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. हेतु आरक्षित किया गया है व 0.5 प्रतिशत भूमि जनसाथी इनफार्मल सैक्टर हेतु आरक्षित किया गया है। साथ ही भविष्य में बनने वाले आवासीय एवं व्यावसायिक काम्पलेक्सों में भी जनसाथी योजना के अंतर्गत 0.5 प्रतिशत भूमि जनसाथी इनफार्मल सेक्टर हेतु आरक्षित रखी जाएगी।

आम लोगों को अपने मकान का पट्टा प्राप्त हो सके इसको ध्यान में रखते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कालोनियों के नियमन करने के लिए नियमों का सरलीकरण एवं विभिन्न प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार द्वारा दी गई है, साथ ही अधिकारों का विकेन्द्रीकरण भी किया गया है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

शहरों के आसपास के क्षेत्र का नियोजित विकास हो, इसके लिए पैरी फैरीयल क्षेत्र में विकास कार्य करवाये जा रहे हैं वहीं पैरी-फैरीयल क्षेत्र के पास बड़ी निजी टाउनशिप योजनाएं लाने का प्रयास किया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में आसपास भी नियोजित विकास हो सके। साथ ही शहरों में भूमि का अधिक से अधिक उपयोग हो सके इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला इमारतों के नियमों में संशोधन करते हुए वर्टीकल विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

राज्य में निवेश बढ़ाने एवं लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके इस हेतु विभाग द्वारा औद्योगिक विकास हेतु सेज, आईटी कंपनियां तथा चिकित्सालयों को भूमि उपलब्ध करवायी गई है जिससे न सिर्फ राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा अपितु लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होगी। साथ ही यहां पर जनता को विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा।

कच्ची बस्तियों के सुनियोजित विकास तथा कच्ची बस्तियों के नियमन का कार्य भी कच्ची बस्तियों की एक नीति बनाकर प्रारम्भ किया गया है ताकि निर्धन तबके को भी उचित आवास एवं भूमि का पट्टा प्राप्त हो सके।

नगरीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वयं के व्यवसाय/रोजगार हेतु दुकान/कियोस्कों की नीलामी में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

अन्य राज्यों की भांति राजस्थान प्रदेश के शहरों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। फलस्वरूप नगरीय विकास एवं स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। इसे देखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा शहरी विकास के अनेक कदम उठाये गए और अनेक नवीन योजनाओं को गति दी गई है। आइए, आज मैं इस मंच से आपके साथ इन योजनाओं के बारे में कुछ विचार साझा कर लूं। वैसे तो शहरीकरण के क्षेत्र में हुए कार्य स्वयं को बयां करते हैं।

मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक शायर की चार लाइनों में कहना चाहूंगा-

''परिन्दों को मंजिल मिलेगी यकीनन,
ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं।
वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश,
जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ''

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): हौसले की उड़ानें हैं ये तो। (व्यवधान) हौसले की उड़ानें हैं परों की तो जरूरत ही नहीं है आपको। हौंसले की उड़ाने हैं उड़ते रहो।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): हरिमोहनजी, एक बात कहूं, पंछी कितना ही आकाश में उड़ता है पर आता धरती के पास ही है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आप किस चक्कर में पड़ रहे हो? आप क्यों परों के और बिना परों के चक्कर में पड़ रहे हो, आपकी समझ से बाहर है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपकी तो बिना परों के उड़ान है। परों की आवश्यकता ही नहीं, मैंने तो यह कहा। परों पर होगी तो उड़ान की गति कुछ नहीं रहेगी इसलिए आप बिना परों के उड़ो। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को नगर नियोजन विभाग द्वारा राज्य में शहरों/कस्बों के बनाये गये मास्टर प्लानों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 64 लाख है जिसमें से 1 करोड़ 32 लाख (23.30 प्रतिशत) शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या कुल 222 शहरों/कस्बों में निवास कर रही है। शेष 4 करोड़ 32 लाख (76.70 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों/कस्बों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने के कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 64 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार कर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन पश्चात जनहित में लागू किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजधानी जयपुर का मास्टर प्लान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त तैयार किये गये मास्टर प्लानों में से सलूम्बर व अनूपगढ़ के मास्टर प्लान चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अधिसूचित कर लागू किये गये हैं। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का मास्टर प्लान तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। पीलीबंगा का प्रारूप मास्टर प्लान वर्ष 2006-07 एवं अकलेरा व फलौदी का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार कर वर्ष 2007-08 में आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किये गये हैं तथा भीलवाड़ा के प्रारूप मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव का परीक्षण अंतिम चरण में है। अन्य 8 शहरों

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कस्बों यथा भरतपुर, करौली, आबू रोड, छबड़ा, बेगूं, सादुलशहर, सांगरिया एवं जैसलमेर के मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रगति पर है।

इस प्रकार विभाग द्वारा राज्य के 77 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही की गई है, जिसके अनुसार राज्य की लगभग तीन-चौथाई से अधिक शहरी जनसंख्या को सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लानों के अंतर्गत ले लिया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग द्वारा क्रमश: भीलवाड़ा, अकलेरा, छबड़ा एवं फलौदी के मास्टर प्लानों को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया जाएगा। इसी के साथ 11 शहरों/कस्बों यथा भरतपुर, करौली, बूंदी, राजसमंद, देवगढ़, जैसलमेर, आबूरोड, सांगरिया, बेगूं, जैतारण एवं सादुलशहर के प्रारूप मास्टर प्लान प्रकाशित किये जाने का लक्ष्य है एवं शेष समस्त नगरों में मास्टर प्लान अगले 7 वर्षों में तैयार किये जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूर्ण दिल्ली राज्य एवं राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के भाग शामिल हैं। राजस्थान उप क्षेत्र में संपूर्ण अलवर जिला (8380 वर्ग किलोमीटर) को अधिसूचित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान एन.सी.आर. प्रकोष्ठ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से शाहजहांपुर- नीमराना-बहरोड़ अरबन काम्प्लेक्स, भिवाड़ी-टपूकड़ा खुशखेड़ा काम्प्लेक्स एवं अलवर शहर के मास्टर प्लान बनाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आरयूआईडीपी की उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 1894 करोड़ रुपये की राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य के 6 संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर व उदयपुर में मुख्यतया नागरिक जल आपूर्ति में वृद्धि, सीवरेज प्रबंधन, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सड़कें, रेलवे ओवरब्रिज, नालों का निर्माण, कच्ची बस्ती सुधार, अग्निशमन व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, हैरिटेज संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य, अस्पतालों का विस्तार आदि के 206 कार्य हाथ में लिये जाकर 186 कार्य पूर्ण कर अब तक कुल 1373 करोड़ रुपये का व्यय विकास कार्यों पर किया जा चुका है। शेष कार्य मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

परियोजना में जलदाय सैक्टर में 115 पानी की टंकियों का निर्माण, 1725 किलोमीटर की पाइप लाइन, 30 पम्पिंग स्टेशन, 89 पुरानी पम्पिंग मशीनरी बदलना, 202 ट्यूबवैलों की स्थापना के कार्य किये गये हैं। सीवरेज सेक्टर में 1167 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जा चुकी है तथा 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में 42501 घरों को इस अवधि में प्रोपर्टी कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। परियोजना में 91 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य, 129 कच्ची बस्तियों में विकास कार्य, 67 किलोमीटर नालों का निर्माण, 10 अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

परियोजना में 12 पुलों का निर्माण कार्य, जिनमें जयपुर में 3, उदयपुर में 2, कोटा में 2, जोधपुर में 3 तथा अजमेर में 2 पूर्ण कर दिये गये हैं।

जयपुर शहर में महिला चिकित्सालय, जनाना अस्पताल, टी.बी. अस्पताल, जे.के. लोन अस्पताल के ओपीडी व वार्ड ब्लाक के कार्य, अजमेर में सैटेलाइट अस्पताल एवं कोटा में सैटेलाइट अस्पताल के कार्य एवं उदयपुर में मुख्य अस्पताल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिनका जनता को लाभ मिलना शुरु हो गया है।

परियोजना में हैरिटेज सैक्टर में जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में 15.84 करोड़ रुपये की लागत से 8 कार्यों में से 7 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

आरयूआईडीपी द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं तथा ई गवर्नेंस के माध्यम से परियोजना के छह शहरों के नगर निगम/नगर पालिकाओं की क्षमता का अभिवर्धन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना में 556 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर शहर के लिए बीसलपुर से जयपुर 360 एमएलडी पानी की व्यवस्था का कार्य द्रुत गति से प्रगति पर है। बीसलपुर जयपुर जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2008 तक 90 किलोमीटर पाइप डालने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अन्य कार्यों पर भी वांछित प्रगति हो रही है। माह फरवरी, 2008 तक इस परियोजना पर 307 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। यद्यपि योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2008 रखा गया था लेकिन वर्तमान कार्य प्रगति के अनुसार सितम्बर, 2008 तक बालावाला पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरयूएसडीआईपी में 1560 करोड़ रुपये के आरयूआईडीपी के द्वितीय चरण में राज्य सरकार द्वारा 15 जिला मुख्यालय शहरों के 17 नगरों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिनमें अलवर, भरतपुर, सीकर चूरू, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, नागौर, बूंदी, बाड़मेर, बारां-छबड़ा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद, झालावाड़ एवं झालरापाटन शहर सम्मिलित हैं। जिनमें मुख्यत: जलापूर्ति पर 393 करोड़ रुपये सोलिडवेस्ट मेनेजमेंट पर 32 करोड़ रुपये फ्लाई ओवर एवं रेलवे ओवर ब्रिज पर 165 करोड़ रुपये, अग्निशमन पर 20 करोड़ रुपये, पुरातत्व संरक्षण पर 36 करोड़ रुपये नाली निर्माण पर 58 करोड़ रुपये तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन पर 402 करोड़ रुपये विनियोजन का कार्यक्रम है।

परियोजना की एडीबी की दिनांक 31.10.2007 को हुई बोर्ड मीटिंग में सैद्धांतिक रूप से ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। दिनांक 17.01.2008 को सम्पूर्ण परियोजना के लिए ऋण अनुबंध एवं प्रथम ट्रेंच के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 300 करोड़ रुपये) के परियोजना अनुबंध (project Agreement) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। इसमें 60 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 240 करोड़ रुपये) एडीबी द्वारा ऋण एवं 15 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 60 करोड़ रुपये) राज्य सरकार की हिस्सा राशि है।

परियोजना में मुख्यतया पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क एवं फ्लाई ओवर, कच्ची बस्ती सुधार, हैरिटेज, ठोस कचरा प्रबंधन, अग्निशमन व्यवस्थाएं तथा स्थानीय निकायों की क्षमता संवर्द्धन आदि कार्यों को शामिल किया गया है।

परियोजना के लिए Empowered Committee, City Level Committee एवं Works Finalization Committee का गठन कर लिया गया है। परियोजना के लिए सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई है। चयनित 15 शहरों में कार्यों का क्रियान्वयन तथा निष्पादन सुचारु रूप से हो इसके लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

परियोजना के कार्यों की विस्तृत डिजायन बनाने का कार्य शुरु किया जा चुका है। प्रथम चरण के कुछ कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं व सभी शहरों में इसी वर्ष कार्य प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है। शेष 12 शहरों के सिटी लेवल इंवेस्टमेंट प्लान मार्च, 2008 तक तैयार किए जाने का लक्ष्य है। इन शहरों के कार्यों की विस्तृत डिजायन रिपोर्ट का कार्य सलाहकारों द्वारा साथ साथ ही किया जा रहा है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब स्वायत्त शासन विभाग के बारे में निवेदन करता हूं। मुझे आपके माध्यम से सदन को स्वायत्त शासन विभाग के बारे में यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि राज्य सरकार निकायों को सशक्त बनाने व शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिए वचनबद्ध है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम नगर निकायों के निर्वाचित महापौर/सभापति/अध्यक्षों की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं नगर निकायों को सशक्त बनाने की दृष्टि से जहां नगर निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं।

नगर निगमों को 2 करोड़ रुपये, नगर परिषदों को एक-एक करोड़ रुपये, जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को 50 लाख रुपये एवं अन्य नगर पालिकाओं को 10 लाख रुपये तक कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिये हैं। पूर्व में यह अधिकार मात्र 1 करोड़ व 50 और 5 लाख तक ही सीमित थे अर्थात् इनके वित्तीय अधिकारों को दुगुना कर दिया गया है।

नगरीय निकायों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में डेढ़ गुणा वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार मनोनीत सदस्यों के मानदेय भी निर्वाचित सदस्यों की भांति दिये जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में चुंगी समाप्ति के बाद चुंगी पुनर्भरण अनुदान देना प्रारम्भ किया गया। चुंगी के एवज में नगरीय निकायों को वर्ष 1997-98 की चुंगी से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करते हुए अनुदान दिया जाता था, जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। इसे वर्तमान सरकार द्वारा 5 प्रतिशत से बढ़ा कर पुन: 10 प्रतिशत कर दिया गया, जिसमें फलस्वरूप वर्ष 2007-08 में 59890.62 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत बजट प्रावधान के अनुरूप आबंटन किया गया है एवं वर्ष 2008-09 में भी चालू वर्ष की आबंटित राशि में दस प्रतिशत वृद्धि करते हुए राशि रुपये 65879.69 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है ।

राज्य सरकार द्वारा निकायों के आर्थिक संसाधन विकसित करने एवं कमजोर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु और भी प्रयास किये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्य काल में 2073 करोड़ 23 लाख रुपये नगर निकायों को विभिन्न योजनाओं में

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उपलब्ध कराए गये थे जिसकी तुलना में वर्तमान सरकार द्वारा चार वर्षों में 3304 करोड़ रुपये की राशि नगर निकायों को उपलब्ध करवाएं हैं, जो कि पूर्व की तुलना में 59 प्रतिशत अधिक है।

नगर निकायों में भूमि को आय के स्रोत के रूप में विकसित करने की दृष्टि से सभी निकायों में लैण्ड बैंक बनाई गई हैं तथा उनकी बढ़ती आवश्यकता को दृष्टि से योजनाबद्ध ढंग से विकल्प करने के निर्देश दिये गये हैं। अब तक समस्त निकायों की लगभग 40 हजार एकड़ भूमि लैंड बैंक के रूप में उपलब्ध है, जिससे निकाय अपने आय के स्रोत विकसित कराने में सक्षम हो सकते हैं।

राज्य के समस्त निकाय क्षेत्रों में स्थित कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से कच्ची बस्तियों के विकास हेतु एक नीति तैयार की गई, जिसके अनुरूप वर्ष 2004 तक की सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के नियमन कार्य शुरू किये गये। इसके लिए राज्य के समस्त शहरों में कच्ची बस्तियों में रह रहे निवासियों को पट्टे देने के लिए शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। अब तक लगभग 26 हजार पट्टे जारी कर इन परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिवारों को किसी कारणवश पट्टे दिये जाना सम्भव नहीं हो रहा है, उन्हें अन्य योजनाओं में अन्यत्र पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इस हेतु राज्य में आईएचएसडीपी एवं बीएसयूपी के तहत कच्ची व गंदी बस्तियों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए 24225 नये आवास बनवाए जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत 1630 आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है तथा 4417 आवासी इकाइयों का उन्नयन कार्य भी प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त बकाया लीज राशि दिनांक 31 मार्च, 2008 तक देय लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है। इसी प्रकार नगर निगम/परिषद् एवं पालिका क्षेत्रों में आबंटन से दस वर्षों की अवधि में विक्रय एवं अन्तरण मूल्य को 50 प्रतिशत राशि निकाय में जमा कराने की दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निकायों के निर्वाचित सदस्यों एवं कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के समय की मांग के अनुसार कार्य कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करने की दृष्टि से विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास योजन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

तैयार की गई। इसके अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर समस्त नगरीय निकायों के लगभग 5860 निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

सिटीजन हैल्प लाइन सेंटर- स्थानीय निकाय मुख्य रूप से शहरों की सफाई, रोशनी, नाली व सड़कों के रख-रखाव के कार्य सम्पादित करते हैं। यह निज-प्रतिदिन के कार्य हैं। जिनके लिए आम नागरिकों को प्रतिदिन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आन लाइन नागरिक सेवा प्रारम्भ की गई है। यह सेवाएं जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर तथा भीलवाड़ा में सिटीजन हैल्प लाइन सेंटर के नाम से क्रियाशील है।

मुझे यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि अक्टूबर, 2004 के बाद राज्य की सभी नगरीय निकायों में स्थित समस्त सर्वेक्षित शुष्क शौचालयों को जल प्रवाही शौचालयों में परिवर्तित कर, इनमें इस अवधि में कार्यरत 638 स्वच्छकारों को सिर पर मैला ढोने के कार्य से मुक्त किया जा चुका है।

राज्य उन गिने-चुने राज्यों में है जिनमें शहरी क्षेत्रों में समस्त सर्वेक्षित शुष्क शौचालयों को समाप्त करने एवं सिर पर मैला, फ्लश ढोने की प्रथा समाप्त करने का उल्लेखनीय कार्य किया है। हमने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर ऐसे शौचालय हों, तो बताने का आह्वान किया है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आपने इतने साल नहीं किया, हमने कर दिया देखो अब।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): राज्य में कम वर्षा के कारण दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे भू-जल स्तर को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से सभी नगरीय निकायों, सरकारी भवनों में जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण कराया जाना आवश्यक किया गया है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रस्तावित नगर पालिका अधिनियम में भी प्रावधान किये जा रहे हैं।

**स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार**

वर्तमान सरकार ने शहरी गरीबों को ध्यान में रखते हुए शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को गति दी है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत निवर्तमान सरकार द्वारा लगभग 28 हजार बी.पी.एल. व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं 10500 व्यक्तियों को कौशल

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया, जब कि वर्तमान सरकार द्वारा चार वर्षों में ही 28 हजार से अधिक बी.पी.एल. व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है एवं 16002 व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना- यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बी.पी.एल. परिवारों के नि:शुल्क बीमा हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना माह अगस्त, 2006 से लागू की गई है। इस योजना में वर्ष 2006-07 में 1984 मृत्यु दावों का व 23347 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। वर्ष 2007-08 में माह जनवरी, 2008 तक 344 मृत्यु दावों एवं 24686 छात्रवृत्ति दावों का भुगतान किया जा चुका है।

अक्षय कलेवा योजना- शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये, इस उद्देश्य से राज्य में 'अक्षय कलेवा योजना' चलाई जा रही है।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): किसी भी मंत्री ने इस तरह से रिप्लाई नहीं दिया। आप थोड़ा तसल्ली ले लें, मैं बात कर लेता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक कापी सब को भिजवा देते। इतनी स्पीड से और इतनी बढ़िया रिप्लाई डिटेल में एक भी मंत्री ने आज तक नहीं दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

**श्री उपाध्यक्ष**: समय का सदुपयोग करें। इनकी कापी पहुंच जाएगी।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): मुझे यह बताने हुए प्रसन्नता है कि अक्षय कलेवा योजना के अन्तर्गत कई शहरों में गरीबों को न्यूनतम दर पर ताजा व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना 64 शहरों के कुल 108 केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिससे प्रतिदिन 9840 लोगों को न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया जा रहा है।

शहरी जन सहभागी योजना- वर्तमान सरकार द्वारा शहरी विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहरी जन सहभागी योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य शहरी विकास कार्यों में आम नागरिकों की भागीदारी जोड़ना है।

शहरी जन सहभागी योजनान्तर्गत अब तक कुल 76 करोड़ 38 लाख रुपये राशि के 716 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। इस राशि में से 36 करोड़ 57

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

लाख रुपये की राशि जन सहयोग से प्राप्त की गई है। इस योजना से कई ऐसे भवन उभर कर सामने आये हैं, जो देखते बनते हैं। दानदाताओं में इस योजना को लेकर बहुत उत्साह है।

मिशन अनुपम- 'मिशन अनुपम' योजना नगरीय सुविधाओं के विस्तार एवं सौन्दर्यकरण के लिए राज्य में लागू की गई है। पायलट रूप में इस योजना की शुरूआत जयपुर में की गई। अब इस योजना का विस्तार जिला मुख्यालय की नगर निकायों तक हो चुका है। योजना के अन्तर्गत कोई संस्था या प्रायोजक डिवाइडरों, चौराहों, तिराहों व पार्कों को गोद लेकर विकास कार्य करा सकता है। बाद में इनका रख-रखाव भी स्वयं प्रायोजक के द्वारा किया जा सकता है। मिशन अनुपम के अन्तर्गत राज्य में अब तक विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में 123.64 लाख रुपये की लागत से 67 कार्यों का लोकार्पण किया जा चुका है। 47.82 लाख रुपये के नौ कार्य प्रगति पर हैं। इसके साथ ही 104 नये कार्य चिह्नित किये गये जिनकी परियोजना लागत 57.89 लाख रुपये है। मिशन अनुपम के तहत किये गये अनेक कार्यों से शहरों के सौन्दर्य में अभिवृद्धि हो रही है।

निर्मल घाट योजना- बजट भाषण 2007-08 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा निर्मल घाट योजना की घोषणा की गई थी। इसका मूल उद्देश्य नदियों एवं तालाबों के किनारे स्नान करने वाली महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाया जाना है। वर्ष 2007-08 में शहरी क्षेत्रों में सौ निर्मल घाट निर्मित करने का लक्ष्य है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे पन्ने हम सुन लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने यह कहा कि जो कट-मोशन हैं उनका जवाब तो 48 घंटों में चला जाएगा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो बहस हमने यहां की है, जो मुद्दे यहां हमने उठाये हैं उनका भी जवाब अगर ये देंगे तब तो हम ये कागज भी सुनें। अगर उनका जवाब नहीं दें तो हम जायें, पढ़ लेंगे।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): बिलकुल देंगे, बढ़ििया देंगे कि आप देखते रह जाओगे।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): वो जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। (व्यवधान) हम कब मना कर रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि पूरा

सुनेंगे। (व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुबह 6 बजे तक भी आपको जवाब देंगे, चिंता मत करिये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो यह जानना चाह रहे हैं कि हमने आज जो वाद-विवाद में मुद्दे उठाये हैं, इसके बाद उनका जवाब भी मिलेगा क्या? तब तो हम यह कागज भी पूरे सुनें। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): देखिये, माहिर आजादजी, पहली बार आपने दोनों हाथों से टेबिल बजाई है, आज इतना धन्यवाद दिया है आपने।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): वो जो भी बात कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं लेकिन ये पूरे पन्ने कितने हैं यह पता पड़ जाए हमें। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी एक-एक बात का जवाब दिया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): .....पसीने आ गये, इतना विकास का काम हुआ है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...इतनी स्पीड से काम हुआ है या नहीं पर उस स्पीड से जवाब दिया जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): आपके हर सवाल का जवाब लिखित में भी भेज दिया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा चाहे रात के 12 बजे, एक बजे। आप विराजिये। (व्यवधान) आप सुनिये। माननीय मंत्रीजी को सुनिये आप। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): हम सुन रहे हैं, आपके ये पन्ने हम सुनेंगे, पर मंत्रीजी इतना तो आश्वस्त कर दें कि इसके बाद जो हमने सुझाव दिये हैं, हमारे प्रश्नों का भी जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): आपके हर सवाल का जवाब लिखित में आ जाएगा, आप चिंता न करें। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): यह सारा जो पढ़ रहे हैं, यह हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के देने के बाद तो हुए नहीं हैं। (व्यवधान) इसके बाद 24 घंटे में दे देंगे.... (व्यवधान) आप सब को क्या हो रहा है, हम आसन से

बात कर रहे हैं, आपका नम्बर आये तब बोलें। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को पसीने आ रहे हैं, आप ए.सी. चलवा दो। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): हाथों-हाथ है जवाब। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): 5 मंत्री तो उनके पास चले गये, कभी यातायात मंत्री गये, कभी कोई जा रहा है, वो उन्होंने जितनी स्पीड से जवाब दिया है, आप में से एक मंत्री नहीं दे सकता इतनी स्पीड से जवाब। क्या बात कर रहे हो आप?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट माहिर आजाद साहब, माननीय मंत्रीजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप इनको जरा शांति से सुन लें। ये आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ठीक है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो-जो आपने हाउस में बोले हैं मैं उन, सब का जवाब दूंगा, आप निश्चित रहें पर पहले मेरी पूरी बात सुन लें। (व्यवधान) मेरा तो पूरा सदन मित्र है। एक बार जवाब मुझे पूरा देने दो।

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के अन्तर्गत चयनित तीन मिशन शहरों में जयपुर शहर के लिए 619.19 करोड़ रुपये की बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, अरबन रिन्युअल आफ चौकड़ी सरहद हेतु 11.59 करोड़, अजमेर बीसलपुर जलापूर्ति परियोजना 188 करोड़, सीवरेज प्रणाली जयपुर शहर प्रथम चरण हेतु 74.95 करोड़, ठोस कचरा प्रबंधन जयपुर हेतु 13.19 करोड़, जयपुर सीवरेज द्वितीय चरण हेतु 110.86 करोड़, संजय नगर भट्टा बस्ती जयपुर की कच्ची बस्तियों का पुनर्स्थापन परियोजना हेतु 169.43 करोड़ रुपये व अजमेर की कच्ची बस्तियों का पुनर्स्थापन परियोजना 107.70 करोड़ रुपये, जयपुर शहर के लिए प्रथम चरण की जलापूर्ति योजना 74.95 करोड़ एवं द्वितीय चरण की 10.86 करोड़ रुपये की अजमेर-पुष्कर बीसलपुर ट्रांसमिशन जलापूर्ति 166.42 करोड़ अर्थात् कुल 1061.34 करोड़ की परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य के शहरों में यातायात सुगम हो सकेगा, पेयजल आपूर्ति होगी और शहरों में अधिक मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मिशन के तहत राज्य को

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

केन्द्र सरकार द्वारा दो पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसमें प्रथम पुरस्कार राज्य श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार जयपुर को तथा अजमेर नगर परिषद को 'सी' श्रेणी के शहरों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत 29 शहरों की कुल राशि 271.95 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी है तथा भारत सरकार से अब तक प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात् 5684.33 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। इस राशि का मैचिंग राज्यांश 702.24 लाख रुपये सहित कुल 6626.80 लाख रुपये संबंधित नगर निकायों/राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को आबंटित किये जा चुके हैं।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत शहरों में सीवरेज का कार्य करवाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत राज्य के छह शहरों यथा- जालौर 1056.00 लाख रुपये, सुमेरपुर 928.00 लाख रुपये, झालावाड़ 1904.00 लाख रुपये, जोधपुर 4932.00 लाख रुपये, किशनगढ़ 2601.00 लाख रुपये एवं माउंट आबू 2465.00 लाख रुपये इस प्रकार कुल 13886.00 लाख रुपये की सीवर लाइन कार्य करवाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जालौर एवं सुमेरपुर में सीवर लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है।

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अन्तर्गत शहरी स्लम के आवास एवं मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के 29 शहरों के लिए 291.05 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अन्तर्गत 24225 नये आवास बनवाये जाएंगे तथा 4417 आवासीय इकाइयों का उन्नयन किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों को गन्दी बस्तियों से मुक्त करवाना है। इसके साथ ही योजना के अन्तर्गत आवासविहीन स्लम निवासियों को सस्ते एवं उन्नत श्रेणी के आवास उपलब्ध करवाना है। योजना के अन्तर्गत एक ओर नये आवास बनवाये जाएंगे, वहीं दूसरी ओर अपूर्ण आवासों का उन्नयन किया जायेगा।

मैं, सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इन तीनों योजनाओं के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. शहरों के लिए शीघ्र ही राज्य स्तर पर मिशन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

निदेशालय के अन्तर्गत परियोजना मानीटरिंग यूनिट एवं अजमेर शहर के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई की स्थापना की जा चुकी है जो इस मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे सभी कार्यों की देख-रेख करेगी।

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन लघु एवं मध्यम श्रेणी के कस्बों की आधारभूत विकास योजना तथा एकीकृत विकास एवं स्लम विकास कार्यक्रम की सफल क्रियान्वयन के लिए परियोजना विकास निधि का गठन किया गया है। इसका संचालन रिवाल्विंग फण्ड की तर्ज पर किया जा रहा है।

जयपुर शहर में बी.आर.टी.एस. परियोजना की भांति राज्य के अन्य शहरों में भी उच्च गुणवत्ता की बसें समर्पित मार्गों पर चलाये जाने की योजना है। वर्तमान सरकार द्वारा पांच शहरों के लिए "सिटी लेवल ट्रांसपोर्ट कम्पनियों" का गठन किया जा चुका है।

राज्य स्तर पर "यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथोरिटी" का गठन माननीया मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में किया जा चुका है। इस हेतु चयनित शहरों के लिए इकजाई शहरी गतिशीलता योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा 220 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2005-10 की अवधि के दौरान नगर निकायों को देने की अनुशंषा की गई है। इस राशि में से 149 करोड़ रुपये ठोस कचरा प्रबन्धन, कचरा पात्र, ट्रांसफर स्टेशन, कम्पोस्ट प्लांट, वर्मी कम्पोस्टिंग आदि गतिविधियों पर 41 करोड़ रुपये, नगर निकायों की लेखा प्रणाली के कम्प्यूटराइजेशन हेतु एवं 42 करोड़ रुपये सैटेलाइट पद्धति से नक्शा लिये जाने हेतु व्यय किये जाने हेतु एक कार्य योजना तैयार कराई गई। जियोलोजिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के तहत शहरों की भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ वहां उपलब्ध समस्त मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा संकलित किया जायेगा। यह प्रणाली शहरी प्रबन्धकों, नागरिकों एवं आपात सेवा प्रबन्धकों के लिए अत्यन्त लाभकारी होगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 में 66 करोड़ रुपये नगर निकायों को आबंटित किये जा चुके हैं जिसके विरुद्ध अब तक 64 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। अनुदान राशि से लगभग 30 करोड़ रुपये राशि के ट्रैक्टर, वाहन क्रय किये जा चुके हैं। एक लाख से अधिक आबादी वाले चयनित 11 निकायों में कचरे से खाद व अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने हेतु प्लांट स्थापित किये जाने में छह माह लगने की सम्भावना है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ई-नगर मित्र परियोजना : सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिक क्रांति के युग में जनता की आवश्यकता के अनुरूप ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में सम्भागीय जिला मुख्यालयों की निकायों एवं निदेशालय को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सम्पन्न किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 19 निकायों में एवं उपनिदेशक कार्यालयों में यह कार्य बारहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि से कराया जा रहा है, जो लगभग दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके उपरान्त शेष रहे 158 छोटे नगर निकायों में कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य मार्च, 2009 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस योजना के पूर्ण होने पर नगरीय निकाय परस्पर सूचना एवं द्रुत गति से सम्प्रेषित करने में सक्षम होंगे और कार्य भी शीघ्रता से निस्तारित हो सकेंगे।

परियोजना प्रबन्धन एवं सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सुचारू प्रबन्धन एवं निगरानी की जायेगी। यह तंत्र आन-लाइन पद्धति पर इन्टरनेट आधार पर कार्य करता है।

प्रदेश के शहरी निकाय क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एवं विद्युत अपव्यय को रोकने के लिए तकनीकी पैरामीटर बनाये गये हैं। इन पैरामीटर्स के अनुसार निकाय क्षेत्रों में कम खर्च वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जायेगा तथा विद्युत अपव्यय को रोकने के लिए ऐसे पैनल बोर्डस तैयार करवाये जायेंगे, जो स्वत: ही बिजली को रात्रि में समयानुसार संचालित करेंगे। इस सम्बन्ध में समस्त निकायों को जुलाई, 2007 में निर्देश जारी कर दिये गये थे। राज्य की समस्त निकायों द्वारा यह व्यवस्था मार्च, 2009 तक आवश्यक रूप से की जानी है।

इन योजनाओं के साथ-साथ निकायों में इन योजनाओं का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए हाल ही में निकायों में अधिशासी अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है जिसके अन्तर्गत 66 अधिशासी अधिकारी रिक्त चले आ रहे पदों पर पदस्थापित किये जायेंगे। इसी प्रकार 13 अग्निशमन अधिकारियों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। निकायों में सहायक अभियन्ता के आठ पदों पर एवं कनिष्ट अभियन्ताओं के 22 रिक्त पदों पर, इस प्रकार कुल 30 पदों पर अभियन्ता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जयपुर

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

नगर निगम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबल रिन्युअल मिशन के तहत जयपुर शहर के विकास हेतु 456 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं क्रियान्विति की जा रही है।

रिन्युअल इन वाल्ड सिटी एरिया परियोजना के तहत शहर चारदीवारी क्षेत्र में वार्ड 58 में फुटपाथ, नाली, नाला सुधार, सड़क नवीनीकरण एवं अन्य विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 244.42 लाख रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष प्रगति पर हैं। यह परियोजना सितम्बर, 2008 तक पूर्ण हो जायेगी।

वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत 376.54 लाख रुपये के सात कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। शेष कार्यों की निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं। 234.91 लाख रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सेनेटरी लैण्डफिल निर्माण हेतु प्राप्त तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन कर वित्तीय प्रस्ताव खोले जा रहे हैं। परियोजना दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण होगी।

सीवरेज प्रोजेक्ट फेज-द्वितीय : 5835 लाख रुपये के चार कार्यों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, शेष कार्य की निविदाएं मार्च, 2008 के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त की जानी हैं। परियोजना के तहत जयसिंहपुरा खोर एसटीपी एवं डेहलावास में स्थापित एसटीपी से उत्पादित होने वाली बायोगैस से बिजली उत्पादन प्लांट स्थापित किया जायेगा। दोनों एसटीपी का कार्य प्रारम्भ हो गया है। परियोजना मार्च, 2009 तक पूर्ण हो जायेगी।

संजय नगर भट्ठा बस्ती पुनर्वास योजना : इस योजनान्तर्गत संजय नगर भट्ठा बस्ती में 12,000 मकान का निर्माण किया जायेगा। अब तक 1,740.24 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। परियोजना में कुल 15 पैकेज हैं, जिनमें से 947 लाख रुपये के सड़क, नाली एवं समतलीकरण का कार्यादेश दिया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। 315 यूनिटों का निर्माण कार्य एवीएल को दिया गया है। पैकेज-3 (1,225 मकान) पैकेज-4 में (3,815 यूनिट) के टेन्डर प्राप्त हो चुके हैं जो राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं।

वाल्मिकी अम्बेडकर योजना में "अपना घर-अपना आंगन" योजना के अन्तर्गत 334 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु खारंडा कच्ची बस्ती में आवासों का निर्माण करवाया गया है जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर 426.49 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

री-वाइटेलाइजेशन आफ वाल्ड सिटी जयपुर प्रोजेक्ट्स : पीडी कोर द्वारा शहर चारदीवारी के सौन्दर्यकरण की परियोजना तैयार की जा रही है जिसकी डी.पी.आर. सैप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद द्वारा प्रथम चरण की 35 करोड़ रुपये की तैयार की गई है जिसे स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

पार्किंग प्रोजेक्ट्स : जयपुर नगर निगम द्वारा शहर में निम्न पांच स्थानों पर पार्किंग स्थल विकसित किये जा रहे हैं :-

1. चांदपोल अनाज मण्डी
2. आतिश मार्केट
3. होमगार्ड आफिस के सामने
4. रामलीला मैदान
5. सी-स्कीम गन्दा नाला

उक्त स्थलों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने की डी.पी.आर. एवं क्रियान्वयन पीडी कोर के माध्यम से करवाया जा रहा है।

सड़कों का नवीनीकरण एवं 14 मार्गों का सौन्दर्यकरण : जयपुर नगर निगम द्वारा 14 मार्गों का सौन्दर्यकरण किया जाना है जिसमें प्रथम चरण में निम्न पांच मार्गों को हाथ में लिया गया है :-

1. चांदपोल गेट से गलता गेट
2. सांगानेरी गेट से जोरावर सिंह गेट वाया सुभाष चौक
3. चौड़ा रास्ता
4. घाट गेट से सुभाष चौक चार दरवाजा
5. गोपीनाथ मार्ग से वनस्थली मार्ग तक

उक्त मार्गों में से चौड़ा रास्ता एवं चांदपोल के मार्गों पर डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण : वर्तमान में शहर की सीमा के बाहर निगम की सम्पत्ति पर स्लाटर हाउस चैनपुरा कैम्पस, रामगढ़ रोड पर कार्यरत है। वर्तमान में 2,500 भैंस एवं भेड़-बकरियों की स्लाटरिंग की जा रही है। मैन्युअल स्लाटरिंग के कारण प्रदूषण काफी होता है एवं जो अवशेष रहते हैं, उनका निस्तारण भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण शहरवासियों को अन हाइजनिक फूडस्टफ प्राप्त हो रहा है एवं वातावरण भी इससे प्रदूषित होता है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

इसकी पूर्ति करने के लिए नगर निगम द्वारा इसी स्थल पर माडर्न स्लाटर हाउस का निर्माण करने के लिए विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है। माडर्न स्लाटर हाउस के तहत जानवरों के बाई प्रोडक्ट का भी निस्तारण सम्भव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त माडर्न स्लाटर हाउस में खाल गोदाम, बकरा/भैंसें...

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के लगातार पसीने आ रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको बराबर पसीने आ रहे हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी मंत्री महोदय भी कह चुके हैं तो इसको समाप्त करो ना कथा को।

**श्री उपाध्यक्ष**: कर रहे हैं, कर रहे हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): हां, अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखो, सरकार तो अस्वस्थ है, इस सरकार को तो जाना ही है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): अभी करीब 50 पन्ने बाकी हैं, क्या दिक्कत हो रही है आपको।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): यह कथा नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, ये कथा कैसे कह रहे हैं, यह विकास का पुलिंदा है। हमने जो विकास किया है, उसका पुलिंदा है। सुनते जाओ आप। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप भी तो सलाह दो ना। संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप कहो ना उनको। इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। हम तो यह कह रहे हैं, पोथा आप सब के पास में ही बहुत लम्बा-चौड़ा है और हमारे पास तो इतना पोथा है कि बस पूछो ही मत, उनको पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जायेगा लेकिन उनके स्वास्थ्य का ख्याल करो आप। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कन्क्लूड कर रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य**: अब आखिरी पेज आ गया है, ठीक है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणाएं करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत का एक नया फ्लाई ओवर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर शुरु किया जायेगा क्योंकि यह शहर में आने वाले व्यस्ततम चौराहे में से एक है एवं दिल्ली-आगरा-टोंक से आने वाले वाहन नेशनल हाइवे पर आकर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त तीन नये फ्लाई ओवर गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड, मालपुरा चौराहा सांगानेर एवं स्टेडियम चौराहा

सांगानेर जयपुर शहर में और बनाये जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: बृजकिशोरजी के शहर में वाहवाही हो रही है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीनों किये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: जयपुर में ही सारा काम हो रहा है।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): हां, मेरे जयपुर में ही हो रहा है। यहां पर चुप बैठने का परिणाम है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ...उक्त चारों फ्लाई ओवरों की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये होगी। जिनके बारे में फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): यह करते तो साढ़े चार साल हो गये, यह पहले भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन होता कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ये मंत्रीजी जो कह रहे हैं, वह करके दिखायेंगे, यह विश्वास है उनको।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ...इसके अतिरिक्त सीतापुरा गोनेर रोड, दातली-गोनेर रोड, खिरणी फाटक झोटवाड़ा एवं दादी का फाटक बैनाड रोड पर चार आर.ओ.बी. निर्मित कराये जाने हेतु फिजिबिलिटी स्टडी भी करवाई जा रही है। जगतपुरा आर.ओ.बी. एवं सांगा सेतु व मालवीय नगर अण्डरपास को शीघ्र ही आम जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा एवं खासाकोठी फ्लाई ओवर भी अगले वित्तीय वर्ष में बनकर तैयार हो जायेगा। इस प्रकार फ्लाईओवर एवं आर.ओ.बी. के माध्यम से सुगम यातायात सुलभ हो सकेगा। साथ ही रिंग रोड के निर्माण के पास के क्षेत्र में चारों दिशाओं में चार ट्रक-टर्मिनल बनाये जायेंगे। इनमें से इस वर्ष दो ट्रक टर्मिनल टोंक रोड एवं आगरा रोड पर बनाये जाने की घोषणा करता हूं।

राजस्थान आवासन मण्डल की घोषणा : गरीब वर्ग/बीपीएल परिवारों हेतु घरौंदा योजनान्तर्गत वर्ष 2008-2009 में चौमेला, बकानी, असनावर, मनोहरथाना, भवानीमण्डी एवं देवगढ़ में 50-50 आवासों का निर्माण कार्य मांग के अनुसार किया जायेगा। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में शहरी निर्धन वर्ग के आवेदकों हेतु इंदिरा गांधी नगर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, भिवाड़ी में हजार से अधिक बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा। राज्य

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

के मध्यम वर्गीय परिवारों हेतु दो शयन कक्षों के 650 वर्गफीट में लगभग आठ दस लाख रुपये की लागत से दो हजार बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण इंदिरा गांधी नगर, जयपुर, प्रताप नगर, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी में किया जायेगा। ई.डब्लू.एस. के आवासों में ब्याज की दर 9 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं। मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि शहरी विकास के क्षेत्र में विभाग ने अनेक कदम उठाये हैं जो शहरी विकास के साथ साथ नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। आप सभी के समुचित सहयोग से राज्य का शहरी विकास अनवरत जारी रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय..(व्यवधान) एक तो माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने गंगानगर की जांच रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। (व्यवधान) मैं माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो अभी संभागीय आयुक्त से जांच के प्रकरण के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैं बता दूं आपको, तत्कालीन सैक्रेटरी यूआईटी एस. बोहरा को एपीओ कर दिया गया है और रिपोर्ट पर चार्जशीट बन गई थी और चार्जशीट देने के बाद में उनका रिप्लाई आयेगा, उसके बाद में उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही बनेगी वह करेंगे। स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के बारे में आपने बताया।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मंत्री महोदय, चेयरमैन भी इन्वाल्व था, प्रशासक भी इन्वाल्व थे। प्रशासक के खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने?

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मैंने क्या कहा अभी, जो भी है, मैंने आपको बता दिया।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह सैक्रेटरी को एपीओ किया, यह मेरे पास प्रोसीडिंग्स पड़ी है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): तत्कालीन सैक्रेटरी..

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): कार्यवाही हो जायेगी, रिपोर्ट के अनुसार उस पर कानून और नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी। आप पहले सुन तो लो।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप क्या मंत्री हो? मंत्री हो क्या आप ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप क्या कर रहे हो ?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मंत्री हो क्या आप, सुबह से बराबर..(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव) आप क्या हो? चुप।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): यह क्या तरीका हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री संयम लोढा** (सिरोही): 29 मार्च को भी इसका यही जवाब दिया था कि सैक्रेटरी को एपीओ कर दिया गया है, एक साल पहले। (व्यवधान) एक साल पहले भी यही जवाब दिया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय और एक साल बाद भी वही जवाब है कि सैक्रेटरी को एपीओ कर दिया है। प्रोसीडिंग्स मेरे पास पड़ी है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): कैसी प्रोसीडिंग्स है, रखो अपने पास। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह असेम्बली की प्रोसीडिंग्स है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): रखो प्रोसीडिंग्स अपने पास, कानून के अनुसार होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: कार्यवाही हो रही है। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह होहल्ला और वह है क्या..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): एक माननीय सदस्य ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में राज्यांश के बारे में और केन्द्रीय अंश के बारे में बताया कि राज्यांश का भुगतान नहीं करने से स्कीमें अटक गई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 07-08 में आबंटित भारत सरकार के सम्पूर्ण अंश 1832 लाख के विरूद्ध सम्पूर्ण राज्यांश 610 लाख सहित आबंटित की जा चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, सीएलयू बाबत प्रश्न उठाया। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कुल 398 तीन वर्ष में हुए सीएलयू और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 632 चार वर्ष में हुए। (व्यवधान) माननीय सदस्य नन्दलालजी बंशीवाल ने अभी मुझे बताया, तो दौसा से आने वाले

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि इन्होंने जिस बात का जिक्र किया 2600 करोड़ की ढांचागत विकास योजना मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है इस योजना में दौसा भी चयनित है और इस शहर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 5.50 करोड़ रुपये, गंदे पानी ट्रीटमेंट के लिए 15 करोड़ रुपये, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 2 करोड़ रुपये, नाला निर्माण के लिए 2.69 करोड़ रुपये और सड़क और पुलिया निर्माण के लिए 15.50 करोड़ रुपये, अग्निशमन के लिए .81 करोड़ रुपये, ऐसे करके कुल 55.94 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत है।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): मंत्रीजी, सांगोद वाला आपने जवाब नहीं दिया।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): अभी बताता हूं, सांगोद वाला भी बताता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य बाहेतीजी ने जो जिक्र किया है..(व्यवधान) माननीय सूर्यकांताजी को...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोई मुद्दा आने के बाद वह सदन की प्रोपर्टी होता है, भले ही पुष्कर के माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं, मंत्री महोदय से आप जवाब तो दिलवाइये, फिर हाउस का राइट है उसके ऊपर। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): यहां बोल करके चले जायें और सुने नहीं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत वरिष्ट सदस्य हैं माननीय मंत्री महोदय, एक बार इश्यू हाउस में आने के बाद वह हाउस की प्रोपर्टी है और माननीय मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं। आप बहुत वरिष्ट मंत्री हैं..(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): जो इन्होंने आरोप लगाया है लेकिन यह यहां पर उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये, दे देंगे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हम सुनना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): दे रहे हैं जवाब। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शहरी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

गरीबों के लिए जो मूलभूत सुविधा है उनके तहत अजमेर, पुष्कर के लिए बता दूं, 107.70 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। उस योजना में 5337 आवासीय इकाइयां बनाई जायेंगी और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया था उसमें आनासागर झील के लिए 15.28 करोड़ रुपये और पुष्कर झील के लिए 48.37 करोड़ की दो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और स्वीकृत योजनाओं की राशि अभी भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के बाद भी सार्थकता की पूर्ण जांच कर ली गई है और यह अजमेर के लिए वह फव्वारा संयत्र के लिए दो स्कीमों के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है, उनको वर्क आर्डर दे दिये गये हैं। राजस्थान आवास मण्डल के मकान के नियमन, गत सरकार के कार्यकाल में 29 आबंटन और वर्तमान समय के मात्र सात आबंटन हुए हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोबारा बताओ न जरा, दोबारा बोलो। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): राजस्थान..(व्यवधान) माननीय संयमजी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सुनो। 8 ए में आपने क्या किया, बताना जरा।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): राजस्थान आवासन मण्डल के मकान आबंटन के बारे में माननीय संयमजी ने जो जिक्र किया, नियम 8 ए के तहत..(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): बाकी को और मरवा दोगे आप, कई मरवा दिये आपने। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री ,नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सदस्य, नियम 8 ए के गत सरकार के कार्यकाल में 29 आबंटन हुए हैं और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मात्र 7 आबंटन हुए हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): बोलो, करो बात। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। एक भी मामले के अंदर...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं, यह तथ्य है, वास्तविकता है। आप आरोप लगा रहे थे, आपके कार्यकाल में

कितने..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): किसी का राइट नहीं है...(व्यवधान) प्रजातंत्र में तो किसी का राइट नहीं है, यह पैसा कम करने का किसी कानून में, किसी नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 29 मकान अलाट करते हो 8 ए के अंदर..(व्यवधान यह अंतर है आप में...(व्यवधान) किन-किन को किया, पढ़कर बतायें आप।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): पिछली बात ध्यान में रखो। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): +++ किया है..(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): कोई दुरूपयोग नहीं किया है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 16 लाख रुपये का चूना लगाया है, नियमों के विपरीत लगाया है, कानून के विपरीत लगाया है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): सदुपयोग किया है, सदुपयोग। क्या कानून के विपरीत किया है ?(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 8 ए में जो प्रोवीजन है उसमें गवर्नमेंट की पावर सिर्फ अलाटमेंट की है, पैसा कम करने की कोई पावर नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन।

## स्पष्टीकरण

### श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे कोई निजी काम से बस स्टैण्ड तक गई थी और मेरे को इत्तला मिली कि माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने बहुत गम्भीर आरोप लगाये और मेरे जैसी महिला के ऊपर, इनको +++ आनी चाहिए थी कि मैं क्या बोलूं। मेरे पति का स्वर्गवास हुआ, इनको मिलने आने तक की तो फुर्सत नहीं थी।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मेरी मां सोलह वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी पर क्या हम जनता का धन लूटते।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): और इन्होंने इस तरीके से आरोप

लगाया है..(व्यवधान) सुनो पहले।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): और क्या जनता का धन लूटते। नौकरी करके अपनी पढ़ाई करके इस सदन में आये हैं, इस तरीक से जनता का धन लूट कर अगर कोई अपने +++ करना चाहे...(व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): मैं आपकी पोल खोल रही हूं.. (व्यवधान) मैं तुम्हारे टाइम की मेरे...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: ..यह सदस्य महोदय कह रहे थे कि आप +++ (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री) आप सुनें। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): क्या बात कर रहे हो, आप महिलाओं के ऊपर..(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ आनी चाहिए माननीय सदस्य को...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आपने क्या किया है ? (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): अब बैठ जाओ न। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हमको बोलने नहीं देंगे आप। +++ आनी चाहिए यह कौन सा शब्द है, +++ आनी चाहिए यह कौन सा शब्द है..(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कोई बात कह रही हैं, आपकी बात शालीनता से सब ने सुनी। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): +++ आनी चाहिए, यह कौन सा शब्द है। +++ आनी चाहिए, यह कौन सा शब्द है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): +++ आनी चाहिए आपको।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हमने इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है, हमने यह कहा है कि +++ ने अपने पद का दुरूपयोग किया है, किया है, हमारा अधिकार है हम यहां रखेंगे। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): सुनिये इनकी बात।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 2002 के अंदर

इन्होंने..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हमने यह कहा है कि +++ ने अपने पद का दुरूपयोग किया है। यह क्या बात हो गई।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): एक जोधपुर के बहुत बड़े डाक्टर को 11 लाख 50 हजार में आबंटन किया था। हो सकता है पांच-दस हजार ऊपर नीचे हो, मेरे पास सही फीगर यह है। 2002 में इनकी सरकार थी और नाम लेना, आप उचित समझें तो मैं ले लूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: मत लीजिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): वहां चेयरमैन थे उन्होंने एक डाक्टर को इतने में अलाट किया था, अब मेरा 23 फरवरी को, अलाट हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने कहा तो मैंने एक बात मुख्य मंत्रीजी से और यहां से बात बताई कि उनको तो वह तो इतने में दे रहे थे, मेरे को आप ऐसे दे रहे हो, विडो कोटा में मेरे को दिया हो, तो मेरे ऊपर थोड़ी रियायत करो तो मेरे को इस हिसाब से मकान दिया और इनको कहने में +++ नहीं आती, तुम्हारी सरकार ने तो 11 लाख, मेरे को तो 17 लाख 51 हजार में दिया है, 17 लाख 51 हजार के अंदर, अब आप न मेरे को उसकी मरम्मत करा कर दी वह.. (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के डाक्टर थानवी को 27 लाख रुपये में वह मकान अलाट हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं 27 लाख रुपये नहीं दे सकता, मैं यह मकान सरैण्डर करता हूं। (व्यवधान) यह 33 लाख रुपए में हुआ है। साफ-साफ भ्रष्टाचार, अनियमितता और जनता के धन का दुरुपयोग का मामला है। राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में नैतिकता के आधार पर +++ को आकर माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए ...(व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): ...(व्यवधान) बाद में हुआ है ...(व्यवधान) इनको +++ आनी चाहिए ...(व्यवधान) दुरुपयोग आपने किया है, मेरे को तो सही अलाट हुआ है, सही रेंज में हुआ है, आप लोगों को +++ आनी चाहिए... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): माफी तो आपको मांगनी चाहिए, एक महिला के ऊपर सीधा-सीधा आरोप लगाया है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री):×××

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य मंत्रीजी को जवाब देने हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य कह दिया है आपने, आ गई बात, छोड़ो इस बात को आप माननीय सदस्य।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): इनको +++ आनी चाहिए कि ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी। इनका अंकित नहीं हो रहा है। छोड़ो आप इनको।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री):×××

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): ...(व्यवधान).... इस पोस्टर का कोई लेना-देना नहीं, पोस्टर की बात नहीं, मनगढ़ंत बात कर देते हैं। मेरे को मकान तो 23 फरवरी को ही अलाट हो गया, यह कैसे कह रहे हैं? यह कागज पड़े हैं आप देखो ना, जो अलाट हुआ था, कोई तिजोरी के अंदर बंद नहीं है, कागज खुले पड़े हैं इनको कोई जानकारी ही नहीं है। बिना जानकारी के मर्जी आये वैसे ही बोल देते हैं। इनको +++ आनी चाहिए इस तरीके से यह गलत बात कर देते हैं और फिर +++ जी का नाम लेते हैं, जब +++ ने सही रेट पर दिया है, विडो कोटा के अंदर दिया है, इस तरीके से यह बात करते हैं, इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, नहीं रहने दीजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी कन्क्लूड कीजिए।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री):×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री):×××

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय को कन्क्लूड करने दीजिए। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी):×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आपका अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य छोड़ो आप इसको, मंत्री महोदय को कन्क्लूड करने दीजिए माननीय सदस्य।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बी.डी. कल्लाजी ने दो-तीन बातों का यहां जिक्र किया है, एक तो इन्होंने कहा नगर विकास न्यास द्वारा 15 प्रतिशत राशि नगर निगम को, नगर परिषदों को हस्तांतरित नहीं होती है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुल 54 करोड़ 42 लाख रुपये गत एक वर्ष में भुगतान किए गए हैं। जोधपुर को 200 लाख रूपये और भरतपुर को 63.88 लाख रुपये, गंगानगर में 26.17 लाख, कोटा में 140 लाख, बीकानेर में 124.1 लाख, अजमेर में 160.48 लाख, भीलवाड़ा में 4.59 लाख, उदयपुर में 413.74 लाख, अलवर में 363 लाख और जेडीए में अकेले में मतलब 40 करोड़ रुपये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने जिक्र किया था ...(व्यवधान) जन सहभागिता के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं 1034.63 लाख रुपये का कार्य स्वीकृत होकर 478 लाख रूपए का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें बीकानेर शहर के लिए 914.63 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत हुए व 458.08 लाख का अंशदान दिया गया है। यह अंशदान राज्य के किसी भी निकाय और ज़िले से ज्यादा है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ...(व्यवधान).... जमीन बेचने के बाद जो पैसा 15 प्रतिशत राज्य की नगर परिषदों को दिया जाता है उसमें कितना कितना बकाया है यह बताओ? आपने जो दिया है वह बताया है, बकाया कितना है पिछले वर्षों का? (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): बीकानेर नगर सुधार

न्यास का आपका 15 प्रतिशत नगर परिषद के ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बकाया के लिए नहीं... (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपने कच्ची बस्तियों का बताया है, मैं यह कह रहा हूं कि जो जमीन बेची है उसका 15 प्रतिशत बकाया किस-किस नगर परिषद का कितना बकाया है यह बताइए?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आपका अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: किसी भी माननीय सदस्य काई अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर):×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव):×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर):×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव):×××

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि माननीय माहिर आजाद साहब ने क्वेश्चन किया है भू-परिवर्तन के बारे में, तो मैं इनको निवेदन कर दूं कि यह प्रकरण प्रथम बार राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ रखा गया था। प्रकरण में कमियां होने से उसकी पूर्ति करने हेतु स्थगित रखा और आवेदक द्वारा कमियों की पूर्ति के पश्चात प्रकरण पुन: अगस्त, 2007 में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण माननीय मंत्री महोदय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त होने पर 5.10.07 को कार्य विवरण जारी किया गया है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक माननीय बृजकिशोरजी शर्मा ने ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...(व्यवधान) पेंडिंग है अभी तक till now. आज की तारीख तक भी पेंडिंग है, अभी तक इसका डिस्पोजल नहीं हुआ है, आप पता कर लें वास्तविक स्थिति यह है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको यह बात, अभी पेंडिंग है। मैं भी कह रहा हूं आपको, आज की तारीख में पेंडिंग है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय बृजकिशोरजी शर्मा ने प्रोजोल लिबर्टी के बारे में एक कामर्शियल काम्प्लेक्स बनाने के लिए अभी सदन में जिक्र किया है। मैं उसके सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं कि अभी इस योजना पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस पर यह निर्णय नहीं हुआ कि प्रोजोल लिबर्टी अपनी पूर्ण योजना का प्रस्ताव दें। इस प्रस्ताव को फिर से चैलेंज के जरिए दूसरी पार्टीज से बीड मंगाई जाएगी, जो पार्टी की अधिक राशि होगी उसको उचित समझा गया, उसको उपलब्ध कराई जाएगी, यह बात है।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी हालांकि मैं अपनी सीट से नहीं बोल रहा हूं, आप तो सदन को यह आश्वस्त कर दें ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य करने दीजिए।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य मानसिंहजी देवड़ा आवासन मण्डल के चेयरमैन हैं उनके बारे में जांच के लिए कहा। मैं सारे प्रकरण की जांच कराऊंगा और जो भी होगा, मैं उचित कार्यवाही करुंगा ...(व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि मांग संख्या-29 को सदन में पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मांग संख्या 29 ...(व्यवधान) आ गई ना सारी बात। माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा।

**डा.बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आ जायेगा ।

## मांग संख्या-29 का पारण

### मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री उपाध्यक्ष)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,95,95,84,000/- (अक्षरे चौदह अरब पिच्चानवे करोड़ पिच्चानवे लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये ?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 12 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 20.21 बजे बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## नोहर फीडर, सिद्धमुख केनाल एवं चूरू साहवा लिफ्ट परियोजना का अपूर्ण कार्य

218. **श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार नहरी सिस्टम पूरा तैयार होने पर ही नहरों में पानी छोड़ा जाता है? यदि हां, तो नोहर फीडर, सिद्धमुख केनाल व चूरू साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना में बगैर सिस्टम तैयार हुए ही पानी छोड़ने का क्या कारण है? क्या सरकार इन नहरों का सिस्टम तैयार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नहरों के हैड से लेकर टेल तक पानी की चोरी को रोकने का स्थाई हल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे, कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार फ्लो ईरीगेशन से पानी की बर्बादी रोकने के लिये इन्जेक्शन ड्रिपिंग फव्वारा सिस्टम को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) किसानों की मांग एवं उपलब्ध जल के सदुपयोग हेतु आंशिक रूप से तैयार नहरी सिस्टम में भी सिंचाई हेतु पानी छोड़ा जा सकता है।

नोहर फीडर एवं सिद्धमुख कैनाल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है एवं चूरू साहवा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है जिसको वर्ष 2011-12 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग द्वारा पानी की चोरी करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने, बारी काटने और तवान (पैलेन्टी) लगाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। इसके अतिरिक्त नहरों के हैड से लेकर टेल तक पानी की चोरी रोकने हेतु प्रशासन, पुलिस विभाग एवं विभाग का संयुक्त दल गठित कर गस्त भी की जाती है। साथ ही पानी की चोरी रोकने एवं पानी के सम्बन्धित झगड़ों को कम करने हेतु सम्बन्धित काश्तकारों को

(सिंचाई मंत्री)

नहर संचालन के कार्य में जल उपभोक्ता संगठन (WUA) बनाकर जोड़ा जा रहा है तथा काश्तकारों को बाराबंदी प्रणाली लागू करने हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है जिससे किसानों द्वारा पानी की चोरी करने पर रोक लगेगी।

(3) जी हां। वर्तमान में नर्मदा सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 6 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं से सृजित किये गये सिंचित क्षेत्र (300824 हैक्टेयर) के 10 प्रतिशत क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु पाइलेट परियोजना में तैयार की गई है जिसका कार्य प्रगति पर है व मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। नई निर्माण होने वाली सिंचाई परियोजनाओं में फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार फव्वारा पद्धति को भविष्य में लागू किया जाना सम्भव होगा।

## पैरोल पर छोड़े गये बन्दियों की निगरानी

**219. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कारागारों में बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो किन-किन बंदियों को कितनी-कितनी समयावधि के लिये पैरोल पर छोड़ने का? संबंधित नियमों व प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बंदियों को पैरोल पर छोड़ने एवं पैरोल अवधि समाप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये किसी प्रकार की निगरानी की व्यवस्था है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पिछले तीन सालों में राज्य के कारागारों से कई बंदियों के पैरोल पर छोड़ने के उपरान्त वापस नहीं आने के कारण उक्त निगरानी व्यवस्था में चूक पाई गई? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने बंदी पैरोल पर रिहा होने व वापस नहीं आने के कारण सामने आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

**उत्तर**

(1) जी हां। अवधि एवं बंदियों के प्रकार बाबत् ब्यौरा परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 1958 के नियम 14,9,10-A, 10A(1-a), राज्यादेश दिनांक 07.03.2002, अवलोकनीय है।

(2) जी हां। बंदी पैरोल अवधि में प्रोबेशन आफिसर के पर्यवेक्षण में रहता है। परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न नियमों के नियम 6 में व्यवस्था निर्धारित है।

(3) पिछले तीन वर्षों में बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के उपरान्त वापस नहीं आने के प्रकरणों में निगरानी व्यवस्था में चूक होने संबंधी प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। दिनांक 1.1.05 से 31.12.2007 तक की अवधि में कारागृहों से पैरोल पर रिहा बंदियों में से 44 बंदी पैरोल पर रिहा होने पर वापस नहीं आये हैं और फरार चल रहे हैं। विवरण परिशिष्ट 'बी' में उपलब्ध है।

(4) पैरोल से फरार चल रहे सभी बंदियों के मामलों की समन्वित जांच शासन सचिव, गृह (जेल) द्वारा की जा रही है। जांच प्रक्रियाधीन है।

**(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## अजमेर जिले में औद्योगिक निवेश वृद्धि हेतु कार्य-योजना

**220. श्री देवीशंकर भूतड़ा** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में पिछले चार वर्षों में कितने नवीन उद्योग स्थापित किये गये? उपखण्ड अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उद्योगों में कितनी पूंजी का निवेश हुआ एवं कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?

(3) क्या सरकार अजमेर जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अजमेर जिले में पिछले 4 वर्षों में 899 नवीन उद्योग स्थापित हुये हैं। उपखण्ड वार सूचना निम्न प्रकार है :-

(उद्योग मंत्री)

| **उपखण्ड** | **रीको औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां** | **रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहर की इकाइयां** | **कुल इकाइयां** |
|---|---|---|---|
| अजमेर | 42 | 251 | 293 |
| ब्यावर | 33 | 66 | 99 |
| केकड़ी | 4 | 54 | 58 |
| किशनगढ़ | 225 | 106 | 351 |
| मसूदा | 2 | 70 | 72 |
| नसीराबाद | 9 | 17 | 26 |
| **योग** | **335** | **564** | **899** |

(2) 899 उद्योगों में कुल 17224.74 लाख रुपये का विनियोजन हुआ एवं 7602 श्रमिकों को रोजगार सुलभ हुआ।

(3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये माह फरवरी, 2008 में एक पालिसी पैकेज शुरू किया गया है। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु Rajasthan Investment Promotion Scheme 2003 लागू है। उक्त Scheme/पैकेज के अन्तर्गत अजमेर जिले के उद्यमी भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

## कोटा जिले में रेती की रायल्टी वसूली में व्याप्त अनियमितताएं

**221. श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2007-08 में कोटा जिले की तहसील दीगोद, सांगोद, पीपल्दा, रामगंजमण्डी व लाडपुरा में रेती के ठेके कहां-कहां कितनी राशि पर प्रदान किए गये? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रेती पर सेल टैक्स व रायल्टी किस दर से वसूल की जाती है, रायल्टी से सरकार को वर्ष 2007-08 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रायल्टी की निर्धारित दर से कहीं अधिक राशि ठेकेदारों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो निर्धारित राशि से अधिक रायल्टी वसूल करने पर सरकार द्वारा कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

**उत्तर**

(1) वर्ष 2007-08 में कोटा जिले की विभिन्न तहसीलों में रेत के ठेकों के सम्बन्ध्ा में वांछित सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सैल टैक्स की वसूली खनिज विभाग द्वारा नहीं की जाती है। सैल टैक्स की दरें परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। दिनांक 8.9.2000 से बजरी पर रायल्टी रु. 10/- प्रति टन की दर से वसूल की जा रही है। वर्ष 2007-08 में तहसीलवार जो रायल्टी प्राप्त हुई है, उसका विवरण परिशिष्टि-3 पर संलग्न है।

(3) रायल्टी की निर्धारित दर से अधिक वसूली के सम्बन्ध्ा में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है एवं रायल्टी की वसूली निर्धारित दर पर हो, इस बाबत् सभी नाकों पर सूचना पट्ट लगवाये गये हैं।

**परिशिष्ट-1**

**वर्ष 2007-08 में कोटा जिले की विभिन्न तहसीलों में रेत के ठेकों के सम्बन्ध में वांछित सूचना**

| क्र. सं. | ठेकेदार का नाम | क्षेत्र | अवधि | वार्षिक ठेका राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री भगवान सिंह | कोटा जिले की तहसील लाडपुरा, दीगोद व पीपल्दा तथा बून्दी जिले की तहसील केशवराय पाटन व इन्दगढ़ की राजस्व सीमा (वन्य जीव अभ्यारण्य/वन क्षेत्र के अतिरिक्त) में पड़ने वाली नदी/नालों से निर्गमित खनिज बजरी का ठेका | 1.4.2006 से 31.3.2008 तक | ठेका रु. 21.36 लाख वार्षिक में दिया गया था जो दिनांक 8.9.2007 से रायल्टी राशि में वृद्धि होने से राशि रु. 24,95,327/- का हो गया है। |

| क्र. सं. | ठेकेदार का नाम | क्षेत्र | अवधि | वार्षिक ठेका राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2. | श्री रईस खान | तह. रामगंजमण्डी | 1.4.2007 से 31.3.2009 तक | रु. 21,21,786/- उक्त ठेका दिनांक 31.8.2007 से बकाया पर खण्डित कर दिया गया है। वर्तमान में विभागीय स्तर पर रायल्टी संग्रहण किया जा रहा है। |
| 3. | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा | तह. सांगोद | 1.4.07 से 31.3.09 तक | रु. 26,52,190/- |

**परिशिष्ट-2**

**खनिज रेता हेतु बिक्री दर 12/- रु. प्रतिटन एवं बिक्री दर की एग्जम्प्शन फीस वाहनवार निम्नानुसार है :-**

| | एग्जम्प्शन फीस |
|---|---|
| 1. ट्रक हेतु | रु. 120/- प्रति ट्रक |
| 2. ट्रेक्टर ट्रोली हेतु | रु. 60/- प्रति ट्रैक्टर ट्रोली |
| 3. टरबो ट्रक एवं ट्रोला हेतु | रु. 240/- प्रति टर्बो ट्रक एवं ट्रोला |
| 4. पशु चालित गाड़ी | रु. 6/- प्रति पशु चालित गाड़ी |

**परिशिष्ट-3**

**वर्ष 2007-08 में कोटा जिले की तहसीलवार खनिज बजरी व अन्य खनिजों से प्राप्त आय की सूचना**

**(प्राप्त आय लाख रुपयों में)**

| क्र.सं. | तहसील | बजरी से आय | अन्य खनिजों से आय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | दीगोद | 4.63 | 11.48 | 16.13 |
| 2. | लाडपुरा | 9.30 | 72.24 | 81.54 |
| 3. | पीपल्दा | 6.98 | 9.73 | 16.71 |

| क्र.सं. | तहसील | बजरी से आय | अन्य खनिजों से आय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 4. | सांगोद | 22.81 | 7.94 | 30.75 |
| 5. | रामगंजमण्डी | 17.15 | 2657.46 | 2674.61 |
| | **वृत्त का योग** | **60.89** | **2758.85** | **2819.74** |

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीबा बसई का क्रमोन्नयन

**222. श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में राज्य के चिकित्सालयों में मरीज शैय्याएं बढ़ाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां पर शैय्याओं बढ़ाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि घोषणाओं के बावजूद कुछ चिकित्सालयों में शैय्याओं की बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार टीबा बसई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। विगत दो वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में जिन-जिन चिकित्सा संस्थानों की शैय्याओं में वृद्धि की गई हैं उनके नामों का विवरण परिशिष्ट अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। विगत 2 वित्तीय वर्षों में शैय्याओं में वृद्धि किये जाने की जो घोषणा की गई हैं उनकी स्वीकृति जारी की जारी की जा चुकी हैं।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीबा बसई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**परिशिष्ट-अ**

**विगत दो वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में जिन-जिन चिकित्सा संस्थानों की शैय्याओं में वृद्धि की गई हैं उनके नामों का विवरण निम्न प्रकार है :-**

**वित्तीय वर्ष 2005-06**

| **क्र. सं.** | **चिकित्सा संस्थान का नाम** | **जिला** | **शैय्याओं में वृद्धि का विवरण** | **शैय्याओं की शुद्ध वृद्धि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झालरापाटन | झालावाड़ | 30 से 50 | 20 |
| **वित्तीय वर्ष 2006-07** | | | | |
| 1 | वाई.एन. चिकित्सालय किशनगढ़ | अजमेर | 100 से 150 | 50 |
| 2 | जिला चिकित्सालय बारां | बारां | 150 से 200 | 50 |
| 3 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर | बांसवाड़ा | 30 से 50 | 20 |
| 4 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़ | बांसवाड़ा | 50 से 75 | 25 |
| 5 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कामा | भरतपुर | 30 से 50 | 20 |
| 6 | जनाना चिकित्सालय भरतपुर | भरतपुर | 78 से 100 | 22 |
| 7 | जिला चिकित्सालय धौलपुर | धौलपुर | 150 से 200 | 50 |
| 8 | राजकीय चिकित्सालय महिला बाग जोधपुर | जोधपुर | 50 | 50 |
| 9 | जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा | कोटा | 50 से 100 | 50 |
| 10 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन | करौली | 50 से 75 | 25 |
| 11 | राजकीय चिकित्सालय लाडनूं | नागौर | 75 से 100 | 25 |

| क्र. सं. | चिकित्सा संस्थान का नाम | जिला | शैय्याओं में वृद्धि का विवरण | शैय्याओं की शुद्ध वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| 12 | राजकीय चिकित्सालय सोजत | पाली | 100 से 150 | 50 |
| 13 | राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी | सवाई माधोपुर | 50 से 100 | 50 |
| 14 | जिला चिकित्सालय सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 150 से 200 | 50 |
| 15 | सेटेलाईट चिकित्सालय हिरणमगरी उदयपुर | उदयपुर | 50 से 100 | 50 |

## अशक्त/वृद्ध/महिलाओं के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

**223. प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वृद्ध, अशक्त, महिला एवं बाल कल्याण के लिए सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं प्रारम्भ की गई?

(2) उक्त योजनाओं के तहत वृद्ध, अशक्त, महिला एवं बालकों को किस प्रकार लाभान्वित किया जा रहा है? श्रेणीवार लाभान्वित की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वृद्ध, अशक्त, महिला एवं बाल कल्याण के लिये सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स', 'द' व 'य' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजनाओं के तहत वृद्ध, अशक्त महिला एवं बालकों को लाभान्वित किये जाने वाली प्रक्रिया का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स', 'द' व 'य' में अकिंत कर दिया गया है।

**(योजनाओं का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## चित्तौड़गढ़ जिले की स्वीकृति हेतु विचाराधीन पेयजल योजनाएं

**224. श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में अनेक पेयजल योजनाएं हैण्ड पम्प/पनघट योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक कितनी पेयजल योजनाएं, हैण्ड पम्प, भेदन, पनघट योजनाएं (सिंगल फेस मोटर पम्पसैट) स्वीकृत किये गये? स्वीकृत योजना की सूची पंचायत समिति एवं नगरपालिका वार सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के पास जिला चित्तौड़गढ़ की कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन योजनाओं को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार योजनाएं तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कोटा शहर में लूट/आपसी झगड़े के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

225. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2007 तक कितने लोग लूट/आपसी झगड़े में हुए गोलीकाण्ड में मारे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी प्रकरणों के अपराधियों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है? यदि हां, तो प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कोटा शहर में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2007 तक, लूट/आपसी झगडे में हुये गोलीकाण्ड में वर्ष 2005 में 2 एवं वर्ष 2007 में 3, कुल 5 लोग मारे गये हैं। प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम संख्या-2-5 पर अंकित है।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त दर्ज कुल 5 प्रकरणों में से 3 प्रकरणों के नामजद सभी 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर चालान पेश अदालत किया जा चुका है। शेष 2 प्रकरणों में अभियुक्तगण अज्ञात हैं मुकदमा नं. 260/07 थाना-दादाबाड़ी में मुल्जिम अज्ञात होने के कारण पकड़े नहीं जा सके बाद में अनुसंधान प्रकरण में दिनांक 20.12.2007 को एफ.आर. अदम पता दी गई व इसी प्रकार मु.नं.-490/07 थाना-नयापुरा में भी मुल्जिमान नामजद नहीं है (अज्ञात है) प्रकरण का अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' के कालम संख्या-2, 3, 4, 6 व 8 पर अंकित है।

**परिशिष्ट "अ"**

**कोटा शहर में दिनांक 1.1.2004 से 31.12.2007 तक लूट व आपसी झगड़े में हुए गोलीकाण्ड में मारे गये के सम्बन्ध में दर्ज अभियोगों का विवरण**

| क्र. सं. | थाना | मुकदमा नम्बर मय दिनांक व धारा | आपसी झगडा/ लूट | नाम मृतक | नाम पता अभियुक्त | गिरफ्तारी से शेष अभियुक्त के नाम | नतीजा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | नयापुरा | 106/20.2.2005 धारा 302, 452, 34 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट | आपसी झगड़ा | गणेश पुत्र प्रभुलाल नि. गावड़ी नयापुरा कोटा | गुड्डू उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत नि. गेता थाना इटावा हाल गावडी कोटा | - | चार्जशीट नं. 399 दिनांक 6.12.2005 |
| 2 | नयापुरा | 314/20.4.2005 धारा 302, 34 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट | आपसी झगड़ा | डब्बू उर्फ अजयकुमार पुत्र लटूरलाल मेघवाल नि. दोस्तपुरा कोटा | 1. राजेश कमाण्डो पुत्र अवदेश सिंह नि. जोगडिया बिहार हाल दोस्तपुरा कोटा<br>2. रामदयाल पुत्र किशन लाल बैरवा नि. चीलपुरा छबडा हाल नयापुरा कोटा | - | चार्जशीट नं. 256 दिनांक 12.7.2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | दादाबाडी | 329/9.8.2007 धारा 302, 120बी, 34 भादस 3/25 आर्म्स एक्ट | आपसी झगड़ा | राजेन्द्र सिंह उर्फ टंका पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत नि. कोटडी हाल संतोषीनगर थाना महावीर नगर कोटा | 1-रविन्द्र सिंह उर्फ सिन्टू पुत्र छोटा सिंह नि. शिवपुरा<br>2-मुकेश सुमन पुत्र बाबूलाल माली नि. मोखापाडा कैथूनीपोल कोटा<br>3-गिर्राज सिंह पुत्र रघुराज सिंह नि. शिवपुरा<br>4-अर्जुन सिंह गोड पुत्र कल्याण सिंह राजपूत नि. बरखेडा थाना सारोला झालावाड़ हाल मोखापाडा कोटा<br>5-चन्दन हरिजन पुत्र रामदयाल हरिजन नि. बल्लभबाडी | - | चार्जशीट नं. 259 दिनांक 5.11.2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | दादाबाड़ी | 260/23.6.2007 धारा 302, 34 भादस | आपसी झगड़ा | भंवरसिंह पुत्र नेनूसिंह रावत नि. 1 बी-277 अणु कालोनी रावतभाटा कोटा | अज्ञात-3 व्यक्ति | - | एफआर नं. 201 दिनांक 20.12.2007 अदम पता मुलजिम |
| 5 | नयापुरा | 490/20.10.2007 धारा 302 भादस | आपसी झगड़ा | उमेश शर्मा, निवासी किशोरपुरा कोटा | अज्ञात | - | पेण्डिंग |

## सिंगल विण्डो सिस्टम प्रणाली में सुधार

226. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में बाहर से आने वाले उद्योगपतियों की सुविधा हेतु बनाया गया ''सिंगल विण्डों सिस्टम'' की कार्य प्रणाली व्यवहारिक एवं संतोषप्रद नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सिस्टम अथवा इसकी कार्य प्रणाली में सुधार करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

जी नहीं। सिंगल विण्डो सिस्टम की कार्य प्रणाली राज्य में बाहर से आने वाले एवं स्थानीय उद्योगपतियों अर्थात सभी उद्यमियों की सुविधा हेतु व्यवहारिक एवं संतोषप्रद है।

## लूणकरणसर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य

227. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनेक गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को कितना प्रतिशत खराबा मानते हुये तथा अभाव-ग्रस्त गांवों में नियोजित श्रमिक संख्या क्या है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी गांवों में राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो किन-किन गांवों में व क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के क्रमशः 50 से 100 प्रतिशत तक खराबा वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अभावग्रस्त आबाद गांवों में नियोजित श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

| क्र. सं. | ग्रामवार श्रमिकों की संख्या | क्र. सं. | ग्रामवार श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | हुसनसर-120 | 5. | रतनीसर-30 |
| 2. | बम्बलू-120 | 6. | गुसाइणा-40 |
| 3. | पनमालसर-40 | 7. | बदासर-110 |
| 4. | बालादेसर-50 | 8. | कावनी-200 |

(सहायता मंत्री)

| क्र. सं. | ग्रामवार श्रमिकों की संख्या | क्र. सं. | ग्रामवार श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 9. | ढाणी रावतसर कुम्भारान-40 | 26. | मेहरासर-50 |
| 10. | कानासर-200 | 27. | सरदारपुरा-60 |
| 11. | सोभासर-100 | 28. | गौरीसर-60 |
| 12. | बंधा-60 | 29. | सादोलाई-110 |
| 13. | मोलानिया-70 | 30. | कुण्डा-20 |
| 14. | गैरसर-115 | 31. | छतरगढ बारानी-120 |
| 15. | लाडेरा-20 | 32. | जालवाली-100 |
| 16. | हिम्मतासर-70 | 33. | बासकरणीसर-100 |
| 17. | रिडमलसरपुरोहितान-170 | 34. | मोतीगढ़-120 |
| 18. | रायसर-150 | 35. | शरह जाटान-निल |
| 19. | भोजेरा-40 | 36. | शरह बरडी-निल |
| 20. | आसेरा-40 | 37. | शरह भ्याउ ब्यास-निल |
| 21. | पेमासर-120 | 38. | शरह ब्राह्रमाणान-निल |
| 22. | जयमलसर-140 | 39. | शरह बोरला-निल |
| 23. | डाइया-50 | 40. | बस्ती चावड़ान-निल |
| 24. | नाल बड़ी-240 | 41. | शरह बेदाना-निल |
| 25. | नाल छोटी-70 | 42. | शरह गोलप्रतापसिंह-निल |

(2) जी हां। लूणकरणसर के वर्णित ग्रामों में से क्रम सं. 1 से 34 तक के सभी ग्रामों में राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के ऐसे अभावग्रस्त ग्राम जिनमें श्रमिक नियोजित नहीं किये गये हैं निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | नाम ग्राम | जनसंख्या 2001 की गणना के अनुसार |
|---|---|---|
| 1 | शरह जाटान | 0 |
| 2 | शरह बरड़ी | 0 |
| 3 | शरह भ्याउ ब्यास | 0 |
| 4 | शरह ब्राह्रमाणान | 0 |
| 5 | शरह गोलप्रतापसिंह | 48* |

(सहायता मंत्री)

| क्र.सं. | नाम ग्राम | जनसंख्या 2001 की गणना के अनुसार |
|---|---|---|
| 6 | शरह बोरला | 16* |
| 7 | बस्ती चावडान | 147* |
| 8 | शरह बेदाना | 0 |

आबंटित श्रमिक सीमा के अनुसार क्र.सं. 5, 6, 7 पर अंकित गांवों का हिस्सा क्रमशः 3, 1, 8 श्रमिक है एवं इन गांवों की जनसंख्या ढाणियों में निवास करती है। क्र.सं. 7 पर अंकित शहर के नजदीक है अतः यहां कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं।

## भीलवाड़ा जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

**228. श्री कैलाश त्रिवेदी** (सराड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में महात्मा गांधी चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने-कितने चिकित्सकों के पद सृजित हैं तथा कितने पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

**उत्तर**

(1) भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत आने वाले राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ट विशेषज्ञों एवं वरिष्ट चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जावेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आरक्षित वर्ग के शिक्षण-प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति

**229. श्री अमराराम** (धोद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक का कर दिया गया है?

(2) शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में किन-किन जिलों की छात्रवृत्ति पिछले सत्रों की बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बकाया छात्रवृत्ति नहीं देने में कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उक्त बकाया छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति का भुगतान राजकीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को सत्र 2006-07 तक एवं निजी संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को परिशिष्ट 'अ' में अंकित विवरणानुसार किया जा चुका है।

(2) शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जिलों की बकाया छात्रवृत्ति की सूची परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत सरकार की योजना है तथा भारत सरकार से राज्य सरकार की मांग के अनुरूप राशि प्राप्त नहीं होने से छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब होता है। छात्रवृत्ति भुगतान हेतु भारत सरकार से रुपये 47 करोड़ प्राप्त होना शेष हैं। राशि प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

**परिशिष्ट "अ"**

**निजी महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए वर्षवार छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति**

| क्र. सं. | जिले का नाम | वितरण सत्र | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनु. जाति | अनु. जन जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अजमेर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 2. | भीलवाड़ा | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 3. | नागौर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | टोंक | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 5. | बीकानेर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 6. | चूरू | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 7. | हनुमानगढ़ | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 8. | गंगानगर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 9. | अलवर | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06 |
| 10. | भरतपुर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 11. | दौसा | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 12. | धौलपुर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 13. | जयपुर | 2005-06 | 2006-06 | 2005-06 |
| 14. | झुन्झुनूं | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 15. | सीकर | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 |
| 16. | बाड़मेर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 17. | जैसलमेर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 18. | जालौर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 19. | जोधपुर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 20. | पाली | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 21. | सिरोही | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 22. | बारां | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 23. | बून्दी | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 |
| 24. | झालावाड़ | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 25. | करौली | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06 |
| 26. | कोटा | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 27. | सवाई माधोपुर | 2006-07 | 2005-06 | 2006-07 |
| 28. | बांसवाड़ा | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 29. | चित्तौड़गढ़ | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 30. | डूंगरपुर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 31. | राजसमंद | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| 32. | उदयपुर | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |

नोट :- इस प्रकार 26 जिलों में वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्ति का पूर्णतः वितरण कर दिया गया है। इन 26 जिलों में 2007-08 की छात्रवृत्ति का वितरण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 6 जिलों- अलवर, जयपुर, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में 2005-06 की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है, उक्त 6 जिलों में राज्य में अध्ययनरत छात्रों की वर्ष 2006-07 तक की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2006-07 की राज्य से बाहर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति है, जो शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं विद्यार्थियों की पात्रता की पुष्टि में लग रहे समय के कारण बकाया रही है। वर्ष 2006-07 की बकाया छात्रवृत्ति का वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे मार्च 2008 के अन्त तक पूरा किये जाने के प्रयास हैं।

**परिशिष्ट "ब"**

**शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पिछले सत्रों की बकाया छात्रवृत्ति**

| क्र. सं. | जिला | अनुसूचित जाति | | अनु. जन जाति | | अन्य पिछड़ा वर्ग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सत्र | बकाया आवेदन पत्र | सत्र | बकाया आवेदन पत्र | सत्र | बकाया आवेदन पत्र |
| 1. | अलवर | 2006-07 | 45 | 2006-07 | 65 | 2006-07 | 16 |
| 2. | जयपुर | 2006-07 | 85 | 2006-07 | 40 | 2006-07 | शून्य |
| 3. | सीकर | 2006-07 | 125 | 2006-07 | शून्य | 2006-07 | शून्य |
| 4. | करौली | 2006-07 | 150 | 2006-07 | 3915 | 2006-07 | 35 |
| 5. | सवाई माधोपुर | 2006-07 | शून्य | 2006-07 | 74 | 2006-07 | शून्य |
| 6. | बूंदी | 2006-07 | 35 | 2006-07 | 15 | 2006-07 | शून्य |

## औद्योगिक नगरी भिवाड़ी (अलवर) में पेयजल व्यवस्था

230. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा के भिवाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या लगभग एक लाख होने पर भी जल वितरण की सुचारू व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार आवासन मण्डल, रीको व अन्य

( श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

रिहायशी कालोनियों में जल वितरण की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र में सुचारू जल वितरण हेतु कार्यालय भी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) अलवर जिले की तहसील तिजारा के भिवाड़ी कस्बे की वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या 33877 जन है।

(अ) कस्बे में नगर विकास न्यास, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित कालोनियों में इन विभागों के स्तर से की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(ब) वर्ष 1981 की जनगणनानुसार ग्राम भिवाड़ी (पुराना गांव), घटाल, आलमपुर, नंगलिया एवं सैदपुर (1991 की जनगणना में इनकी जनसंख्या कस्बा भिवाडी में सम्मिलित) में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(स) निजी कालोनाइजर द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में कालोनाइजर द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है।

(2) जी नहीं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निम्न कार्यालय क्षेत्र में पूर्व से ही स्थापित है।

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड बहरोड

2. सहायक अभियन्ता, उपखण्ड, तिजारा

**परिशिष्ट 'अ'**

**भिवाड़ी कस्बे में नगर विकास न्यास, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित कालोनियों में की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण**

**1. नगर विकास न्यास, भिवाड़ी** :- नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा निम्न कालोनियों को विकसित किया गया है। इन कालोनियों की वर्तमान जनसंख्या लगभग 17674 है। समस्त कालोनियों में न्यास द्वारा पेयजल वितरण किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रम संख्या | सैक्टर नं. | कुल मकान | वर्तमान आबादी | जल संबंधों की संख्या | कार्यरत नलकूप | जल सेवा स्तर लीटर/व्यक्ति/दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 182 | 1500 | 182 | | 100 |
| 2. | 2 | 266 | 2000 | 266 | 1 | 100 |
| 3. | 2 ए | 18 | 108 | 18 | 1 | 100 |
| 4. | 3 | 80 | 600 | 80 | 1 | 100 |
| 5. | 5 | 432 | 2900 | 432 | 3 | 100 |
| 6. | 6 | 245 | 2100 | 245 | 1 | 100 |
| 7. | 8 | 330 | 2800 | 330 | 1 | 100 |
| 8. | भगतसिंह कालोनी | 262 | 1800 | 262 | 3 | 100 |
| 9. | वसुन्धरा कालेनी | 9 | 54 | 9 | 1 | 100 |
| 10. | 9 | 390 | 2660 | 390 | 2 | 100 |
| 11. | ग्रुप हाउसिंग 6 | 103 | 618 | 103 | | 90 |
| 12. | ग्रुप हाउसिंग 5 | 89 | 534 | 89 | | 75 |
| | | | **17674** | | **14** | |

**2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम, भिवाड़ी :-**

कस्बा भिवाड़ी में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की पुरानी आवासीय कालोनी सैक्टर 1, 2 एवं 3 में पेयजल वितरण किया जा रहा है। सैक्टर 1, 2 एवं 3 में कुल 985 बहुमंजिले मकानों में 1100 जल सम्बन्ध जारी किये गये हैं। सैक्टर 1, 2 एवं 3 में कुल आबादी लगभग 10000 व्यक्ति एवं वर्तमान जल सेवा स्तर 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

**3. राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाड़ी :-**

(अ) मिलकपुर गुर्जर सेक्टर-4, राजस्थान आवासन मण्डल कालोनी, भिवाड़ी में जल वितरण व्यवस्था राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। नियमित जल वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये कालोनी में निर्मित उच्च जलाशय क्षमता 255 किलोमीटर, स्वच्छ जलाशय, क्षमता 295 किलोमीटर, नलकूप एवं पम्प हाउस का उपयोग

करते हुए लगभग 150 किलोमीटर पेयजल प्रतिदिन उत्पादन कर लगभग 1500 की आबादी को 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से समुचित दबाव से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(ब) राजस्थान आवासन मण्डल कालोनी, सैक्टर 4, 7 भिवाड़ी में जल वितरण व्यवस्था राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। नियमित जल वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये कालोनी में निर्मित उच्च जलाशय क्षमता 345 किलोमीटर, स्वच्छ जलाशय, क्षमता 518 किलोमीटर, नलकूप एवं पम्प हाउस का उपयोग करते हुए लगभग 272 किलोमीटर पेयजल प्रतिदिन उत्पादन कर लगभग 2700 की आबादी को 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से समुचित दवाब से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

**परिशिष्ट 'ब'**

**भिवाड़ी कस्बे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही पेयजल व्यवस्था का विवरण**

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :-**

वर्ष 1981 की जनगणनानुसार ग्राम भिवाड़ी (पुराना गांव), घटाल, आलमपुर, नंगलिया एवं सैदपुर (1991 की जनगणना में इनकी जनसंख्या कस्बा भिवाड़ी में सम्मिलित) की वर्तमान 19779 आबादी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही पेयजल व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | गांव का नाम | वर्तमान जनसंख्या लगभग | वर्तमान पेयजल व्यवस्थ का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | पुराना भिवाड़ी | 6542 | दो नलकूपों से पी.एस.पी. द्वारा पेयजल वितरित किया जा रहा है। वर्तमान जल सेवा स्तर 40 लीटर/व्यक्ति/दिन है। 4 अतिरिक्त हैण्ड पम्प क्रियाशील हैं। |
| 2 | घटाल | 4603 | 3 क्रियाशील हैण्ड पम्पों के माध्यम से। |
| 3 | आलमपुर | 3020 | एक नलकूप से पी.एस.पी. द्वारा पेयजल वितरित किया जा रहा है। वर्तमान जल सेवा स्तर 40 लीटर/व्यक्ति/दिन है। 4 अतिरिक्त हैण्ड पम्प क्रियाशील हैं। |

| क्र. सं. | गांव का नाम | वर्तमान जनसंख्या लगभग | वर्तमान पेयजल व्यवस्थ का विवरण |
|---|---|---|---|
| 4 | नंगलिया | 2926 | एक नलकूप से पी.एस.पी. के माध्यम से पेयजल वितरित किया जा रहा है। वर्तमान जल सेवा स्तर 45 लीटर/व्यक्ति/दिन है। 2 अतिरिक्त हैण्ड पम्प क्रियाशील हैं। |
| 5 | सैदपुर | 2688 | 4 क्रियाशील हैण्ड पम्पों के माध्यम से। |
| | **योग** | **19779** | |

## पाली एवं भीलवाड़ा जिलों के बर्खास्त पुलिस कर्मियों की बहाली

**231. श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस आन्दोलन 1979 में बर्खास्त 120 पुलिस कर्मियों में से 97 पुलिस कर्मियों को पुन: सेवा में बहाल किया जा चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी आन्दोलन में बर्खास्त समान परिस्थिति वाले जिला पाली एवं जिला भीलवाड़ा के पूर्व पुलिस कर्मियों को सेवा में नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इन बर्खास्त पुलिस कर्मियों की परिस्थितियों पर सहानुभूति रखते हुए इन्हें भी पुन: सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1979 में पुलिस आंदोलन में भाग लेने के कारण 121 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया था जिनमें से 98 पुलिस कर्मियों को सेवा में वापस लिया गया है।

(2) जी नहीं। इस आंदोलन में बर्खास्त जिला पाली एवं जिला भीलवाडा के भूतपूर्व पुलिस कर्मियों में से पाली जिले के 3 तथा भीलवाड़ा जिले के 8 पुलिस कर्मियों को पुन: राज्य सेवा में लिया गया है। राज्य सरकार के पास विचाराधीन पाली जिले के 2 तथा भीलवाड़ा जिले के 2 बर्खास्त पुलिस कर्मियों के प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये गये।

(3) जी नहीं।

## देवली ग्राम (नावां) के अग्निकाण्ड पीड़ितों को मुआवजा

**232. श्री हरीश चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अग्नि दुर्घटना पर सहायता के नये मानदण्ड क्या हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कहां-कहां अग्नि दुर्घटनाएं हुई? उनमें किन-किन लोगों को कितनी-कितनी सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बिजली गिरने से घटित होने वाली दुर्घटना पर सहायता देने के मानदण्ड क्या हैं? इन्हें अग्नि दुर्घटना के समान क्यों नहीं माना गया?

(4) क्या ग्राम देवली तहसील नावां में बिजली गिरने से हुई क्षति की रिपोर्ट उक्त अवधि में सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उसमें पीड़ित पक्षों को क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला कलक्टर कार्यालय नागौर में अग्नि पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के उक्त अवधि में कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से किन-किन लोगों को सहायता नहीं दी गई व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भारत सरकार से प्राप्त आपदा राहत कोष के अन्तर्गत अग्नि काण्ड से प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि के नये मानदण्ड दिनांक 27.6.2007 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दी जाती है। उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता के नये मापदण्ड की प्रति संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में हुई अग्नि दुर्घटनाओं का विवरण एवं प्रभावितों को दी गई सहायता राशि का विवरण संलग्न है।

(3) बिजली गिरने से घटित होने वाली दुर्घटना के संदर्भ में दी जाने वाली सहायता भी अग्नि दुर्घटना में देय मुआवजा राशि के अनुरूप ही उपलब्ध कराई जाती है।

(4) जी नहीं। उक्त अवधि में ग्राम देवली तहसील नावां में बिजली गिरने से हुई क्षति की कोई रिपोर्ट तहसीलदार नावां, जिला कलक्टर नागौर एवं राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(सहायता मंत्री)

(5) अग्नि पीड़ित प्रभावित परिवार द्वारा संबंधित तहसीलदार को क्षति का विवरण एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा मुआवजे की पात्रता की नियमों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों की भली भांति जांच कर पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र मय देय मुआवजा राशि की सिफारिश के आधार पर अग्रेसित किये जाते हैं। वर्ष 2006-07 में 66 एवं वर्ष 2007-08 में 68 पात्र परिवारों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें मुआवजा राशि उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में उक्त अवधि का मुआवजे हेतु कोई प्रार्थना पत्र तहसील/ जिला कार्यालय नागौर में लम्बित नहीं है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय केकड़ी का महिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

**233. श्री गोपाल लाल धोबी** (केकड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित 50 शैय्याओं के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय को महिला चिकित्सालय में परिवर्तित करते हुये केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर चिकित्सालय को आबंटित 33 बीघा भूमि पर 100 शैय्याओं का चिकित्सालय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। आदेश दिनांक 28.02.2008 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केकड़ी को 50 से 75 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केकड़ी को महिला चिकित्सालय में परिवर्तित करते हुए आबंटित भूमि पर 100 शैयाओं के चिकित्सालय का निर्माण करवाकर 100 शैय्याएं स्वीकृत किये जाने का प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

## पन्नाधाय योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्र

**234. श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (सामाजिक सहायता योजना) के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों की 15 अगस्त, 2006 के पश्चात् से माह जनवरी, 2008 तक कितने परिवारों के मुखिया की मौत हुई और किस-किस जिले में कितने-कितने बी.पी.एल. परिवारों को बीमा कम्पनी द्वारा कितना-कितना भुगतान कर दिया गया तथा कितने प्रार्थना पत्र कब से विचाराधीन हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में पन्नाधाय योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है तथा इस योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को कितनी-कितनी राशि, किस-किस जिले में उपलब्ध कराई गई तथा कितनी राशि देना अभी शेष है?

(3) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर यदि 6 माह की अवधि में दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो उसे इस प्रकार की सहायता राशि का बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता? यदि हां, तो विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये कौन दोषी है?

**उत्तर**

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु की संख्या का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। परन्तु इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2006 के पश्चात् माह जनवरी, 2008 तक भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में बी.पी.एल. परिवारों के मुखियाओं के प्राप्त 10257 मृत्यु दावों में से 7270 का भुगतान किया गया तथा भारतीय जीवन बीमा निगम में विचाराधीन 2987 दावों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राजस्थान में पन्नाधाय योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का लाभ देने के लिए कक्षा 9 से 12 तक के दिनांक 14.08.2006 से 13.08.2007 तक (वर्ष 2006-07 में) कुल 65,818 तथा दिनांक 14.08.2007 से 31.01.2008 तक (वर्ष 2007-08 में) 55,107 छात्रों के आवेदन पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में प्राप्त हुए। योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सीधे ही शिक्षण संस्था को भेजी जाती है। वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में इस योजना अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को उपलब्ध करवाई गई राशि तथा शेष रही राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2 से 4 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) योजना के दिशा-निर्देशों में दावा 6 माह में प्रस्तुत करने की व्यवस्था है लेकिन देरी से प्रस्तुत करने के आधार पर दावे नहीं रोके गये हैं। विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रकरण नहीं होने से किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना

**235. डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किन-किन मानदण्डों की पालना की जाती है? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कितने समय व अन्तराल से पानी का निर्धारित प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक कितने परीक्षणों में पेयजल निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाया गया तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान इन्टीग्रेटेड फ्लोरोसिस मिटीगेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित करने का कार्यक्रम बनाया गया था? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्ध राशि के विरुद्ध कितने गांव ढाणियों को कितनी राशि व्यय कर लाभान्वित किया गया? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भारतीय मानक संस्थान (बी.आई.एस. : 10500-1991) द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पालना की जाती है। मानदण्ड प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

राजस्थान प्रान्त के अधिकतर क्षेत्रों में सीमित भू-जल उपलब्ध होने तथा उपलब्ध भू-जल मानक गुणवत्ता अनुरूप नहीं होने के कारण पेयजल को प्राथमिकता देते हुए विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता मानदण्डों में छूट प्रदान की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

गई है। इस सम्बन्ध में जारी निर्णयों/आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेंट' के अनुसार जल नमूनों का परीक्षण किया जाता है। संदर्भित पृष्ठों की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2004 से वर्ष 2008 (दिनांक 16 फरवरी, 2008 तक) की अवधि में किये गये जीवाणु तथा अवशेष क्लोरीन परीक्षणों में औसतन क्रमश: 2.15 तथा 1.57 प्रतिशत जल नमूने संतोषजनक नहीं पाये गये। नमूना असंतोषजनक पाये जाने पर जल स्त्रोत के संदर्भ में आवश्यक उपचार कर पुन: सैम्पल जांचा जाता है एवं संतोषजनक पाये जाने पर प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(4) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

**(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जयपुर शहर के यातायात दबाव के नियंत्रण हेतु पुलिस बल में वृद्धि

**236. श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में बढ़ते हुए यातायात के कारण गत एक वर्ष में दुर्घटना के कितने मामले दर्ज हुए उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा दुर्घटना में गत एक वर्ष में मृत एवं घायलों के परिजनों को सहायतार्थ कितनी-कितनी राशि दी गई तथा जिनको राशि नहीं दी गई उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बढ़ते यातायात के कारण जयपुरवासियों को हो रही असुविधा की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर शहर की बढ़ती जनसंख्या एवं वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री नवरतन राजोरिया)

(5) यातायात नियमों की पालना के लिये कब-कब अभियान चलाया गया व इसके क्या परिणाम रहे?

**उत्तर**

(1) जयपुर शहर में गत 1 वर्ष (अर्थात वर्ष 2007) में सड़क दुर्घटनाओं के 2642 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 595 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 2441 व्यक्ति घायल हुए।

(2) सरकार द्वारा मृतक/घायलों को दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है एवं जिन 28 व्यक्तियों को राशि नहीं दी गई का विवरण कारण सहित परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर के यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं, जिनके अनुरूप जयपुर शहर में यातायात के निरन्तर बढ़ते दबाव को कम करने व यातायात के सुचारू संचालन के लिए निम्नांकित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है :-

1. यातायात के अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए बस रेपिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) योजना के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य करवाया जा रहा है।

2. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एम आई रोड पर पाइलेट योजना के अन्तर्गत मुख्य ट्रैफिक प्वाइन्टस पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाकर बीएसएनएल की लीज लाइन के माध्यम से कन्ट्रोल रूम से जोड़ा जाकर एरिया ट्रेफिक कन्ट्रोल सिस्टम (ए.टी.सी.एस.) लागू किया गया है।

3. मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक लाइन सिग्नल को और अधिक तकनीकी रूप से प्रभावी बनाने हेतु इन्हें एल.ई.डी. एवं कंटीलीवर व टाइमर के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित करवाये जा रहे हैं।

4. पार्किंग व्यवस्था में सुधार हेतु रामनिवास बाग व आतिश मार्केट में पार्किंग स्थल विकसित कराये गये एवं शहर के अन्य क्षेत्रों में पार्किंग विकसित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जयपुर नगर निगम को लिखा गया है तथा बहुमंजिला परिसरों के लिए पार्किंग के नियमों में संशोधन के लिए लिखा गया है।

(गृह मंत्री)

5. खासाकोठी चौराहे पर एवं हसनपुरा व जगतपुरा रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनाये जा रहे हैं।

6. जयपुर विकास प्राधिकरण व जयपुर नगर निगम द्वारा कई महत्वपूर्ण सड़कों पर सुधार करवाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड, अजमेर रोड आदि पर यातायात दबाव कम हो सकेगा।

7. स्लो मूविंग ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए नियम बनाने हेतु नगर निगम को सुझाव भिजवाये गये हैं।

8. विवाह स्थल उपविधि में भी संशोधन करने के लिए नगर निगम को सुझाव भिजवाया गया है।

(4) यातायात प्रबन्धन में सहयोग हेतु जयपुर शहर के लिए 100 होमगार्ड दिये गये हैं।

(5) जयपुर शहर पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना के लिए नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर भी कार्यवाही की जाती है। गत एक वर्ष में चलाये गये मुख्य अभियानों एवं उनके परिणामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. 1 जनवरी से 7 जनवरी, 2007 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिनमें यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया गया तथा अभियान चलाकर निम्न मुख्य कार्यवाही की गई। वाहन चालकों की आंखों की जांच-99, ऊंटगाड़ी व बैलगाडियों के रिफ्लेक्टर लगाये-966, वाहनों के प्रदूषण की जांच-4991, अवैध लाइट हटवाने का कार्य, बिना हैलमेट-145, वाहनों की गलत नम्बर प्लेट-1968, वाहनों का इन्श्योरेन्स-70

2. मार्च-2007 में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर कार्यवाही-405, अवैध जीपों के खिलाफ-174, सीट बैल्ट-471, मिनी बसों के विरुद्ध-1087, ऑटोरिक्शा के खिलाफ-716, लाल बत्ती का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ-2274, वन-वे का उल्लंघन-535, रोंगसाइड-1628, तेज गति लापरवाही से वाहन चलाने पर-133, मोबाइल फोन-183, बिना लाइसेन्स-1456, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ-142

3. अप्रैल-2007 में दुपहिया वाहन पर तीन सवारी-1255, शराब पीकर वाहन चलाना-127, बिना हैलमेट-1733

(गृह मंत्री)

4. मई-2007 में ओवरलोड/छत पायदान की कार्यवाही-714, मोबाइल फोन का प्रयोग-396

5. जून-2007 में वाहनों का प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होना-2495 वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात-305

6. जूलाई-2007 में प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होना-2184, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात-346

7. अगस्त-2007 में प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होना-2184, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात-390

दिनांक 23.8.2007 से 25.8.2007 तक क्षमता से अधिक सवारी/ अवैध वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व 177 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

8. सितम्बर-2007 में प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होना-1355, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात-334

9. अक्टूबर-2007 में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता हेतु मुस्कान संस्था के सहयोग से तीन दिवसीय रेड फ्लैग अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पैदल यात्रियों द्वारा जेब्रा क्रासिंग से सड़क पार करना एवं स्टाप लाइन पर वाहन चालकों का रुकना आदि।

10. नवम्बर-2007 में हैलमेट दुपहिया वाहन-2910, लाल बत्ती का उल्लंघन-2806, नम्बर प्लेट का उल्लंघन-1265

11. दिसम्बर-2007 में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया व 340 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

12. उक्त अभियानों के फलस्वरूप जनता में यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरुकता एवं संवेदनशीलता बढ़ी है एवं यातायात संचालन में सुधार आया है।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## भीम विधान सभा क्षेत्र में फैल्सफार/क्वार्ज खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना

**377. श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार भीम एवं देवगढ़ में फैल्सफार एवं क्वार्ज खनिज की प्रचुर मात्रा को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

भीम देवगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के विषय पर जिला औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19.12.2007 में विचार-विमर्श उपरान्त सर्वे करवाने का निर्णय लिया गया है। सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

## लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार हेतु अनुदान

**378. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के कस्बा लूणकरणसर व नापासर में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि चिन्हित कर उद्योग लगाए जाने हेतु भूखण्ड आबंटित किए गए थे? यदि हां, तो कहां-कहां पर, कब-कब किन-किन को व कितने-कितने?

(2) क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाने हेतु कोई अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई/की जानी थी? यदि हां, तो किन-किन को व कितनी-कितनी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित भूखण्डों पर संबंधितों द्वारा उद्योग स्थापित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर, किन-किन के द्वारा व कौन-कौनसे व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करने तथा उद्योग लगाए जाने पर अनुदान देने एवं करों में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना-कितना तथा नहीं, तो क्यों?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(5) क्या सरकार वर्तमान में जिला बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में नए उद्योग स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। रीको द्वारा लूणकरणसर व नापासर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर भूखण्ड आबंटित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त औद्योगिक क्षेत्र नापासर, लूणकरणसर में 31 इकाइयों को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2003 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया गया है। सूची संलग्न परिशिष्ट 'स' पर है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र लूणकरणसर एवं नापासर में क्रमश: 50 एवं 47 आबंटियों द्वारा उद्योग स्थापित कर दिये गये है। कुछ आबंटियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में दर्शाया गया है।

(4) विस्तार किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भी स्थापित होने वाले उद्योगों का राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2003 में निम्न अनुदान/रियायते उपलब्ध हैं :-

1- राज्य में निवेश हेतु क्रय की गई भूमि पर मुद्रांकन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट।

2- राज्य में निवेश हेतु क्रय की गई भूमि के किस्म परिवर्तन पर देय रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।

3- प्रस्तावित परियोजना हेतु लिये गये टर्म लोन पर देय ब्याज पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान।

4- ऐसे कार्मिक जिनके लिए प्रोविडेंट फण्ड में अंशदान जमा किया जाता है, के वेतन भुगतान के 25 प्रतिशत तक का रोजगार अनुदान।

5- विलासिता कर से 7 वर्ष के लिए पूर्णतया मुक्ति।

6- विद्युत शुल्क/मनोरंजन कर/मण्डी शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट 7 वर्ष के लिए।

दिनांक 15.2.2008 को राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

(उद्योग मंत्री)

उद्योगों के लिए पालिसी पैकेज जारी किया गया है। जिसके अन्तर्गत भी उद्यमी निम्न सुविधाऐं प्राप्त कर सकता है।

1- कच्चे माल, प्रोसेसिंग मेटेरियल पर प्रवेश शुल्क पर मुक्ति।

2- केन्द्री बिक्री कर 0.25 प्रतिशत।

3- ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्यमियों को 75 प्रतिशत विद्युत शुल्क से मुक्ति।

4- ग्रामीण उद्यमों/जांच प्रयोगशालाओं को वर्ष 2008 से 2011 के मध्य तक पैटेन्ट/आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर 2.00 लाख रुपये तक की सहायता।

5- पानी का पुन: शोधन कर 80 प्रतिशत वापस काम में लेने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा प्रदूषण शोधन यंत्र की स्थापना का 50 प्रतिशत लागत मूल्य राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) रीको द्वारा जिला बीकानेर के नोखा के समीप एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है व करणी में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित उद्योग

**379. श्री कैलाश त्रिवेदी** (सराड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कौन-कौन से उद्योग स्थापित हैं, वे किन-किन द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा इनमें कितने-कितने श्रमिक कार्यरत हैं?

(2) उक्त उद्योग किन-किन ग्रामों में हैं तथा किस-किस इकाई में प्रतिदिन कितना-कितना उत्पादन होता है?

(3) उक्त उद्योग किस किस्म की भूमि पर स्थापित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विस्तृत सूचना एनेक्चर ''ए'' पर संलग्न है।

(2) विस्तृत सूचना एनेक्चर ''ए'' में अंकित है। विभाग द्वारा प्रतिदिन उत्पादन की सूचना संकलित नहीं की जाती है। प्रत्येक उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता एनेक्चर ''ए'' में दर्शाई गई है।

(उद्योग मंत्री)

(3) ये उद्योग औद्योगिक भूमि पर स्थापित हैं।

**(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## उपखण्ड मुख्यालय भादरा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

**380. डा. सुरेश चौधरी** (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार हनुमानगढ़ जिले के उपखण्ड मुख्यालय भादरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। पूर्व में एक औद्योगिक क्षेत्र भादरा में स्थापित किया गया था। यह औद्योगिक क्षेत्र लगभग 23 एकड भूमि में विकसित किया गया है। वर्तमान में इस औद्योगिक क्षेत्र में मात्र 1 इकाई मैसर्स श्री बांके बिहारी उद्योग, भूखण्ड संख्या 1, में ही औद्योगिक गतिविधि जारी है। शेष भूखण्डों पर कोई गतिविधि चालू नहीं है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त औद्योगिक गतिविधि के अभाव में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

## सेज से प्रभावित कृषकों का पुनर्वास

**381. श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कहां-कहां पर कौन-कौन से स्थानों पर सेज प्रस्तावित है व उनकी क्या स्थिति है?

(2) सरकार द्वारा सेज प्रभावित कितने किसानों को मुआवजा दिया गया व उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई?

**उत्तर**

(1) राज्य में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा केवल महेन्द्र वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जा रहे बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है। कुल 3146 खातेदारों की भूमि अवाप्त की जा रही है। संबंधित

(उद्योग मंत्री)

खातेदारों को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले अवार्ड के आधार पर नकद मुआवजा देय होगा। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि जमीन के बदले जमीन चाहने वाले भूमि धारकों को 25 प्रतिशत विकसित भूमि (20 प्रतिशत आवासीय तथा 5 प्रतिशत व्यवसायिक) देय होगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जवाई बांध से सिरोही हेतु जलापूर्ति

**382. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जवाई बांध सिरोही पेयजल योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है?

(2) उक्त के लिए जवाई बांध में जल आरक्षण प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

(3) उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

## इन्दिरा गांधी नहर से नागौर जिले में पेयजलापूर्ति हेतु वित्तीय प्रावधान

**383. श्री अमराराम** (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर से नागौर जिले के कितने ग्रामों एवं कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना पर वर्ष 2007-08 में कितना वित्तीय प्रावधान किया गया तथा जनवरी 2008 तक कितना व्यय किया गया है?

(3) उक्त योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक है तथा क्या लक्ष्य समय पर पूर्ण किया जा सकेगा?

**उत्तर**

(1) इंदिरा गांधी नहर से नागौर जिले के 12 कस्बों एवं 1384 गांवों में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इनमें से 5 कस्बे एवं 502 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नागौर लिफ्ट परियोजना–प्रथम चरण की माह अगस्त, 2006 में राशि रुपये 761.01 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है।

प्रथम चरण की पूर्ण क्रियान्विति उपरान्त संसाधनों की उपलब्धतानुसार द्वितीय चरण की योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर शेष कस्बों एवं गांवों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रथम चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में रुपये 135.13 करोड़ का बजट प्रावधान है। जनवरी 2008 तक योजना पर कुल 76.09 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ है।

(3) प्रथम चरण के स्वीकृत कार्यों को लक्ष्य अनुरूप सितम्बर, 2010 तक पूर्ण किया जाना है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**इंदिरा गांधी नहर से नागौर जिले हेतु स्वीकृत नागौर लिफ्ट परियोजना-प्रथम चरण में सम्मिलित कस्बे/ग्राम**

| क्रम संख्या | तहसील | स्वीकृत प्रथम चरण में सम्मिलित | | प्रथम चरण के पूर्ण उपरान्त शेष प्रस्तावित | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कस्बा | ग्राम | कस्बा | ग्राम |
| 1 | नागौर | 4 | 135 | - | 48 |
| 2 | मेड़ता सिटी | 1 | 193 | - | 3 |
| 3 | खींवसर | - | 88 | - | - |
| 4 | जायल | - | 8 | - | - |
| 5 | डेगाना | - | 78 | 1 | 112 |
| 6 | डीडवाना | - | - | 1 | 170 |
| 7 | लाडनूं | - | - | 1 | 97 |
| 8 | जायल | - | - | - | 128 |
| 9 | मकराना | - | - | 1 | 118 |
| 10 | परबतसर | - | - | 1 | 109 |
| 11 | नावां | - | - | 2 | 97 |
| | **योग** | **5** | **502** | **7** | **882** |

## बिधड़ी एवं हिन्दुस्तान जिंक लि. के प्रदूषण ग्रस्त क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

**384. श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बिधड़ी एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में सल्फ्यूरिक एसिड बनने से डबोक तहसील, मावली, गाडवा, गोडवा पंचायत डबोक में प्रदूषण होता है व पीने का पानी दूषित हो गया है?

(2) क्या सरकार डबोक, ओरडी, ओरडी बी, गाडवा, गेमवा आदि गांवों में पेयजल के लिये विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। क्षेत्रीय पेयजल योजना डबोक-गाडवा-ओरडी बी से लाभान्वित 3 मुख्य ग्राम एवं गोडवा (ग्राम गाडवा का फला) तथा पम्प एवं टैंक जल योजना से लाभान्वित ग्राम ओरडी ए में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

आवश्यकता पड़ने पर उक्त गांवों की योजना संवर्द्धन के संबंध में स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जायेगा।

**परिशिष्ट 'अ'**

**गांवों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण**

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | कोड नम्बर | जनसंख्या 2001 | वर्तमान जनसंख्या | जल सेवा स्तर (लीटर/व्यक्ति/ दिन योजना में) | अतिरिक्त हैण्ड पम्प व्यवस्था | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | कुल | चालू |
| क्षेत्रीय पेयजल योजना डबोक-गाडवा-ओरडी बी (सम्मिलित ग्राम-3) (पेयजल वितरण 48 घंटे के अन्तराल से) | | | | | | | |
| 1 | डबोक | 3063500 | 5315 | 6376 | 26 | 58 | 43 |
| 2 | ओरडी-बी | 3063400 | 187 | 224 | 26 | 2 | 1 |
| 3 | गाडवा | 3063200 | 904 | 1085 | 26 | 13 | 8 |
| 4 | गोड्वा (ग्राम गाड्वा का फला) | - | | 120 (मुख्य ग्राम में शामिल) | 26 | 2 | 2 |
| पम्प एवं टैंक पेयजल योजना (पेयजल वितरण प्रतिदिन) | | | | | | | |
| 1 | ओरडी-ए | 3063300 | 1508 | 1810 | 38 | 14 | 11 |

## जलापूर्ति की वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व

**385. डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत चार वर्षों में पानी की दरों में कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में वृद्धि की गई? इससे सरकार को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ?

**उत्तर**

गत चार वर्षों में आदेश दिनांक 17.09.2007 द्वारा 6 शहरों हेतु जल शुल्क में परिवर्तन किया गया है।

इस परिवर्तन के कारण संदर्भित 6 शहरों में अतिरिक्त राजस्व का आंकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जायेगा।

## कठूमर विधान सभा क्षेत्र की लम्बित पेयजल योजनाएं

**386. श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर के अनेक ग्रामों व ढाणियों में खारे पानी की भयंकर समस्या है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम व ढाणियों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खारे पानी प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों को मीठा पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब?

(3) उक्त स्कीम अभी तक किन कारणों से चालू नहीं की गई? सरकार अब उक्त योजना को कब तक चालू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के 65 गांव एवं 6 ढाणियों में उपलब्ध भू-जल में कुल घुलनशील लवणों (टी.डी.एस.) की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक होने के कारण पानी खारा है। सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त प्रभावित 65 गांवों में से दूरस्थ स्त्रोत लेकर 16 गांवों में मानक गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। 5 गांवों हेतु स्वीकृत योजना के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

स्थाई समाधान के अन्तर्गत पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित उक्त ग्राम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

एवं ढाणियों में मानक मात्रा एवं गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने के लिये योजना बनाई जा रही है।

(3) उपरोक्तानुसार। सक्षम स्तर पर योजना के प्राप्त होने एवं तकनीकी जांच में योजना के सही पाये जाने के उपरान्त योजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाकर क्रियान्वयन सम्भव होगा।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-387**

**(स्थगित)**

## सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में जनजाति वर्ग को आबंटित खनन पट्टे

**388. श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्तमान में कितने प्रधान एवं अप्रधान खनन पट्टे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990 से अब तक विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत कितनी जनजातियों को प्रधान एवं अप्रधान खनन पट्टे जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रधान एवं अप्रधान खनन कार्य के लिए जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को खनन पट्टे जारी करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्तमान में प्रधान खनिज के 10 खनन पट्टे एवं अप्रधान खनिज के 29 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। जिसकी सूची संलग्न है।

(2) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से अब तक एक भी जनजाति के व्यक्ति को कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(3) खनिज मार्बल एवं ग्रेनाइट हेतु मार्बल पालिसी 2002 एवं ग्रेनाइट पालिसी 2002 में जनजाति वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है तथा खनिज मैसनरीस्टोन कंकर, मुर्रम व झांझरा के लिए एक ही तिथि को

(खनिज मंत्री)

आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 7 (3) के तहत जनजातीय वर्ग के लिए प्राथमिकता का प्रावधान है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बाड़मेर जिले में स्वीकृत खनन पट्टे

**389. डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा गत वर्ष चलाये गये अभियान के दौरान बाड़मेर जिले में किस खनिज के कितने खनन पट्टे स्वीकृत एवं अस्वीकृत किए गए तथा आवेदन निरस्त करने के क्या कारण रहे?

**उत्तर**

खान विभाग द्वारा गत वर्ष अभियान चलाकर बाड़मेर जिले में निम्नानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए :-

| नाम खनिज | स्वीकृत | अस्वीकृत | योग |
|---|---|---|---|
| ग्रेनाइट-पीएल | 6 | 3 | 9 |
| एमएल | 9 | 60 | 69 |
| मेसेनरी स्टोन | 25 | 21 | 46 |
| सैण्ड स्टोन | 9 | 5 | 14 |
| बेन्टोनाइट | 1 | 5 | 6 |
| लिग्नाइट-एमएल | - | 5 | 5 |
| पीएल | - | 1 | 1 |
| जिप्सम-एमएल | - | 1 | 1 |
| पीएल | - | 1 | 1 |
| बालक्ले/चायनाक्ले | - | 7 | 7 |
| नेफथलीन साइनाइट | - | 1 | 1 |
| **कुल योग** | **50** | **110** | **160** |

अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन

**390. श्री गोपाल लाल धोबी** (केकड़ी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सावर माइनिंग क्षेत्र में कुल कितनी खानें हैं? प्रत्येक खान के आबंटन के आदेश एवं पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी खान मालिक अपने निर्धारित क्षेत्र में ही खनन का कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन अपने सीमा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य कर रहे हैं? सरकार द्वारा इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सावर माइनिंग क्षेत्र में कुल 31 खानें खनिज मार्बल की वर्तमान में आबंटित है जिनके आबंटन आदेश एवं पट्टे की प्रतियां मय सूची संलग्न है।

(2) जी हां। खनि अभियन्ता, अजमेर क्षेत्र में आबंटित उक्त सभी खानों में वर्तमान में निर्धारित क्षेत्र में माईनिंग का कार्य हो रहा है। पूर्व में श्री कन्हैया लाल चौहान के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करने का प्रकरण पाये जाने पर अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48 के तहत पंचनामा बनाया जाकर क्षेत्र से बाहर खनन कार्य कर जो खनिज निर्गमित किया गया, उसकी कीमत रुपये 3,65,000/- वसूल की गई है। इसी प्रकार श्री राजेन्द्र अग्रवाल व श्री सत्यनारायण कुमावत, जो कि वर्तमान में श्री दीनाराम डूडी के पक्ष में भी अवैध खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रमाणित नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफ.आर. (अंतिम रिपोर्ट) लगा दी गई है, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 2.12.2005 से स्वीकार कर ली गई है।

## अजमेर जिले में अवैध खनन के दर्ज प्रकरण

**391. डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला अजमेर में जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 तक अवैध खनन को पकड़ने के लिये कुल कितने छापे मारे गये? इस संदर्भ में बिन्दुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(i) कितने अवैध पिट पाये गये?

(ii) इन अवैध पिटों के स्थान गांव व तहसील के नाम बतायें?

(iii) इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा कितनों को नोटिस दिया गया? व इनसे कितनी राजस्व वसूली की गई? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(iv) कितने मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज है? नाम पता तथा खनिज की मात्रा व थाने का नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) अवैध खनन के मामले में खनिज अभियंता, अजमेर कार्यालय से कितने मामलों में इस्तगासा की कार्यवाही चल रही है? विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें :-

(i) इस्तगासा का संक्षिप्त विवरण?

(ii) इस्तगासा कहां व कब से लम्बित है?

(iii) विलम्ब के दोषी अधिकारी पर सरकार कब तक व क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) अजमेर जिले में जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 तक अवैध खनन को पकड़ने के लिये समय-समय पर अधिकारी एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा चैकिंग की जाती रही है। व इसे हेतु राज्य सरकार एवं निदेशालय के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर विशेष चैकिंग अभियान भी चलाये गये हैं। अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पंचनामें बनाये जाकर खनिज कीमत की वसूली एवं एफ.आई.आर. आदि दर्ज करायी गयी है। इस सम्बन्ध में प्रश्न में चाहे अनुसार बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है :-

(i) उक्त अवधि में 126 पिटों में अवैध खनन होता पाया गया।

(ii) अवैध पिटों के स्थान गांव तहसील का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित अनुसार है।

(iii) अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण एवं इनके नाम पते का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है। इस अवधि में इन अवैध खनन कर्ताओं से रु. 158,640/- की राजस्व की वसूली की गई है।

(iv) इस अवधि में जो अवैध खनन के मामले पकड़े गये व

(खनिज मंत्री)

एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई उनका विवरण क्षेत्रवार संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित अनुसार है।

(2) ख.अ. कार्यालय द्वारा उक्त अवधि में दो मामलों में अजमेर जिले की विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में इस्तगासे प्रस्तुत किए गए हैं।

(i) इस्तगासों का संक्षिप्त विवरण संलग्न परिशिष्ट 'स' में अंकितानुसार है।

(ii) इस्तगासा कब व कहां से है, का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'स' के अनुसार है।

(iii) ख.अ. कार्यालय द्वारा अवैध खनन के जितने प्रकरण उक्त अवधि में पकड़े गये उनमें नियमों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की गई है। अतः इन प्रकरणों में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर शहर के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र

**392. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में राजधानी में अधिकांश सड़क दुर्घटनायें टोंक रोड, एक्सप्रेस हाइवे और आगरा रोड पर हुई हैं?

(2) क्या यह सही है कि टोंक रोड, महावीर नगर मोड़ पर यूटर्न लेते हुये वाहन जे.एल.एन. मार्ग पर व सांगानेर जाने के लिये गलत दिशा में टर्न लेते हैं?

(3) क्या सरकार शहर के दुर्घटना बाहुल्य इलाकों को चिन्हित कर उन पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वर्ष 2007 में राजधानी जयपुर में कुल 2316 सड़क दुर्घटनाओं में से टोंक रोड पर 440, एक्सप्रेस हाइवे पर 32, आगरा रोड पर 314 एवं शेष अन्य स्थानों पर हुई।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। निम्न कदम उठाये गये हैं :-

(गृह मंत्री)

1. तकनीकी दोष निवारण

2. शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक रेगुलेशन।

## पुलिस थाना मकराना शहर में दर्ज हत्या प्रकरण

**393. डा. भंवर लाल राजपुरोहित** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मकराना शहर में माह जनवरी, 2008 में एक अल्प संख्यक युवक का कत्ल हुआ? यदि हां, तो कत्ल करने वाले का नाम क्या था? क्या इसमें एक ही मुलजिम है या अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं? सरकार इस कत्ल के मुलजिमों की तफतीश कब तक पूरी करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि मकराना में हरिजन बस्ती में रामदेवजी मंदिर में भगवान रामदेवजी की मूर्ति के हाथ को खंडित किया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा किन-किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। अपितु, मकराना शहर में एक अल्पसंख्यक युवक का कत्ल माह जनवरी, 2008 में न होकर माह दिसम्बर, 2007 में हुआ है। इस प्रकरण में थाना मकराना पर मुकदमा नम्बर-388/07 दर्ज किया गया, जिसमें कुल चार नामजद अभियुक्तें में से एक अभियुक्त रामवीर पुत्र मुंशीलाल जाट, निवासी-खेमरा कलां, पुलिस थाना चिकसाना, जिला-भरतपुर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानकर गिरफ्तार किया जा चुका है शेष तीन मुल्जिम (1) वीरेन्द्र सिंह (2) तेजपाल सिंह (3) संजय के विरुद्ध मुकदमा हाजा में अनुसंधान जारी है।

(2) जी हां। उक्त प्रकरण में थाना मकराना में मुकदमा नं. 22/08 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुआ है, जिनकी तलाश पतारसी करते हुये अनुसंधान जारी है।

## ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में दर्ज आपराधिक प्रकरण

**394. श्री देवीशंकर भूतड़ा** (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के विभिन्न थानों में गत दो वर्षों में चोरी नकबजनी के कितने मुकदमे दर्ज हुए?

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में बरामदगी हुई व कितनों का निस्तारण हो गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के पुलिस थाना ब्यावर सिटी, ब्यावर सदर, जवाजा, टाटगढ़ में गत दो वर्षो में चोरी के कुल 277 मुकदमे व नकबजनी के कुल 102 मुकदमे दर्ज हुए।

(2) उक्त दर्ज चोरी के प्रकरणों में 90 प्रकरणों में बरामदगी हुई। तीन प्रकरणों का अनुसंधान जारी है। 184 प्रकरणों में एफ.आर. दी गई, इसी प्रकार नकबजनी के 102 प्रकरणों में से 29 में बरामदगी हुई, 2 प्रकरण अनुसंधानाधीन हैं एवं 71 में एफ.आर. दी गई।

## दलपुरा (टोडाभीम) में पुलिस चौकी की स्थापना

**395. श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार तहसील नादोती के ग्राम पंचायत मुख्यालय दलपुरा में पुलिस चौकी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

## पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या-284/07

**396. श्री प्रभुलाल वर्मा** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस थाना महेश नगर, जिला जयपुर में माह सितम्बर, 2007 में कितने मुकदमे किस-किस धारा में किस-किस के विरुद्ध दर्ज किये गये? दर्ज प्रकरणों का मय धारा के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज मुकदमो में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ हुई मारपीट के आधार पर किन-किन मुकदमों का चालान पेश किया गया एवं किस-किस का किस कारण से चालान पेश नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

(3) मुकदमा संख्या 284/07 में अनुसंधान अधिकारी किसको बनाया गया एवं जांच में क्या-क्या तथ्य पाये गये? तथ्यों के आधार को उचित मानकर यथा समय गिरफ्तार कर चालान पेश नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में जांच एवं मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो धारायें लगाई गई, उनके आधार पर चालान निर्धारित समय में पेश करना था? यदि हां, तो क्या निर्धारित समय में संबंधित जांच अधिकारी द्वारा चालान पेश कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

(5) क्या सरकार अब उक्त मुकदमे का चालान पेश करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वर्णित अवधि में कुल दर्ज 28 मुकदमों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) माह सितम्बर, 2007 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार का एक प्रकरण नम्बर-284/07 धारा 365, 323, 504, 500, 452, 143 भा.द.स. व 3 (1) (x) एससी/एसटी एक्ट दिनांक 20.9.2007 को पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें अनुसंधान से प्रकरण मिथ्या पाया जाने के कारण अभियोग में अंतिम प्रतिवेदन दिया गया एवं चार्जशीट नहीं किया गया।

(3) मुकदमा संख्या-284/07 में अनुसंधान अधिकारी वृत्ताधिकारी-सोडाला को बनाया गया। जांच से एफ.आई.आर. में वर्णित तथ्य असत्य पाये गये, लिहाजा गिरफ्तारी नहीं की गई एवं अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया।

(4) यह सही नहीं है। अभियोग के अनुसंधान पश्चात् प्रकरण झूठा पाये जाने के कारण एफ.आर. अदम वकू झूठ में दी गई है।

(5) मुकदमे में अनुसंधान से मामला मिथ्या पाये जाने के कारण एफ.आर. अदम वकू झूठ में दी गई है।

**परिशिष्ट-'अ'**

| क्रम संख्या | मुकदमा नं. | दिनांक | धारा | नाम पता आरोपी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262/07 | 3.9.07 | 332, 341 भादसं. | 1 राजेश जाखड पुत्र पेमाराम जाति जाट नि. जाखड़ों की ढाणी थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर 2 प्रकाश पुत्र शेषमल कलाल नि. बर थाना रायपुर जिला पाली |
| 2 | 263/07 | 4.9.07 | 9/11 धूम्रपान निषेध अधिनियम | रामहेत पुत्र श्री गंगाधर सैनी निवासी सैनी कालोनी विस्तार थाना महेशनगर |
| 3 | 264/07 | 5.9.07 | 13 आरपीजीओ | सुनील पुत्र श्री रामस्वरूप खटीक नि. प्लाट-बी 213 झालाना डूंगरी थाना गांधीनगर, जयपुर |
| 4 | 265/07 | 5.9.07 | 13 आपीजीओ | अशोक पुत्र रामचन्द्र रैगर नि. सोनवा थाना सदर टोंक |
| 5 | 266/07 | 5.9.07 | 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भादसं. | 1. रामकिशोर शर्मा 2. विमल कुमार सरावगी 3. बनवारीलाल शर्मा 4. सागर मल भातरा |
| 6 | 267/07 | 5.9.07 | 420, 406, 120बी भादसं. | 1. नीनूराम 2. नाथूराम 3. श्यामलाल |
| 7 | 268/07 | 6.9.07 | 453 भादसं. | अज्ञात |
| 8 | 269/07 | 6.9.07 | 279, 337, 304एं भादसं. | अज्ञात |

| क्रम संख्या | मुकदमा नं. | दिनांक | धारा | नाम पता आरोपी |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 270/07 | 8.9.07 | 457, 380 भादसं. | अज्ञात |
| 10 | 271/07 | 10.9.07 | 420 भादसं. | कैलाशचन्द वर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय बलाई नि. म. नं. 111, कृष्णा नगर थाना महेश नगर |
| 11 | 272/07 | 11.9.07 | 498ए, 323 भादसं. | निर्मल पंवार |
| 12 | 273/07 | 11.9.07 | 379 भादसं. | अज्ञात |
| 13 | 277/07 | 11.9.07 | 323, 341, 336 भादसं. | रामचन्द्र बेनीवाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाट नि. मौजा थाना फागी, जयपुर |
| 14 | 275/07 | 11.9.07 | 323, 341 भादसं | 1 नरेश कुमार पुत्र श्री घनश्याम सिंधी नि. 11बी सिंधी कालोनी थाना सांगानेर 2 वासुदेव पुत्र कीरतमल सिंधी नि. सिंधी कालोनी थाना सांगानेर 3 गजेन्द्र 4. भरत केसवानी 5. मीरा 6. रूकमणी |
| 15 | 276/07 | 12.9.07 | 381 भादसं. | विजयप्रताप पुत्र राजकुमार जाति गौतम नि. चन्दनापुर थाना अजीतमल जिला ओरइया (यू.पी.) हाल बी-13 मोतीनगर थाना श्यामनगर जयपुर। |
| 16 | 277/07 | 12.9.07 | 454, 380 भादसं. | अज्ञात |
| 17 | 278/07 | 13.9.07 | 379 भादसं. | अज्ञात |
| 18 | 279/07 | 14.9.07 | 406 भादसं. | 1 रामचन्द्र 2 रामेश्वर 3 ओमप्रकाश |

| क्रम संख्या | मुकदमा नं. | दिनांक | धारा | नाम पता आरोपी |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 280/07 | 17.9.07 | 4/25 आर्म्स एक्ट व 323, 506 भादसं. | सिद्धिचन्द उर्फ हिमेश मीणा पुत्र बजारी लाल नि. जोड़ली थाना सपोटरा जिला करौली |
| 20 | 281/07 | 20.9.07 | 420, 467, 471 भादसं. | हीरालाल |
| 21 | 282/07 | 20.9.07 | 420, 403, 406, 424, 467, 468, 471, 120बी भादसं. | किशोर सिंह |
| 22 | 283/07 | 20.9.07 | 420, 467, 468, 471, 120बी भादसं. | दिनेश कुमार |
| 23 | 284/07 | 20.9.07 | 365, 323, 504, 500, 143, 432 भादसं. व 3 (1) (10) एससी एसटी एक्ट | 1 महेश 2 जग्गू 3 मदन |
| 24 | 285/07 | 21.9.07 | 279 भादसं. | अज्ञात |
| 25 | 286/07 | 21.9.07 | 307, 323, 143, 379 भादसं. | 1 अपसर अली पुत्र समकत अली मुसलमान नि. बदायूं यू.पी. हाल नरेन्द्र नगर थाना महेश नगर 2 शानू पुत्र नत्थू खां मुसलमान नि. बदायूं यूपी हाल नरेन्द्र नगर 3 इसाफत हुसैन पुत्र रियासत हुसैन नि. बदायूं यू.पी. हाल नरेन्द्र नगर थाना महेश नगर |

| क्रम संख्या | मुकदमा नं. | दिनांक | धारा | नाम पता आरोपी |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 287/07 | 22.9.07 | 379 भादसं. | अज्ञात |
| 27 | 288/07 | 24.9.07 | 382 भादसं. | अज्ञात |
| 28 | 289/07 | 27.9.07 | 4/25 आर्म्स एक्ट | मुनेश पुत्र रामस्वरूप मीणा नि. रामसिंह पुरा थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर |

## पुलिस दूर संचार (वायरलैस) विभाग में आरक्षित वर्ग के रिक्त पद

**397. श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस दूर संचार (वायरलैस) विभाग में निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कितने पद हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्ग के रिक्त पद काफी समय से पदोन्नति नहीं किये जाने के कारण रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) पुलिस दूर संचार (वायरलैस) विभाग में निरीक्षकों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। जिनमें 21 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं।

(2) उक्त रिक्त पदों में अनुसूचित जाति के 5 एवं अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं।

(3) जी नहीं। उक्त पद वर्ष 2005-06 में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने, तथा 2006-07 में भी उक्त वर्गों में मात्र एक-एक अभ्यर्थी ही उपलब्ध होने के कारण रिक्त रहे हैं। पुलिस दूर संचार के पुनर्गठन के प्रस्ताव विचाराधीन/परीक्षणाधीन हैं, पुनर्गठन प्रस्तावों के संबंध में निर्णयानुसार पद भरने की कार्यवाही की जावेगी।

## पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या-172/07

**398. श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(1) थाना बजाज नगर वृत्त गांधीनगर, जयपुर शहर में विगत तीन वर्षों में चिकित्सकों की लापरवाही से संबंधित कितने मामले किन-किन के विरुद्ध कब-कब दर्ज हुए? उनमें से कितनों पर कब-कब एफ.आर./चालान किये गये तथा कितनों के अनुसंधान जारी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाने में एफ.आई.आर. नम्बर 172/07 में डा. वीरेन्द्र अग्रवाल, डा. जे.पी. काबरा एवं सहयोगियों के विरुद्ध नेगलीजेन्सी के कारण अधिकांश मरीजों के इन्फेक्शन होना बताया गया? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? एफ.आई.आर. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि एफ.आई.आर. में उक्त रोगी के इन्फेक्शन के बाद दूसरे रेटिना के आपरेशन के पूर्व सहमति पर उसके पुत्र से मरीज की पूरी स्थिति व रोशनी चले जाने का उल्लेख है? यदि हां, तो उक्त दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा आरोपी चिकित्सकों के विरुद्ध केवल एक व्यक्ति जिसके द्वारा एफ.आई.आर. नं. 172/07 प्रस्तुत की गई थी, का नाम ही जांच में बताया गया है, जबकि एफ.आई.आर. में अन्य कई व्यक्तियों के भी इन्फेक्शन उक्त चिकित्सक की लापरवाही के कारण होना बताया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि एफ.आई.आर. कर्ता द्वारा इस प्रकरण में अन्य पत्र भी उप पुलिस अधीक्षक एवं गृह मंत्रीजी के यहां दिये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब? प्राप्त पत्रों व उस पर की गई कार्यवाही की प्रति/ विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सक द्वारा एफ.आई.आर. कर्ता से प्राप्त अग्रिम राशि 11,000/- रुपये के एवज में 10,000/- रुपये की रसीद अन्य का नाम काटकर पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी? यदि हां, तो क्या पुलिस द्वारा उक्त दिनांक की अन्य मरीजों से प्राप्त राशि की रसीदें चिकित्सक से जप्त की गई? यदि हां, तो उक्त की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो पुलिस द्वारा अन्य मरीजों से प्राप्त राशि की रसीदें क्यों नहीं जप्त की गई?

**उत्तर**

(1) थाना बजाज नगर, वृत्त गांधीनगर, जयपुर शहर पूर्व में विगत 3 वर्षों में चिकित्सकों की लापरवाही से संबंधित दर्ज अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(गृह मंत्री)

| क्र. सं. | वर्ष | मु.नं. थाना | धारा व दिनांक | अस्पताल व डा. का नाम जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध हुआ | नतीजा पुलिस |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 112/05 बजाज नगर | 304ए भादसं. दि. 16.3.2005 | जयपुरिया हास्पिटल, जयपुर डा. उषा भदौरिया डा. सुनीता विश्नोई व डा. नमिता | अदम वकू गलतफहमी दिनांक 26.5.2005 |
| 2 | 2006 | - | - | - | - |
| 3 | 2007 | 123/07 बजाज नगर | 336, 337, 34 भादसं. दि. 21.03.2005 | जे.पी. काबरा हास्पिटल लक्ष्मी मंदिर, जयपुर डा. वीरेन्द्र अग्रवाल व डा. पवन शोरे | अदम वकू तथ्य की भूल दि. 31.12.2007 |
| 4 | 2007 | 172/07 बजाज नगर | 336, 337 भादसं. दि. 12.04.2007 | जे.पी. काबरा आई हास्पिटल लक्ष्मी मंदिर, जयपुर डा. वीरेन्द्र अग्रवाल व डा. पवन शोरे | पैण्डिंग पुलिस |

(2) जी हां। अभियोग अनुसंधानाधीन है। एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। एफ.आई.आर. में रोगी के इन्फेक्शन के बाद दूसरे रेटिना आपरेशन के पूर्व पीड़ित मोहन लाल के पुत्र सीताराम द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं, पत्र संलग्न है।

(4) पीड़ित श्री मोहन लाल द्वारा एक रिपोर्ट टाइपशुदा अपनी अनुपस्थिति में विधान सभा के कर्मचारी श्री लोकेश शर्मा द्वारा थाने पर दर्ज

(गृह मंत्री)

करवाई गई थी, जिसमें पीडित मोहन लाल के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी इन्फेक्शन होने का उल्लेख है। प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(5) परिवादी श्री मोहन लाल द्वारा माननीय गृह मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर को एफआईआर नं.-172/07 में कार्यवाही करने बाबत् एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो दि. 18.08.2007 को पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (पूर्व) के कार्यालय में प्राप्त हुआ, जो मूल ही थाना बजाज नगर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया।

दिनांक 04.07.2007 को परिवादी मोहन लाल द्वारा उप अधीक्षक पुलिस, वृत्त गांधीनगर को एफआईआर नं.-172/07 में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया। प्राप्त पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

(6) यह सही है कि परिवादी श्री मोहन लाल से डा. वीरेन्द्र अग्रवाल द्वारा अग्रिम राशि की 2 रसीदें दिनांक 22.2.2007 को रुपये 100 व रुपये 10,000/- की काटकर दी गई हैं। जिसमें रसीद संख्या-7638 रुपये 10,000/- में नाम से पहले कुछ काटा हुआ प्रतीत होता है। जिनकी प्रतियां संलग्न है। अन्य मरीजों की रसीदों के संबंध में प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

**(प्रति/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राजेन्द्र गैस एजेन्सी, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निस्तारण

**399. श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर एवं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कितनी गैस एजेन्सियां संचालित हैं? नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गैस एजेन्सियों पर प्रत्येक एजेन्सी पर कितने-कितने गैस उपभोक्ता हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत 01 वर्ष में अनेकों बार गैस एजेन्सियों द्वारा गैस आपूर्ति करने में देरी कर भारी अनियतितताएं की गई हैं? यदि हां, तो क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई व प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(4) क्या यह सही है कि राजेन्द्र गैस एजेन्सी जयपुर के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो कब-कब क्या-क्या व किस-किस के द्वारा?

(5) सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, क्यों?

(6) क्या सरकार अब उक्त गैस एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

(7) सरकार द्वारा समय पर गैस आपूर्ति हेतु कौन-कौन उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जयपुर शहर एवं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आईओसी की 26 एचपीसी की 16 व बीपीसी की 14 कुल 56 गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त गैस एजेन्सीज पर पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या 753826 है। उपभोक्ताओं की गैस एजेन्सीवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि गैस एजेन्सियों के विरुद्ध गैस आपूर्ति करने में देरी व अन्य अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत 1 वर्ष में दूरभाष, उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों व खाद्य विभाग से 31 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, साथ में विभागीय निर्णय के अंतर्गत 7000/- रुपये प्रतिभूति राशि जब्त की गई है तथा 24 प्रकरण विचाराधीन है। प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही मय अनियमितता विवरण के सूचना प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि राजेन्द्र गैस जयपुर के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण प्रपत्र 'ब' में संलग्न है।

(5) मै. राजेन्द्र गैस सर्विस जयपुर से संबंधित 3 प्रकरण दर्ज हुये हैं। इनमें से एक में एफआईआर दर्ज हुई है। एक प्रकरण निर्णित किया जाकर 1000/- रुपये प्रतिभूति राशि जब्त की गई है। विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत 2 प्रकरण विचाराधीन है जिनका पूर्ण विवरण प्रपत्र 'ब' में संलग्न है।

(6) जिलों में स्थापित गैस एजेन्सियों का अनुज्ञापन अधिकारी (Liscning Authority) संबंधित जिले का जिला रसद अधिकारी होते हैं। उनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(गृह मंत्री)

(7) राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने/कालाबाजारी, दुरुपयोग व वाहनों में उपयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर जिला प्रशासन एवं संबंधित तेल कम्पनियों को दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं, जिनकी प्रतियां संलग्न है।

**(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## दुग्ध/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच

**400. डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु कितने अभियान कब-कब प्रारम्भ किए गए तथा कितने निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध क्या लक्ष्य हासिल किए गये? वर्षवार, जिलेवार व अभियानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियानान्तर्गत खाद्य सामग्री एवं पदार्थों में अपमिश्रण निरीक्षण हेतु कितने प्राप्त नमूनों के विरुद्ध कितने गलत पाये गए तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में वर्ष 2004 से अब तक सिंथेटिक दूध व इससे निर्मित खाद्य पदार्थों के कितने प्रकरण उजागर हुए तथा सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा संचालित डेयरियों के दुग्ध गुणवत्ता जांच हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि हार्मोनरहित दुग्ध हेतु सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं कर कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विभाग द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम पीएफए एक्ट 1954 में निहित प्रावधानोनुसार की जाती है। समय-समय पर विभाग में पदस्थापित खाद्य निरीक्षकों के द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माताओं की जांच कर नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती हैं। मौसम के अनुसार बिकने वाले अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु निदेशालय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्तर से विशेष निर्देश जारी कर नमूनीकरण की कार्यवाही भी करवाई जाती हैं। उक्त निर्देशों में खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

विभाग के खाद्य निरीक्षकों द्वारा पीएफए एक्ट 1954 की धारा 49 व 50 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई जांच तथा मौसम अनुसार खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावटों की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 में 1934 वर्ष 2005 में 1960 तथा वर्ष 2006 में 1665 एवं वर्ष 2007 में 1903 नमूने जांच हेतु लिये गये जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) पीएफए एक्ट 1954 में निहित प्रावधानों के अनुसार जांच हेतु लिये गये नमूनों में से अपमिश्रित पाये गये नमूनों के मालिकों के विरुद्ध एक्ट की धारा 7/16 के अन्तर्गत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्ष 2004 से 2007 तक अपमिश्रित पाये गये प्रकरण तथा प्रस्तुत किये गये चालानों का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य में वर्ष 2004 से अब तक सिन्थेटिक दूध व इससे निर्मित खाद्य पदार्थों का एक भी प्रकरण जांच के दौरान नहीं पाया गया है।

(4) पीएफए एक्ट 1954 केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत दुग्ध गुणवत्ता के मापदण्ड निर्धारित हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(5) पीएफए एक्ट 1954 केन्द्रीय अधिनियम हैं जिसमें परिवर्तन का अधिकार स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा गठित केन्द्रीय खाद्य कमेटी को है। एक्ट का निर्माण केन्द्रीय कमेटी द्वारा ही किया जाता है। एक्ट में निर्धारित मापदण्डों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भीम विधान सभा क्षेत्र में रसोई गैस एजेन्सी की स्वीकृति

**401. श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण एजेन्सी स्वीकृति के मानदण्ड क्या हैं? प्रति कनेक्शन वितरक द्वारा कितनी राशि वसूलने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) क्या यह सही है कि कस्बा भीम में रसोई गैस एजेन्सी नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि आसींद की गैस वितरण एजेन्सी द्वारा भीम में भी कनेक्शन आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

(4) क्या सरकार कस्बा भीम में रसोई गैस आपूर्ति हेतु गैस एजेन्सी आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण एजेन्सी स्वीकृति के लिये संगतता जांच (Feasibility study) करवाई जाती है और यदि इसमें उपयुक्त पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात गैस वितरण एजेन्सी नियोजित (Planned) की जाती है। नये कनेक्शन हेतु 850/- रुपये प्रति सिलैण्डर जमानत राशि एवं 100/- रुपये रेग्यूलेटर की जमानत राशि एवं मार्केट के आधार पर खुदरा विक्रय मूल्य एवं संस्थापन एवं नीली डायरी का मूल्य लिया जाता है।

(2) जी हां। यह सही है कि कस्बा भीम में कोई गैस एजेन्सी नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है कि भीम में आसीन्द जिला भीलवाड़ा की आसीन्द गैस एजेन्सी (इण्डेन) के 2317 गैस कनेक्शन उपभोक्ता हैं।

(4) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कस्बा भीम में रसोई गैस एजेन्सी स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य की तीनों तेल कम्पनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक इण्डियन आयल कार्पो. लि., जयपुर को दिनांक 15.01.2007 को प्रेषित हुये हैं, जिन पर क्षेत्र में गैस वितरण एजेन्सी के स्वीकृति के संगतता (Feasibility study) करवाई जाती है और यदि इसमें उपयुक्त पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात गैस वितरण एजेन्सी नियोजित (Planned) की जाती है।

## अजमेर जिले में राशन डीलरों की नियुक्ति

402. **श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में राशन सामग्री एवं कैरोसीन वितरण हेतु सरकार द्वारा राशन डीलरों की नियुक्ति की जाती है? यदि हां, तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन डीलरों की नियुक्ति के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

(2) जिला अजमेर में कुल कितने राशन डीलर किस-किस स्थान पर नियुक्त हैं? पंचायत समितिवार/शहरी क्षेत्रवार राशन डीलरों की सूची मय नामजद वार्डवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में अधिकृत राशन डीलरों द्वारा त्यागपत्र देने/निलम्बित होने या अन्य कारणों से स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अजमेर जिले में निर्धारित मानदण्ड पूरे करने वाले नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त चल रहे स्थानों पर नये डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान डीलरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हुए हैं। जिसमें राशन डीलर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्डों का उल्लेख है। उचित मूल्य दुकान डीलर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी निर्देश दिनांक 07.10.2005 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अजमेर जिले में कुल 989 राशन डीलर हैं। जिनकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) अजमेर जिले के अधिकृत राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बन से स्थान रिक्त नहीं होते हैं। कुछ समय के लिये उन डीलरों के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण हेतु नजदीकी राशन की दुकान से अटैच की जाती है। त्यागपत्र, विभागीय कार्यवाही में प्राधिकार पत्र निरस्त होने या स्वर्गवास होने (स्वर्गवासी व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में) पर दुकान रिक्त होती है। वर्तमान में जिले में 40 दुकानें रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) अजमेर जिले के रिक्त एवं अतिरिक्त दुकानों की नियुक्ति हेतु जिला कलक्टर महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जायेगी तत्पश्चात नये डीलर की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

**(निर्देशों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बारां जिले के निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाएं

**403. श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में किस-किस संस्था या व्यक्ति को गत चार वर्षों में निजी चिकित्सा संस्थान संचालन की स्वीकृति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से माह जनवरी, 2008 में कौन-कौनसा निजी चिकित्सा संस्थान किस-किस नाम से किस-किस ग्राम या शहर में संचालित हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निजी चिकित्सा संस्थान में कितने-कितने बैड की सुविधा उपलब्ध है? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निजी चिकित्सा संस्थान में उपचार एवं जांच की क्या-क्या सुविधाएं एवं उपकरण माह जनवरी, 2008 तक उपलब्ध हैं? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालन की स्वीकृति जारी नहीं की जाती है।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## पाली जिले में अनधिकृत दवा विक्रेता

**404. श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत 05 वर्षों में राज्य में नकली दवा रखने या विक्रय के मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यवाही में नकली दवा बनाने वाले कारखानों को पकड़ने में भी कामयाबी मिली है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में फार्माशिस्ट लाईसेंसधारी ही दवाइयां बेच सकता है? यदि नहीं, तो कौन-कौन लोग दवाइयां बेच सकते हैं?

(श्री मदन राठौड़)

(4) क्या यह भी सही है कि विगत एक वर्ष में पाली जिले में उपरोक्त अधिकृत लाइसेंसधारी के अलावा अन्य व्यक्ति भी मरीजों को दवाइयां बेचते हुए पाये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रकरणों में नियमानुसार की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त कार्यवाही में मै. रिवाइव् ड्रग्स प्रा. लि. कालाडेरा, जयपुर द्वारा बिना वैध लाइसेन्स के दवा बनाने के प्रकरण में इस्तगासा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रमीण) के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, वर्तमान में विचाराधीन है।

(3) जी हां। राज्य में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 जो केन्द्रीय अधिनियम है, के अन्तर्गत औषधियों का खुदरा एवं थोक विक्रय केवल निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है।

(4) जी हां। पाली जिले में विगत वित्तीय वर्ष में अधिकृत लाइसेन्सधारी के अलावा 7 अन्य व्यक्तियों के द्वारा मरीजों को दवा बेचने के मामले पाये गये। जिनके विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व तट्टधीन नियमावली 1945 के तहत कार्यवाही सम्पादित की गई है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## फीजियोथैरेपिस्टों को दन्त चिकित्सकों के समकक्ष दर्जा

405. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फीजियोथैरेपिस्टों को पैरा मेडिकल की श्रेणी में रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि दिल्ली व अन्य राज्यों में फीजियोथैरेपिस्ट विशेषज्ञों की अलग से कौन्सिल है? क्या सरकार राजस्थान में भी फीजियोथैरेपिस्ट विशेषज्ञों की अलग से कौंसिल बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(प्रो. बीरू सिंह राठौड़)

(3) क्या यह सही है कि पैरामेडिकल की प्रशिक्षण अवधि दो साल है जब कि फीजियोथैरेपिस्ट की अवधि 4 साल व 6 माह व दन्त चिकित्सक की 4 साल व 6 माह है? यदि हां, तो क्या सरकार दन्त चिकित्सक की तरह फीजियोथैरेपिस्ट की अलग से कौंसिल बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। फीजियोथैरेपिस्ट का पद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में उल्लेखित है।

(2) राज्य में पैरा मेडिकल कौंसिल के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पैरा मेडिकल की श्रेणी में फीजियोथैरेपिस्ट संवर्ग भी शामिल है।

(3) पैरा मेडिकल की श्रेणी में वर्णित संवर्गो की प्रशिक्षण अवधि भिन्न-भिन्न है। जिसमें फीजियोथैरेपिस्ट संवर्ग भी शामिल है।

## योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा कर्मियों को खाद्य-निरीक्षकों की शक्तियां

**406. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा** (आसीन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनहित याचिका के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 2577/2005 निर्णय दिनांक 02 मार्च, 2007 से योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्साकर्मियों को खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां प्रदान की थी?

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 2577/05 निर्णय दिनांक 02 मार्च, 2007 के विरुद्ध राजस्थान सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल लीव पिटीशन नं. 12308/12309 निर्णय दिनांक 03 अगस्त, 2007 से उच्च न्यायालय की रिट संख्या 2577/05 निर्णय दिनांक 02 मार्च, 2007 पर रोक लगा दी है?

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 3 अगस्त, 2007 की क्रियान्विति राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज तक नहीं की गई है?

(श्री हंगामी लाल मेवाड़ा)

(4) क्या सरकार अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3 अगस्त, 2007 की पालना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। यह रिट संख्या 2677/05 है तथा दिनांक 02.03.2007 को न्यायालय द्वारा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देश दिये थे।

(2) जी हां। रिट याचिका संख्या 2677/05 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2007 एवं 19.03.2007 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पीटिशन संख्या 12308/12309 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2007 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.03.2007 पर अन्तरिम रोक लगाई है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03 अगस्त, 2007 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02 मार्च, 2007 एवं 19 मार्च, 2007 पर अन्तरिम रोक लगाई गई है जो वर्तमान में लागू है।

(4) उत्तर के भाग 3 के अनुसार पालना कर दी गई है।

## सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर स्थित राजकीय आवासों की मरम्मत/रख-रखाव

**407. श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थित राजकीय आवासों के मरम्मत/रख-रखाव हेतु वर्ष 2004 से अब तक सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब किस-किस आवास पर व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस-किस आवासधारी द्वारा किस-किस मरम्मत कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये व उनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं व कौन-कौन से शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक आवासों के रख-रखाव के लिए अलग-अलग राशि आबंटित की जाती है? यदि हां, तो किस-किस आवास पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी थी व कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अन्य आवासों के मरम्मत रख-रखाव हेतु उपलब्ध राशि को अन्य आवासों पर व्यय किया गया है? यदि हां, तो किस पर व किसके आदेशानुसार तथा इसके दोषी कौन हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में स्थित राजकीय आवासों के मरम्मत एवं रख-रखाव पर वर्ष 2004-05 से अभी तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर में स्थित आवासों के आवासधारियों द्वारा मरम्मत कार्य हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदनों के अनुरूप कार्य कराये जो चुके हैं। कोई शेष नहीं है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सामान्यतया आवास अनुसार अलग-अलग राशि का आवंटन नहीं किया जाता है।

(4) जी नहीं

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## वनस्थली एवं जामडोली (निवाई) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

408. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र में वनस्थली एवं जामडोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं जिनके नामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

| क्र.सं. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम |
|---|---|
| 1. | झिलाय |
| 2. | राहोली |
| 3. | चनानी |
| 4. | डांगरथल |
| 5. | दतवास |
| 6. | सिरस |
| 7. | पराना |
| 8. | अरनियाकेदार |

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण जनसंख्या मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30000 तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 20000 ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति, निवाई में निर्धारित मापदण्ड से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

## सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल में रिक्त पद

409. **श्री मदन लाल मेघवाल** (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं एवं उनमें प्रत्येक में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के पद कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल में चिकित्सकों के नये पद स्वीकृत करने एवं रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल में पैरामेडिकल स्टाफ में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब तक बढ़ाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला नागौर में वर्तमान में 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार उनके नाम एवं उनमें स्वीकृत चिकित्सकों के पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल में चिकित्सकों के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार हैं :-

| पद नाम | रिक्त पदों की संख्या | रिक्ति अवधि |
|---|---|---|
| कनिष्ट विशेषज्ञ | 2 (स्त्रीरोग,<br>सर्जरी) | 7/2002<br>5/2007 |
| चिकित्सा अधिकारी | 1 | 03/2002 |

(3) स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल में कनिष्ट विशेषज्ञों के 2 पद अधिक स्वीकृत हैं परन्तु चिकित्सा अधिकारी का 1 पद कम है।

आगामी वित्तीय वर्षो में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत करवाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल में चिकित्सा अधिकारी का 1 पद स्वीकृत करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जी हां। कनिष्ट विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जावेंगे।

(4) जी नहीं। स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल में पैरामेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत हैं।

**परिशिष्ट-अ**

**जिला नागौर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :-**

| विधान सभा क्षेत्र का नाम | चिकित्सा संस्थान का नाम | पद नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| डेगाना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डेगाना | ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 1 |

| विधान सभा क्षेत्र का नाम | चिकित्सा संस्थान का नाम | पद नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| | | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी) | 2 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| डीडवाना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी खाटू | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी) | 2 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोलासर | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी) | 2 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल | ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 1 |
| | | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, शिशुरोग, स्त्रीरोग) | 4 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| लाडनूं | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बी जोधा | कनिष्ट विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसिन) | 2 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा, अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| मकराना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरावड | कनिष्ट विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसिन) | 2 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा, अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |

| विधान सभा क्षेत्र का नाम | चिकित्सा संस्थान का नाम | पद नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकराना | ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 1 |
| | | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, स्त्रीरोग, हड्डीरोग, शिशुरोग) | 5 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| मेड़ता | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता सिटी | ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 1 |
| | | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र, स्त्रीरोग, शिशुरोग) | 5 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| | | चिकित्सा अधिकारी (दन्त) | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. हड्डीरोग) | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन) | 1 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रियांबडी | ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 1 |
| | | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी) | 2 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| मूंडवा | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटन | कनिष्ट, विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी) | 2 |

| विधान सभा क्षेत्र का नाम | चिकित्सा संस्थान का नाम | पद नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा | कनिष्ट विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसिन, स्त्रीरोग) | 3 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूंडवा | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| नागौर | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खींवसर | कनिष्ट विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसिन) | 2 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| नावां | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचामन सिटी | ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 1 |
| | | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र, शिशुरोग, स्त्रीरोग) | 5 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 3 |
| | | चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन) | 1 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नावां | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी) | 2 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |

| विधान सभा क्षेत्र का नाम | चिकित्सा संस्थान का नाम | पद नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| परबतसर | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजवास | कनिष्ट, विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी) | 2 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर | ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 1 |
| | | कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, शिशुरोग, स्त्रीरोग, नेत्र) | 5 |
| | | वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| | | चिकित्सा अधिकारी (दन्त) | 1 |

## श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में न्यूरो चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पद

**410. श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में न्यूरो फिजीशियन एवं न्यूरो सर्जन के पद स्वीकृत नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में न्यूरो फिजीशियन एवं न्यूरो सर्जन के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर में 22 पद विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत है, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले चिकित्सालयों में से किसी भी चिकित्सालय में न्यूरो फिजीशियन एवं न्यूरो सर्जन के पद स्वीकृत नहीं हैं।

(3) जी नहीं। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले चिकित्सालयों में से किसी भी चिकित्सालय में न्यूरो फिजीशियन एवं न्यूरो सर्जन के पद स्वीकृत नहीं हैं।

**परिशिष्ट 'अ'**

**श्री कल्याण चिकित्सालय में सीकर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है**

| क्र.सं. | पदनाम | विशेषज्ञता का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | वरिष्ट विशेषज्ञ | मेडिसन | 1 |
| 2. | वरिष्ट विशेषज्ञ | सर्जरी | 1 |
| 3. | वरिष्ट विशेषज्ञ | स्त्रीरोग | 1 |
| 4. | वरिष्ट विशेषज्ञ | बालरोग | 1 |
| 5. | वरिष्ट विशेषज्ञ | नेत्ररोग | 1 |
| 6. | वरिष्ट विशेषज्ञ | हड्डी रोग | 1 |
| 7. | वरिष्ट विशेषज्ञ | ई.एन.टी. | 1 |
| 8. | वरिष्ट विशेषज्ञ | रेडियोलाजी | 1 |
| 9. | वरिष्ट विशेषज्ञ | पैथोलॉजी | 1 |
| 10. | कनिष्ट विशेषज्ञ | मेडिसन | 2 |
| 11. | कनिष्ट विशेषज्ञ | सर्जरी | 1 |
| 12. | कनिष्ट विशेषज्ञ | बालरोग | 1 |
| 13. | कनिष्ट विशेषज्ञ | नेत्ररोग | 1 |
| 14. | कनिष्ट विशेषज्ञ | निश्चेतन | 2 |
| 15. | कनिष्ट विशेषज्ञ | हड्डी रोग | 1 |
| 16. | कनिष्ट विशेषज्ञ | ई.एन.टी. | 1 |

| क्र.सं. | पदनाम | विशेषज्ञता का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 17. | कनिष्ट विशेषज्ञ | चर्मरोग | 1 |
| 18. | कनिष्ट विशेषज्ञ | दन्त | 1 |
| 19. | कनिष्ट विशेषज्ञ | मनोरोग | 1 |
| 20. | कनिष्ट विशेषज्ञ | स्त्रीरोग | 1 |

## श्री बद्रीनारायण सोढानी चिकित्सालय, लोसल (सीकर) का पुनर्संचालन

**411. श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लोसल (सीकर) में श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन को दान दाताओं द्वारा दिनांक 08 मई, 2000 को दान विलेख द्वारा पूर्ण सुविधायुक्त बनाकर जनहित में सरकार को सौंपा गया था? यदि हां, तो इसे अब मात्र शिशु चिकित्सा केन्द्र अथवा डिस्पेंसरी के रूप में कब तक संचालित कर दिया जायेगा?

(2) क्या उक्त संबंध में स्थानीय जनता/नागरिकों से सरकार को ज्ञापन/आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सभी सुविधायुक्त उक्त चिकित्सा केन्द्र को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वर्तमान में 1 चिकित्सक एवं 4 अन्य कर्मचारी कार्य सम्पादन हेतु लगा रखे हैं।

(2) जी हां। प्राप्त ज्ञापन/आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुए वर्तमान में उक्त भवन में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्टाफ लगा रखा है।

(3) श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन में वर्तमान में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं।

## बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना का सर्वे

**412. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना के सर्वे का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त का लागत प्रस्ताव कब तक तैयार कराकर स्वीकृत कर दिया जाएगा?

(2) उक्त योजना के प्रस्ताव में क्या-क्या कार्य सम्मिलित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सर्वेक्षण पश्चात कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट माह सितम्बर, 2008 तक तैयार होने की सम्भावना है। योजना निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धानुसार स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।

(2) सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य तय किये जा सकेंगे।

## आसपुर विधान सभा क्षेत्र की सीपेज समस्या का निराकरण

**413. श्री राईया मीणा** (आसपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सोम कमला अम्बा बांध की कैनालों में सीपेज होने से काश्तकारों की फसलें खराब हो गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कैनालों से सीपेज निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

सोम कमला बांध की नहरों की कुल लम्बाई 350 कि.मी. है, उसमें से 15.1 कि.मी. लम्बाई में सीपेज की आंशिक समस्या है। काश्तकारों द्वारा प्राकृतिक नालों को पाट देने से सीपेज हुए पानी की उपयुक्त निकासी नहीं होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत 40.22 लाख रुपये के कार्य सम्पादित किये गये है जिससे समस्या का आंशिक निदान हुआ है। शेष सीपेज ग्रस्त नहर प्रणाली में सीपेज रोकने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना वर्ष 2008-09 में विचाराधीन है।

## काश्तकार द्वारा संवर्धित भूमि का कमाण्ड क्षेत्र में परिवर्तन

**414. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जो भूमि पूर्व में अनकमाण्ड थी, उन्हें काश्तकारों ने स्वयं के खर्चे पर सुधार कर कमाण्ड किया है? क्या सरकार उक्त भूमि को कमाण्ड भूमि घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण जिला हनुमानगढ़ में विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनकमाण्ड से कमाण्ड भूमि घोषित किये जाने के मानदण्ड क्या हैं व नियमानुसार एक काश्तकार की कितनी भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड में घोषित की जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत चार वर्षों में जिला हनुमानगढ़ में कुल कितना रकबा अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित किया गया? खातेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। जिला हनुमानगढ़ में 3614 प्रकरण विचाराधीन हैं जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) अनकमाण्ड से सम्बन्धित कृषक की कुल भूमि का अधिकतम 20 प्रतिशत (निकटतम बीघा में राउड आफ करने के पश्चात) एवं कम से कम दो बीघा भूमि को अनकमाण्ड से कमाण्ड किया जा सकता है।

(3) गत चार वर्षों में जिला हनुमानगढ़ में कुल 14 बीघा रकबा अनकामाण्ड से कमाण्ड घोषित किया गया जिसकी खातेवार सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

**प्रपत्र 'अ'**

**इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जिला हनुमानगढ़ के अनकमाण्ड से कमाण्ड किये जाने से सम्बन्धित लम्बित प्रकरण का विवरण**

| क्र.सं. | खण्ड का नाम | लम्बित प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जल संसाधन फीडर खण्ड, हनुमानगढ | 1858 |
| 2 | जल संसाधन खण्ड, रावतसर | 1363 |
| 3 | जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ | 393 |
| | **योग :-** | **3614** |

**गत चार वर्षों में अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित करने का विवरण**

| **क्र.सं.** | **नाम काश्तकार** | **चक का नाम** | **कमाण्ड घोषित का विवरण** |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजय कुमार | 3 JBD | 2 बीघा |
| 2 | श्री अमर चन्द | 23 DWD | 1 बीघा |
| 3 | श्रीमती शिमला | 23 DWD | 1 बीघा |
| 4 | श्रीमती पूनम देवी | 23 DWD | 2 बीघा |
| 5 | श्री गोपाल | 23 DWD | 2 बीघा |
| 6 | श्रीमती सुमित्रा देवी | 23 DWD | 2 बीघा |
| 7 | श्रीमती सुबोध कंवर | 23 DWD | 2 बीघा |
| 8 | श्री मेघाराम | 23 DWD | 2 बीघा |
| | | **योग :-** | **14 बीघा** |

## उम्मेद सागर/नाहर सागर बांध की भराव क्षमता में वृद्धि

**415. श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में अरवड बांध की नहरें कच्ची हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पक्का बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उम्मेद सागर बांध की नहरें पूर्ण कमाण्ड एरिया तक पक्की हो चुकी हैं? यदि नहीं, तो सरकार इसे कब तक पूर्ण रूप से पक्का कराने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उम्मेद सागर/नाहर सागर बांध की चादर को ऊंचा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी, कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार अरवड बांध की कच्ची नहरों को पक्का कराया जाना सम्भव होगा।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उम्मेद सागर बांध की शेष कच्ची नहरों को पक्का कराया जाना सम्भव होगा।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी नहीं। उम्मेद सागर एवं नाहर सागर बांध बीसलपुर सिंचाई परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। इन बांधों को ऊंचा करने से बीसलपुर बांध की आवक प्रभावित होती है।

## कालीसिल बांध (सपोटरा) से सिंचाई हेतु नहर निर्माण कार्य

**416. श्री सुखलाल मीणा** (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के कालीसिल बांध की कितनी भराव क्षमता है? बांध से कितने क्षेत्र एवं गांवों में सिंचाई होती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कालीसिल बांध की नहरों का कितना पक्का निर्माण करवाया गया है? शेष नहरों को सरकार कब तक पक्का करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के अन्तर्गत कालीसिल बांध की कुल भराव क्षमता 1472.60 मिलीयन घनफुट है। इस बांध का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 4700 हैक्टेयर है जिससे 38 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है जो सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बांध की 4.32 कि.मी. नहरों का पक्का निर्माण करवाया जा चुका है। शेष 56.73 कि.मी. नहरों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पक्का कराया जाना सम्भव होगा।

**प्रपत्र 'अ'**

**कालीसिल बांध के कमाण्ड क्षेत्र के गांवों की सूची**

| क्र.सं. | गांव का नाम | क्र.सं. | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | अमरगढ़ | 8. | धूलवास |
| 2. | भण्डारीपुरा | 9. | कांवटी |
| 3. | निशाना | 10. | खावदा |
| 4. | रामठरा | 11. | गजुपुरा |
| 5. | डूंगरी | 12. | मेढपुरा |
| 6. | नथनवाड़ी | 13. | डूंडीयापुरा |
| 7. | कूठन का पुरा | 14. | डाबर |

| क्र.सं. | गांव का नाम | क्र.सं. | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| 15. | छोडा गांव | 27. | किशोरपुरा |
| 16. | कीरथपुरा | 28. | इंडीपुरा |
| 17. | बूचापुरा | 29. | जोडजी |
| 18. | इनायती | 30. | काकड़ |
| 19. | रानीपुरा | 31. | अनूदा |
| 20. | जारवोहा | 32. | जीरोता |
| 21. | ओडच | 33. | गोवर्धनपुरा |
| 22. | रानेटा | 34. | ढांकीपुरा |
| 23. | दयारामपुरा | 35. | गावोहा |
| 24. | पूकना | 36. | अकट |
| 25. | खानपुरा | 37. | परदोनपुरा |
| 26. | पहाडपुरा | 38. | बड़ागांव |

## विधवा महिलाओं हेतु पेन्शन स्वीकृति के मानदण्ड

**417. श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन स्वीकृति के लिये उनकी अधिकतम मासिक आय क्या निर्धारित है?

(2) विधवा पेंशन हेतु जो मासिक आय निर्धारित है व कितने समय से संशोधित नहीं की गई है?

(3) क्या विधवाओं को स्वीकृति की जाने वाली पेंशन के लिये निर्धारित मासिक आय से विधवा का गुजारा होना सम्भव है? यदि नहीं, तो मासिक आय के निर्धारित मानदण्डों में बदलाव क्यों नहीं किया गया?

(4) क्या सरकार उक्त में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन स्वीकृति के लिये उनकी मासिक आय निर्धारित नहीं है। राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 में पात्रता हेतु आय को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

उसके कोई आय नहीं हो या जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्त्रोत

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नहीं हो। 'आय' से अभिप्रेत है, प्रकट स्त्रोतों जैसे किराया, ब्याज, लाभांश, लाभ, सेवा अनुदान या वृत्ति या व्यवसाय, कारोबार, व्यापार या उद्योग में नियमित आय।

(2) विधवा पेंशन नियम, 1974 में मासिक आय निर्धारित नहीं है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। विधवा पेंशन नियम, 1974 में मासिक आय निर्धारित नहीं है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

## कोटा संभाग की गैर सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान

**418. श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा संभाग में कौन-कौनसी गैर सरकारी संस्थायें (एन.जी.ओ.) पोलियो करैक्शन, अंधता निवारण, शल्य चल चिकित्सा इकाई के कैम्प, वृद्धाश्रम, विधवा, परित्यकताओं के लिये योजना, श्रवण कुमार योजना एवं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये निजी क्षेत्र में छात्रावास, विकलांगता के कैम्प, साक्षरता, स्वच्छता अभियान के संबंध में कार्य करती है? यदि हां, तो कोटा संभाग के प्रत्येक जिले की किस-किस संस्था ने गत तीन वर्षों में क्या क्या कार्य किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किस-किस संस्था को किस-किस उद्देश्य के लिये गत तीन वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया और किन-किन संस्थाओं का कार्य करने के पश्चात भी अनुदान रोक दिया गया तथा किन-किन को अनुदान देने की प्रक्रिया विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार पोलियो करैक्शन के लिये तथा वृद्धाश्रम एवं वात्सल्य धाम बनाये जाने के लिये क्या-क्या सुविधायें प्रदान करती है? इस प्रकार की सुविधायें किस-किस स्वयंसेवी संस्था को दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कोटा संभाग में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पोलियो करैक्शन, अन्धता निवारण, शल्य चिकित्सा इकाई के कैम्प, वृद्धाश्रम, विधवा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

परित्यक्ताओं के लिये योजना, श्रवण कुमार योजना एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए निजी क्षेत्र में छात्रावास, विकलांगता के कैम्प, साक्षरता, स्वच्छता आदि में गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का जिलेवार व संस्थावार विवरण परिशिष्ट '1' से '5' तक सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) गत तीन वर्षों में संस्थाओं को योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट '1' से '5' तक में अंकित कर दिया गया है।

किसी भी योजना/कार्यक्रम में किसी भी संस्था का अनुदान नहीं रोका गया है।

(3) सरकार द्वारा पोलियो करैक्शन आपरेशन शिविर लगाने वाली प्रशिक्षित एवं अनुभवी संस्था जो नि:शक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा 52 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें प्रति आपरेशन रुपये 3000/— तथा स्वयंसेवी संस्था द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में पोलियो करैक्शन आपरेशन करवाने पर रुपये 2000/- प्रति आपरेशन की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें समस्त प्रकार के व्यय जैसे चिकित्सक दलों की व्यवस्था, सर्जरी, दवाइयां, जांच, प्लास्टर, रोगी व परिचारक का भोजन, परिवहन, टैन्ट, आवास एवं प्रचार-प्रसार आदि शामिल है। राज्य में वर्ष 2007-08 में उक्त आपरेशन हेतु संस्थाओं एवं उनको प्रदान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट '1' सदन की मेज पर रख दी गई है।

वृद्ध आश्रम बनाये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.02.2002 के द्वारा वृद्धआश्रम स्थापित करने के लिए 1000 वर्गगज तक भूमि नि:शुल्क आबंटित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा में चिरायु योजना (वृद्धाश्रम) प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत शहरों में भवन हेतु एकमुश्त अनुदान और ग्रामीण क्षेत्र में रियायती दरों पर भूमि एवं भवन हेतु अनुदान दोनों ही दिये जा सकेंगे। ऐसे भवनों का सही उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था संचालक मण्डल में पर्याप्त संख्या में सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि रखे जायेंगे। अगर ऐसा वृद्ध गृह निर्धन वृद्धजनों के लिए नि:शुल्क चलाया जाता है तो प्रति वृद्धजन राज्य सरकार नकद सहायता देने पर भी विचार करेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## अध्ययनरत अनाथ बालक-बालिकाओं के पोषण हेतु योजना

**419. श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

ऐसे अध्ययनरत नाबालिग बालक व बालिकाएं जिनके माता-पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी हो एवं कमाने वाला परिवार में सगा भाई भी ना हो, तो क्या ऐसे बालक-बालिकाओं को क्या-क्या सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

ऐसे अध्ययनरत नाबालिग बालक व बालिकाओं, जिनके माता-पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी हो व परिवार में कमाने वाला कोई सगा भाई भी ना हो तो राज्य सरकार की निम्न योजनाओं में इन्हें लाभान्वित किया जा सकता है :-

1. **पालनहार योजना :** पालनहार योजनान्तर्गत ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन करावास की सजा हो चुकी हो, को पात्र माना गया है। इन बच्चों के पालनहार (ऐसा व्यक्ति, जो अनाथ बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है) को राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 675 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है (5 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना अनिवार्य है) । इसके अतिरक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपये प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी पालनहार परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय जिला कार्यालय से आवेदन प्राप्त करने आवेदन की पूर्ति पश्चात वहीं जमा कराया जाता है,

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

2. **बालगृह :** किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय व अनुदानित बालगृहों में उक्त बालक बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के माध्यम से प्रवेशित कराया जाता है। इन संस्थाओं में बालक/बालिकाओं के विकास एवं पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था के साथ-साथ भोजन, वस्त्र, शिक्षा, प्रशिक्षण की नि:शुल्क व्यवस्था की जाती है। राजकीय बालगृहों का शत प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित बालगृहों का व्यय 90:10 के अनुपात में राज्य सरकार व सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जाता है। अनुदानित बालगृहों के लिए अनुदान की दर 675 रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह है।

3. **छात्रावास :** विभागीय छात्रावासों में 10 प्रतिशत स्थानों पर सभी आरक्षित वर्ग के विधवा, नि:शक्त, अनाथ एवं बी.पी.एल. परिवार के बच्चों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था है।

4. **अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण :** राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 41745 दिनांक 20.08.2001 से अनाथ बच्चों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 78 पर जोड़ा जाकर आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

## मूक/बधिर छात्रों हेतु शिक्षण व्यवस्था

**420. श्री जयराम जाटव** (खैरथल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में मूक एवं बधिर छात्र/छात्राओं की पृथक से शिक्षा व्यवस्था है? यदि हां, तो राज्य में कितनी शिक्षण संस्थायें संचालित हैं और उससे कितने छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं?

**उत्तर**

जी हां। राज्य में 42 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं और उससे 2209 छात्र/छात्राएं लाभांवित हो रहे हैं।

## अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास भवन ओसियां का अपूर्ण निर्माण

**421. श्री बन्नेसिंह राठौड़** (ओसियां) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ओसियां जिला-जोधपुर में अनुसूचित जाति जनजाति का छात्रावास भवन स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब एवं उक्त भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी व स्वीकृत राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लम्बा समय व्यतीत होने के उपरांत भी उक्त छात्रावास भवन का अधूरा निर्माण है आबलिक जर्जर स्थिति में है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं व कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावास के अधूरे एवं जर्जर पड़े भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ओसियां जिला जोधपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास के भवन के निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(2) अप्रासंगिक है।

(3) जी नहीं।

## वरिष्ट उपाध्याय (विज्ञान) अभ्यर्थी को प्री-आयुर्वेद परीक्षा की पात्रता

**422. श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुआरामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्री-आयुर्वेद परीक्षा जब राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती थी उस समय अर्थात लगभग वर्ष 1980 तक प्री-आयुर्वेद परीक्षा में प्रवेश की पात्रता वरिष्ट उपाध्याय तथा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान) उत्तीर्ण होना निर्धारित था?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(2) क्या यह भी सही है कि किसी याचिका विशेष में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता केवल विज्ञान वर्ग सहित सीनियर हायर सैकण्डरी ही प्रवेश योग्यता विनिश्त कर दी गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि न्यायालय के निर्णयानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सैकण्डरी की तरह वरिष्ट उपाध्याय के पाठ्क्रम में आयुर्वेद वर्ग को विज्ञान वर्ग में संशोधित कर दिया?

(4) क्या यह भी सही है कि विज्ञान वर्ग का सीनियर सैकण्डरी की तरह पाठ्यक्रम का प्रारूप संस्कृत निदेशालय द्वारा राज्य सरकार शिक्षा विभाग/ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रस्तावित कर दिया गया है?

(5) यदि हां। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उसको वरिष्ट उपाध्याय के विज्ञान वर्ग में प्रतिस्थापित कर वरिष्ट उपाध्याय विज्ञान व सीनियर सैकेण्डरी विज्ञान की समकक्षता कब तक प्रख्यापित कर दी जावेगी जिससे वरिष्ट उपाध्याय विज्ञान वाले छात्र भी सीनियर सैकण्डरी विज्ञान की तरह प्री-आयुर्वेद में प्रवेश के योग्य हो सकें?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1980-81 में आयुर्वेदाचार्य में प्रवेश उत्तर मध्यमा/हायर सैकण्डरी/पीयूसी एवं इसके समकक्ष योग्यताधारी छात्रों को वरीयता क्रमानुसार प्रवेश की स्वीकृति दी जाती थी। प्री-आयुर्वेद परीक्षा के द्वारा प्रवेश कियेक जाने का प्रावधान इस वर्ष में नहीं था। प्री-आयुर्वेद टेस्ट वर्ष 1984 (सत्र 1984-85) में प्रभावी हुआ है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सी.सी.आई.एम. में निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीनियर हायर सैकण्डरी विज्ञान (जीव विज्ञान सहित) उत्तीर्ण योग्यता निश्चित कर दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) बिन्दु संख्या 4 पर निर्णय के उपरान्त, निर्णय के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

## चल आयुर्वेद चिकित्सा इकाई की स्थापना

**423. श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में आयुर्वेदिक रसायनशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां एवं कितनी लागत से?

(2) क्या सरकार राज्य में वनौषधि व जड़ी-बूटी उद्यान की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने हैक्टेयर में एवं कितनी लागत से?

(3) क्या सरकार राज्य में चल आयुर्वेद चिकित्सा इकाई की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब, कहां व कितनी लागत से?

**उत्तर**

(1) वर्तमान में राज्य में आयुर्वेदिक रसायनशाला खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में राज्य में वनौषधि एवं जड़ी-बूटी उद्यान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 में राज्य में 7 आयुर्वेद चल चिकित्सा इकाई स्थापित करना प्रस्तावित है। अभी इनके स्थानों का चयन नहीं किया गया है।

## आचार्य कार्डियोलोजी के पद पर तदर्थ पदोन्नति

**424. श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में चिकित्सा महाविद्यालयों में आचार्य कार्डियोलोजी के कितने पद स्वीकृत हैं? आचार्य कार्डियोलोजी की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब आयोजित की गई एवं इसकी क्या सिफारिश रही? क्या पदोन्नति समिति की सिफारिश को लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार किन-किन को वरिष्टता के आधार पर पदोन्नति दिये जाने की सिफारिश की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में आचार्य कार्डियोलोजी के कितने पद रिक्त हैं? क्या

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

सरकार इन पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? क्या पूर्व में भी तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां दी जाती रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान के चिकित्सा महाविद्यालयों में आचार्य, कार्डियोलोजी के कुल 6 पद सृजित हैं।

आचार्य, कार्डियोलोजी की विभागीय पदोन्नति समिति (2006-07) की अंतिम बैठक दिनांक 15.12.2006 को आयोजित हुई।

जी नहीं। उक्त बैठक में पदोन्नति हेतु एक ही पद उपलब्ध था जिसे डा. चुटानी का प्रकरण अनिर्णीत होने के कारण रिक्त रखा गया। एक चिकित्सक को भविष्य में होने वाली रिक्ति के विरुद्ध रिव्यू एण्ड रिविजन के आधार पर पदोन्नति देने की अनुशंषा की गई। 2006-07 में एक ही पद उपलब्ध होने के कारण अनुशंषा को लागू नहीं किया जा सकता।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी चिकित्सक को वरिष्टता के आधार पर आचार्य पद पर नियमित पदोन्नति दिये जाने की अभिशंषा नहीं की गई। डा. अनूप जैन, सह आचार्य, कार्डियोलोजी को रिव्यू एण्ड रिवीजन (Review and Revision) के आधार पर भविष्य में होने वाली रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान करने की अभिशंषा की गई थी।

(3) वर्तमान में आचार्य, कार्डियोलोजी के दो पद रिक्त हैं जिनमें एक जयपुर तथा एक अजमेर में है। वर्ष 2008-09 में दो प्रोफेसर सेवानिवृत्त होंगे। ऐसी स्थिति में वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ में आयोजित कर नियमित पदोन्नति दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2007-08 की समाप्ति में कुछ सप्ताह ही शेष होने के कारण तदर्थ पदोन्नति का आधार नहीं है।

डा. एस के कौशिक को पूर्व में दिनांक 15.09.1998 को तदर्थ आधार पर पदोन्नति दी गई थी। बाद में दिनांक 5.8.1999 को उन्हें नियमित पदोन्नति दी गई।

## सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में प्लाज्मा के संरक्षण हेतु स्वीकृति

**425. श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा कीमती प्लाजमा को बचाने के लिये कोई दो प्रस्ताव सरकार को भेजे गये हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इन प्रस्तावों को अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक मंजूरी दे दी जावेगी?

(3) अकेले सवाई मानसिंह चिकित्सालय में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक कितना प्लाजमा नष्ट किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस प्रकार नष्ट किये गये प्लाज्मा के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है व सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलोजी विभाग तथा प्रभारी ब्लड बैंक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को अधिशेष प्लाज्मा के उपयोग के बारे में निम्नांकित फर्मों से वर्ष 2006 में दो प्रस्ताव प्राप्त हुए :-

1. रिलायंस लाइफ साइसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई।

2. सेलेस्टीयल बायोलोजिकल्स, अहमदाबाद।

(2) पूर्व में वर्ष 1999 में नेशनल प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन सेन्टर, के.ई.एम. अस्पताल, मुम्बई को प्लाज्मा एक्सचेंज की अनुमति दी गई।

प्रश्न के खण्ड 1 में वर्णित प्रस्ताव निजी संस्थाओं से प्राप्त होने के कारण इनके विस्तृत परीक्षण हेतु समिति गठित की गई। इस संबंध में नेशनल एड्स कन्ट्रोल आर्गेनाईजेशन का पत्र दिनांक 26 मार्च, 2007 प्राप्त हुआ (प्रतिलिपि संलग्न है) जिसमें नेशनल प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन सेंटर, के.ई.एम. अस्पताल, मुम्बई को अधिशेष प्लाज्मा देने की सम्भावना तलाश करने को कहा गया। प्लाज्मा के उपयोग के बारे में निविदा/ई.ओ.आई. आमंत्रित कर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में प्लाज्मा के उपयोग संबंधी वर्षवार विवरण इस प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री)

**(संख्या ब्लड यूनिट में)**

| वर्ष | नष्ट किया गया अनुपयोगी प्लाज्मा |
|---|---|
| 2004 | 36141 |
| 2005 | 37410 |
| 2006 | 39569 |
| 2007 | 36784 |

(4) इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नियुक्त संविदा कर्मियों का नियमन

**426. डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में वर्तमान में कितने संविदा कर्मी (ठेका श्रमिक) किस-किस कार्य हेतु कब से किस आधार पर, किस वेतन श्रृंखला अथवा कितनी राशि पर किस पद पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मियों के कार्य की प्रकृति स्थाई है या अस्थाई? स्थाई प्रकृति के कार्य पर उक्त कर्मियों को कब तक संविदा पर रखा जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संविदा/ठेके पर रखे जाने वाले कर्मियों के संबंध में वर्तमान में क्या प्रक्रिया/नीति निर्देश जारी किये गये हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि संविदा/ठेके पर दैनिक वेतन भोगी कर्मी रखे जाने के संबंध में माननीय उच्च/उच्चतम न्यायालय द्वारा नियम/निर्देश भी प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त संविदा कर्मी भी उक्त नियम/निर्देशों के अनुरूप ही रखे गये हैं? यदि हां, तो नियमान्तर्गत निर्धारित वेतन एवं वर्तमान में देय पद के अनुसार वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में अन्य विभागों में कार्यरत अस्थाई कर्मियों यथा पैरा टीचर्स आदि को नियमित किया जाकर नियमित वेतन श्रृंखला दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संविदा कर्मियों को

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

भी नियमित वेतन श्रृंखला में स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) अनुबन्ध पर कराये जाने वाले कार्यों हेतु ठेका श्रमिकों की नियुक्ति नहीं की जाती है वरन संबंधित सेवा प्रदाता संस्था से अनुबन्ध के आधार पर कार्य कराया जाता है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 96 संविदा कर्मियों की सेवाएं स्थिर मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

(2) स्थिर मानदेय पर सामान्यतया आवश्यक/अस्थाई आधार पर संविदा कर्मी रखे जाते हैं। संविदा अवधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार अभिवृद्धि की जाती है।

(3) वित्त विभाग द्वारा राजकीय विभागों में संविदा नियुक्ति के संबंध में कोई प्रक्रिया/नीति निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

राज्य सरकार में नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों के अनुसार की जाती हैं।

रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति तत्काल सम्भव नहीं होने पर, आवश्यक/अस्थाई आधार पर ही नियुक्ति की जा सकती है। कुछ विशेष प्रकृति एवं अल्प अवधि के कार्यो हेतु सेवा-संविदा के आधार पर कार्य राज्य सरकार की पूर्वानुमति से कराया जा सकता है।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपलब्ध आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(5) जी हां। वर्ष 2000 तथा वर्ष 2006 में दी गई अनुमति की प्रति परिशिष्ट 3 व 4 के रूप में संलग्न है। वर्तमान में देय मानदेय का विवरण परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

(6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2008 तथा राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 2008 बनाये गये हैं। इन नियमों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी। संविदा कर्मियों में से जो उपयुक्त एवं पात्र होंगे उनकी नियुक्ति इन नियमों के अंतर्गत की जा सकेगी।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## स्थगित-प्रश्न

## दिनांक 19 फरवरी, 2008

## बीकानेर जिले के मृतक हथियार लाइसेन्सधारियों के उत्तराधिकारियों के लम्बित प्रकरण

**12. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मृतक हथियार लाइसेंसधारियों के उत्तराधिकारियों को हथियार लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिनांक 2 जून, 2004 तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2007 को एवं समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये? यदि हां, तो जारी परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परिपत्रों की अनुपालना में राज्य में मृतक के उत्तराधिकारी को लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर किन-किन को व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में मृतक हथियार लाइसेंसधारियों के उत्तराधिकारियों को हथियार लाइसेंस जारी करने के अनेक प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो किन-किन के व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि बकाया प्रकरणों में किन-किन मृतक उत्तराधिकारियों द्वारा लाइसेंस हेतु कब-कब आवेदन किया गया तथा उन्हें हथियार लाइसेंस जारी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

### उत्तर

(1) जी हां। परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 01.09.2007 को प्रचलित परिपत्र के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट्स द्वारा आवेदन पत्रों पर निर्णय किए जा रहे हैं। राज्य में वर्ष 2004 से 2007 तक कुल 2412 शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं। अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में पात्रता बाबत संतुष्टि के आधार पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

(3) जी हां। बीकानेर जिले में ऐसे 21 प्रकरण लम्बित हैं, वांछित विवरण परिशिष्ट ''ब' पर संलग्न है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

# परिशिष्ट-1

**(तारांकित प्रश्न संख्या-214 की सूची)**

**कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,**

**तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर-05**

**राज्य में पिछले चार वर्षों में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2003 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों की जिलेवार सूची**

| क्र.सं. | जिले का नाम | औद्योगिक इकाइयां |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 486 |
| 2. | अलवर | 355 |
| 3. | बांसवाड़ा | 15 |
| 4. | बारां | 25 |
| 5. | बाड़मेर | 25 |
| 6. | भरतपुर | 182 |
| 7. | भीलवाड़ा | 556 |
| 8. | भिवाड़ी | 1009 |
| 9. | बीकानेर | 617 |
| 10. | बूंदी | 20 |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 50 |
| 12. | चूरू | 10 |
| 13. | दौसा | 12 |
| 14. | धौलपुर | 18 |
| 15. | डूंगरपुर | 10 |
| 16. | हनुमानगढ़ | 40 |
| 17. | जयपुर ग्रामीण | 552 |
| 18. | जयपुर शहर | 660 |
| 19. | जैसलमेर | 12 |
| 20. | जालौर | 04 |
| 21. | झालवाड़ | 08 |
| 22. | झुंझनूं | 04 |
| 23. | जोधपुर | 304 |

| क्र.सं. | जिले का नाम | औद्योगिक इकाइयां |
|---|---|---|
| 24. | करौली | 16 |
| 25. | कोटा | 158 |
| 26. | नागौर | 39 |
| 27. | पाली | 39 |
| 28. | राजसमन्द | 185 |
| 29. | सवाई माधोपुर | 00 |
| 30. | सीकर | 93 |
| 31. | सिरोही | 57 |
| 32. | श्रीगंगानगर | 35 |
| 33. | टोंक | 80 |
| 34. | उदयपुर | 322 |
| 35. | मुख्यालय | 69 |
| | **योग** | **6067** |

# परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-215 की सूची)

**राजस्थान सरकार**

**कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर**

**खनि अभियन्ता, सीकर के कार्यक्षेत्र में प्रधान खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञा/खनन पट्टे वर्ष 2004 से अब तक निरस्त किये गये का विवरण :-**

| क्र. सं. | एम.एल. नं. | दिनांक आवेदन | नाम आवेदक मय पता | क्षेत्र (हैक्टेयर में) | खनिज | निकट ग्राम | तह. व जिला | अस्वीकृति की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/91 | 31.12.91 | मैसर्स मोदी मिनरल ग्राइडिंग मिल्स प्रा.लि. नीमकाथाना | 38.85 | कैल्साइट | रायपुरमुल्क | नीमकाथाना/सीकर | 22.02.07 |
| 2 | 5/93 | 17.06.93 | श्री नन्द लाल अग्रवाल | 39.97 | आयरनओर | बेसरदा | खेतड़ी/झुन्झुनूं | 15.09.07 |
| 3 | 9/93 | 02.11.93 | मैसर्स बेस्ट केमिकल्स लाइम स्टोन इण्ड. प्रा.लि. | 32.37 | लाईम स्टोन कैल्साइट | जिलो | नीमकाथाना/सीकर | 28.01.08 |
| 4 | 2/94 | 15.03.94 | मैसर्स बेस्ट केमिकल्स लाइम स्टोन इण्ड. प्रा.लि. | 88.50 | क्वार्टज, फैल्सफार सिलिकासेण्ड | दुदावास | नीमकाथाना/सीकर | 17.11.06 |
| 5 | 4/95 | 15.05.95 | मैसर्स मोदी ग्राइडिंग मिल्स प्रा.लि. नीमकाथाना | 72.52 | कैल्साईट | रायपुर टोलीवाली | नीमकाथाना/सीकर | 22.02.07 |

| क्र. सं. | एम.एल. नं. | दिनांक आवेदन | नाम आवेदक मय पता | क्षेत्र (हैक्टेयर में) | खनिज | निकट ग्राम | तह. व जिला | अस्वीकृति की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2/96 | 15.06.96 | श्री अनिल कुमार अग्रवाल | 32.37 | फायरक्ले | गिरावडी | उदयपुरवाटी/झुन्झुनूं | 25.10.05 |
| 7 | 4-96 | 06.08.96 | मैसर्स मोदी मिनरल ग्राइडिंग मिल्स प्रा.लि. नीमकाथाना | 259.00 | डोलोमाइट | महावा | नीमकाथाना/सीकर | 19.12.07 |
| 8 | 5-97 | 29.11.97 | मैसर्स मोदी मिनरल ग्राइडिंग मिल्स प्रा.लि. नीमकाथाना | 49.9435 | कैल्साइट | बिहारीपुर | खेतड़ी/झुन्झुनूं | 22.02.07 |
| 9 | 11/98 | 30.07.98 | श्री बनवारी लाल अग्रवाल | 38.85 | आयरनओर | बादलवास | खेतड़ी/झुन्झुनूं | 08.08.07 |
| 10 | 13/00 | 19.9.2000 | श्री राकेश बंसल एण्ड कम्पनी | 42.17 | क्वार्टज, क्वार्टजाइट सिलिकासेण्ड | बनवासी | खेतड़ी/झुन्झुनूं | 11.08.05 |
| **पी.एल. आवेदन** | | | | | | | | |
| 11 | 15/02 | 03.07.02 | श्री राकेश बंसल | 95.7211 | कैल्साईट | नालपुर | खेतड़ी/झुन्झुनूं | 11.9.06 |

**खनि अभियन्ता, सीकर)**

# परिशिष्ट-3

## मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

**श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के नगर पालिका लोसल एवं लक्ष्मणगढ़ में गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के बावजूद नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) :

2. विभाग द्वारा आयड़ (उदयपुर) पुल को आगे बांधकर गंदे पानी के नाले को आगे ले जाने एवं दोनों ओर सफाई कर फुलवाड़ी करने एवं बोटिंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) :

3. पाली शहर में सीवरेज लाइन बिछाने एवं कच्ची बस्तियों में सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य नहीं करवाये जाने पर भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) :

4. नगर पालिका नवलगढ़ के गोगामेड़ी टेंक की सफाई नहीं होने से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम नहीं किये जाने के उपरान्त भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द) :

5. विभाग द्वारा राजसमंद नगर पालिका से प्रस्तावित जन सहभागी योजना में राज्य अंश की राशि 50 प्रतिशत देने व वीर सावरकर मार्ग (100 फीट) के विकास हेतु 50 लाख रुपये अनुदान दिये जाने आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़) :

6. नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि का उचित मुआवजा नहीं देने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) :

7. राज्य में ए.डी.बी. परियोजना के मूल रूप में सभी संभागीय मुख्यालयों में लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

8. बीकानेर शहर से संबंधित बीकानेर नगर परिषद को अजमेर की तुलना में जनसंख्या अधिक होते हुए भी नगर निगम का दर्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

9. बीकानेर नगर परिषद को नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जमीनों के विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत हिस्सा निर्णयानुसार गत 4 वर्षों से न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

10. बीकानेर शहर के मध्य स्थित चार रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान हेतु पूर्व स्वीकृत ए.डी.बी. परियोजना के अन्तर्गत रेल बाइपास का कार्य शुरू न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

11. विभाग द्वारा नगर पालिका तख्तगढ़ में वर्षा जल निकासी हेतु पुलिस थाने के सामने पुल निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा नगर पालिका तख्तगढ़ को पेयजल योजना के लिये आवश्यक बजट अलग से स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा नगर पालिका सुमेरपुर में भूमिगत विद्युत लाइनें बिछाने हेतु बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विभाग द्वारा नगर पालिका तख्तगढ़ को भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा सुमेरपुर में पत्रकारों को आवासीय भूखण्ड आबंटन नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद) :

16. शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण व पार्किंग की अव्यवस्था के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. कोटा शहर में आवारा पशु व नियमित सफाई व्यवस्था के अभाव में आम नागरिक को हो रही परेशानी के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) :

18. परबतसर शहर में मुस्लिम मौहल्ले में खुले पड़े गंदे पानी के नाले में पाइप लाइन नहीं डलवाने अथवा उसको बंद कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

19. परबतसर शहर के सरकारी कार्यालयों में नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सफाई नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

20. नगर पालिका परबतसर में शहर से बाहर नया बस स्टैण्ड व स्टेडियम निर्माण नहीं करवाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. नगर पालिका द्वारा परबतसर शहर की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं करवाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर) :

22. नगर पालिका सीकर के अधीनस्थ बंद पड़ी ड्रेन योजना एवं सीवरेज का कार्य नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) :

23. जे.डी.ए. एवं स्वायत्त शासन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नैनवां नगर पालिका को उचित सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिये।

24. 90-बी की कार्यवाहियों में हुए भ्रष्टाचार तथा भूमि रूपान्तरण के लिये प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) :

25. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नगर पालिका द्वारा विकास कार्य नहीं

(श्री बत्तीलाल)

किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) :

26. विभाग द्वारा सादड़ी व रानी नगर पालिकाओं में अग्निशमन केन्द्र एवं रानी नगर पालिका क्षेत्र में रेलवे पुलिया बनवाये जाने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) :

27. नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर) द्वारा कस्बे में गुजर रहे राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं. 8 के तल को ऊंचा उठाने से कस्बे में पानी का निकास अवरूद्ध होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा विराटनगर (जयपुर) कस्बे का हैरिटेज प्लान स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा शाहपुरा एवं विराटनगर (जयपुर) नगर पालिका के लंबित सिटी प्लान को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़) :

30. विभाग द्वारा नगर निगम/नगर परिषद की तरह नगर पालिकाओं में भी पत्रकार कालोनी हेतु जगह आरक्षित करने का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) :

31. विभाग द्वारा बारां शहर (नगर पालिका) में पैराफेरी गांवों को शामिल करने के लिये नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) :

32. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पैराफेरी में आने वाली ग्राम पंचायतों के पट्टे नगर परिषद से दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) :

33. नगर पालिका कानोड (उदयपुर) के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री हरीसिंह रावत** (भीम) :

34. विधान सभा क्षेत्र भीम के नगर पालिका देवगढ़ एवं भीम कस्बों में हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को सस्ती दरों पर घर बनाकर नहीं दिये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा) :

35. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में हुई तोड़-फोड़ से नाली-नालों, सड़कों का पुन: निर्माण कार्य नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

36. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में हुई तोड़-फोड़ से उजड़े हुए लोगों को पुन: बसाने में असफल होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) :

37. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में नगर निगम एवं जे.डी.ए. द्वारा वार्ड नं. 1, 8, 9, 10, 70 में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण नहीं करवाये जाने एवं वार्ड नं. 1, 8, 9, 10, 70 में पार्कों का विकास व चारदीवारी नहीं बनवाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) :

38. विभाग द्वारा नगरों और शहरों के योजनागत विकास के साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) :

39. जयपुर शहर में नगर निगम द्वारा सफाई न होने एवं घोटालों के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर शहर में पार्किंग के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. नगर निगम जयपुर में नक्शे पास करने में व्याप्त भ्रष्टाचार के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

42. जयपुर शहर में जे.डी.ए. द्वारा कालोनियों के रेगुलाईजेशन नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

43. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन का नियमितिकरण हेतु 90-बी का सही आंकलन नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) :

44. धौलपुर नगर पालिका द्वारा मास्टर प्लान में दर्शाई भूमि पर निर्माण हो जाने से नियमन नहीं करने, प्रेरणा नगर को विकसित नहीं करने, कच्ची बस्तियों के विकास की आबंटित राशि को अन्य बस्तियों में खर्च करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. धौलपुर नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई वर्षा से पूर्व सही समय पर नहीं कराने, पानी के निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं करने, ड्रेनेज, सीवरेज लाइन नहीं डालने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

46. धौलपुर नगर पालिका द्वारा नगर की नई कालोनियों में सफाई नहीं करने, सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता के बावजूद भी भर्ती नहीं करने, सफाई कर्मचारियों का मासिक भत्ता नहीं बढ़ाने, चिकित्सा व्यय नहीं देने, उनके लिये सामुदायिक भवन नहीं बनाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

47. धौलपुर नगर पालिका द्वारा गाड़िया लुहारों के बचे हुए लोगों को पट्टे नहीं देने, उनकी बस्ती में बिजली, पानी, स्कूल, सामुदायिक भवन के लिये पट्टा नहीं देने मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48. नगर पालिका धौलपुर द्वारा धौलपुर नगर के मुख्य मार्गों, शहर की अन्य सड़कों के निर्माण, सौन्द्रर्यकरण, प्रकाश व्यवस्था स्ट्रीट लाइट व चौराहों के निर्माण नहीं करवाये जाने तथा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) :

49. विभाग द्वारा जहाजपुर में नगर पालिका भवन निर्माण हेतु अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवजीराम मीणा)

50. जहाजपुर नगर पालिका द्वारा सड़कों के उन्नयन की कार्यवाही नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. नगर पालिका जहाजपुर में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में नगर पालिका द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण नहीं करवाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा जहाजपुर नगर से होकर निकल रही नागदी नदी की सफाई, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण पर चर्चा के लिये।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता) :

53. मेड़ता नगर पालिका क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों के डामरीकरण का कार्य नहीं करवाये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

54. मेड़ता शहर (नागौर) में व्याप्त सफाई की अव्यवस्था के बावजूद भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा मेड़ता शहर (नागौर) में कच्ची बस्तियों में विकास हेतु आवश्यक पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. मेड़ता शहर (नागौर) में मीरा डार के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

57. विभाग द्वारा मेड़ता नगर पालिका को विकास कार्य हेतु राशि का प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) :

58. विधान सभा क्षेत्र कपासन शहर में बड़े गांवों में गंदे पानी की निकासी व अधूरे कार्यों के निस्तारण नहीं करने के बावजूद भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

59. विभाग द्वारा कपासन में सब्जी मंडी हेतु अलग से स्थान निर्धारित कराये जाने हेतु पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विभाग द्वारा कपासन नगर पालिका में अग्निशमन सेवा चालू कराने एवं कार्मिक पदस्थापित कराने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) :

61. विभाग द्वारा नगर पालिका जालौर के वार्डों का पुनः परिसीमन करवाने पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा जालौर शहर स्थित अग्निशमन केन्द्र में उपलब्ध वाहनों के संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन चालक उपलब्ध करवाने हेतु पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विभाग द्वारा नगर पालिका जालौर क्षेत्र में राजस्थानी भाषा साहित्य कला संस्कृति संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिये पहल करने पर चर्चा के लिये।

64. जालौर शहर से सीतला माता एवं सिरे मंदिर जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण नहीं करवाये जाने के बावजूद भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री अमराराम** (धोद) :

65. विभाग द्वारा लोसल नगर पालिका के पार्षदों के खिलाफ शिकायतों का निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा जयपुर में रिंग रोड के निर्माण योजना में आवश्यकता से अधिक भूमि लेकर उस भूमि का रिंग रोड बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. नगर पालिका द्वारा सीकर शहर में अनुमति बगैर बने व्यवसायिक काम्पलैक्स के संबंध में कार्यवाही नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) :

68. विभाग द्वारा टाऊन प्लानिंग की विसंगतियों को दूर करने व कच्ची बस्तियों व कृषि भूमि नियमन कार्य को गति देने, अल्प आय व मध्यम आय वर्ग के लिये सस्ते आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) :

69. विभाग द्वारा नैनवां (बूंदी) नगर पालिका में रिक्त चले आ रहे अधिशासी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

70. नगर पालिका द्वारा नैनवां शहर (बूंदी) क्षेत्र के शमशान स्थल के विकास कार्य नहीं करवाये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

71. नगर पालिका द्वारा नैनवां तालाब पर घाट निर्माण तथा पानी की आवक बढाई जाकर सौन्दर्यकरण की योजना नहीं बनाई जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (बारां) :

72. बारां जिले की अंता नगर पालिका के तिराहों का सौन्दर्यकरण व पार्क निर्माण नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. बारां जिले की अंता नगर पालिका क्षेत्र में आवश्यक 10 सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं करवाये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

74. बारां जिले की अंता नगर पालिका क्षेत्र में बाढ़ से बचाव हेतु बमोरी खाड़ी नाला का निर्माण नहीं करवाये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

75. बारां जिले की अंता नगर पालिका के वार्ड संख्या-2 में स्थित सार्वजनिक तालाब के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु नगर पालिका द्वारा कार्य नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. बारां जिले की अंता नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या-1 बरडिया जो चरागाह भूमि में बसा है, आबादी में परिवर्तित नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) :

77. विभाग द्वारा राजस्थान अरबन सैक्टर डवलपमेंट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (RUSDLP) द्वितीय चरण में नैनवां सहित प्रदेश की छोटी नगर पालिकाओं को सम्मिलित करने की योजना बनाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा शहरी जनभागी विकास योजना के विस्तार में नगर पालिका नैनवां को सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर) :

79. ओ.एस.डी. भूमि रूपान्तरण द्वारा रूपान्तरिक जमीनों के पट्टे जे.डी.ए. द्वारा जारी नहीं करने व उनके आदेशों की पालना नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) :

80. नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन हेतु लम्बित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण नहीं किये जाने के उपरान्त भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

81. नगर परिषद अजमेर द्वारा आनासागर झील से निकलने वाली एस्कैप चैनल के नाले में परिवर्तित हो जाने और इस नाले के आस-पास बसी कालोनियों जैसे सुन्दर विलास, काला बाग, पाल बीचला, नगरा गुजर धरती आदि क्षेत्र के लोगों को नारकीय जीवन जीने से मुक्ति दिलाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

82. विभाग द्वारा अजमेर शहर के मास्टर प्लान में प्रमुख सड़कों की चौड़ाई का निर्धारण अव्यवहारिक रूप से किये जाने के कारण भू रूपान्तरण मामलों में आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत बी.पी.एल. व अन्य गरीब परिवारों के आवास हेतु बनाये जाने वाले भवनों का कार्य नगर परिषद अजमेर व नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा प्रारम्भ न करवा पाने से मिशन के तहत आबंटित राशि का उपयोग न होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा राजस्थान की नगर पालिकाओं को अनुदान राशि 1991 की जनसंख्या के आधार पर न दी जाकर 2001 की जनसंख्या के आधार पर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा) :

85. नगर पालिका भादरा द्वारा गाड़िया लुहारों को आवास हेतु 50 वर्ग गज का प्लाट निःशुल्क आबंटित नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(डा. सुरेश चौधरी)

86. विभाग द्वारा नगर पालिका क्षेत्र भादरा के अन्तर्गत पुराने मुंसिफ मजिस्ट्रेट व तहसीलदार निवास जो नकारा हो चुका हैं के निस्तारण पर चर्चा के लिये।

87. नगर पालिका भादरा स्थित डूम सागर (गंदे पानी का तालाब) की समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. नगर पालिका क्षेत्र भादरा के बरसाती पानी व गंदे पानी की स्थायी व समुचित निकासी नहीं होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर) :

89. विभाग द्वारा जैसलमेर में पर्यटन नगरी को ध्यान में रखते हुए कच्ची बस्तियों को मास्टर प्लान के आधार पर बसाने पर चर्चा के लिये।

**श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा) :

90. विभाग द्वारा भीलवाड़ा शहर के मास्टर प्लान को शीघ्रता से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. जिला भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास के योजना क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने हुये आवासीय मकानों को नियमित नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नहीं होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

93. भीलवाड़ा नगर परिषद के पेराफेरी क्षेत्र में कृषि से अकृषि हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) :

94. नगर निगम जोधपुर द्वारा जोधपुर शहर के सार्वजनिक पार्कों यथा मण्डोर उद्यान, उम्मेद उद्यान, नेहरू पार्क, व्यास पार्क आदि के विकास नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. जोधपुर नगर निगम द्वारा जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर मलटीस्टोरी वाहन पार्किंग स्थलों के विकास नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

96. जोधपुर नगर निगम द्वारा जोधपुर शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों एवं पेयजल वितरण योजना के साथ ही सीवर लाइन बदलने की त्वरित आवश्यकता होने के बावजूद भी नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

97. जोधपुर शहर के गुलाब सागर व फतेह सागर तालाबों की तर्ज पर जोधपुर शहर के ही गंगलाब तालाब एवं बाइजी के तालाब के विकास नहीं किये जाने के बावजूद भी नगर निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) :

98. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में नगर पालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी का प्रबन्ध नहीं किेये जाने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) नगर पालिका द्वारा बस स्टैण्ड हेतु भूमि आबंटन नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा नगर पालिका राजगढ़ (चूरू) को राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

101. नगर पालिका राजगढ़ (चूरू) में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं किये जाने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. विभाग द्वारा नगर पालिका राजगढ़ (चूरू) में राजस्व अधिकारी (द्वितीय) के पद को मंडल के प्रस्ताव अनुसार समाप्त कर असेसर (कर निरीक्षक) का पद सृजन करने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) :

103. विधान सभा क्षेत्र किशगनढ़ (अजमेर) स्थित लिंक रोड शिवम टाकीज से रिद्धि-सिद्धि तक एवं मझेला रोड से अजमेर रोड तक के सौन्दर्यकरण एवं मार्ग चौड़ा करने हेतु कारगर पहल नहीं किये जाने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

104. किशनगढ़ स्थित रामनेर रोड चुंगी चौकी से रामनेर चौराहा (एन.एच.)

(श्री भागीरथ चौधरी)

एवं मकराना रोड मार्बल चौराहा तक सड़क मार्ग का सौन्दर्यकरण एवं फोरलेन कार्य नहीं होने के बाद भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा नगर पालिका किशनगढ़ (अजमेर) को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नगर पालिका द्वारा किशनगढ़ स्थित चिड़िया बावड़ी से पुरासिया रेलवे फाटक तक एवं पुरानी मिल चौराहे से फूल महत तक सड़क का सौन्दर्यकरण एवं फोरलेन कार्य नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) :

107. विभाग द्वारा राज्य की नगर पालिकाओं/परिषदों के निर्वाचित अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों को अनावश्यक रूप से निलम्बित करने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

108. नगर निगमों (जोधपुर, जयपुर व कोटा) के कार्यों का संचालन आज भी नगर निगम एक्ट की बजाय नगर परिषद अधिनियम से होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. यू.आई.टी. कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर तथा जे.डी.ए. द्वारा अल्प संख्यकों के छात्रावास निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटित नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

110. सवाई माधोपुर में नगर पालिका द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के लिये आरक्षित भूमि में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बसाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

111. सवाई माधोपुर नगर पालिका की मीटिंग विधान सभा सत्र के दौरान रखने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा) :

112. राज्य में विभिन्न शहरों एवं नगरों में समुचित विकास की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) :

113. विभाग द्वारा मारवाड़ जंक्शन को नगर आयोजना के अन्तर्गत मारवाड़ जंक्शन कस्बे को नगर पालिका में परिवर्तन करने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) :

114. बीकानेर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा किये गये एवं जारी कार्यों पर तथा नजदीकी कस्बों में भी इस योजनान्तर्गत कार्य करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

115. विभाग द्वारा जिला बीकानेर में लूणकरणसर, कालू, नापासर, महाजन तथा मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थानों पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था को स्थापित करने एवं फायर स्टेशन स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

116. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में अनेक प्रमुख मार्गों पर तथा टोंक रोड पर रामबाग सर्किल से दुर्गापुरा के बीच सौन्दर्यकरण पर गत 4 वर्षों में किये गये कार्यों से बार-बार विद्युत पोल बदलने में हुये अनावश्यक खर्चे के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (खण्डार) :

117. नगर पालिका सवाई माधोपुर की राज नगर कालोनी एवं रीको एरिया के मध्य आ रहे नालें में पुलिया निर्माण नहीं कराये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

118. नगर पालिका सवाई माधोपुर द्वारा अम्बेडकर कालोनी, हम्मीर नगर में एवं रणथम्भौर रोड की कालोनियों एवं पुलिस लाइन के पीछे अनुसूचित जाति/जनजाति के निवासियों की कालेनी में नालियां व सी.सी. रोड निर्माण नहीं करवाये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

119. सवाई माधोपुर नगर पालिका में हम्मीर सर्किल के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियतितताएं होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

120. सवाई माधोपुर नगर पालिका में सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार एवं निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक बैरवा)

121. सवाई माधोपुर में नगर पालिका में हो रहे भारी अनियमितताएं एवं बढ़ रहे भारी भ्रष्टाचार से हो रही जनहानि के बावजूद भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव) :

122. नगर पालिका द्वारा जैसलमेर शहर में कच्ची बस्तियों के नियमित पट्टे आबंटित नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) :

123. झालावाड़ नगर पालिका में व्याप्त अनियमितताओं के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

124. जोधपुर सुधार न्यास में व्याप्त अनियमितताओं के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. विभाग द्वारा सिरोही व शिवगंज नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

126. गंगानगर सुधार न्यास में अनियमितताओं की बीकानेर संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

127. विभाग द्वारा सांगोद नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यभार कानून विरुद्ध देने के जिम्मेदार उपखंण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) :

128. विभाग द्वारा नगर निगमों को और अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मास्टर प्लान में किये जा रहे बार-बार परिवर्तन से मास्टर प्लान की अहमियत समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आवास की समस्या के समाधान के लिये नवीन योजनायें नहीं बनाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

131. विभाग द्वारा वर्ष 1999 से 2003 तक यू.आई.टी., आवासन मण्डल

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में लम्बित मामलों के निपटारे के लिये बनाई गई समझौता समिति के कार्यकलापों की जांच करवाने के लिये आयोग बनाकर तीन माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने पर चर्चा के लिये।

132. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बढ़ रही भू-माफिया की गतिविधियों पर जे.डी.ए. द्वारा रोक नहीं लगाये जाने की स्थिति में भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

133. नगर पालिका द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में स्थित शिवाजी कालोनी का अभी तक भी नियमन नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

134. नगर पालिका निवाई द्वारा 90बी की कार्यवाही नहीं किये जाने एवं आवासीय पट्टे जारी नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

135. नगर पालिका द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में वर्ष 1995 में आबंटित 65 भू-आबंटियों को आज तक भूखण्ड नहीं दिये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

136. नगर पालिका निवाई क्षेत्र के अन्तर्गत निवाई शहर में साफ-सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) :

137. जयपुर स्थित प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड में स्थित पार्कों एवं सैक्टर 183 एवं सैक्टर 182 के बीच स्थित पार्क को विकसित नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

138. विभाग द्वारा गुरू गोरक्षनाथ कोलोनाइजर्स जिसका रजिस्ट्रेशन सं. आर.जे.-17-021693 आर द्वारा काटी गई आगरा रोड पर माउण्टेन सिटी-2 के पट्टे जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) :

139. जे.डी.ए. द्वारा आर.यू.आई.डी.पी. के मार्फत तीर्थ स्थान गलता गेट के सौन्दर्यकरण करवाये जाने के बाद वहां पार्किंग स्थल पर शमशान गेट के बाहर स्थायी अतिक्रमण करवाये जाने में नगर निगम की मिलीभगत के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

140. जे.डी.ए. एवं नगर निगम द्वारा ज्वाइंट रूप से जयपुर शहर स्थित दिल्ली हाइवे गलता चौराहे पर गत दिनों अतिक्रमणों को हटाने के बावजूद पुनः नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से उन स्थानों पर अतिक्रमण होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) :

141. विभाग द्वारा जयपुर शहर में बढ़ती आबादी को देखते हुए सुदृढ़ आवासीय नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विभाग द्वारा जयपुर महानगर में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए ट्रेफिक समस्या का निराकरण करने हेतु सामूहिक पहल करने पर चर्चा के लिये।

143. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों का नियमन नहीं करवाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) :

144. जयपुर नगर निगम, मोती डूंगरी जोन, म.नं. बी-1, आनन्दपुरी छोटीलाल राजोरिया मार्ग के पास, बाल मंदिर स्कूल के सामने से रोड व फुटपाथ पर हुए अवैध अतिक्रमण को जनहित में तुरन्त नहीं हटाये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।